इंडिया एक्ज़िम बैंक

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

हमारे बारे में विस्तार से जानने के
लिए कृपया लॉग ऑन कीजिए
www.eximbankindia.in/Hindi/

विषय-सूची

परिचालन परिदृश्य

वैश्विक अवसरों को भुनाने के लिए भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाना	4
निदेशक मंडल	6
प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	8
वित्तीय कार्य निष्पादन	12
हमारा प्रबंधन	14
आर्थिक परिवेश	15
निदेशकों की रिपोर्ट	21
निर्यात स्पर्धात्मकता का विकास	26
निर्यात वित्तपोषण	29
संपोषी प्रभाव के लिए सरकारों के साथ सहभागिता	32
निर्यात वृद्धि की नवोन्मेषी पहलें	35
संवर्धन और विकास भूमिका	43
मानव पूंजी	48
संस्थागत अवसंरचना	51
संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां	56

सांविधिक रिपोर्टें

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	59

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	97
तुलन पत्र	102
लाभ एवं हानि लेखा	103
तुलन पत्र की अनुसूचियां	104
नकदी प्रवाह विवरण	107

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	141
तुलन पत्र	146
लाभ एवं हानि लेखा	147
तुलन पत्र की अनुसूचियां	148
नकदी प्रवाह विवरण	151

निर्यात विकास कोष

निदेशकों की रिपोर्ट	212
वित्तीय विवरण	213

विषम परिस्थितियों में निर्यातों को सुगम बनाए रखना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य कई कारकों से प्रभावित हुआ। इनमें भू–राजनीतिक तनाव, संरक्षणवादी व्यापार नीतियों, वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता और संपोषी विकास से जुड़ी गैर–टैरिफ बाधाओं जैसे कारक शामिल रहे। इस बदलते परिवेश में, भारतीय निर्यात–आयात बैंक भारतीय व्यवसायों और सहभागी विकासशील देशों के विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा।

इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की थीम है– विषम परिस्थितियों में निर्यातों को सुगम बनाए रखना। यह थीम भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की क्षमताओं को बढ़ाने के बैंक के रणनीतिक फोकस को दर्शाती है, ताकि वे इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार परिवेश में भी सुगमता से निर्यात कर सकें। साथ ही, यह थीम भारत की व्यापार स्पर्धात्मकता को बढ़ाने, विकास भागीदारियों को और सुदृढ़ करने तथा संपोषी व समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर बैंक की प्राथमिकता को भी दर्शाती है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने ऐसे वैश्विक परिदृश्य में निर्यात वित्त और संपोषी विकास को बढ़ावा देने वाले ऋणों की उपलब्धता बढ़ाने, एवं निर्यातकों को आवश्यक जानकारी एवं साधन प्रदान करने के उद्देश्य से कई पहलें कीं। यह रिपोर्ट, भारत के वैश्वीकरण में सहयोग के लिए बैंक के इन्हीं प्रयासों को रेखांकित करती है और विकास भागीदारियों को सुदृढ़ करने की दिशा में बैंक के सार्थक योगदान को भी दर्शाती है।

100%

भारत सरकार का स्वामित्व

40+

वर्ष परिचालन के भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के सुगमीकरण, वित्तपोषण और संवर्धन में

पॉलिसी बैंक

सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं को सहायता और शोध कार्यों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में सहयोग

सुदृढ़ विनियामकीय पूँजी

स्थिति, गत कई वर्षों से

निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा संप्रभु रेटिंग के समान रेटिंग

दृष्टि

भारतीय व्यवसायों के वैश्वीकरण और सहभागी देशों के विकास में सहयोग करना

उद्देश्य

भारतीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाना और वित्तीय, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से सजग संस्था के रूप में सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं में सहयोग प्रदान करना

वैश्विक अवसरों को भुनाने के लिए भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाना

बढ़ती वैश्विक मौजूदगी

निम्नलिखित के माध्यम से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक्ज़िम बैंक की उपस्थितिः

- विदेशी निवेश वित्त
- वाणिज्यिक क्रेता ऋण
- एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण
- ऋण–व्यवस्थाएं
- गारंटियां
- व्यापार सहायता कार्यक्रम
- मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं

एक्ज़िम बैंक की विदेशों में उपस्थिति   प्रधान कार्यालय

यह नक्शा केवल सांकेतिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया है।

यथा 31 मार्च, 2025 को

निदेशक मंडल

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक

श्री दम्मू रवि
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय

सुश्री हिमानी पांडे
अपर सचिव
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री सिद्धार्थ महाजन
संयुक्त सचिव
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों से निदेशक

श्री अर्णब कुमार चौधरी
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
ईसीजीसी लिमिटेड

पूर्णकालिक निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्रीमती अपर्णा भाटिया

सलाहकार (द्विपक्षीय सहयोग)
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय

डॉ. अभिजीत फुकन

आर्थिक सलाहकार
वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी

अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री मटम वेंकट राव

प्रबंध निदेशक और
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

श्री अश्वनी कुमार

प्रबंध निदेशक और
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूको बैंक

प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में लंबे समय से चल रहे उतार–चढ़ाव के बाद वर्ष 2024 में कुछ स्थिरता आई और अनुमानित वैश्विक आर्थिक वृद्धि 3.3 प्रतिशत रही। वर्ष के दौरान, बढ़ते संरक्षणवाद, बाजार अस्थिरता, बढ़ते कर्ज और जलवायु परिवर्तन जैसी कई चुनौतियों के कारण यह वृद्धि अब तक के औसत से भी कम रही। इस प्रतिकूल परिवेश के बावजूद, भारत की आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही और वर्ष 2024 में, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा। भारत की अर्थव्यवस्था में यह उल्लेखनीय वृद्धि सुदृढ़ मैक्रोइकोनॉमिक मूलभूत तत्त्वों और प्रभावी नीतिगत ढांचे और सुधारों की बुनियाद पर आधारित दृष्टिकोण के चलते रही।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, भारत के वास्तविक जीडीपी में 6.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसमें कृषि और सेवाएं क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। यह वृद्धि ग्रामीण खपत में मांग में आए उल्लेखनीय सुधार के चलते रही। इसी के साथ, मुद्रास्फीतिक दबाव भी कम रहे और मार्च 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त 2019 के बाद 3.3 प्रतिशत के अपने सबसे न्यूनतम मासिक स्तर पर पहुंच गया।

घरेलू अर्थव्यवस्था जहां सुदृढ़ रही, वहीं बाह्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। वर्ष 2024–25 भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए एक और मील का पत्थर साबित हुआ। इस दौरान वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात बढ़कर 824.9 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। वैश्विक व्यापार के लिए उल्लेखनीय रूप से इस अहम वर्ष के दौरान यह वृद्धि एक शुभ संकेत है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, 2017 के बाद 2024 पहला गैर–महामारी वर्ष रहा, जिसमें वस्तु व्यापार की वृद्धि दर वैश्विक जीडीपी की वृद्धि दर से अधिक रही। वैश्विक वृद्धि में एक बार फिर व्यापार एक प्रमुख घटक रहा।

साथ ही, भारत की निर्यात संरचना में भी रूपांतरकारी बदलाव हो रहे हैं। इसमें उच्च मूल्यवर्धित एवं तकनीक–प्रधान क्षेत्रों की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान देश से गैर–तेल वस्तु निर्यातों में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इनमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, फार्मासूटिकल, इंजीनियरिंग सामान तथा रेडीमेड गारमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे। ये सभी क्षेत्र भारत के निर्यातों को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। साथ ही, सरकार ने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए निर्यात–आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने का व्यापक दृष्टिकोण अपना रही है। बैंक राष्ट्र के इस संकल्प के अनुरूप, भारत के निर्यातों को बढ़ावा देने और इन्हें सुगम बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

वित्तीय एवं व्यावसायिक निष्पादन

वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितताओं और विषम परिस्थितियों के बीच एक्ज़िम बैंक जैसी विकास वित्त संस्थाओं की भूमिका पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। बैंक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है– उभरते क्षेत्रों को सहयोग को प्राथमिकता देना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सुदृढ़ करना, नवोन्मेषी उत्पाद विकसित करना, प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना, भौगोलिक विस्तार करना तथा निर्यात व्यवसाय के लिए न्यून कार्बन उत्सर्जन संबंधी उपाय करना।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, निर्यात क्षमताएं बढ़ाने और देश से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग प्रदान किया है। बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹ 1,857.39 बिलियन का हो गया। विशेष रूप से, बैंक के कॉर्पोरेट ऋणों में 31.0 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा, ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग वस्तुएं, फार्मासूटिकल तथा दूरसंचार जैसे उच्च मूल्य वर्धित और तकनीक–प्रधान क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान, बैंक के गैर–वित्त पोर्टफोलियो में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें मुख्य रूप से परियोजना संबंधी गारंटियां शामिल होती हैं। इससे भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों में जटिल, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा औद्योगिक परियोजनाओं का निष्पादन सुगम हुआ और वैश्विक स्तर पर उनकी तकनीकी दक्षता एवं निर्यात स्पर्धात्मकता को बल मिला।

भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने तथा सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं को सहयोग प्रदान करने के क्रम में बैंक ने वर्ष के दौरान कुल ₹ 1,399 बिलियन की ऋण सुविधाएं अनुमोदित कीं।

पिछले कई वर्षों के ट्रेंड को देखा जाए तो बैंक के कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो की आस्ति गुणवत्ता सुदृढ़ बनी रही है। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक के सकल एनपीए 1.71 प्रतिशत रहे, जो पिछले 13 वर्षों में सबसे कम हैं। यथा 31 मार्च, 2025 को निवल एनपीए निवल ऋणों के मात्र 0.14 प्रतिशत रहे और प्रावधान कवरेज अनुपात 98.26 प्रतिशत रहा। बैंक ने लाभप्रदता का अपना रिकॉर्ड बनाए रखा और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कर–पश्चात लाभ (पीएटी) में 29.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, बासल III पूंजी फ्रेमवर्क के अनुरूप, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़कर 25.29 प्रतिशत हो गया, जो वृद्धि के भावी अवसरों के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाता है।

यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक के कुल संसाधनों में बाजार उधारियों की हिस्सेदारी लगभग 89.0 प्रतिशत रही। वर्ष के दौरान, बैंक ने 144ए/रेग एस फॉर्मेट में 1 बिलियन यूएस डॉलर का 10 वर्षीय बॉन्ड जारी किया। यह किसी 10 वर्षीय सार्वजनिक निर्गम के लिए अब तक के सबसे कम स्प्रैड पर जुटाया गया निर्गम रहा और एशिया (जापान को छोड़कर) में बीबीबी–रेटिंग वाले उपक्रमों में सबसे कम दर पर जुटाया गया 10 वर्षीय यूएसडी सार्वजनिक निर्गम कहा। बैंक ने ब्राजीलियाई रियाल (बीआरएल) में विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए। यह एशिया (कोरिया को छोड़कर) का अब तक का प्रथम बीआरएल मूल्यवर्ग निर्गम रहा।

पिछले दो वर्षों के दौरान, बैंक ने अपनी भौगोलिक उपस्थिति भी बढ़ाई है। भारत में लखनऊ और इंदौर, अफ्रीका में नैरोबी तथा ब्राजील में साओ पाउलो में नए कार्यालयों का परिचालन शुरू किया गया इन कार्यालयों का उद्घाटन एक्ज़िम बैंक के ट्रेड कॉन्क्लेव के दौरान, श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। इन कार्यालयों के जरिए निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों के साथ संपर्क बढ़ाने और नए बाजारों में व्यापार अवसरों को भुनाने में मदद मिलेगी।

निर्यात क्षमताओं का सृजन एवं स्पर्धात्मकता में वृद्धि

वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण में सहयोग के क्रम में कुल ₹1,339 बिलियन की ऋण सुविधाएं प्रदान कर सहयोग किया। इस सहयोग से भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताओं में वृद्धि हुई, उनकी निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ी और उनके वैश्वीकरण प्रयासों में भी मदद मिली।

बैंक की मध्यम–अवधि रणनीति के अंतर्गत पारंपरिक (कोर प्ले) क्षेत्रों के साथ–साथ निर्यात के नए संभावित क्षेत्रों पर भी विशेष फोकस किया गया है। इन नए संभावित क्षेत्रों में हरित और संपोषी खंडों में बैंक की वित्तपोषण गतिविधियां बढ़ी हैं। बैंक अपने संपोषी वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय व्यवसायों को न्यून कार्बन उत्सर्जन संबंधी उपायों को अपनाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी (क्लीनटेक), संपोषी कृषि, संपोषी समाधान, जैविक रूप से विघटनशील (बायोडिग्रेडेबल) डिनरवेयर जैसे विविध क्षेत्रों में उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान की गई है। बैंक द्वारा बड़ी कंपनियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों, सामुदायिक संपोषी कृषि से जुड़े सामाजिक उद्यमों और नवोन्मेषी नवोद्यमों को भी सहायता प्रदान की गई हैं। बैंक में रक्षा और खिलौना उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी निर्यात क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है।

निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में, मध्यम एवं दीर्घावधि में निर्यातों का वित्तपोषण करते हुए भारत के निर्यातों को बढ़ावा देने में एक्ज़िम बैंक की अहम भूमिका रही है। अपने इस मैंडेट के अनुरूप, वर्ष के दौरान, बैंक ने 35 देशों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 89 निर्यात कॉन्ट्रैक्टों को ₹ 568.53 बिलियन की सहायता प्रदान की।

विकासशील सहभागी देशों में संपोषी विकास को बढ़ावा

बैंक ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज़) के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देश पर प्रदान की गई ऋण–व्यवस्थाओं (एलओसी) के जरिए सहभागी देशों में विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया है। बैंक द्वारा यथा 31 मार्च, 2025 को 62 देशों में 293 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की गई, जिनमें 27 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की ऋण प्रतिबद्धता रही। इन ऋण–व्यवस्थाओं से न केवल सहभागी देशों में सामाजिक–आर्थिक विकास को गति मिली है, बल्कि भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजारों और अवसरों तक पहुंच भी सुगम हुई है। इन ऋण–व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथा 31 मार्च, 2025 को लगभग 16 बिलियन यूएस डॉलर के 965 निर्यात कॉन्ट्रैक्ट कवर किए जा चुके हैं। इनसे 300 से अधिक भारतीय कंपनियों के लिए अवसर सृजित हुए हैं और इस मूल्य श्रृंखला जुड़े कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लाभान्वित हुए हैं।

भारत के विकास भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से भारतीय कंपनियों की स्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके परिणामस्वरूप सरकारों, बहुपक्षीय संस्थाओं, निजी निवेशकों और अन्य देशों की विकास वित्त संस्थाओं द्वारा निधिक परियोजनाओं में बोली प्रतिभागिता में भारतीय कंपनियों का सफलता अनुपात भी बढ़ा है।

बैंक ने हाल के वर्षों में एलओसी व्यवसाय के संपूर्ण चक्र के अंतर्गत प्रणालियों और प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने के क्रम में कई महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय किए हैं। बैंक, विकास भागीदारी कार्यक्रमों के सुगमीकरण में अपनी भूमिका के लिए भारत सरकार के प्रति विनम्र आभारी है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की निर्यात क्षमता को बढ़ाना

बैंक अभिनव वित्तीय व्यवस्थाओं एवं पहलों के माध्यम से भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के सामने निर्यातों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और बाजार तथा वित्त तक उनकी पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।

कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में नई तकनीकों, अभिनव व्यापार मॉडलों को अपनाने और नवीन उत्पाद/सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है। बैंक अपने 'उभरते सितारे कार्यक्रम' के अंतर्गत विशिष्ट तकनीक, उत्पाद या प्रक्रियाओं वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करता है। यह सहायता ऋण, इक्विटी एवं तकनीकी सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 2020 के केंद्रीय बजट में इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद से बीते पांच वर्षों में बैंक ने इसके अंतर्गत 85 से अधिक कंपनियों को सहयोग किया है। बैंक इन कंपनियों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को दूर कर वैश्विक निर्यात बाजार में उनकी वृद्धि की संभावनाएं बढ़ा रहा है।

बैंक अपने व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप) के माध्यम से विशेष रूप से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नए और उभरते बाजारों में निर्यातों में विविधता लाने में सहयोग कर रहा है। खास तौर पर, नए और उच्च जोखिम वाले बाजारों में किए जाने वाले निर्यातों का उल्लेखनीय हिस्सा, बैंक–मध्यस्थ व्यापार वित्त पर निर्भर होता है। इसके लिए काउंटरपार्टी बैंक की मध्यस्थता जरूरी होती है। टैप के अंतर्गत बैंक भारत एवं सहभागी देशों के स्थानीय बैंकों के बीच एक प्रभावी सेतु की भूमिका निभाता है। वर्ष 2022 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक अब तक विदेश स्थित 100 से अधिक बैंकों के साथ जुड़ चुका है। टैप के अंतर्गत बैंक ने अब तक 51 देशों में 1,139 निर्यात ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं। इन ट्रांजेक्शनों के जरिए भारत के 20 राज्यों के 60 शहरों में स्थित 160 निर्यातकों द्वारा 3.02 बिलियन यूएस डॉलर के अतिरिक्त निर्यातों में सहयोग प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त लगभग 40.0 प्रतिशत कंपनियां मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से हैं।

बैंक निर्यात फैक्टरिंग जैसी वैकल्पिक व्यापार वित्त व्यवस्था के विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। गिफ्ट सिटी में स्थित बैंक की सहायक कंपनी इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (एक्ज़िम फिनसर्व)/ उत्तरदायित्व रहित (नॉन–रिकोर्स) / सीमित उत्तरदायित्व आधारित निर्यात फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान कर रही है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जरूरतों के अनुरूप एक रिसीवेबल्स की प्रबंधन व्यवस्था है। इस सहयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाती है, क्योंकि वे अपने क्रेताओं को जोखिम और नकदी प्रवाह की कठिनाइयों के बिना ओपन अकाउंट शर्तों की पेशकश कर पाते हैं।

समावेशी विकास में सहयोग

बैंक भारत के निर्यात संवर्धन में न केवल बड़ी कंपनियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहयोग करता है, बल्कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रासरूट उद्यमों को भी सहायता प्रदान करता है। बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम के अंतर्गत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रासरूट उद्यमों और दस्तकारों को सहायता प्रदान करता है। इन उद्यमों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक इन्हें बहुस्तरीय सहयोग प्रदान करता है। इनमें वित्तीय सहायता, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग, कौशल विकास, उत्पाद एवं डिजाइन विकास तथा क्लस्टरों के लिए कॉमन सुविधाओं की स्थापना आदि जैसे सहयोग शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' पहल के अनुरूप और विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ मिलकर छह जिलों को सहायता प्रदान की।

वर्ष के दौरान, बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत भी सक्रिय योगदान दिया और स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास एवं आजीविका सहायता तथा पर्यावरणीय सस्टैनेबेलिटी जैसे क्षेत्रों में विभिन्न पहलों को सहायता प्रदान की।

शोध कार्यों के माध्यम से योगदान

बैंक अपने शोध कार्यों के जरिए नीति निर्माण और व्यवसायों को सुविचारित निर्णय लेने में भी मदद करता है। वर्ष के दौरान, बैंक

ने विभिन्न देशों/क्षेत्रों से संबंधित, भारतीय राज्यों की निर्यात संभावनाओं, उद्योग क्षेत्रों एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे विषयों पर केंद्रित 20 शोध अध्ययन प्रकाशित किए। बैंक भारत सरकार को मुक्त व्यापार करार वार्ताओं सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी सूचनाएं प्रदान करता है।

इस वर्ष एक बार फिर से बैंक द्वारा विकसित एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स मॉडल आधारित भारत के तिमाही निर्यात पूर्वानुमान लगभग सही रहे। एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स को बैंक द्वारा आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। इससे बैंक भारत के अल्पावधि निर्यातों के ट्रेंड से संधित जानकारी के लिए एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में उभरा है।

निदेशक मंडल से मार्गदर्शन

बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और बैंक को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करने में इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। इसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे निदेशक – श्री दम्मू रवि, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; सुश्री हिमानी पांडे, अपर सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (द्विपक्षीय सहयोग), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; और डॉ. अभिजीत फुकन, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय शामिल हैं। हम विभिन्न संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के निदेशकों की विशेषज्ञता से भी लाभान्वित होते रहे हैं और सीखते रहे हैं। इनमें श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड; श्री अर्णब कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड; श्री एम.वी. राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; और श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक निदेशक, यूको बैंक तथा मेरे सहयोगी और बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री तरुण शर्मा और सुश्री दीपाली अग्रवाल शामिल हैं।

निदेशकों के पदभार में परिवर्तन या अधिवार्षिता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप निदेशक पद छोड़ने के कारण बैंक के निदेशक मंडल में बदलाव भी हुए हैं। इनमें श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री आर. सुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; तथा श्री अशोक कुमार गुप्ता, कर परामर्शदाता शामिल हैं। बैंक, निदेशक के रूप उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सदैव उनके प्रति कृतज्ञ और आभारी है।

मैं निदेशक मंडल में सुश्री दीपाली अग्रवाल का भी स्वागत करना चाहूंगी, जिन्होंने 28 जून, 2024 को उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। सुश्री दीपाली ने 1995 में बैंक जॉइन किया था और वह निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहीं। मुझे विश्वास है कि वह एक बहुमूल्य नेतृत्व प्रदान करेंगी और अपनी नई भूमिका में बैंक की वृद्धि के लिए उल्लेखनीय रूप से योगदान देना जारी रखेंगी।

आगे की राह

भारत का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक निर्यातों में अपनी हिस्सेदारी 1.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.0 प्रतिशत करने का है। इस लक्ष्य को हासिल करने में एक्ज़िम बैंक हर तरह से तत्पर और प्रतिबद्ध है। बैंक परियोजना निर्यातों के मध्यम अवधि से दीर्घावधि मीयादी वित्तपोषण में अपनी पारंपरिक भूमिका को और बढ़ा रहा है। साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण के प्रणालीगत अंतर को कम करने के लिए भी प्रयासरत है। बैंक, समावेशी और पर्यावरण विकास से संबंधित पहलों में भी सहयोग प्रदान कर रहा है।

आगे बढ़ते हुए, बैंक द्वारा अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इसके अलावा, निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सहायता को बढ़ाते हुए व्यवसाय वृद्धि और प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण योग्य संसाधन जुटाते हुए निर्यात स्पर्धात्मकता को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच, नए स्लिपेज को न्यूनतम रखने के निरंतर प्रयास जारी रखते हुए और वसूलियां बढ़ाते हुए सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखना प्रमुख प्राथमिकता रहेगी।

अधिकाधिक निर्यातकों को सहयोग प्रदान करते हुए वित्तीय समावेशन करना भी बैंक की प्राथमिकता में है। बैंक द्वारा 'उभरते सितारे कार्यक्रम', 'व्यापार सहायता कार्यक्रम' और 'एक्ज़िम फिनसर्व' के जरिए निर्यात फैक्टरिंग जैसी महत्त्वपूर्ण पहलों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा, अधिक से अधिक ग्रासरूट उद्यमों और जिला स्तर के क्लस्टरों को निर्यात व्यवस्था में लाने के लिए लक्षित उपाय किए जा रहे हैं। बैंक महिला उद्यमियों को सशक्त करने और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने, निर्यात क्षेत्र ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी व्यवस्थाएं विकसित करने और वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यातकों की मार्केटिंग आवश्यकताओं पूरा करने के क्रम में नए कार्यक्रमों की पेशकश भी कर रहा है। इसके अलावा, बैंक बदलते विनियामकीय और जोखिम परिवेश के अनुरूप अपने आंतरिक नियंत्रणों को और सुदृढ़ कर रहा है।

भारत के निर्यातों का कल आज किए जा रहे प्रयासों से ही सुदृढ़ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक्ज़िम बैंक की टीम इन प्रयासों में अपना योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर और प्रतिबद्ध है।

हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

वित्तीय कार्य निष्पादन

(संबंधित वित्तीय वर्ष में यथा 31 मार्च को)

निवल ऋण पोर्टफोलियो (क)

(₹ बिलियन में)

गैर-निधिक पोर्टफोलियो (ख)

(₹ बिलियन में)

ग्राहक आस्ति पोर्टफोलियो (ग=क+ख)

(₹ बिलियन में)

निवल निवेश (घ)

(₹ बिलियन में)

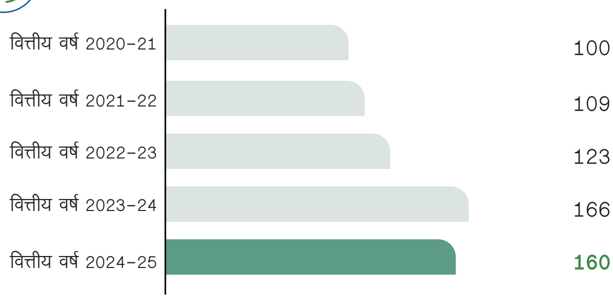

कुल उधारियां (ङ)

(₹ बिलियन में)

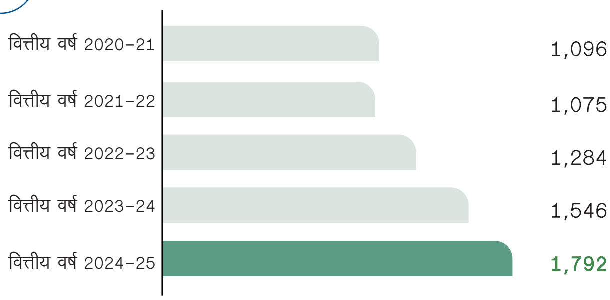

कुल व्यवसाय (ग+घ+ङ)

(₹ बिलियन में)

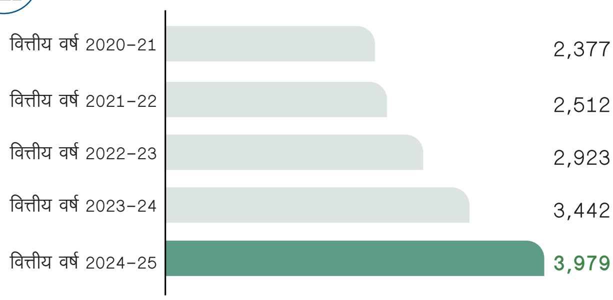

परिचालन लाभ

(₹ मिलियन में)

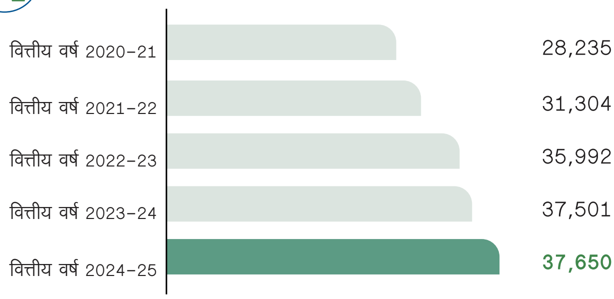

कर पूर्व लाभ

(₹ मिलियन में)

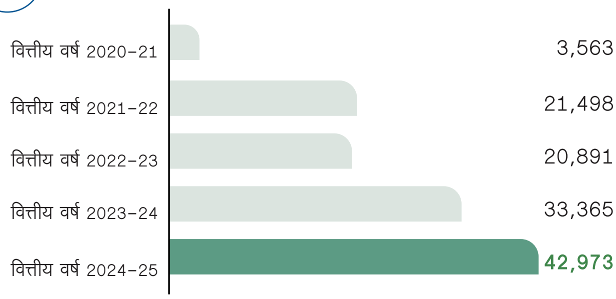

कर पश्चात लाभ

(₹ मिलियन में)

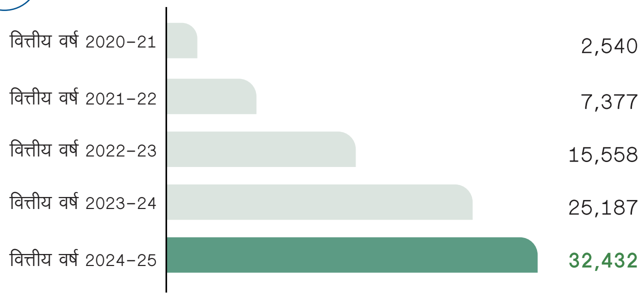

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

(% में)

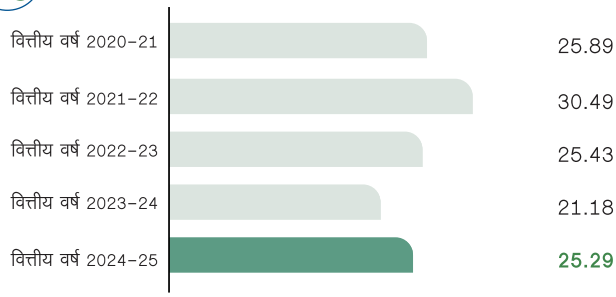

निवल अनर्जक आस्तियां

(% में)

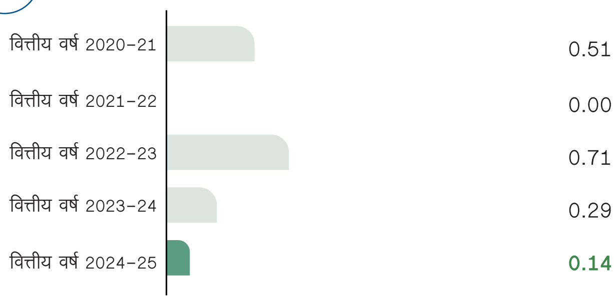

प्रावधान कवरेज अनुपात

(% में)

हमारा प्रबंधन

यथा 31 मार्च, 2025

पूर्णकालिक निदेशक

हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

मुख्य महाप्रबंधक

मुकुल सरकार
जोखिम प्रबंधन

डेविड सिनाटे
शोध एवं विश्लेषण

रीमा मारफतिया
आंतरिक लेखा परीक्षा

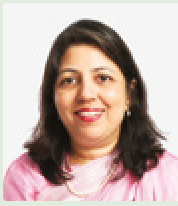
मंजिरी भालेराव
अनुपालन एवं ईएसजी

गौरव भंडारी
ट्रेज़री एवं लेखा और एमआईएस

उत्पल गोखले
शोध एवं विश्लेषण

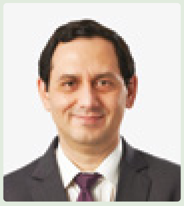
विक्रमादित्य उगरा
ऋण-व्यवस्थाएं

लोकेश कुमार
अवसंरचना

रिकेश चंद
ऋण मूल्यांकन और बीसी-एनईआईई

मीना वर्मा
ऋण परिचालन एवं निगरानी और डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी

टी.डी. सिवाकुमार
बोर्ड सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय संबंध और कॉर्पोरेट संचार

महाप्रबंधक

धर्मेन्द्र सचान
ज्ञान केंद्र, मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं एवं ग्रासरूट उद्यम विकास

सुजीत भाले
ऋण परिचालन एवं निगरानी

शिल्पा वाघमारे
विशेष परिस्थिति

उदय शिंदे
मानव संसाधन प्रबंधन

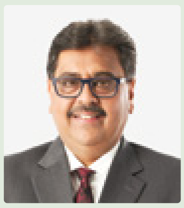
निर्मित वेद
ऋण-व्यवस्थाएं एवं सरकारी कार्य

प्रीति थॉमस
विधिक

मनीष जोशी
ऋण मूल्यांकन

अम्बरीश भंडारी
ऋण मूल्यांकन एवं परियोजना निर्यात

नवेन्दु वाजपेयी
राजभाषा एवं प्रशासन

बख्तावर पटेल
ट्रेज़री

तृप्ति म्हात्रे
व्यापार सुगमीकरण

शैलेश प्रसाद
संपोषी उद्यम एवं निर्यात विकास

आर्थिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

कोविड–19 महामारी से उबरने के बाद भू–राजनीतिक तनावों से लगातार जूझते रहने के बावजूद वैश्विक आर्थिक वृद्धि में हाल के वर्षों में स्थिरता आई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अप्रैल 2025 के अनुमानों के अनुसार, 2025 की वैश्विक वृद्धि दर 2024 की 3.3 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत रह सकती है। यह गिरावट मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा घोषित नई टैरिफ नीतियों और उसके व्यापारिक भागीदारों द्वारा किए गए उपायों से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों और परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका के कारण है। भू–राजनीतिक तनाव और आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता बढ़ने से निवेश और खपत के प्रभावित होने की आशंका है। विशेष रूप से, अमेरिका की बदलती व्यापार नीति और भू–राजनीतिक चुनौतियों के बने रहने से वैश्विक व्यापार वृद्धि में और गिरावट का जोखिम बने रहने की आशंका है।

वैश्विक आर्थिक वृद्धि

(% में)

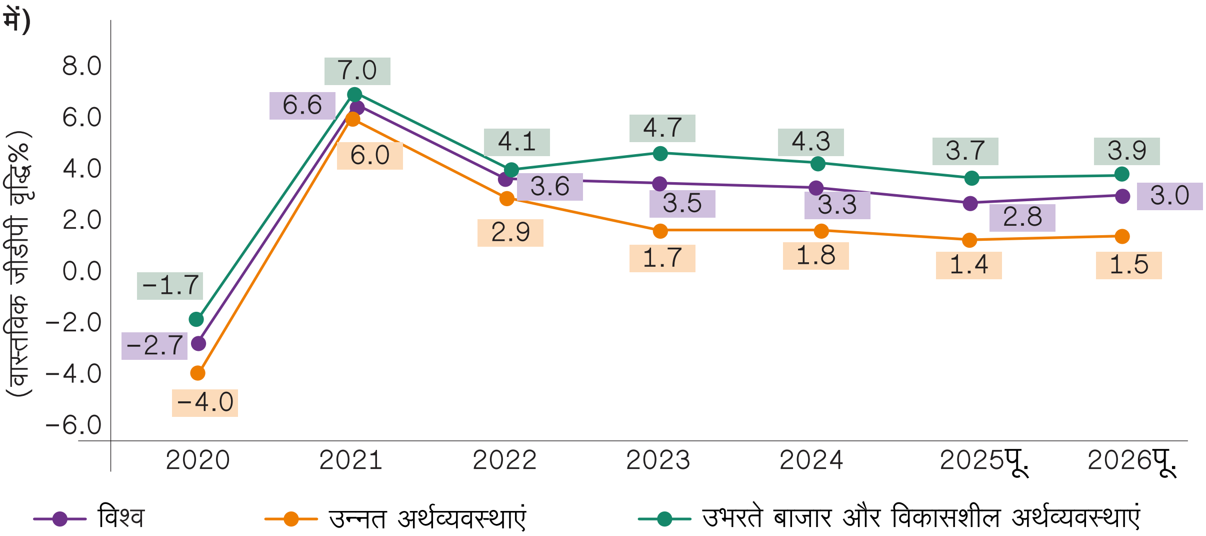

नोटः पू. पूर्वानुमान; चार्ट में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वैश्विक वृद्धि को दर्शाया गया है

स्रोतः अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अप्रैल 2025

वैश्विक निर्यात वृद्धि

(आंकड़ों में % परिवर्तन)

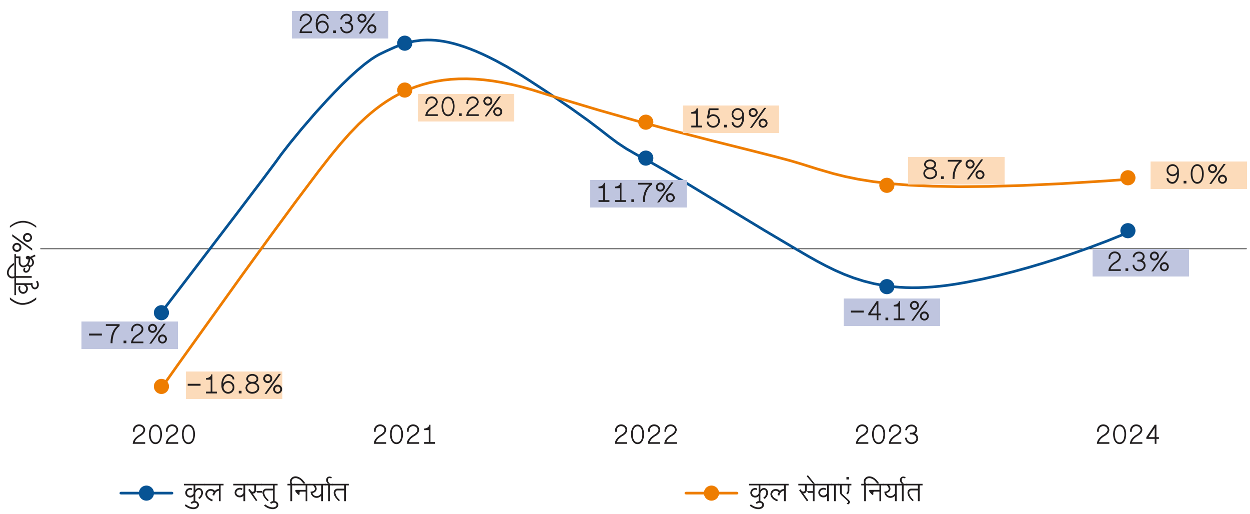

स्रोतः विश्व व्यापार संगठन

भारतीय अर्थव्यवस्था

चुनौतीपूर्ण वैश्विक मैक्रोइकनॉमिक परिस्थितियों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि सुदृढ़ बनी हुई है। वर्ष 2024 में, भारत नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुसार विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू मांग और निरंतर जारी बुनियादी ढांचागत विकास के चलते रही। वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थिर कीमतों पर आधारित भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह निजी खपत में अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान भारत का वस्तु निर्यात 437.4 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इस वर्ष के दौरान, गैर–तेल वस्तु निर्यात 6.0 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि के साथ 374.1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गए। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सेवा निर्यात 12.4 प्रतिशत की दर से बढ़े और इनमें गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि विश्व में भारत की निर्यात सेवाओं, मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर और व्यवसाय सेवाओं की अच्छी मांग को दर्शाती है।

भारत की आर्थिक वृद्धि

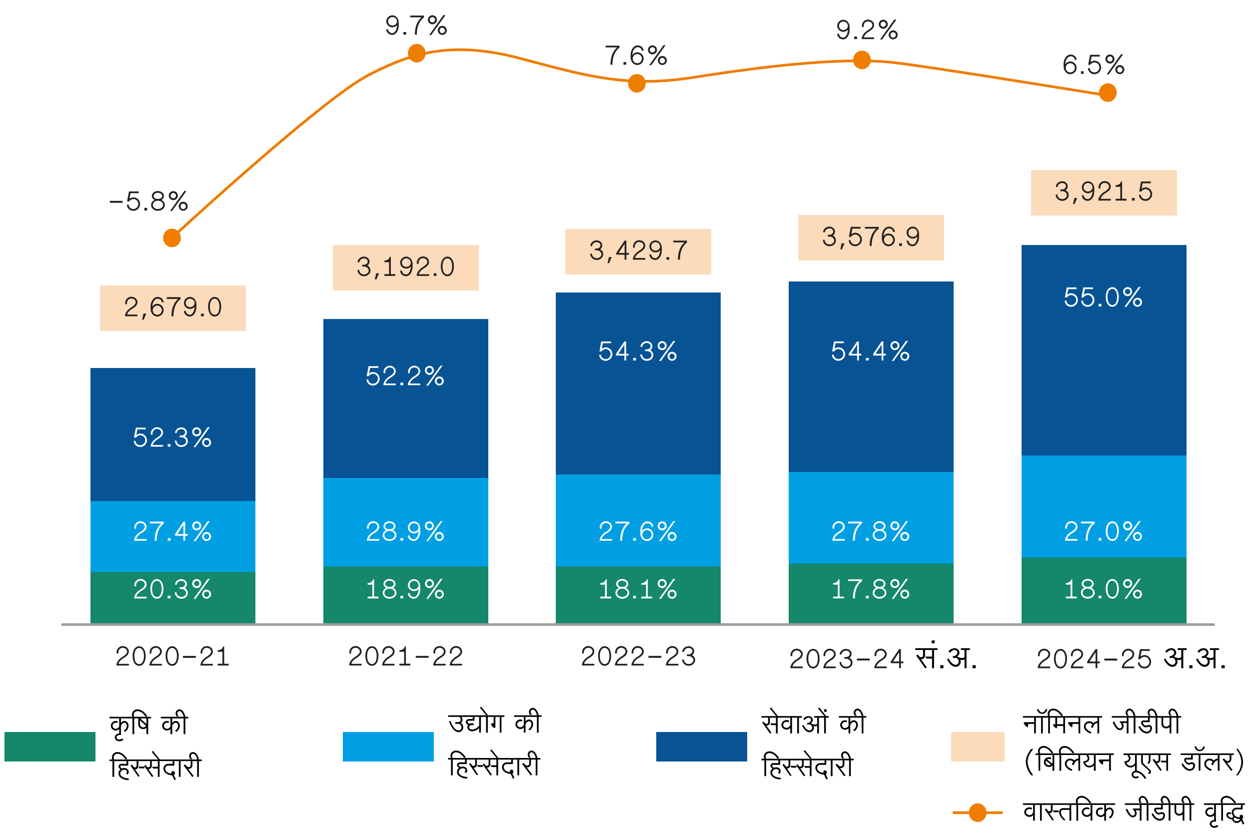

नोटः यह डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 30 मई, 2025 को जारी वार्षिक जीडीपी के अनंतिम अनुमानों पर आधारित है।

सं.अ.: संशोधित अनुमान; अ.अ.: अनंतिम अनुमान

स्रोतः अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

भारत के वस्तु निर्यात

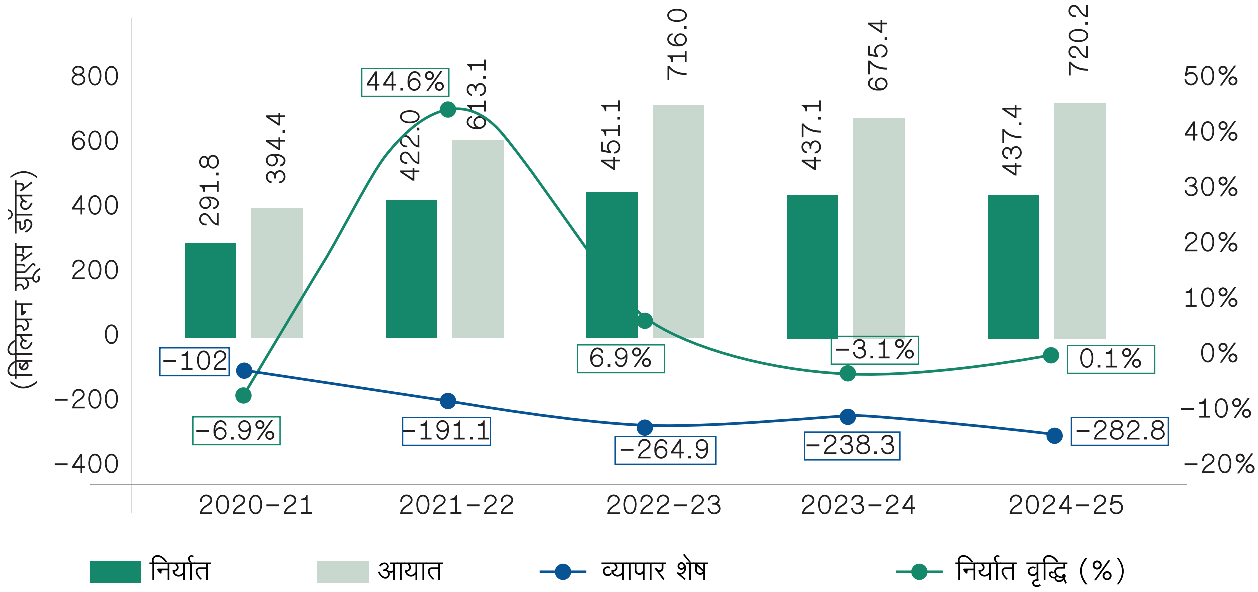

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

2024-25 में भारत के शीर्ष 10 वस्तु निर्यात

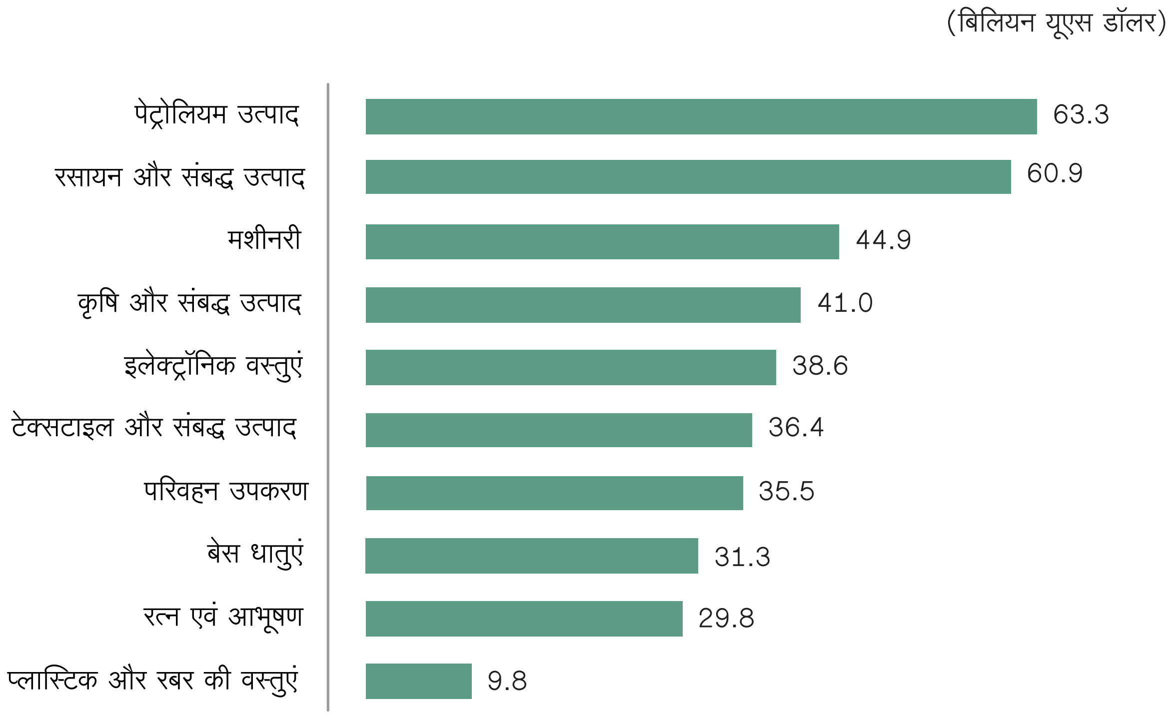

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

2024-25 में भारत के शीर्ष 10 वस्तु आयात

(बिलियन यूएस डॉलर)

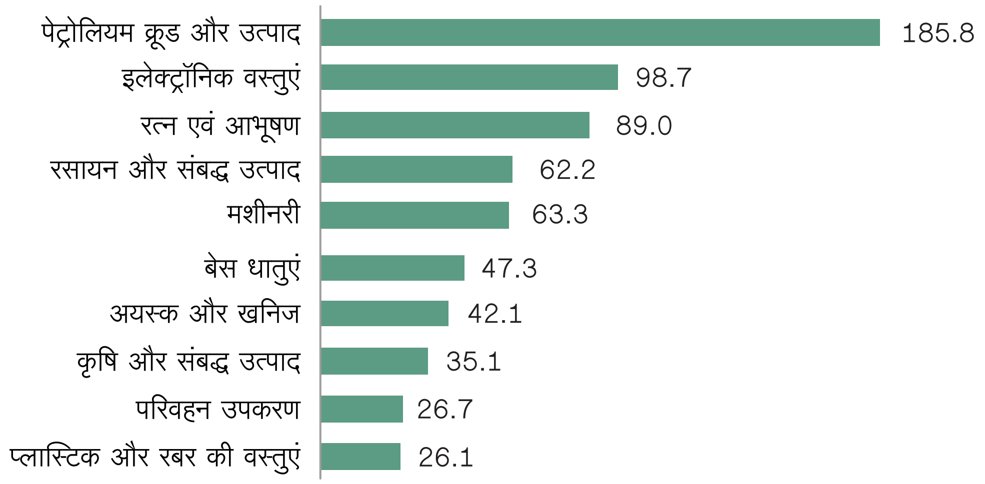

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

भारत का सेवा व्यापार

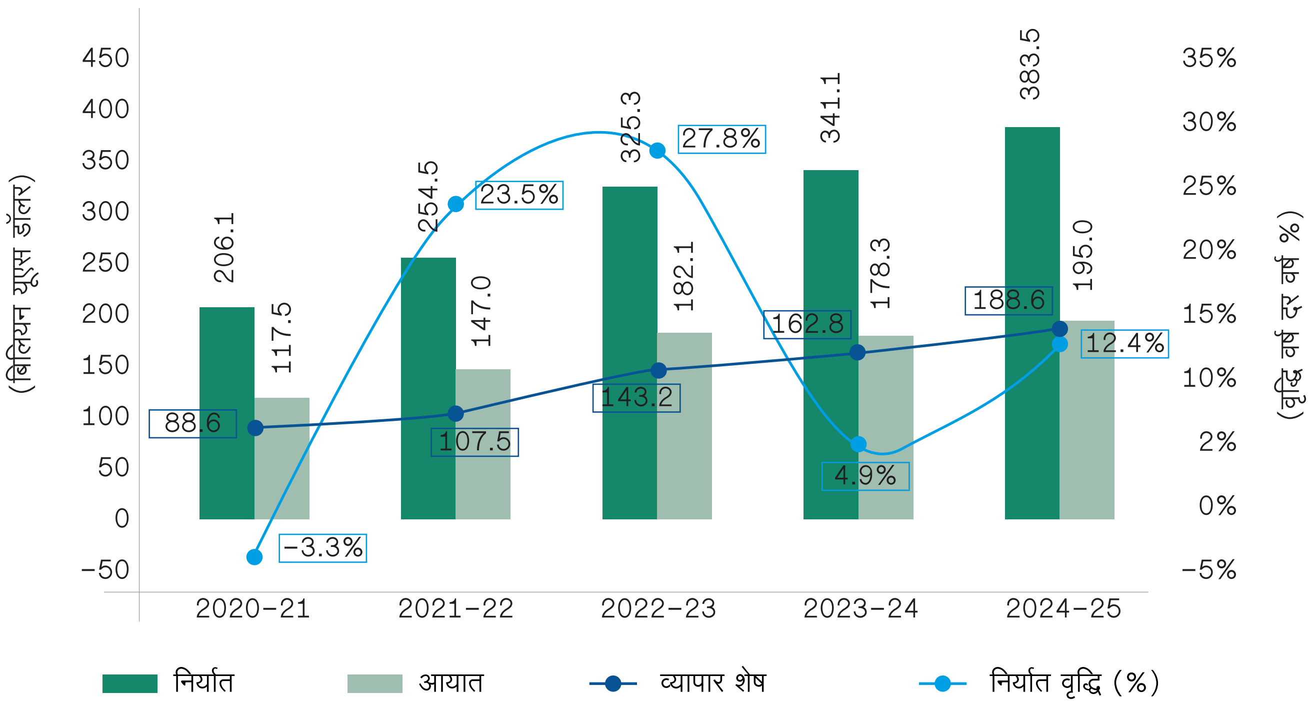

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

भारत से चुनिंदा उत्पादों का निर्यात [2022–23 से 2024–25]

पेट्रोलियम उत्पाद

2024–25 में हिस्सा	14.5%

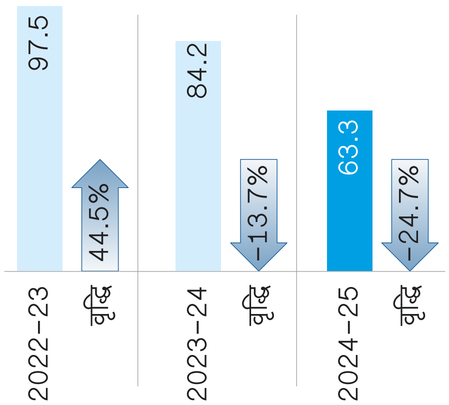

रसायन और संबद्ध उत्पाद

2024–25 में हिस्सा	13.9%

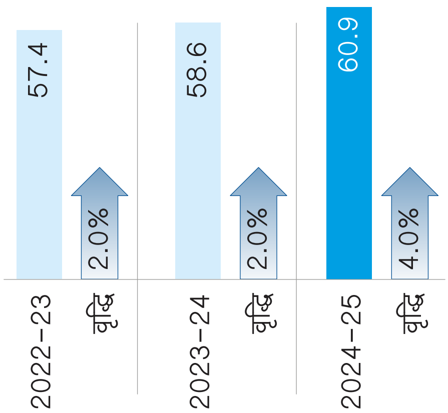

पूंजीगत वस्तुएं

2024–25 में हिस्सा	10.3%

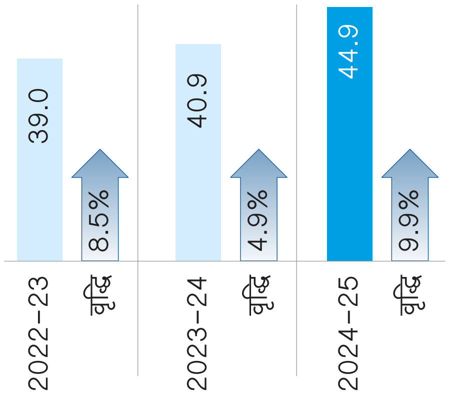

कृषि और संबद्ध उत्पाद

2024–25 में हिस्सा	9.4%

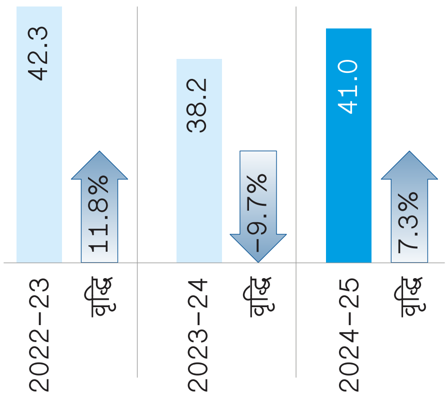

इलेक्ट्रॉनिक्स

2024–25 में हिस्सा	8.8%

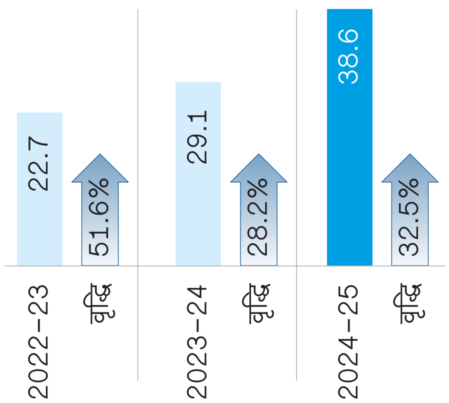

टेक्सटाइल्स और संबद्ध उत्पाद

2024–25 में हिस्सा	8.3%

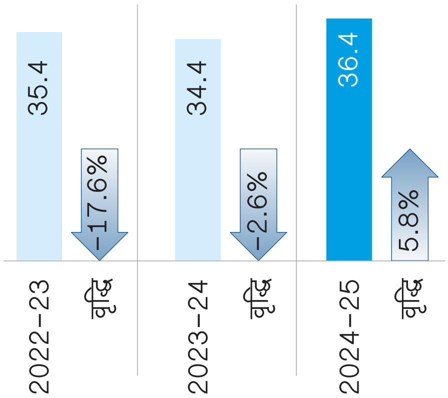

नोटः आंकड़े बिलियन यूएस डॉलर में हैं। हिस्सा, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान भारत के वस्तु निर्यातों में संबंधित क्षेत्र के योगदान के प्रतिशत को दर्शाता है।
स्रोतः वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

निदेशकों की रिपोर्ट

ऋण आस्तियां

बैंक ने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹ 916.72 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹ 1,117.71 बिलियन के ऋण अनुमोदित किए। ऋण संवितरण वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹ 846.96 बिलियन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 1,209.22 बिलियन के रहे। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऋण चुकौतियां, वित्तीय वर्ष 2023-24 की ₹ 651.84 बिलियन की तुलना में ₹ 953.69 बिलियन की रहीं। यथा 31 मार्च, 2025 को निवल ऋण आस्तियां ₹1,857.39 बिलियन की रहीं, जिनमें गत वर्ष की तुलना में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यथा 31 मार्च, 2025 को कुल निवल ऋण आस्तियों के 41.0 प्रतिशत ऋण और अग्रिम, रुपया राशि में और शेष 59.0 प्रतिशत विदेशी मुद्रा में रहे। अल्पावधि ऋण यथा 31 मार्च, 2025 को निवल ऋण और अग्रिमों के 28.0 प्रतिशत रहे।

गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की ₹ 146.40 बिलियन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 221.01 बिलियन की गैर-निधिक ऋण सुविधाएं मंजूर कीं। इनमें परियोजना गारंटियां, वित्तीय गारंटियां और साख-पत्र शामिल रहे। बैंक का कुल गैर-निधिक पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2024 के ₹ 153.46 बिलियन के मुकाबले यथा 31 मार्च, 2025 को 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 169.31 बिलियन का रहा, जिसमें गारंटियां, साख-पत्र एवं आपाती साख-पत्र शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 की ₹ 43.77 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 73.50 बिलियन की गारंटियां जारी की गईं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹ 11.15 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 7.69 बिलियन के साख-पत्र जारी किए गए। बैंक की बहियों में गारंटियां यथा 31 मार्च, 2024 को ₹ 146.24 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 160.75 बिलियन की रहीं। वहीं साख पत्र, यथा 31 मार्च, 2024 के ₹ 7.22 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 8.57 बिलियन के रहे।

आय/व्यय

बैंक ने सामान्य निधि लेखे में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 42.97 बिलियन का कर पूर्व लाभ दर्ज किया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 33.37 बिलियन का था। आयकर के लिए ₹ 10.54 बिलियन का प्रावधान करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर पश्चात लाभ ₹ 32.43 का रहा, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 25.19 बिलियन का था। इस लाभ में से ₹ 0.21 बिलियन की राशि निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरित की गई और ₹ 29.97 बिलियन की राशि आरक्षित निधि में अंतरित की गई। शेष ₹ 3.25 बिलियन की राशि, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के प्रावधान के अनुसार भारत सरकार को अंतरित की जाएगी।

ऋणों पर ब्याज, विनिमय कमीशन, ब्रोकरेज और शुल्क आदि को मिलाकर कारोबारी आय वित्तीय वर्ष 2023-24 की ₹ 114.50 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 126.07 बिलियन की रही। बैंक जमा राशियों पर ब्याज सहित निवेश आय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹ 40.13 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 62.69 बिलियन की रही। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ब्याज व्यय 2023-24 की तुलना में ₹ 32.84 बिलियन अधिक रहा और यह ₹ 146.47 बिलियन का रहा। प्रशासनिक खर्च, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान को छोड़कर), वित्तीय वर्ष 2023-24 के 2.99 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 3.07 प्रतिशत रहा।

उधारियां

यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक की कुल उधारियां ₹ 1,791.81 बिलियन की रहीं, जो यथा 31 मार्च, 2024 को ₹ 1,546.11 बिलियन की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक रही। यथा 31 मार्च, 2025 को बाजार उधारियां कुल उधारियों की 100 प्रतिशत और बैंक के कुल संसाधनों की 88.67 प्रतिशत रहीं।

संसाधन

यथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 159.09 बिलियन की चुकता पूंजी और ₹ 99.03 बिलियन की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन ₹ 2,049.93 बिलियन के रहे।

बैंक के संसाधन आधार में अन्य के साथ-साथ, रुपया बॉन्ड, जमा प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक पत्र, मीयादी जमा राशियां, रुपया मीयादी ऋण, विदेशी मुद्रा बॉन्ड, विदेशी मुद्रा ऋण तथा दीर्घावधि स्वॉप शामिल हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने अलग-अलग परिपक्वता अवधियों के कुल ₹ 714.24 बिलियन के समतुल्य संसाधन जुटाए। इनमें ₹ 520.21 बिलियन के रुपया संसाधन और 2.27 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल रहे। रुपया संसाधनों में ₹ 128.50 बिलियन के संसाधन रुपया बॉन्डों और मीयादी ऋणों के जरिए तथा ₹ 391.71 बिलियन के संसाधन अल्पावधि मुद्रा बाजार उपकरणों के जरिए जुटाए गए। 1.02 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी मुद्रा संसाधन द्विपक्षीय/ क्लब/ सिंडिकेटेड ऋणों के जरिए और 1.25 बिलियन यूएस डॉलर के संसाधन बॉन्डों के जरिए जुटाए गए। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक के अदत्त रुपया संसाधन ₹ 643.34 बिलियन के और 13.82 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन रहे।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक की विदेशी मुद्रा संसाधन रणनीति मुख्यतः प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, निवेशक आधार विविधीकरण आदि के साथ–साथ संपोषी वित्तपोषण क्षेत्र में प्रभावी परिणाम हासिल करने पर आधारित रही।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय संव्यवहारों (ट्रांज़ैक्शनों) में बैंक ने 144ए/रेग एस फॉर्मैट के अंतर्गत एक बॉन्ड के जरिए 1 बिलियन यूएस डॉलर के संसाधन जुटाए। बैंक का यह निर्गम भारत में किसी 10 वर्षीय सार्वजनिक निर्गम के लिए अब तक के सबसे कम स्प्रैड पर जुटाया गया निर्गम रहा और एशिया (जापान को छोड़कर) में यह बीबीबी– रेटिंग वाले उपक्रमों में सबसे कम स्प्रैड पर जुटाया गया 10 वर्षीय यूएसडी सार्वजनिक निर्गम रहा। इसके अलावा, बैंक ने ब्रिटिश पाउंड तथा यूरो सहित विभिन्न मुद्राओं में भी संसाधन जुटाए। बैंक ने 18 महीने की औसत परिपक्वता के साथ निजी नियोजन के जरिए ब्राजीलियाई रियाल (बीआरएल) में 250 मिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य 3 अल्पावधि बॉन्ड जारी किए। इन तीन में से कुल 150 मिलियन यूएस डॉलर के दो संपोषी बॉन्ड रहे, जो बैंक के ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी किए गए। इन बॉन्डों में निवेश करने वाली संस्था बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ी वित्तीय संस्था और विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक है। यह बीबीबी रेटेड श्रेणी में वैश्विक स्तर पर पहला बीआरएल मूल्यांकित निर्गम रहा और एशिया (कोरिया को छोडकर) से पहला बीआरएल मूल्यांकित बॉन्ड निर्गम रहा। इस ट्रांजैक्शन के जरिए, बैंक ने उभरती बाजार मुद्रा (बीआरएल) में भारत से अपना पहला ट्रेड किया (मसाला बॉन्ड को छोड़कर) और अपने संपोषी निर्गमों को मूल्य और संख्या की दृष्टि से बढ़ाने के साथ–साथ अपने निवेशक आधार को लैटिन अमेरिकी बाजारों में बढ़ाने में भी कामयाब रहा। जैसा कि बैंक के ईएसजी फ्रेमवर्क, संपोषी बॉन्ड निर्गमों और विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य पहलों से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा सस्टैनेबिलिटी पर बल दिया जाता है और इस क्रम में, बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में बैंक की सस्टैनेबिलिटी रणनीति, नीतियों, पहलों और कार्य निष्पादन को शामिल किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय रेटिंग

बैंक को मूडीज द्वारा बीएए3 (स्थिर), एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा बीबीबी– (पॉजिटिव), फिच रेटिंग्स द्वारा बीबीबी– (स्थिर) और जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बीबीबी+ (स्थिर) रेटिंग दी गई है। उपरोक्त सभी निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग हैं और भारत की संप्रभु रेटिंग के समान हैं। बैंक के घरेलू ऋण लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) को उच्चतम रेटिंग प्राप्त है, अर्थात, क्रिसिल और इक्रा रेटिंग एजेंसियों से दीर्घावधि ऋण लिखतों के लिए 'एएए (स्थिर)' और अल्पावधि लिखतों के लिए ए1+ रेटिंग प्रदान की गई है।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, उस ऋण / ऋण सुविधा को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हो। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां ₹ 32.20 बिलियन की रहीं, जो बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों की 1.71 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक की अनर्जक आस्तियां (प्रावधानों को घटाकर) ₹2.53 बिलियन की रहीं, जो निवल ऋणों तथा अग्रिमों (प्रावधानों को घटाकर) की 0.14 प्रतिशत हैं। यथा 31 मार्च, 2025 को प्रावधान कवरेज अनुपात 98.26 प्रतिशत रहा।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियां' वे होती हैं, जिनका ब्याज और / अथवा मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया रहता है। ऐसी अवमानक आस्तियां यदि 12 माह से अधिक अवधि तक अनर्जक आस्ति के रूप में बनी रहती हैं, तो उन्हें 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियां' वे होती हैं, जो वसूली योग्य नहीं समझी जाती हैं। यथा 31 मार्च, 2025 को सकल अनर्जक आस्तियों में 9.66 प्रतिशत अवमानक आस्तियां और शेष 90.34 प्रतिशत संदिग्ध आस्तियां रहीं। यथा 31 मार्च, 2025 को निवल अनर्जक आस्तियां संदिग्ध आस्तियों की 100 प्रतिशत रहीं। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक की कोई हानि आस्तियां नहीं रहीं।

ऋण परिचालन तथा निगरानी एवं वसूली

वाणिज्यिक ऋण डिलीवरी में परिचालन दक्षता हासिल करने हेतु और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अनुरूप, बैंक के वाणिज्यिक ऋण परिचालन और निगरानी को व्यवसाय विकास और ऋण मूल्यांकन से अलग रखा गया है। ऋण परिचालन और निगरानी गतिविधियों में निधिक और गैर–निधिक आस्तियों की आवधिक निगरानी तथा परिचालन स्थिति का मूल्यांकन 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' के जरिए किया जाता है। इसके जरिए ऋण खातों के संबंध में उत्पन्न होने वाले ट्रिगर का पता लगाया जा सकता है और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनर्जक आस्ति (एनपीए) वसूली नीति के अनुसार ऋण वसूली के लिए सक्रियता से कदम उठाता है। साथ ही, ऐसी अनर्जक आस्तियां, जिन्हें अर्जक बनाना व्यवहार्य हो, उन्हें अर्जक बनाने के उपाय करता है और उन अनर्जक खातों से वसूली पर फोकस करता है, जहां कानूनी कार्रवाई की जानी हो। अनर्जक आस्तियों की मासिक समीक्षा अलग–अलग समूहों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति द्वारा की जाती है। बैंक बहुआयामी रणनीति के जरिए अनर्जक आस्तियों की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस रणनीति में ऋणों की पुनर्संरचना, कानूनी कार्रवाई,

कोर्ट रिसीवर के जरिए आस्तियों की बिक्री, निगोशिएशन, एकबारगी निपटान, अनर्जक आस्तियों का अंतरण/समनुदेशन, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत आस्तियों पर कब्जा लेना और उनकी बिक्री करना तथा कंपनियों को शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में ले जाना शामिल है।

पूंजी पर्याप्तता

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2025 को 25.27 प्रतिशत (समेकित आधार पर 25.29 प्रतिशत) रहा। यथा 31 मार्च, 2024 को यह 21.18 प्रतिशत था। ऋण–इक्विटी अनुपात यथा 31 मार्च, 2024 के 6.75 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2025 को 6.94 प्रतिशत रहा।

एक्सपोजर मानदंड

यथा 31 मार्च, 2025 को एकल उधारकर्ताओं और उधारकर्ता समूहों पर बैंक का ऋण एक्सपोज़र आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा [एकल उधारकर्ताओं के लिए पात्र पूंजी आधार (यानी बैंक की टियर 1 की पूंजी) का 20 प्रतिशत और उधारकर्ता समूहों के लिए पात्र पूंजी आधार का 25 प्रतिशत] के भीतर रहा। उपरोक्त एक्सपोजर मानदंड भारत सरकार द्वारा गारंटित ऋण एक्सपोजरों पर लागू नहीं होते हैं। बैंक द्वारा प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए तय की गई ऋण सीमा, सभी उद्योग क्षेत्रों के लिए बैंक के कुल ऋण एक्सपोजर का 15 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2025 को किसी भी उद्योग क्षेत्र के लिए बैंक का कोई भी एक्सपोजर बैंक के कुल उद्योग एक्सपोजर के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा।

मध्यम अवधि व्यवसाय रणनीति

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मध्यम अवधि व्यवसाय रणनीति (एमटीबीएस) लागू की है। इसमें बैंक की दृष्टि (विज़न) व उद्देश्य (मिशन) को इन बदलती प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाते हुए और आठ प्रमुख पहलुओं को कवर करती एक व्यापक रणनीति बनाई गई है। इन पांच वर्षों की अवधि में, बैंक का लक्ष्य परियोजना निर्यातों के वित्तपोषण में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने और नए भारतीय परियोजना निर्यातकों के विकास में योगदान देना है। इस रणनीति में उद्योग क्षेत्र केंद्रित वाणिज्यिक ऋण तथा निर्यात की अच्छी संभावनाओं वाले बड़े क्षेत्रों को लक्ष्य कर ऋण पोर्टफोलियो बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस रणनीति में संपोषी वित्त प्रदान करने की बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है और यह लक्ष्य रखा गया है कि भारतीय कंपनियां निर्यात के लिए ईएसजी अनुपालन में खरी उतरें। बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो में हरित वित्तपोषण की हिस्सेदारी बढ़ाने और ऋण के लिए सम्यक जांच प्रक्रिया में सुदृढ़ ईएसजी मानकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक द्वारा विदेशी निवेश वित्त, दीर्घावधि क्रेता ऋण और निर्यात उन्मुख इकाइयों को वित्तपोषण जैसे मौजूदा कार्यक्रमों पर फोकस जारी रखा जाएगा। साथ ही, इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की अप्रयुक्त निर्यात क्षमताओं का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए नए कार्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस संबंध में, बैंक ने व्यापार सहायता कार्यक्रम शुरू करने और गुजरात इंटरनैशनल फायनैंस टेक–सिटी में व्यापार वित्त के लिए अपनी एक सहायक कंपनी स्थापित करने जैसे ठोस कदम उठाए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण पर अपने बढ़े फोकस के अनुरूप, बैंक ने निर्यात हेतु इन उद्यमों के लिए वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के क्रम में वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ अपनी भागीदारी को सुदृढ़ किया है।

पॉलिसी बैंक के रूप में, भारत सरकार समर्थित ऋण–व्यवस्थाएं (एलओसी) बैंक के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक हैं। सहयोगी देशों द्वारा इस सहायता के बेहतर उपयोग और उनके प्रभावी विकास में योगदान देने के लिए बैंक एलओसी परियोजनाओं के संपूर्ण चक्र में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है।

इस व्यवसाय रणनीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंक ने अपनी संगठन संरचना और मानव संसाधन रणनीति में बदलाव किए हैं। वर्ष के दैरान, बैंक ने अपनी श्रमशक्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ाई है। साथ ही, बैंक प्रौद्योगिकी का भी सदुपयोग कर रहा है और अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और भारत के निर्यातक समुदाय को मूल्य वर्धित इनपुट प्रदान करने के लिए अपने उत्पाद और सेवाओं में सुधार हेतु डिजिटल उपकरणों और प्लैटफॉर्मों के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा, बैंक ने अपने हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी भौगोलिक उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। मध्यप्रदेश के निर्यातकों को सहयोग के लिए इंदौर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। इसके अलावा, बैंक ने लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय अप्रयुक्त क्षमता को देखते हुए साओ पाउलो, ब्राजील में नया कार्यालय शुरू किया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक का कार्य निष्पादन एमटीबीएस के अनुमानों के अनुरूप रहा है। बैंक का वाणिज्यिक व्यवसाय, पॉलिसी व्यवसाय की तुलना में तेजी से बढ़ा है। परिणामस्वरूप, यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक के कुल ऋणों और अग्रिमों में वाणिज्यिक व्यवसाय की हिस्सेदारी 62.0 प्रतिशत की रही।

नेपाल सरकार को प्रदत्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत वित्तपोषित सोलु कॉरिडोर 132 केवी डबल-सर्किट ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को देश के नैशनल ग्रिड से जोड़ा गया है। इससे नेपाल के पूर्वोत्तर के कई दूरस्थ जिलों में विद्युत आपूर्ति सुगम हुई है।

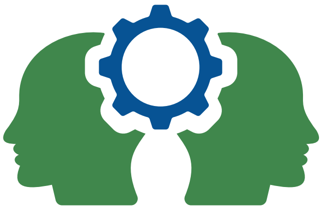

निर्यात स्पर्धात्मकता का विकास

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

भारत का लक्ष्य वैश्विक निर्यातों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसके लिए निर्यात क्षमता बढ़ाना और कंपनियों को वैश्विक रूप से स्पर्धात्मक बनाने में उनकी सहायता करना जरूरी है, ताकि वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच बन सके और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में उनका एकीकरण सुगम हो सके। अतः यह बैंक के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 299 निर्यात–उन्मुख इकाइयों को ₹ 380.29 बिलियन के मीयादी ऋण अनुमोदित किए और ₹ 312.60 बिलियन के संवितरण किए। इसके अलावा, उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के तहत, 21 निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों के आयात के लिए ₹ 11.63 बिलियन के ऋणों को मंजूरी दी गई और ₹ 9.51 बिलियन के संवितरण किए गए। इसके अलावा, 10 कंपनियों को दीर्घावधि कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में कुल ₹ 45.53 बिलियन की मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत ₹ 33.30 बिलियन का संवितरण किया।

बैंक, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) के अंतर्गत नई इकाइयां स्थापित करने, उन्हें अनुमोदित करने और अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सब्सिडी जारी करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई प्रमुख नोडल एजेंसियों में से एक है। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक ने कुल ₹ 192.79 बिलियन की लागत वाली 236 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। टफ्स के तहत अनुमोदित और संवितरित ऋण राशि क्रमशः ₹ 69.94 बिलियन और ₹ 52.69 बिलियन रही। टफ्स के तहत टेक्सटाइल उद्योग को बैंक का सहयोग देश के विभिन्न राज्यों में टेक्सटाइल विनिर्माण के विभिन्न खंडों में रहा है।

बैंक द्वारा भारतीय कंपनियों को सहयोग के क्रम में किए गए वित्तपोषण में निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता भी शामिल है। वर्ष के दौरान बैंक ने 1 एमएमटीपीए की स्थापित क्षमता वाली पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) विनिर्माण कॉम्प्लेक्स की टेरी टॉवल और ग्रे फैब्रिक विनिर्माण इकाई की स्थापना के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण प्रदान किया है। साथ ही, रेल पहियों और एक्सल के लिए फोर्जिंग एवं मशीनिंग सुविधा और पेट्रोकेमिकल संयंत्र और नैफ्था क्रैकिंग यूनिट की स्थापना और रिफाइनरी संयंत्र के ब्राउनफील्ड विस्तार के आंशिक वित्तपोषण के लिए भी मीयादी ऋण प्रदान किए। इसी प्रकार, बैंक ने एक कंपनी की ओलेफिन कन्वर्जन इकाई के साथ एकीकृत फिनोल / एसीटोन संयंत्र की स्थापना के लिए भी मीयादी ऋण प्रदान किया।

बैंक ने एक भारतीय कंपनी को एपीएसईजेड–मुंद्रा, गुजरात में पीवीसी संयंत्र स्थापित करने के लिए अपने निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया। यह परियोजना भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। इससे पीवीसी के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।

विदेशी निवेश वित्त

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार, भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मामले में एक प्रमुख निवेशक के रूप में उभर रहा है और वर्ष 2023 में विदेशों में निवेश करने वाले शीर्ष 20 देशों में शामिल रहा है।

जावक प्रत्यक्ष निवेश भारतीय कंपनियों के अपने भौगोलिक विस्तार करने और मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण की क्षमता और इच्छाशक्ति को दर्शाता है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए इस तरह के निवेशों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि इस तरह के निवेश न केवल देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होते हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर देश की उपस्थिति को भी बढ़ाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारतीय कंपनियों ने विदेशों में 29.2 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया और इसमें 75.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जावक निवेश में सहयोग के लिए बैंक का एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें इक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियां और सलाहकारी सेवाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान, आठ देशों में 14 कंपनियों को उनके विदेशी निवेशों के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ₹ 46.41 बिलियन की निधिक और गैर–निधिक सहायता मंजूर की गई। अब तक, एक्ज़िम बैंक द्वारा 78 देशों में 518 कंपनियों द्वारा स्थापित 713 उद्यमों को वित्त प्रदान किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने एक भारतीय कंपनी को श्रीलंका में बंदरगाह एवं संबद्ध अवसंरचना विकास हेतु पूंजीगत व्यय के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण को मंजूरी दी है। साथ ही, बैंक ने एक भारतीय कंपनी को अपनी विदेश स्थित सहायक कंपनियों को ऋण देने के उद्देश्य से एक मीयादी ऋण प्रदान किया है।

संपोषी वित्त कार्यक्रम

बैंक संपोषी कल के निर्माण में वित्त की महत्त्वपूर्ण भूमिका को समझता है और इस दिशा में सक्रियता से काम कर रहा है। इस क्रम में, बैंक संपोषी विकास को बढ़ावा देने और अपने ग्राहकों को हरित ऊर्जा विकल्प अपनाने के लिए हरित और संपोषी वित्त प्रदान करता है। संपोषी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए नवाचार और विकास के उल्लेखनीय अवसर सृजित होते हैं। इसलिए बैंक हरित और न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों और संपोषी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को चैनलाइज करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संपोषी वित्त की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के हरित, परिवर्तन संबंधी, सामाजिक और सस्टैनेबिलिटी से जुड़े निवेशों/व्ययों को वित्तपोषित करने के लिए संपोषी वित्त कार्यक्रम (एसएफपी) की शुरूआत की है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, संपोषी वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र गतिविधियों के लिए 36 कंपनियों को ₹ 52.2 बिलियन की राशि मंजूर की गई।

बैंक ने अपने विदेश निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक में एक बीज उत्पादक कंपनी को यूएस कंपनी के अधिग्रहण के लिए सहयोग प्रदान किया। इस अधिग्रहण से इस भारतीय कंपनी को यूएस के बाजार में प्रवेश करने, अपनी बाजार स्थिति को सुदृढ़ करने और अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सहायता मिली है।

निर्यात वित्तपोषण

निर्यात संविदाएं

परियोजना निर्यातकों को बैंक के निरंतर सहयोग से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 28 भारतीय निर्यातकों को 35 देशों में 6.65 बिलियन यूएस डॉलर की 89 संविदाएं (कॉन्ट्रैक्ट) हासिल करने में मदद मिली। इस प्रक्रिया में भारतीय परामर्शदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं और कॉन्ट्रैक्टरों ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं निष्पादित की हैं, जिनमें उनकी बढ़ती क्षमता परिलक्षित होती है।

बैंक द्वारा परियोजना निर्यात वित्तपोषण के अंतर्गत सहायता प्राप्त चुनिंदा परियोजना निर्यातों में निम्नलिखित कॉन्ट्रैक्टों का निष्पादन शामिल रहा– उज्बेकिस्तान में तालिमर्जन थर्मल पावर प्लांट इकाइयों के लिए नियर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र का आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट; बांग्लादेश में 400 किलोवाट और 230 किलोवाट की रिवर क्रॉसिंग ट्रांसमिशन लाइनों संबंधी टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट; मोरक्को में जल विलवणीकरण संबंधी आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट; नेपाल में अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों के शेष निर्माण कार्यों के लिए टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट।

निर्यात ऋण और गारंटियां

वर्ष के दौरान, बैंक ने परियोजना निर्यातों के लिए आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और निधिक / गैर-निधिक सहायता के जरिए कुल ₹ 329.34 बिलियन के निर्यात ऋणों और गारंटियों को अनुमोदित किया। वर्ष के दौरान, ₹ 199.05 बिलियन के निधिक संवितरण किए गए और कुल ₹ 73.50 बिलियन की गारंटियां जारी की गईं।

इसके अलावा, टर्नकी सबस्टेशन समाधान प्रदान करने वाली एक कंपनी को गैर-निधिक कार्यशील पूंजी सीमा प्रदान की गई।

क्रेता ऋण

बैंक भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशों में स्थित उधारकर्ताओं को आस्थगित भुगतान शर्तों पर क्रेता ऋण प्रदान करता है। इससे भारत से वस्तु निर्यातों और परियोजना निर्यातों के लिए बाजार विकसित करने में मदद मिल रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात के एक विदेशी क्रेता को भारत से आयात के लिए 5 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण अनुमोदित किया।

बैंक ने क्रेता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत बांग्ला देश में एक इस्पात कंपनी को इसके विस्तार के लिए मीयादी ऋण भी दिया है। यह ऋण भारत से पूंजीगत मशीनरी, उपकरण और संबंधित सेवाओं के आयात के आंशिक वित्तपोषण के लिए दिया गया है।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण

भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ाने के लिए बैंक का राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी-एनईआईए) कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है। बीसी-एनईआईए एक अनूठी वित्तपोषण व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयातक देशों की सरकारों को मध्यम से दीर्घावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिससे भारतीय परियोजना निर्यातकों को उत्तरदायित्व रहित (नॉन-रिकोर्स) वित्तपोषण का सुरक्षित विकल्प मिलता है। बैंक द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण के तहत यथा 31 मार्च, 2025 को 2.80 बिलियन यूएस डॉलर की 28 परियोजनाओं के लिए कुल 2.55 बिलियन यूएस डॉलर की राशि मंजूर की गई।

बैंक ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता कार्यक्रम के अंतर्गत युगांडा सरकार को एक क्रेता ऋण सुविधा प्रदान की। यह ऋण सुविधा युगांडा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रणाली प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा संचालित जल पंपिंग सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए प्रदान की गई है।

बैंक ने कुवैत और सऊदी अरब के बीच 400केवी की ओवरहेड लाइनों को सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक उपस्थित रखने वाली एक भारतीय इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और निर्माण कंपनी के संयुक्त उद्यम को गैर-निधिक कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी प्रदान की।

बैंकों को क्रेडिट लाइनें

बैंक भारत से वृद्धिशील व्यापार और भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में सहयोग करने के क्रम में बहुपक्षीय विकास बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ विदेश स्थित बैंकों आदि को क्रेडिट लाइन भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बैंकों को कुल 251 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइनें प्रदान की। चूंकि इन बैंकों को इस राशि का उपयोग आवश्यक रूप से भारत से आयातों के लिए करना होगा, अतः ये क्रेडिट लाइनें भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खोलने तथा भारत और दुनियाभर में अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के बीच बैंकिंग संबंधों को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती हैं।

आपाती साख पत्र/ साख पत्र

बैंक मशीनरी के आयात को सुगम बनाने के लिए साख पत्र (एलसी) जारी करता है। बैंक, भारतीय कंपनियों को अपने विदेशी उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाने के लिए गारंटियों / आपाती साख पत्रों के माध्यम से वित्तीय गारंटियां भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 45.97 बिलियन की वित्तीय गारंटियां जारी कीं। बैंक का वित्तीय गारंटी पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2024 के ₹ 55.77 बिलियन के मुकाबले यथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 73.79 बिलियन का रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने कुल ₹ 7.69 बिलियन के 81 साख पत्र खोले। बैंक निर्यात दस्तावेजों के निगोशिएशन / कलेक्शन संबंधी कार्य संभालता है। बैंक ने ₹ 59.41 बिलियन के 829 निर्यात दस्तावेज संभाले।

वर्ष के दौरान, व्यापार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ने कुल ₹ 0.92 बिलियन के 65 साख पत्रों की पुष्टि की और कुल ₹ 0.26 बिलियन के कुल 21 साख पत्रों के लिए निगोशिएट किया। इन साख पत्रों के अंतर्गत बैंक ने ₹ 1.06 बिलियन मूल्य के लगभग 127 निर्यात दस्तावेज संभाले हैं।

संपोषी प्रभाव के लिए सरकारों के साथ सहभागिता

ऋण–व्यवस्थाएं

बैंक, भारत सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली ऋण–व्यवस्थाओं (एलओसी) पर विशेष बल देता है। ये ऋण–व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजारों में प्रवेश का प्रभावी माध्यम हैं। ऋण–व्यवस्थाएं संप्रभु सरकारों, क्षेत्रीय विकास बैंकों और विदेशी इकाइयों को प्रदान की जाती हैं, ताकि उन देशों में क्रेता विकास परियोजनाओं के लिए भारत से वस्तुओं व सेवाओं का आयात आस्थगित ऋण शर्तों पर कर सकें।

वर्ष के दौरान, बैंक ने मंगोलिया और वियतनाम सरकारों को भारत से वस्तुओं, सेवाओं और परियोजनाओं के निर्यात में सहयोग के लिए कुल 1 बिलियन यूएस डॉलर की तीन ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान कीं। इन ऋण–व्यवस्थाओं से भारत से रक्षा निर्यातों को बढ़ाने और इन देशों में तेल रिफाइनरी संयंत्र निर्माण के लिए परियोजना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में, बैंक भारत सरकार समर्थित 293 ऋण–व्यवस्थाओं का पोर्टफोलियो संभालता है, जिसके अंतर्गत कुल 27.38 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धताएं हैं। ये ऋण–व्यवस्थाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये ऋण–व्यवस्थाएं अपनी बढ़ती पहुंच के साथ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और पूर्व यूरोप के 62 देशों में आर्थिक विकास में तेजी लाने में सहायक रही हैं।

बैंक द्वारा दो दशकों से अधिक समय से ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं। इन ऋण–व्यवस्थाओं ने भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए विभिन्न बाजारों में प्रवेश करने के एक प्रभावी माध्यम के रूप में काम किया है। साथ ही, इससे भारत एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में उभरा है।

ऋण–व्यवस्था परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान मिले अनुभव से कंपनियों को सरकारों, निजी निवेशकों और विकास वित्तपोषण संस्थाओं द्वारा निधिक परियोजनाएं हासिल करने में मदद मिलती है।

मूल्यांकन एवं प्रापण (प्रोक्योरमेंट)

उधारकर्ता देश के साथ एलओसी करार पर हस्ताक्षर करने संबंधी औपचारिकताएं पूरी हो जाने और एलओसी के प्रभावी हो जाने के बाद, संपूर्ण प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के प्रबंधन की आवश्यकता रहती है। इसमें अन्य के साथ–साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, निविदा दस्तावेजों, बोली मूल्यांकन रिपोर्टों, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेजों की जांच करना, पूर्व–अर्हता प्रक्रिया आरंभ करना और एलओसी के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट समावेशन शामिल है। उपरोक्त प्रक्रिया को सुगम तरीके से पूरा करने के लिए बैंक में एक अलग टीम है। यह टीम बाह्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करती है। ये विशेषज्ञ एलओसी व्यवसाय में कॉन्ट्रैक्ट के संपूर्ण चक्र के विभिन्न स्तरों पर तकनीकी इनपुट प्रदान करने में बैंक की सहायता करते हैं।

बैंक द्वारा इन प्रक्रियाओं में सुधार लाने तथा मानकीकरण के लिए भी उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं।

बैंक ने भारत सरकार समर्थित ऋण–व्यवस्था के जरिए बांग्लादेश सरकार को वातानुकूलित (एसी) बसों के निर्यात का वित्तपोषण किया, जिससे वहां परिवहन सुगम हुआ।

बैंक द्वारा नेपाल सरकार को प्रदत्त एक ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को वित्तपोषित किया गया है। इस परियोजना के पहले चरण में 105.64 किलोमीटर की 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के जरिए नेपाल में विद्युत ट्रांसमिशन अवसंरचना को सुदृढ़ करने में मदद मिली है।

इस क्रम में, बैंक ने परामर्शदाताओं और कॉन्ट्रैक्टरों के चयन के लिए मॉडल प्रोक्योरमेंट दस्तावेजों को भारत सरकार की नीतियों एवं भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता योजना (आयडियाज) दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया है।

आयडियाज 2022 दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ऋण–व्यवस्थाओं के अंतर्गत पूर्ण की गई परियोजनाओं का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन भी करता है ताकि परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके और मित्र देशों को इन परियोजनाओं से होने वाले लाभों को स्पष्ट रूप से जाना जा सके।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर कोलकाता और नई दिल्ली में दो लोकसंपर्क सेमिनारों का आयोजन किया। इसका उद्देश्य एलओसी परियोजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसाय अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इसके अलावा, बैंक ने विदेशी सरकार और संबंधित हितधारकों के मामलों में समाधान, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने के लिए विदेश में भी एक लोकसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, 22 नए आवेदकों ने पूर्व–अर्हता प्रक्रिया में प्रतिभागिता की।

भारत सरकार समर्थित एलओसी परियोजनाओं के अंतर्गत 256.07 मिलियन यूएस डॉलर के 14 नए कॉन्ट्रैक्टों का समावेशन किया गया।

परिचालनों के बढ़ते डिजिटलीकरण के अनुरूप, बैंक ने इस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व–अर्हता आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा शुरू की है और इस प्रकार अपनी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया है। इस इंटरफेस के जरिए मूल्यांकन में गति आई है, जिससे प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया और अधिक बेहतर हुई है। इस पहल के क्रम में, परामर्शदाताओं का डेटाबेस तैयार करने में सहायता के लिए एक अलग इंटरफेस तैयार किया जा रहा है। इसके वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान शुरू हो जाने की उम्मीद है।

रियायती वित्तपोषण योजना

भारत सरकार की रियायती वित्तपोषण योजना के अंतर्गत बांग्लादेश के रामपाल में 1320 मेगावाट (2×660 मेगावाट) की अल्ट्रा–सुपर–क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर परियोजना (मैत्री परियोजना) को 1.60 बिलियन यूएस डॉलर के मीयादी ऋण के जरिए वित्तपोषित किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस परियोजना को निष्पादित करने वाली बांग्लादेश–इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) ने दो इकाइयों को बांग्लादेश राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा है और इन इकाइयों के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन तिथियां 23 दिसंबर, 2022 तथा 12 मार्च, 2024 को हासिल की जा चुकी हैं।

विद्युत उत्पादन क्षमता और विद्युत आपूर्ति पर इस परियोजना का सकारात्मक प्रभाव रहा है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

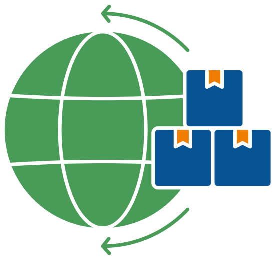

निर्यात वृद्धि की नवोन्मेषी पहलें

उभरते सितारे कार्यक्रम

बैंक ने अपने उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) की शुरूआत महामारी के उस दौर में की जब भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयातों पर निर्भरता को कम करने में सहयोग देने वाली प्रौद्योगिकी उन्मुख कंपनियों पर फोकस करते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर था। तब से अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 85 से अधिक लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण, इक्विटी या तकनीकी सहायता के जरिए सहयोग प्रदान किया जा चुका है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक द्वारा ऐसी भारतीय कंपनियों को चिह्नित किया जाता है, जो प्रौद्योगिकी, उत्पाद या प्रोसेस की दृष्टि से अलग हों और जिनमें भावी निर्यात चैंपियन बनने की अच्छी संभावनाएं हों। बैंक ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), उद्योग 4.0, ड्रोन जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों वाली कंपनियों को सहायता प्रदान की है। बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कई कंपनियां स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, सस्टैनेबिलिटी, ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष अभियांत्रिकी आदि जैसे क्षेत्रों में समाधान सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक ने खिलौनों के डिज़ाइन, विनिर्माण, मार्केटिंग एवं वितरण से जुड़ी एक कंपनी को अमेरिका स्थित एक प्रमुख रिटेल चेन से प्राप्त ऑर्डरों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी वित्त और मीयादी ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं।

बैंक ने हवाई, भूमि एवं नौसेना आधारित ऐप्लिकेशनों के लिए मार्गदर्शन, नेविगेशन और नियंत्रण के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम प्रदान करने वाली एक कंपनी को सहायता दी है। यह कंपनी सौर ऊर्जा उद्योग में उपयोग की जा रही इंटरनेट ऑफ थिंग्स–आधारित मौसम/ पर्यावरण निगरानी प्रणाली भी प्रदान करती है। बैंक ने इस कंपनी को आईएनएस से संबंधित मशीनरी की खरीद के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु मीयादी ऋण प्रदान किया है।

बैंक ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण रक्षा जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने की पहल के अंतर्गत पारंपरिक हेलिकॉप्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी)/ड्रोन का विनिर्माण करने वाली एक कंपनी को सहायता प्रदान की है। इन ड्रोनों का उपयोग निगरानी, लॉजिस्टिक्स, आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सूक्ष्म कृषि एवं वीडियो निगरानी जैसे विविध क्षेत्रों में होता है। पारंपरिक ड्रोन की तुलना में इन हेलिकॉप्टर डिजाइन आधारित ड्रोनों की भार वहन क्षमता एवं रेंज अपेक्षाकृत अधिक है।

बैंक ने पारंपरिक हेलीकॉप्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली एक ड्रोन विनिर्माण कंपनी को नकदी प्रवाह घाटा वित्तपोषण प्रदान कर सहायता की। इस कंपनी के ड्रोन निगरानी, लॉजिस्टिक्स, आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सूक्ष्म कृषि एवं वीडियो निगरानी जैसे विविध क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं। इस सहयोग से कंपनी को एक रक्षा पीएसयू के कॉन्ट्रैक्टों के निष्पादन में मदद मिली है।

बैंक ने एक भारतीय खिलौना कंपनी को खिलौने बनाने में इस्तेमाल होने वाले सांचों के अधिग्रहण के लिए अपने उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत मीयादी ऋण और वॉलमार्ट, यूएसए को खिलौनों की आपूर्ति संबंधी निर्यात कॉन्ट्रैक्टों के निष्पादन हेतु कार्यशील पूंजी सीमा प्रदान करते हुए सहयोग किया।

बैंक ने औषधि एवं फार्मासूटिकल क्षेत्र में सांप व बिच्छू के डंक के उपचार के लिए जीवनरक्षक ऐंटीसेरा के साथ-साथ टिटेनस, डिफ्थीरिया और गैंग्रीन एंटिटॉक्सिन्स का विनिर्माण करने वाली कंपनी को सहायता प्रदान की है।

बैंक ने निर्माण और अवसंरचना विकास के लिए कंक्रीट 3D प्रिंटिंग समाधान प्रदान करने वाली एक डीप-टेक कंपनी को गारंटी और कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा प्रदान की है। इस सहायता से कंपनी को मध्य पूर्व क्षेत्र में अपना व्यवसाय बढ़ाने तथा 3D कंक्रीट प्रिंटर एवं सहायक उपकरणों के इंस्टॉलेशन, परीक्षण एवं कमीशनिंग संबंधी कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन करने में मदद मिली है।

यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक ने उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत के अंतर्गत कुल ₹ 15.22 बिलियन की निधिक और गैर-निधिक वित्तीय सहायता प्रदान की है और ₹ 8.87 बिलियन का संवितरण किया है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने आईआईएम लखनऊ के उद्यम इनक्यूबेशन केंद्र (ईआईसी) और आईआईटी कानपुर के नवोद्यम नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र (एसआईआईसी) को कुल ₹ 21.50 मिलियन की तकनीकी सहायता (अनुदान के रूप में) भी प्रदान की। बैंक ने ईआईसी के साथ मिलकर 10 नवोद्यमों को प्रारंभिक निधीयन (सीड फंडिंग) के जरिए सहायता प्रदान की है।

बैंक ने आईआईटी-मुंबई, आईआईटी-दिल्ली, आईआईएम-अहमदाबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बैंगलोर, आईआईटी- मद्रास आदि जैसे सहभागी संस्थानों के साथ मिलकर इनकी इनक्यूबेट की गई कंपनियों के भावी विकास और वैश्विक विस्तार में सहयोग करना जारी रखा है।

बैंक ने रक्षा-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को सहयोग करने के क्रम में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सेक्शन 8 कंपनी - डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके 'चैलेंज विनर्स' को सहायता प्रदान करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बैंक ने एक वैकल्पिक निवेश फंड, 'उभरते सितारे फंड (यूएसएफ)' को सह-प्रायोजित किया है। इसका उद्देश्य अच्छी निर्यात क्षमता वाले विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के लघु व मध्यम उद्यमों को चिह्नित करना और उनमें इक्विटी या इक्विटी जैसे उत्पादों के जरिए निवेश करना है। यथा 31 मार्च, 2025 को इस फंड के अंतर्गत 12 बैंकों, संस्थाओं एवं फंड ऑफ फंड्स से कुल ₹ 3.58 बिलियन की प्रतिबद्धताएं रहीं। इस फंड के जरिए प्रौद्योगिकी, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता एवं कृषि क्षेत्रों से जुड़ीं 12 कंपनियों में निवेश किया गया है।

व्यापार सहायता कार्यक्रम

एशियाई विकास बैंक के एक अनुमान के अनुसार, 2023 में, मुख्य रूप से विकासशील देशों में 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का व्यापार वित्त अंतर था। इंटरनैशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के अनुसार, बैंकों को वैश्विक स्तर पर व्यापार वित्त के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें जारी भू-राजनीतिक तनावों के कारण व्यापार प्रवाह में बाधा, मार्जिन में कमी, और बैंकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों (फिनटेक) के बीच बढ़ी प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां शामिल हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में, बैंक का व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप) भारत में इस प्रकार का पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को चुनौतीपूर्ण और नए बाजारों में ट्रेड ट्रांज़ैक्शनों में सहयोग करना है, जो इस प्रकार के सहयोग के अभाव में नहीं हो पाते।

बैंक टैप के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार ट्रांज़ैक्शन में सहयोग के लिए, व्यापार लिखतों (ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स) की ऋण वृद्धि करते हुए भारतीय निर्यातकों को चुनौतीपूर्ण बाजारों और/या नए बाजारों के अपेक्षाकृत बैंकों के साख पत्रों के एवज में निर्यात करने में मदद करता या वाणिज्यिक बैंकों की क्षमता बढ़ाकर निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। बैंक अपनी वैश्विक भागीदारियों का सदुपयोग करते हुए उन चुनौतीपूर्ण बाजारों में सहायता के लिए व्यापार ट्रांज़ैक्शनों को चिह्नित करता है, जहां व्यापार के लिए ऋण सुलभ नहीं है या क्षमताओं को भुनाया नहीं गया है।

वर्ष 2022 में शुरू हुए टैप के अंतर्गत यथा तिथि बैंक ने 51 देशों के 100 से अधिक बैंकों के साथ जुड़कर 3.02 बिलियन यूएस डॉलर के 1,139 ट्रांज़ैक्शनों को सहयोग किया है। इनमें, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं।

टैप के अंतर्गत यह सहयोग विविध क्षेत्रों में रहा है। इसके अंतर्गत अन्य के साथ-साथ, कृषि / खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोटिव, रसायन, लौह-इस्पात-एल्यूमिनियम, विद्युत, कागज, टेक्सटाइल आदि जैसे विविध क्षेत्रों से निर्यात को सुगम बनाया गया है।

इस कार्यक्रम की शुरूआत से अब तक इसके अंतर्गत 20 राज्यों के 60 शहरों के विभिन्न क्षेत्रों के 160 निर्यातकों को सहयोग प्रदान किया जा चुका है। टैप के लाभार्थियों में 40 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई इकाइयां हैं। यह कार्यक्रम इन उद्यमों को अपने निर्यात बाजार बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। टैप के अंतर्गत दिए गए सहयोग से इन उद्यमों के लिए अब तक 31 विभिन्न देशों को निर्यात करना संभव हो पाया है।

निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम

बैंक भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने और भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए अपने निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कंपनियों को मीयादी ऋण और गैर-निधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। निर्यात से जुड़े बुनियादी ढांचे में बंदरगाह, हवाईअड्डे, बल्क/कंटेनर/कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल, कोल्ड चेन और हवाईअड्डों तथा बंदरगाहों पर वेयरहाउस आदि शामिल हैं। साथ ही, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कैप्टिव पावर प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज, कॉमन सुविधा केंद्रों आदि जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए क्लस्टरों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 25 कंपनियों को ₹ 30.42 बिलियन के मीयादी ऋण अनुमोदित किए गए और ₹ 22.40 बिलियन के संवितरण किए गए।

बैंक ने व्यापार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के चुनौतीपूर्ण और नए बाजारों में वृद्धिशील निर्यातों के लिए सहयोग प्रदान किया है।

बैंक ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, परिचालन और हस्तांतरण आधार पर एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास संबंधी परियोजना के लिए अपने निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की है।

बैंक ने भोगापुरम (विजयनगरम, आंध्र प्रदेश) में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास की लागत के आंशिक वित्तपोषण के लिए निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मीयादी ऋण मंजूर किया है। इस हवाई अड्डे को मुख्य रूप से, प्रस्थान और आगमन हवाई यातायात के लिए एकीकृत अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है।

बैंक द्वारा एक भारतीय कंपनी को अपने विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए मीयादी ऋण के अंतर्गत श्रीलंका में बंदरगाह और संबंधित अवसंरचना विकास को सहायता प्रदान की गई।

ग्रासरूट उद्यम विकास

बैंक ने एक दशक से अधिक समय पहले ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इसका उद्देश्य देशभर में ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पकारों, बुनकरों, क्लस्टरों, स्वयं-सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों तथा सूक्ष्म उद्यमों को सहयोग करना है। ये उद्यम मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद बनाते हैं और इनमें विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। इनमें से कई उद्यम भौगोलिक संकेतक (जीआई) के अंतर्गत चिह्नित वस्तुओं सहित पारंपरिक विरासत से जुड़ी वस्तुओं को भी संजोते रहे हैं और उनके पुनरुत्थान के लिए प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कई उद्यम अपने उत्पाद ग्रासरूट संस्थाओं/दस्तकारों से लेकर उन्हें बढ़ावा देती हैं। बैंक ने दस्तकारों का वित्तीय सशक्तीकरण करते हुए रोजगार सृजन एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत सरकार भी निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) एवं एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) पहलों के अंतर्गत निर्यात क्षमता सृजन के जरिए समावेशी विकास को बढ़ावा देती रही है।

इसी क्रम में बैंक ने "भारत के मध्यम निर्यात जिलों का मूल्यांकन: ओडीओपी-डीईएच के अंतर्गत अवसर" शीर्षक से एक शोध अध्ययन किया था। इस अध्ययन में 59 जिलों को चिह्नित किया गया है। ये ऐसे जिले हैं, जिनकी भारत के समग्र निर्यातों में 29 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है तथा इसे बढ़ाने के लिए केंद्रित उपायों की आवश्यकता है। इन जिलों की अप्रयुक्त क्षमता को देखते हुए, बैंक ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ मिलकर देश के छह जिलों में सहयोग प्रदान किया है। इनमें रायपुर, छत्तीसगढ़ में चावल उत्पादन; कानपुर, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उत्पाद; कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कास्टिंग और मशीन गियर; बरगढ़, ओडिशा में हथकरघा टेक्सटाइल्स; वझाकुलम, केरल में अनानास उत्पादन; और त्रिपुरा में अगरवुड उत्पादन में प्रदान किए गए सहयोग शामिल हैं।

बैंक ने पुणे में गुलाब की खेती से जुड़े एक क्लस्टर को एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के साथ-साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए अपने ग्रिड कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया। यह सहयोग उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, कटाई के बाद लॉजिस्टिक्स में सुधार लाने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

ग्रिड कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी योगदान दिया गया है। लेह, लद्दाख में खुबानी उत्पादन को बढ़ाने की उल्लेखनीय संभावनाएं हैं और बैंक द्वारा इसे चिह्नित किया गया तथा सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज सुविधा के साथ-साथ कटाई संबंधी उपकरणों की आपूर्ति में सहायता की गई है।

भारत खिलौनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए खिलौनों के विनिर्माण में क्षमता विकास पर फोकस कर रहा है। इस दिशा में, बैंक ने रामनगर, कर्नाटक के चन्नापटना खिलौनों के लिए एक स्वयं सहायता समूह को उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना में सहायता प्रदान की है।

पैकेजिंग भी निर्यात की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रिड कार्यक्रम के अंतर्गत आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में गत्ते के डिब्बे बनाने की (पैकेजिंग) इकाई स्थापित करने में सहायता दी गई।

बैंक फर्मों को क्षमता विकास योजना के जरिए भी सहायता प्रदान करता है और उन्हें उत्पाद एवं डिजाइन विकास, कौशल विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बाजार आदि की जानकारी प्रदान करने में सहयोग करता है। ऐसी कुछ चुनिंदा पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं: मध्यप्रदेश में बाटिक प्रिंट पर दो माह का हैंडहोल्डिंग एवं प्रशिक्षण सहयोग; मंगन, सिक्किम में बड़ी इलायची उगाने वाले 150 किसानों को प्रशिक्षण; अगरतला, त्रिपुरा में 320 अगरवुड उत्पादकों एवं व्यापारियों को प्रशिक्षण और लेह, लद्दाख में लगभग 250 किसानों को कीट प्रबंधन और खुबानी बागों की स्वच्छता पर एकीकृत प्रशिक्षण।

मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं

बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए विदेशी वितरकों, खरीदारों और भागीदारों को चिह्नित करने के लिए भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों में सक्रिय रूप से सहायता करता है और इस प्रकार की सेवाएं सफलता शुल्क आधार पर प्रदान करता है। ग्रासरूट उद्यमों एवं दस्तकारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने और उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने दस्तकारों के लिए 'एक्ज़िम बाज़ार' नाम से एक विशेष मार्केटिंग प्लैटफॉर्म तैयार किया है। वर्ष 2017 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न भारतीय शहरों में अब तक नौ 'एक्ज़िम बाज़ार' आयोजित किए जा चुके हैं। इससे भारत की पारंपरिक कला और शिल्प को अपेक्षित पहचान मिली है, लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और इन उत्पादों को इस बाज़ार में आने वाले ग्राहकों के एक बड़े वर्ग तक पहुंचाने के लिए इनकी बिक्री का एक मंच तैयार हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव 2025 (केजीएएफ) को सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर बैंक द्वारा अपनी सफलता कहानियों की पुस्तिका "सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हस्तनिर्मित होती हैं: ग्रासरूट दस्तकारों की उत्कृष्टता की 25 कहानियां" के चौथे संस्करण का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका में ग्रासरूट उद्यमों के साथ मिलकर बैंक द्वारा पारंपरिक भारतीय कलाओं के पुनरुत्थान के लिए किए गए प्रयासों की 25 प्रेरणादायक कहानियां हैं।

इस प्रदर्शनी में पारंपरिक एवं समकालीन कलाओं, शिल्पों और टेक्स्टाइल्स का प्रदर्शन किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों से 200 से अधिक दस्तकारों और ग्रासरूट उद्यमों ने इस महोत्सव में भाग लिया था। इनमें 20 राज्यों के 60 से अधिक दस्तकारों को बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान बैंक ने पांच कार्यशालाओं का आयोजन किया।

दस्तकारों को प्रत्यक्ष बिक्री के अलावा, घरेलू विक्रेताओं तथा मध्य-पूर्व जैसे अंतरराष्ट्रीय खरीददारों से व्यवसाय ऑर्डर भी प्राप्त हुए। केजीएएफ में इन दस्तकारों के इस प्रकार बने बी-टू-बी संबंध दीर्घावधि में इनके लिए लाभकारी होंगे।

वर्ष के दौरान, बैंक को विदेशी बाजारों से संभावित ग्राहकों को चिह्नित करने में सहायता के लिए निर्यातकों से अनुरोध मिलने जारी रहे। ये निर्यातक हथकरघा और हस्तशिल्प, कृषि, अग्नि सुरक्षा नियंत्रण, एफएमसीजी, डेयरी और सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों से हैं। एमएएस कार्यक्रम के जरिए बैंक ने भारत की पैठणी और बाटिक साड़ी जैसी पारंपरिक हथकरघा साड़ियों, जूट बैग, ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल्स एवं पुरुषों के पारंपरिक रेशमी परिधानों को यूएस और ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है।

बैंक ने भारत की कला एवं शिल्प की समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत के संवर्धन के लिए मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव 2025 के साथ मिलकर देश के 20 राज्यों के 60 दस्तकारों को सहायता प्रदान की।

संवर्धन और विकास भूमिका

शोध एवं विश्लेषण

बैंक अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को विभिन्न विषयों पर महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। इस समूह द्वारा मैक्रोइकोनॉमिक्स, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास जैसे विषयों पर शोध अध्ययन किए जाते हैं, जो नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए उपयोगी होते हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों और औद्योगिक क्षेत्रों पर केंद्रित 20 शोध अध्ययन प्रकाशित किए। इनमें 'अवसरों के खुलते द्वार: मुक्त व्यापार करारों में वित्तीय सेवाओं संबंधी वार्ताओं के लिए संदर्शिका'; 'भारत के निर्यातों पर विनिमय दर में उतार–चढ़ाव का प्रभाव'; 'आसियान–भारत वस्तु व्यापार करार के अंतर्गत टेक्सटाइल और संबद्ध उत्पाद व्यापार: मूल्य श्रृंखला विश्लेषण', आदि शामिल हैं।

बैंक ने पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, ब्राजील, कतर, न्यूज़ीलैंड, पेरू और नेपाल जैसे उभरते बाजारों में भारत के निर्यात और निवेशों की संभावनाओं का विश्लेषण करने के लिए भी अध्ययन किए हैं।

औद्योगिक क्षेत्र विशिष्ट अध्ययन, इस्पात उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और रक्षा उपकरण उद्योग से संबंधित क्षेत्रों पर किए गए हैं।

भारत के निर्यात को बढ़ावा देने में राज्यों की उल्लेखनीय भूमिका को देखते हुए, बैंक राज्य स्तर पर निर्यात बढ़ाने और निर्यातों की संभावनाओं का मूल्यांकन करने तथा राज्यों को निर्यात स्पर्धी बनाने हेतु लक्षित रणनीतियां तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बैंक ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू–कश्मीर एवं उत्तराखंड के लिए राज्य–केंद्रित निर्यात रणनीति शोध पत्र प्रकाशित किए हैं।

अपनी निरंतर शोध पहलों के क्रम में, बैंक ने तिमाही आधार पर निर्यात में आने वाले उतार–चढ़ावों के पूर्वानुमान और उनका ट्रैक रखने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) तैयार करने के लिए एक आंतरिक मॉडल विकसित किया है। ईएलआई मॉडल के आधार पर बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भारत के निर्यात पूर्वानुमान जारी किए थे। इसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत के वस्तु निर्यात 446.5 बिलियन यूएस डॉलर के रहने का पूर्वानुमान था। ये पूर्वानुमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 अप्रैल, 2025 को जारी किए गए 437.4 बिलियन यूएस डॉलर के कुल निर्यातों के वास्तिवक (आरंभिक) आकलन के लगभग अनुरूप रहे।

बैंक ने बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से एक ट्रांसमिशन लाइन के निष्पादन में सहयोग के क्रम में एक गैर–निधिक कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी प्रदान की।

उत्कृष्टता को सम्मान

वर्ष 2016 में बैंक ने ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए प्रासंगिक समसामयिक विषयों पर केंद्रित डॉक्टोरल शोध को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2024 के लिए यह सम्मान डॉ. ह्यूगो कार्केनहोलो आइस्को परेरा को उनकी डॉक्टोरल थीसिस 'विनिमय दर और आर्थिक निष्पादन पर निबंध' के लिए दिया गया है।

बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध और डॉक्टोरल डिग्री को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2023 के लिए यह सम्मान डॉ. राहुल राव को 'अकुशल आवंटन पर निबंध' शीर्षक वाली उनकी डॉक्टोरल थीसिस के लिए प्रदान किया गया है।

बैंक और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियों के लिए सीआईआई-एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता सम्मान के माध्यम से भारतीय कंपनियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं। 2024 में 24 कंपनियों को अलग-अलग स्तरों पर सम्मानित किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट (हरिद्वार इकाई) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की पंचकूला इकाई को 2024 के लिए व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए सीआईआई-एक्ज़िम बैंक सम्मान के लिए चुना गया।

लोकसंपर्क कार्यक्रम

बैंक द्वारा भारतीय निर्यातकों और आयातकों को जानकारियां प्रदान करने और भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को सुगम बनाने के क्रम में कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निर्यातकों के लिए 33 लोकसंपर्क कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए गए। ये सेमिनार मुख्य रूप से निर्यात क्षमता सृजन, व्यवसाय अवसर, चुनिंदा देशों/क्षेत्रों में व्यापार और निवेश की संभावनाओं, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और भारतीय राज्यों की निर्यात संभाव्यताओं के संबंध में भारत सरकार की पहलों जैसे विषयों पर केंद्रित रहे।

इसके अलावा, बैंक ने विभिन्न टियर II और टियर III शहरों में भी सेमिनारों का आयोजन किया। बैंक ने ये सेमिनार विशेष रूप से अपने उभरते सितारे कार्यक्रम और व्यापार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के बारे जागरूकता बढ़ाने के प्रयोजन से आयोजित किए। बैंक ने भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), लखनऊ के साथ मिलकर भारत के विभिन्न शहरों में ग्लोबल एक्सीलरेशन कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यशालाओं में हिस्सा लेने वाली लघु और मध्यम कंपनियों के उभरते उद्यमियों को बहुमूल्य जानकारियों के साथ-साथ नेटवर्किंग अवसर और विशिष्ट वक्ताओं तथा उद्योग विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी मिला।

बैंक ने विभिन्न व्यापार और निवेश अवसरों को हाइलाइट करने के लिए लंदन और नैरोबी में सम्मेलनों का आयोजन किया। इन सम्मेलनों में इस पर भी फोकस किया गया कि बैंक भारत से आयातों को ऋण वृद्धि के जरिए किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकता है।

संस्थागत संबद्धताएं

बैंक अन्य के साथ-साथ, बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों और राष्ट्रीय विकास बैंकों सहित विभिन्न संस्थाओं के साथ सहभागिता कर संबंध स्थापित करता है और उन्हें सुदृढ़ करता है। बैंक इन सहभागिताओं के जरिए नए उत्पादों एवं कार्यक्रमों का विकास/सह-विकास करता है, क्षमता विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाता है और जानकारियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है। साथ ही,

बैंक ने एक भारतीय बहुराष्ट्रीय खनन एवं प्रौद्योगिकी कंपनी को रखरखाव और पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए अपने निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया।

बैंक द्वारा कैमरून सरकार को प्रदत्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत कसावा की खेती संबंधी परियोजना के लिए सहायता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत कैमरून को भारी उपकरणों, ट्रैक्टरों, ट्रक संचालित क्रेनों, टैंकरों और ट्रेलरों की आपूर्ति की गई। यह सहायता विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देने के लिए प्रदान की गई है।

सह-वित्तपोषण के जरिए व्यवसाय अवसरों को बढ़ाता है तथा हितधारकों के बीच बैंक की दृश्यता बढ़ाता है और अच्छी छवि बनाए रखता है।

वर्ष के दौरान बैंक, ने अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) के साथ मिलकर 'अफ्रीका में फार्मासूटिकल एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अवसरों पर गोलमेज चर्चा' का आयोजन किया और कुछ प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी भी की।

बैंक समान लक्ष्यों और उद्देश्यों वाली संस्थाओं के साथ ज्ञान और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में बैंक ने सऊदी निर्यात-आयात बैंक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण को पूरा किया। यह प्रशिक्षण, भारत में आयोजित जी20 सम्मेलन की बैठकों के इतर दोनों संस्थाओं के बीच हस्ताक्षरित एक सहमति ज्ञापन के अंतर्गत सौंपे गए प्रमुख कार्यों में से एक था।

एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम (एईबीएफ) की स्थापना 25 से अधिक वर्षों पहले की गई थी। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र की समान उद्देश्यों वाली 11 निर्यात ऋण एजेंसियों एक साथ लाया गया था। इसका उद्देश्य इन संस्थाओं में पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाना तथा संबद्धताओं को और सुदृढ़ करना है, ताकि एशियाई एक्ज़िम बैंक समुदाय में दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। बैंक 2025 में एईबीएफ की वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा। साथ ही, जुलाई 2024 से जून 2025 तक प्रशिक्षण समिति की अध्यक्षता भी बैंक के ही पास रही है।

बैंक एशिया और प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप), अफ्रीकी विकास वित्त संस्थाओं के संघ और लैटिन अमेरिकी विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एलीडे) के वार्षिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेता है। बैंक को 'संपोषी बॉन्ड' के लिए एलीडे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बैंक को यह पुरस्कार 'गैर-क्षेत्रीय बैंक' श्रेणी में विकास वित्त संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रदान किया गया। बैंक को 'पर्यावरणीय विकास' श्रेणी के अंतर्गत अपने 'संपोषी वित्त कार्यक्रम' के लिए एडफिएप पुरस्कार भी मिला है।

निर्यात-आयात बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क, एक्ज़िम बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं का एक फोरम है। इसका गठन व्यापार एवं निवेश के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के तत्वावधान में दक्षिण-दक्षिण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। वर्तमान में इसमें एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व क्षेत्र से 10 सक्रिय सदस्य शामिल हैं। वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत एक वेबिनार सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वैश्विक आर्थिक स्थितियां एवं संभावनाएं, खाद्य सुरक्षा, संपोषी बुनियादी ढांचागत वित्तपोषण जैसे विषयों पर आयोजित किए गए।

बैंक द्वारा अफ्रीकी विकास बैंक समूह (एएफडीबी) की वार्षिक बैठकों से संबद्ध कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में, 2013 से अफ्रीका-भारत भागीदारी दिवस (एआईपीडी) का आयोजन किया जाता रहा है। अफ्रीकी विकास बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 59वीं वार्षिक बैठक मई 2024 में नैरोबी, केन्या में आयोजित हुई थी। एएफडीबी वार्षिक बैठक 2024 की थीम के अनुरूप, इस वर्ष का एआईपीडी "अफ्रीका के विकास में भारत का योगदान" विषय पर केंद्रित रहा।

बैंक ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत भारत की ओर से नामित सदस्य विकास बैंक है। राज्य विकास निगम (वेनेश्कोनॉमबैंक रूसी संघ), रूस ने अक्टूबर 2024 में मास्को, रूस में ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र की वार्षिक बैठक और वित्तीय फोरम की मेजबानी की थी। इसी बैठक के दौरान ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान 2024 के विजेता की आधिकारिक घोषणा की गई। बैंक, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के वित्तीय सेवाएं कार्य समूह में भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा, बैंक ने एशियाई विकास बैंक की मई 2024, त्बिलिसी, जॉर्जिया में हुई 57वीं वार्षिक बैठक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगस्त 2024, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हुई 9वीं वार्षिक बैठक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक समूह की अक्टूबर 2024 में वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुई वार्षिक बैठक में भी सहभागिता की। इन बैठकों में प्रतिभागिता से बैंक को इन संस्थाओं के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है, जिनका सदुपयोग भारतीय कंपनियों के लिए व्यवसाय अवसरों के रूप में किया जा सकता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के जरिए लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने और संपोषी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए बैंक मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस करता है – स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता, शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण, तथा आजीविका में सहयोग। इन प्रयासों के जरिए बैंक सामाजिक विकास और सामुदायिक कल्याण में योगदान देता है।

बैंक ने स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में वाराणसी के सरकारी विद्यालयों में 200 छात्राओं को मध्याह्न भोजन (मिड–डे मील) प्रदान करने के क्रम में 'अक्षय पात्र फाउंडेशन' को सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, बैंक ने हरियाणा के नूह जिले में महिलाओं में एनीमिया की शीघ्र जांच एवं उपचार के लिए 'बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान' के साथ जांच उपकरण की खरीद के लिए सहायता प्रदान की है। वहीं, ओडिशा के पांच जिलों में समयपूर्व जन्मे शिशुओं में अंधत्व की जांच के लिए रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी जांच हेतु 'हैदराबाद नेत्र संस्थान' को 'नीओ–नेत्र 3' मशीन की खरीद के लिए सहायता प्रदान की गई है। मुंबई में कैंसर रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए 'टाटा मेमोरियल सेंटर' को रेडिएशन फील्ड एनालाइज़र की खरीद में सहायता दी गई है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के गंगाखेड़ और पालम ब्लॉक के 40 वंचित गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद एवं व्यवस्था के लिए 'द प्राइड इंडिया' के साथ दो साल के लिए सहभागिता की है। इसके अलावा, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कोलकाता में 'फील ग्रीन संस्था' को अल्ट्रासोनिकेटर कैंसर–एनजीएस कम्पेटिबल फ्रैग्मेंट एनालिसिस की खरीद के लिए सहायता दी जा रही है।

बैंक ने बालिका शिक्षा और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के क्रम में, शिक्षा क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर में 100 छात्राओं को 'एडु–लीडर' के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 'आई–सक्षम एजुकेशन एंड लर्निंग फाउंडेशन' को सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, सैन्यकर्मियों के 420 बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में वित्तीय सहायता प्रदान की है। साथ ही, तमिलनाडु के कुड्डालोर में एससी/एसटी कल्याण विद्यालयों में तीन वर्षों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता में सुधार के लिए बंबलबी ट्रस्ट के साथ मिलकर 'कल्वी40 डिजिटल सॉल्यूशन एंड लर्निंग' कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भागीदारी की है।

कौशल प्रशिक्षण एवं आजीविका सहयोग बैंक की सीएसआर सहायता का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिशा में, बैंक ने महाराष्ट्र में 30 महिलाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टैंट के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 'डीबीएम इंडिया' के साथ भागीदारी की है। इन प्रशिक्षुओं को मुंबई में विभिन्न अस्पतालों में नियोजित किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक ने महाराष्ट्र के नंदुरबार और परभणी जिलों में 200 युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 'टीएमआई फाउंडेशन' को कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सहायता दी है। इन युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, होम एप्लायंस तकनीशियन और आरएसी तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

बैंक ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 'संकल्पतरु फाउंडेशन' के साथ मिलकर उनके संपोषी पौधारोपण मॉडल के माध्यम से 60,000 पेड़ लगाए हैं। इस पहल से 1,000 ग्रामीण महिला किसानों को आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्तर में सुधार, सामुदायिक सहभागिता और समुदायों में सशक्त नेतृत्व की भूमिका निभाने की दिशा में मदद मिल रही है।

बैंक ने गुजरात के अंजार में एक टेक्सटाइल विनिर्माण इकाई की स्थापना के आंशिक वित्तपोषण के लिए अपने निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत मीयादी ऋण प्रदान किया।

मानव पूंजी

मानव संसाधन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के विभिन्न कार्यालयों में 353 स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहे। बैंक की जॉब रोटेशन नीति के अनुरूप इन्हें विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, ताकि बैंक की परिचालन क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह सुविचारित आवंटन इस दृष्टि से किया गया है कि इस कार्यबल की विशेषज्ञताओं और दृष्टिकोण में इस तरह सामंजस्य बनाए रखा जा सके कि यह निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ते रहने की बैंक की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायक हो। बैंक के इस कार्यबल में विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल शामिल हैं। इनमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, भाषाविद और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

कर्मचारियों का संक्षिप्त विवरण

पुरुष	महिला
203	150
कुल	353

यथा 31 मार्च, 2025 को

विविधता और समावेशन

विविधता और समावेशन, बैंक में मानव संसाधन ढांचे के आधार स्तंभ हैं। बैंक के स्थायी कार्यबल में 42 प्रतिशत महिलाएं हैं। बैंक सभी स्तरों और स्थानों पर लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है। बैंक में महिला कर्मचारियों को पदोन्नति और पदस्थापना के स्तर पर भी सुविचारित रूप से समान अवसर दिए जाते हैं। बैंक लैंगिक निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और महिला कर्मचारियों की व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अनुकूल और सहज परिवेश प्रदान करता है। बैंक संस्थागत विकास और सशक्तीकरण में महिला लीडरों की क्षमताओं को समझता है और उनके बहुमूल्य योगदान को सराहता है।

बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

विवरण	कुल	महिलाओं की संख्या	महिलाओं का प्रतिनिधित्व
निदेशक मंडल	14	4	28%
शीर्ष प्रबंधन	26	9	35%

कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, बैंक लैंगिक उत्पीड़न के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति को अपनाता है। बैंक कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन करता है। यह नीति बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। इसमें किसी को हानि पहुंचाने की भावना को रोकने और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने जैसे उपाय शामिल हैं। बैंक द्वारा इस प्रकार के मामलों को संवेदनशीलता और त्वरित रूप से देखने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इसमें कर्मचारियों की सुरक्षा और समावेशन की बैंक की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान, बैंक में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली, जो दर्शाता है कि ये निवारक उपाय कितने प्रभावी हैं। इसके अलावा, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को सभी लाभ समान रूप से मिलें और इसके लिए बैंक में सभी स्तरों पर समानता को बनाए रखते हुए लैंगिक निष्पक्ष वेतन नीति है।

आरक्षण नीति संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन

बैंक अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में भारत सरकार की आरक्षण नीति संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। बैंक द्वारा कुल कार्यबल में आरक्षित श्रेणियों के अधिकारियों का यथोचित प्रतिनिधित्व बनाए रखा जाता है। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक में कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या 353 रही। इनमें से 42 कर्मचारी अनुसूचित जाति, 23 अनुसूचित जनजाति और 73 अन्य पिछड़ा वर्ग और 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से रहे। बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के स्टाफ सदस्यों को समान अवसर और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, बैंक द्वारा समान अवसर नीति का कार्यान्वयन किया गया है, जो समावेशिता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरक्षण नीतियों पर सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बैंक अपने कार्यबल में दिव्यांगजनों सहित अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। बैंक का यह सुविचारित और समावेशी दृष्टिकोण प्रत्येक कर्मचारी को ऐसा परिवेश प्रदान करने के प्रति समर्पण को दर्शाता है, जहां उन्हें प्रोन्नति के समान अवसर मिलें।

स्थायी कर्मचारियों का लैंगिक और आयु संबंधी विवरण

	30 वर्ष से कम	30-50 वर्ष	50 वर्ष से अधिक
पुरुष	32	144	27
महिला	26	104	20
कुल	58	248	47

दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या

पुरुष	महिला
5	3
कुल	8

यथा 31 मार्च, 2025 को

कर्मचारी लाभ और कल्याण

बैंक अपने कर्मचारियों की प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने वाली कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें मातृत्व–पितृत्व अवकाश सहित स्वास्थ्य सेवाएं और सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं। सरकारी मानदंडों के अनुसार, बैंक में महिला और पुरुष, दोनों कर्मचारी क्रमशः मातृत्व और पितृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, बैंक मृत्यु, दिव्यांगता या गंभीर बीमारी/ चोट जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को यथोचित सहयोग प्रदान करता है। इनमें व्यक्तिगत परिस्थितियों और लागू योजनाओं के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है, उनके परिवारों को अनुग्रह भुगतान, वित्तीय सहायता या कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन जैसी सहायता प्रदान करता है।

कर्मचारी कल्याण के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कार्यालय में योग और जिम जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ये पहलें कर्मचारियों के शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य लाभ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने तथा कर्मचारियों में उत्साह बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं। ये प्रयास दर्शाते हैं कि बैंक अपने कर्मचारियों के समग्र विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रशिक्षित कर्मचारी

	पुरुष	महिला	कुल
कनिष्ठ प्रबंधन	31	34	65
मध्य प्रबंधन	93	71	164
वरिष्ठ प्रबंधन	60	36	96
शीर्ष प्रबंधन	12	03	15
कुल	**196**	**144**	**340**

बैंक ने कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के विकास के लिए परियोजना गारंटियां जारी कर सहायता प्रदान की। यह परियोजना जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में 'नमामि गंगे कार्यक्रम' के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।

संस्थागत अवसंरचना

ट्रेजरी

बैंक की ट्रेजरी बैंक की लिक्विड आस्तियों को संभालती है। साथ ही, विनियामकीय दिशानिर्देशों और बैंक के आंतरिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क तथा ट्रेज़री परिचालन नीति के अनुरूप प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा अधिशेष (सरप्लस) निधियों में निवेश का कार्य देखती है। यह बैलेंस शीट पर लिक्विडिटी तथा ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है।

ट्रेजरी परिचालन में मुद्रा बाजार और विदेशी मुद्रा विनिमय सौदों, प्रतिभूति ट्रेडिंग एवं सरप्लस निधियों के निवेश जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। एक लाभ–केंद्र के रूप में, ट्रेजरी द्वारा ट्रांजैक्शनों की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि के साथ बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने में निरंतर योगदान दिया जाता रहा है।

बैंक ने प्रभावी जोखिम नियंत्रण, अनुपालन और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के क्रम में अपने ट्रेजरी क्रियाकलापों को फ्रंट, मिड और बैक ऑफिस कार्यों में अलग–अलग रखा है। इन कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए तकनीकी सुविधाओं से युक्त एक अत्याधुनिक डीलिंग रूम है। बैंक अपनी परिचालन क्षमता को बढ़ाने और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अपनी ट्रेजरी इन्फ्रा में तकनीकी उन्नयन करते हुए निरंतर सुधार कर रहा है और इसे सुदृढ़ बना रहा है। मूल्य निर्धारण, ऑर्डर निष्पादन तथा जोखिम की ट्रैकिंग को सुगम बनाने के लिए बैंक ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस–आधारित एकीकरण कर रहा है।

यह विभाग ग्राहकों की हेजिंग आवश्यकताओं के प्रबंधन में भी मदद करता है और ग्राहकों के विदेशी मुद्रा विनमय एवं ब्याज दर से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करते हुए उनके द्वारा किए जाने वाले ट्रांजैक्शनों से शुल्क आय अर्जित करता है। इसके अलावा, यह निर्यात दस्तावेजों के कलेक्शन और निगोशिएशन, घरेलू और विदेशी साख पत्र एवं गारंटियां जारी करने के लिए तथा ग्राहकों की जरूरत के अनुसार संरचित वित्तीय समाधान प्रदान करने में भी सहायक है।

बैंक अपनी निधीयन आवश्यकताओं में सहयोग और बैलेंस शीट जोखिमों के प्रबंधन के लिए मुद्रा बाजार एवं डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन करता है, जिसका उद्देश्य किफायती लागत पर संसाधन जुटाना और बाजार एक्सपोजरों की हेजिंग है। बैंक के आस्ति–देयता प्रबंधन (एएलएम) क्रियाकलापों में भी ट्रेजरी की अहम भूमिका है। साथ ही, ट्रेजरी लिक्विडिटी, ब्याज दर जोखिम तथा बैलेंस शीट में असंतुलन की निगरानी व प्रबंधन हेतु एएलएम समिति के साथ समन्वय करता है।

बैंक ने गुजरात के कच्छ में एक सौर विद्युत परियोजना के विकास के आंशिक वित्तपोषण हेतु अपने संपोषी वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की।

सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण, नियमित ऑडिट और व्यापक दबाव परीक्षा के माध्यम से ट्रेजरी पर लागू सभी विनियामकीय दिशानिर्देशों और आंतरिक नीतियों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। बैंक का जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और ट्रेजरी परिचालन नीति में बदलते बाजार परिवेश के अनुरूप समय–समय पर संशोधन किया जाता है।

बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) का पंजीकृत सदस्य है और बैंक को बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) से रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण का दर्जा प्राप्त है, जो डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम – ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लैटफॉर्म पर सरकारी प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में प्रतिभागिता के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र भी है। प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा विनिमय ट्रांज़ैक्शनों का निपटान केंद्रीय समाशोधन पार्टी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से गारंटित निपटान सुविधा के अंतर्गत किया जाता है। बैंक सीसीआईएल के ट्राय–पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम (ट्रेप्स), क्लियर कॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (क्रोम्स) तथा एफएक्स क्लियर का सदस्य भी है, जो रेपो एवं फॉरेक्स बाजार में ट्रांज़ैक्शनों को सुगम बनाते हैं। इसके अलावा, बैंक में केंद्रीकृत स्विफ्ट अवंसरचना है, जिसकी कनेक्टिविटी लंदन शाखा के साथ है और जो वैश्विक वित्तीय संदेशों के संप्रेषण को सुगम बनाती है और मल्टिपल बैंक आइडेंटिफायर कोड्स संभालने में सक्षम है।

आने वाले समय में बैंक के रणनीतिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में ट्रेजरी की अहम भूमिका को सुदृढ़ करने के क्रम में, ट्रेजरी द्वारा पोर्टफोलियो में विविधता लाने, विदेशी मुद्रा ग्राहक आधार को बढ़ाने तथा वैश्विक वित्तीय नेटवर्कों के साथ एकीकरण पर फोकस करना जारी रखा जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने डिजिटलीकरण, व्यवसाय आसूचना, कार्यप्रवाह स्वचालन (वर्कफ्लो ऑटोमेशन), इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और सुरक्षा जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए अपने प्रौद्योगिकी ढांचे को सुदृढ़ करना जारी रखा है। बैंक परिचालनों के डिजिटलीकरण और ग्राहक संबद्धता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। बैंक ने 'क्लाउड फर्स्ट' को टेक्नोलॉजी होस्टिंग समाधान के रूप में अपनाया है, जिससे बाजार में त्वरित पहुंच और आईटी परिचालनों को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है।

बैंक ने आईटी गवर्नेंस संबंधी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए अपनी पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया है। बैंक के विभिन्न ऋण कार्यक्रमों, गतिविधियों और सलाहकारी सेवाओं से संबंधित जानकारियां बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट के जरिए प्रदान की जाती है। बैंक में अत्याधुनिक डेटा सेंटर और डेटा रिकवरी साइट भी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैंक ने कोर बैंकिंग सिस्टम, ट्रेजरी ऐप्लिकेशन, स्ट्रक्चर फायनैंशल मैसेजिंग सिस्टम, स्विफ्ट, मंजूरी अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग), अलर्ट जनरेशन प्लैटफॉर्म और आंतरिक वर्कफ्लो ऐप्लिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी प्लैटफॉर्म को अपग्रेड किया है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, इलेक्ट्रॉनिक पूर्व–अर्हता प्रक्रिया, डेटावेयरहाउस के लिए नए ऐप्लिकेशन क्रियान्वित किए गए हैं। इन पहलों का लक्ष्य ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और प्रक्रियाओं का स्वचालन करना था।

ई–गवर्नेंस और ई–भुगतान

बैंक में व्यवसाय परिचालन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), व्यवसाय आसूचना, दस्तावेज प्रबंधन, कार्यप्रवाह, नेटवर्क और सुरक्षा के लिए कार्यप्रणाली लागू है। बैंक ने प्रौद्योगिकी–आधारित 'ई–भुगतान' और 'ई–नोट' प्रक्रियाएं विकसित की हैं, जिनसे कागजी काम काफी कम हुआ और मैनुअल प्रतिक्रियाओं में भी कमी आई है। इससे रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने (भंडारण स्थान को कम करते हुए) और उनके त्वरित ऐक्सेस में मदद मिली है। बैंक राष्ट्रीय ई–गवर्नैंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) का सदस्य है। बैंक ने निगेटिव लिस्ट और केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो से प्राप्त सूचनाओं का आंतरिक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया है। ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान इन सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, बैंक विभिन्न देशों के बीच वित्तीय और गैर–वित्तीय संदेशों के सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए स्विफ्ट अलायंस एक्सेस सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। ये संदेश फिनैकल ऐप्लिकेशन (कोर और ट्रेजरी) में तैयार किए जाते हैं और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के जरिए स्विफ्ट ऐप्लिकेशन को भेजे जाते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के जोखिम प्रबंधन समूह के सहयोग से बाजार जोखिम की निगरानी और प्रबंधन करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, एल्को द्वारा लिक्विडिटी

बैंक ने विशाखापट्टनम में एक फार्मासूटिकल कंपनी की विनिर्माण इकाइयों के परिचालनों में बाधाओं को दूर करने, उसके नए उपयोग और विस्तार संबंधी एक परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए अपने उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत मीयादी ऋण को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का उद्देश्य विनियमित बाजारों में विभिन्न व्यवसाय खंडों में बढ़ती मांग को पूरा करना है।

/ ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक एएलएम / लिक्विडिटी नीतियों के अनुसार किया जाता है। एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई / बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक लिक्विडिटी और ब्याज दर संवेदनशीलता स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और ब्याज दर जोखिम के आधार पर एक उपयुक्त एएलएम रणनीति तैयार करना शामिल है। यह समीक्षा ब्याज दर जोखिम को (क) निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता और (ख) ब्याज दर में उतार चढ़ाव की तुलना में अवधि अंतराल विश्लेषण के जरिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता के विश्लेषण से मापा जाता है। सबसे खराब स्थिति वाले परिदृश्य में निधियों की कमी के आकलन के लिए मुद्रा-वार लिक्विडिटी स्थिति के दबाव परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं और तदनुसार आकस्मिक निधीयन योजना बनाई जाती है। निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी), प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निधि प्रबंधन / संसाधन योजना के अनुसार निवेशों / विनिवेशों और संसाधन जुटाने के संबंध में निर्णय लेती है और वर्ष के दौरान इसकी समीक्षा करती है।

जोखिम प्रबंधन

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों की निगरानी और उनका प्रबंधन करने के साथ-साथ ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनों से संबंधित जोखिमों के संबंध में एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। साथ ही आरएमसी, एल्को, एफएमसी, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के परिचालनों का पर्यवेक्षण भी करती है और इन सभी में क्रॉस-फंक्शनल प्रतिनिधित्व होता है। सीआरएमसी, बैंक के ऋण जोखिमों का विश्लेषण, प्रबंधन और नियंत्रण करती है। बैंक में एक उन्नत ऋण जोखिम प्रबंधन मॉडल (सीआरएम) है, जिससे (गुणात्मक और मात्रात्मक मापदंडों/ श्रृखंलाबद्ध उपायों के जरिए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन संबंधी निर्णय लेने और ऋण जोखिमों के आधार पर उधारकर्ताओं की आंतरिक ऋण ग्रेडिंग करने में मदद मिलती है।

ओआरएमसी बैंक में परिचालन संबंधी जोखिम घटनाओं की समीक्षा करती है और पुनः ऐसा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति करती है। साथ ही, यह बैंक की आईटी आस्तियों से संबंधित/ उत्पन्न होने वाले परिचालनगत जोखिमों को चिह्नित करने, उनका मूल्यांकन करने और /अथवा मापने, निगरानी करने और नियंत्रण करने/ जोखिमों को कम करने का काम भी करती है। बैंक व्यवसाय निरंतरता और अपने सभी कार्यालयों की आपदा बहाली योजनाओं की भी वार्षिक समीक्षा करता है। जोखिमों के प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक योजना की भली-भांति जांच की जाती है कि ये योजनाएं संकट की स्थिति में व्यवसाय निरंतरता को बनाए रखने के लिए कितनी कारगर हैं और जोखिम से सुरक्षा के उपाय कैसे हैं। सूचना सुरक्षा डोमेन में बैंक ने एक सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) बनाई है। बैंक के साइबर/सूचना सुरक्षा क्रियाकलापों के प्रबंधन के लिए यह समिति बोर्ड की उप-समिति, सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति के पर्यवेक्षण में काम करती है।

बैंक ने अपने रणनीतिक, वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन क्षमता नीति को अंगीकृत किया है। जोखिम वहन क्षमता विवरण के प्रमुख आयामों में पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम, परिचालन जोखिम, प्रतिष्ठा और अनुपालन जोखिम शामिल हैं। इन जोखिम आयामों के अंतर्गत प्रत्येक मापदंड के लिए निर्धारित टॉलरैंस सीमा सहित जोखिम वहन क्षमता मापदंड होते हैं। जोखिम वहन क्षमता मापदंडों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और बैंक की आरएमसी को छमाही समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। वर्ष के दौरान, अधिकांश जोखिम वहन क्षमता विवरण ग्रीन जोन (सर्वोत्तम नियंत्रण) में रहे और, आंतरिक टॉलरैंस सीमा में उल्लंघन को दर्शाने वाला केवल एक मानदंड रेड जोन में रहा।

आरबीआई ने 21 सितंबर, 2023 को बासल III पूंजी ढांचे संबंधी विवेकसम्मत विनियमों पर मास्टर निदेश जारी किया है, जो 01 अप्रैल, 2024 से एक्ज़िम बैंक सहित सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू है। यह ढांचा, अन्य के साथ-साथ, बैंक की पूंजी आवश्यकता, जोखिमों के आकलन, दबाव परीक्षण, एक्सपोज़र मानदंडों, निवेशों के मूल्यांकन, संसाधन जुटाने संबंधी मानदंडों आदि से संबंधित है। इस मास्टर निदेश के अनुसार, 01 अप्रैल, 2024 से बैंक को निरंतर आधार पर न्यूनतम 9.0 प्रतिशत का पिलर 1 सीआरएआर बनाए रखना आवश्यक है। बैंक को ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए पिलर 1 के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के अलावा, बासल III दिशानिर्देशों के अनुसार पिलर 2 – पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के आधार पर अतिरिक्त पूंजी को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है।

बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आईसीएएपी नीति लागू है। इसमें व्यापक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क भी शामिल है। आईसीएएपी नीति में बैंक के सभी जोखिमों के जारी मूल्यांकन के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है। इसमें ऐसे मूल्यांकन शामिल हैं कि बैंक उन जोखिमों के प्रभावों को कम कैसे करेगा, और जोखिम उत्पन्न करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए वर्तमान और भविष्य में कितनी पूंजी आवश्यक होगी। बैंक आईसीएएपी मूल्यांकन करता है और इसकी रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है। दबाव परीक्षण गतिविधि छमाही आधार पर की जाती है तथा इसके परिणाम जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

पिलर 3 – बाजार अनुशासन के अंतर्गत, बैंक को अपने पूंजी तत्वों और व्यवसाय के विभिन्न जोखिम घटकों से संबंधित कई प्रकटीकरण प्रदान करना आवश्यक है। तिमाही प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं। बैंक में एक प्रकटीकरण नीति अंगीकृत की गई है। इसमें प्रकटीकरण संबंधी फ्रेमवर्क की रूपरेखा निर्धारित की गई है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

वर्ष के दौरान, बैंक ने हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया और अपने अधिकारियों को हिंदी में प्रवीण बनाने के लिए उन्हें भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया। अपने दैनिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक में विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा बैंक के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा तिमाही आधार पर की गई। बैंक द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा आयोजित बैठकों, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया गया और अंतरबैंक हिंदी प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए। देशभर में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक ने अपने न्यूज़लेटरों में से कृषि निर्यातों पर केंद्रित एक न्यूज़लेटर का प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भारतीय भाषाओं में करना जारी रखा। उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली कार्यालय और पुणे क्षेत्रीय कार्यालयों को उनकी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) द्वारा सम्मानित किया गया।

बैंक द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध भाषाई एवं सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से काला घोड़ा कला म होत्सव के दौरान एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। यह पैनल चर्चा 'युवाओं को जड़ों से जोड़नाः भारतीय भाषाएं, साहित्य और पर्फॉर्मिंग आर्ट्स' थीम पर आयोजित की गई। इसके अलावा, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई के तत्वावधान में 'भारतीय ज्ञान परंपराः पर्यावरण एवं संपोषी विकास' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित समाधानों पर चर्चा की गई।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक एक लोक प्राधिकरण है और इस अधिनियम का अनुपालन करता है। भारतीय नागरिक, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए बैंक के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा बैंक के भारत स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपने आवेदन भेज सकते हैं। इनका विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक ने सरकारी प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक को कुल 135 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार, 30 दिनों के भीतर इनके जवाब दिए गए।

बैंक ने ओडिशा के अंगुल में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र (स्टील प्लांट) की स्थापना हेतु अपने निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की है।

संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां

जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड

जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड (जीपीसीएल) बैंक द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की 9 अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों की साझेदारी में वर्ष 1996 में परिकल्पित और प्रवर्तित एक विविधीकृत परामर्श संस्था है।

जीपीसीएल परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। इनमें प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास गतिविधियां तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी सेवाओं सहित प्रोक्योरमेंट, तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। जीपीसीएल ने 40 से अधिक देशों में परियोजनाओं पर कार्य किया है। जीपीसीएल एक ऐसी संस्था है, जहां अवसंरचना, ऊर्जा (अक्षय ऊर्जा सहित), परिवहन, जल संसाधनों, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की परामर्शी विशेषज्ञता एक स्थान पर मिलती हैं। विगत कुछ वर्षों में जीपीसीएल ने अपनी सेवाओं के दायरे को बढ़ाते हुए प्रोक्योरमेंट/ई-गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एवं वित्तीय प्रबंधन समाधान, संपोषी प्रोक्योरमेंट, प्रोबिटी एश्योरेंस एडवाइजरी एवं प्रोक्योरमेंट कार्यान्वयन सहायता सेवाएं, प्रोक्योरमेंट गवर्नेंस एवं सुधार संबंधी सलाहकारी सेवाएं, बिड तैयार करने संबंधी सलाहकारी सेवाएं, प्रोक्योरमेंट प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, ऋणदाता का स्वतंत्र इंजीनियर (एलआईई) निष्पादन निगरानी, परियोजनाओं का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन, परियोजना विकास/ व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना/ तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टाईवी) अध्ययन करना और इनकी समीक्षा करना, मूल्यांकन करना एवं जांच करना एवं सीएसआर प्रभाव मूल्यांकन करना / सीएसआर के अंतर्गत आवश्यकता का मूल्यांकन करना, तथा सीएसआर नीति और प्रक्रियाएं तैयार करने जैसी सेवाएं शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने ₹ 87.20 मिलियन की कुल आय तथा ₹ 26.46 मिलियन का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया।

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी), मॉरीशस, अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनैंशल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) समूह सहित अन्य शेयरधारकों के साथ एक्ज़िम बैंक द्वारा सह-प्रायोजित की गई एक संयुक्त उद्यम है। केपीडीसी को लगातार हो रहे घाटे तथा इसके परिचालनों की अलाभकारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शेयरधारकों द्वारा कंपनी के परिचालन बंद करने का संकल्प पारित किया गया था। तदनुसार, केपीडीसी की चरणबद्ध तरीके से परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की सभी बकाया देयताओं का निपटान कर दिया गया है। इस क्रम में, सभी हितधारकों एवं सांविधिक प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, मॉरीशस के कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष केपीडीसी को बंद करने तथा रजिस्टर से केपीडीसी का नाम हटाने के लिए आवेदन किया जाएगा।

बैंक ने बांग्लादेश सरकार को प्रदत्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत, अमीनबाजार-कालियाकैर 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के डिजाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए सहयोग प्रदान किया है।

सहायक कंपनी – एक्ज़िम फिनसर्व

फैक्टरिंग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की आवश्यकताओं के अनुकूल एक व्यवहार्य रिसीवेबल्स प्रबंधन और वित्तपोषण तंत्र प्रदान करने वाली व्यवस्था है। यह निर्यातकों को तीन आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है: रिसीवेबल फायनैंसिंग, भुगतान न किए जाने के जोखिम का कवरेज और अकाउंट्स रिसीवेबल का प्रबंधन। ये फैक्टरिंग सेवाएं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं, क्योंकि ये सेवाएं कोलैटरल के बजाय मुख्य रूप से अकाउंट्स रिसीवेबल्स की गुणवत्ता पर आधारित होती हैं। फैक्टरिंग के जरिए निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इससे निर्यातक अपने खरीदारों को प्रतिस्पर्धी ऋण शर्तें ऑफर करने में सक्षम होते हैं और निर्यातकों का कार्यशील पूंजी चक्र भी अप्रभावित रहता है।

माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट पेश करते समय एक्ज़िम बैंक द्वारा व्यापार और पुनर्वित्त के लिए गुजरात इंटरनैशनल फायनैंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात में एक सहायक कंपनी की स्थापना करने की घोषणा की थी। इसके बाद अगस्त 2023 में गिफ्ट सिटी में इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (एक्ज़िम फिनसर्व) नाम से एक्ज़िम बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की गई। एक्ज़िम फिनसर्व भारतीय निर्यातकों को मुख्य रूप से निर्यात फैक्टरिंग पर फोकस करते हुए विभिन्न व्यापार वित्त उत्पाद प्रदान करती है। परिचालन शुरू किए जाने के बाद प्रथम वर्ष के दौरान, एक्ज़िम फिनसर्व ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और विनियामक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के लागू विनियामकीय अनुपालन/फाइलिंग अपेक्षाओं को पूरा किया। साथ ही, कंपनी ने भर्ती, परिसर निर्धारण आदि जैसी गतिविधियां भी संचालित की।

तदनुसार, एक्ज़िम फिनसर्व ने अपना औपचारिक फैक्टरिंग परिचालन सितंबर 2024 से शुरू किया। सितंबर 2024 से मार्च 2025 के दौरान, एक्ज़िम फिनसर्व ने 10.27 मिलियन यूएस डॉलर की कुल प्रतिबद्धताओं के साथ 16 निर्यातकों को फैक्टरिंग सीमाएं मंजूर की। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत मंजूरियां उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों को रहीं। ये मंजूरियां इन निर्यातकों को यूएसए, यूरोपीय संघ के देशों, जापान, सऊदी अरब और यूएई को निर्यात करने के लिए दी गई। इन 16 मंजूरियों से एक्ज़िम फिनसर्व ने 8 निर्यातक कंपनियों के रिसीवेबल्स को फैक्टर किया। इन निर्यातक कंपनियों के कुल 587 इन्वॉयस फैक्टर किए गए, जिनका कुल इन्वॉयस टर्नओवर 7.33 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। यथा 31 मार्च, 2025 को एक्ज़िम फिनसर्व के लिए अदत्त फैक्टरिंग रिसीवेबल्स 4.65 मिलियन यूएस डॉलर के रहे।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन

भारतीय निर्यात–आयात बैंक ("एक्ज़िम बैंक") कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और महत्त्व को समझता है। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, बल्कि बैंक ने स्वेच्छा से सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां भी तैयार की हैं।

एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। एक्ज़िम बैंक का निदेशन, प्रबंधन और व्यवसाय संचालन भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्ज़िम बैंक अधिनियम") के अंतर्गत बनाए गए और इसके साथ पठित भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 ("एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियम") और अन्य लागू कानूनों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। एक्ज़िम बैंक अधिनियम के प्रावधानों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के विनियम 17 से 27 की प्रयोज्यता पर प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एक्ज़िम बैंक एक विशिष्ट अधिनियम (एक्ज़िम बैंक अधिनियम) के अंतर्गत स्थापित एक वित्तीय संस्था है और इसे कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित नहीं किया गया है। बैंक, यथा लागू अनुसार, अपने सभी परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रकटीकरण करने और स्टेकहोल्डर मूल्य को बढ़ाने की दृष्टि से अन्य सभी कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।

एक्ज़िम बैंक की असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") पर सूचीबद्ध हैं और ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन–कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021 और लिस्टिंग विनियमों द्वारा शासित होती हैं।

2. निदेशक मंडल

एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6 में एक्ज़िम बैंक के निदेशक मंडल के गठन का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एक्ज़िम बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नलिखित अनुसार रही:

धारा	निदेशक की प्रकृति	निदेशक का विवरण	श्रेणी*	टिप्पणियां
6[1][क]	अध्यक्ष	रिक्त	–	20 फरवरी, 2017 से
	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 08 सितंबर, 2021 से प्रभावी
6[1][क क]	दो पूर्णकालिक निदेशक	श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 18 अप्रैल, 2023 से प्रभावी
		सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 28 जून, 2024 से प्रभावी
6[1][ख]	एक निदेशक (आरबीआई के नामिती)	श्री आर. सुब्रमणियन कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	गैर–कार्यपालक निदेशक	31 मई, 2024 को कार्यकाल पूरा हो गया
		श्री अर्णब कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	गैर–कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी
6[1][ग]	एक निदेशक (विकास बैंक)	श्री राकेश शर्मा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	गैर–कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 21 दिसंबर, 2018 से प्रभावी
6[1][घ]	एक निदेशक (ईसीजीसी के नामिती)	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड	गैर–कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 16 नवंबर, 2023 से प्रभावी

धारा	निदेशक की प्रकृति	निदेशक का विवरण	श्रेणी*	टिप्पणियां
6[1][ङ][i]	पांच निदेशक (केंद्र सरकार के अधिकारी)	श्री दम्मू रवि सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय	गैर–कार्यपालक निदेशक/ भारत सरकार के नामिती निदेशक	नियुक्ति 20 सितंबर, 2021 से प्रभावी
		सुश्री हिमानी पांडे अपर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	गैर–कार्यपालक निदेशक/ भारत सरकार के नामिती निदेशक	नियुक्ति 25 मई, 2023 से प्रभावी
		श्री सिद्धार्थ महाजन संयुक्त सचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	गैर–कार्यपालक निदेशक/ भारत सरकार के नामिती निदेशक	नियुक्ति 20 मई, 2024 से प्रभावी
		सुश्री अपर्णा भाटिया सलाहकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	गैर–कार्यपालक निदेशक/ भारत सरकार के नामिती निदेशक	नियुक्ति 10 नवंबर, 2023 से प्रभावी
		डॉ. अभिजीत फुकन आर्थिक सलाहकार वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	गैर–कार्यपालक निदेशक/ भारत सरकार के नामिती निदेशक	नियुक्ति 30 जून, 2023 से प्रभावी
		श्री विपुल बंसल संयुक्त सचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	गैर–कार्यपालक निदेशक/ भारत सरकार के नामिती निदेशक	20 मई, 2024 को कार्यकाल पूरा हो गया
6[1][ङ][ii]	अधिकतम तीन निदेशक (अनुसूचित बैंकों से)	श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक	गैर–कार्यपालक निदेशक	27 अगस्त, 2024 को कार्यकाल पूरा हो गया।
		श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक	गैर–कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 28 अगस्त, 2024 से प्रभावी
		श्री एम. वी. राव, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	गैर–कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 21 सितंबर, 2022 से प्रभावी
		श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूको बैंक	गैर–कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 13 मई, 2024 से प्रभावी
6[1][ङ][iii]	निर्यात, आयात या वित्तपोषण में विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव वाले अधिकतम चार निदेशक	श्री अशोक कुमार गुप्ता कर परामर्शदाता	गैर–कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र	20 दिसंबर, 2024 को कार्यकाल पूरा हो गया।
		रिक्त	–	05 जून, 2009 से
		रिक्त	–	18 अप्रैल, 2015 से
		रिक्त	–	18 अप्रैल, 2015 से

आरबीआई–भारतीय रिज़र्व बैंक

*सूचीबद्धता विनियम के विनियम 16(1)(ख) के अंतर्गत 'स्वतंत्र निदेशक' से तात्पर्य सूचीबद्ध कंपनी के नामिती निदेशक के अलावा गैर–कार्यपालक निदेशक से है।

स्पष्टीकरण – 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (क) जो एक निकाय कॉर्पोरेट है, जिसे उस कानून के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करना है, जिसके तहत उस निकाय की स्थापना की गई है, के बोर्ड में गैर–कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

सूचीबद्धता विनियम के विनियम 17(1)(क) के अनुसार, निदेशक मंडल में कार्यपालक और गैर–कार्यपालक निदेशक का एक इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक हो और निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत गैर–कार्यपालक निदेशक शामिल हों।

तदनुसार, एक्ज़िम बैंक अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त/नामित किए जा रहे बैंक के बोर्ड में निदेशकों को लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

एक्ज़िम बैंक के निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल (यथा 09 मई, 2025 को)

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
श्री दम्मू रवि सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय	श्री दम्मू रवि ने 1989 में भारतीय विदेश सेवा में अपना पदभार ग्रहण किया। आपने वर्ष 1991 से 2001 तक मेक्सिको, क्यूबा, ब्रसेल्स स्थित भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य किया। आपने 2001 से 2006 तक विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में पश्चिम यूरोप और संयुक्त राष्ट्र प्रभागों में उप सचिव/निदेशक के रूप में कार्य किया है। आपने मार्च 2006 से मई 2009 तक पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य किया है। आप अक्टूबर 2009 से दिसंबर 2013 तक लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ भारतीय संबंधों का कार्यभार संभालते हुए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे। आपने जनवरी 2014 से फरवरी 2020 तक वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, जहां आपने व्यापार संबंधी विवादों, एनएएमए, मत्स्यपालन वार्ताओं, व्यापार नीति संबंधी समीक्षा आदि जैसे डब्ल्यूटीओ से जुड़े विषयों सहित भारत की व्यापार नीति का उत्तरदायित्व संभाला। आप नवंबर 2015 में नैरोबी (एमसी X) और दिसंबर 2017 में ब्यूनस आयर्स (एमसी XI) में होने वाले डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे। आपने जी20, ब्रिक्स, राष्ट्रमंडल, एससीओ, एपेक, आईओआरए, एएसईएम, अंकटाड आदि जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंधों का उत्तरदायित्व भी संभाला है। आप वृहद् क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में भारत के मुख्य वार्ताकार भी रहे हैं। वर्तमान में, आप विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।
सुश्री हिमानी पांडे अपर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	सुश्री हिमानी पांडे, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की अपर सचिव हैं। आप बौद्धिक संपदा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सरकारी खरीद और अंतरराष्ट्रीय व्यापार करार प्रभाग संभाल रहीं हैं। आपने "लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस' से लोक प्रबंधन और गवर्नेंस में एमएससी डिग्री हासिल की है। 1998 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री पांडे झारखंड राज्य में कार्यान्वयन के साथ-साथ सार्वजनिक नीति नियोजन में विभिन्न कार्यभार संभाल चुकी हैं।
श्री सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	श्री सिद्धार्थ महाजन, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2003 बैच के अधिकारी हैं। दो दशक के अपने करियर के दौरान श्री महाजन ने विभिन्न पदों पर रहते हुए अनेक कार्यभार संभाले हैं। आप राजस्थान सरकार में निवेश संवर्धन, योजना, स्थानीय स्वायत्त शासन, वित्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, पंचायती राज, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में नियुक्ति से पहले आपको कुछ समय के लिए लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम करने का अनुभव है। श्री महाजन जनवरी, 2012 से राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के बोर्डों में निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। इनमें विद्युत, वित्त, शहरी परिवहन, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक विकास, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन और लघु उद्योग तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आपको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत वित्त और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने का अनुभव है। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में काम करने का भी अनुभव है। श्री महाजन वर्तमान में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यरत हैं। यहां आप व्यापार वित्त, विदेश व्यापार (आसियान), निर्यात संवर्धन (रत्न और आभूषण), किम्बर्ले प्रोसेस, एक्ज़िम बैंक के साथ-साथ आसियान-भारत व्यापार वार्ता, विदेश व्यापार (दक्षिण एशिया/सार्क/ईरान), आदि पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। श्री महाजन विधि स्नातक हैं और आपने अर्थशास्त्र में भी स्नातक की डिग्री ली है।

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
सुश्री अपर्णा भाटिया सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	सुश्री अपर्णा भाटिया, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सलाहकार हैं और द्विपक्षीय सहयोग तथा सिक्का और मुद्रा एवं प्रशासन और समन्वय संबंधी कामकाज संभालती हैं। सुश्री अपर्णा भाटिया भारतीय आर्थिक सेवा की 1996 बैच की अधिकारी हैं। इससे पहले आपको आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध सलाहकार के रूप में कार्य का अनुभव रहा है और सार्क विकास कोष में निदेशक के रूप में आप भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। साथ ही, आप भारत के जी20 शेरपा की साओ–शेरपा रही हैं और फायनैंस डेप्यूटी की डेप्यूटी भी रही हैं। इस भूमिका में आपने ओईसीडी, ब्रिक्स, फायनैंस ट्रैक, आसियान आदि से संबंधित सभी मामले संभाले हैं। सुश्री भाटिया इससे पहले, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक (बहुपक्षीय संस्थान) के रूप में सेवारत रही हैं और आपने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), न्यू डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक (वित्त, अवसंरचना और आपदा राहत परियोजनाएं) संबंधी उत्तरदायित्व संभाले हैं। आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत के निदेशक की सलाहकार के रूप में भी काम किया है। आपने नई दिल्ली में आईएमएफ के एसएआरटीटीएसी–दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता केंद्र की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई है। आप आर्थिक कार्य विभाग के सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रकोष्ठ की छह साल तक प्रमुख रही हैं और यह वह समय रहा, जिस दौरान भारत में विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में पीपीपी परियोजनाएं अपने सर्वोच्च स्तर पर रहीं।
डॉ. अभिजीत फुकन आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	डॉ. अभिजीत फुकन भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस 2004 बैच) के अधिकारी हैं। वर्तमान में आप वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में आर्थिक सलाहकार तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सिसो) के रूप में कार्यरत हैं। आप वित्त में पीएचडी और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। आपने मानव संसाधन विकास और मार्केटिंग में पोस्ट–ग्रैजुएट डिप्लोमा भी किया है। अर्थशास्त्र, प्रबंधन एवं वित्त से संबंधित विभिन्न विषयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लब्धप्रतिष्ठ जर्नलों में आपके कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आपको शैक्षणिक, अनुसंधान और लोक नीति में विभिन्न विभागों में गवर्नेंस का बीस वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपको संपोषी वित्त/सीएसआर/सतत विकास लक्ष्यों/पर्यावरणीय, सस्टैनेबिलिटी और गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विनियामकीय एवं अनुपालन, ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि में विशद अनुभव और विशेषज्ञता है। आप वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव सहित विभिन्न पदों पर रहे हैं। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) में भी सेवारत रहे हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए आप आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार और नीतिगत फ्रेमवर्कों के अगुआ रहे हैं।
श्री अर्णब कुमार चौधरी कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	श्री अर्णब कुमार चौधरी ने 1994 में भारतीय रिज़र्व बैंक जॉइन किया था। आपने वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया है। आपको कॉर्पोरेट कार्यनीति, बजट, लेखांकन आदि क्षेत्रों का भी अनुभव है। आप कई समितियों और कार्य समूहों के सदस्य रहे हैं और नीति निर्माण में निरंतर योगदान दे रहे हैं। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले श्री चौधरी, पर्यवेक्षण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। श्री चौधरी ने 03 जून, 2024 से भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यपालक निदेशक के रूप में आप, विदेशी मुद्रा विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का कार्यभार संभाल रहे हैं।
श्री राकेश शर्मा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	श्री राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पहले आप केनरा बैंक तथा लक्ष्मी विलास बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। केनरा बैंक में कार्यरत रहते हुए आप केनरा बैंक की समूह कंपनियों में अध्यक्ष के पद पर भी रहे। 2014 में लक्ष्मी विलास बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री शर्मा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। आपको एसबीआई में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव रहा है। वहां आप आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मिड कॉर्पोरेट खातों के प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा, आपने राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिटेल परिचालनों के पर्यवेक्षण, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह में बैंकिंग परिचालन, विशेषीकृत शाखाओं / प्रशासनिक कार्यालयों आदि में क्रेडिट असाइनमेंट जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यभार भी संभाले हैं। श्री राकेश शर्मा अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रैजुएट और सीएआईआईबी हैं।

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। आप ईसीजीसी लिमिटेड के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक होने के साथ–साथ परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के प्रबंध ट्रस्टी भी हैं। आपने 1995 में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में ईसीजीसी जॉइन किया था और आप मुरादाबाद, जोधपुर एवं मुंबई शाखा कार्यालयों के प्रमुख रहे हैं। आप ईसीजीसी के उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक भी रहे हैं। भारत की प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी, ईसीजीसी में आपको 28 वर्षों का अनुभव है। अल्पावधि और मध्यम तथा दीर्घावधि के व्यवसायों से लेकर उत्पाद और नीति निर्माण, मार्केटिंग, लेखा परीक्षा और अनुपालन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, हामीदारी अंकन (अंडरराइटिंग) पद्धतियों और मॉडलों तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपका विशद अनुभव है। आपने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कंपनी का प्रतिनिधित्व किया है। आप भारत तथा विदेश, दोनों में, बहुत से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता के रूप में शामिल हुए हैं। आप राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। आप मार्केटिंग में एमबीए हैं और आपने मानव संसाधन विकास में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा भी किया है।
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में 28 अगस्त, 2024 को कार्यभार ग्रहण किया है। आप जनवरी 2020 में भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। आपने वर्ष 2020 से 2022 तक बैंक के खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग वर्टिकल का नेतृत्व किया और इसके बाद बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो का नेतृत्व किया। वर्तमान में आप भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न कार्य दलों / समितियों का भी नेतृत्व कर रहे हैं। कृषि विज्ञान में स्नातक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट, श्री शेट्टी ने 1988 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरूआत की थी। लगभग तीन दशकों से अधिक के अपने करियर में आपने कॉर्पोरेट क्रेडिट, खुदरा, डिजिटल और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और विकसित बाजारों में बैंकिंग का विशद अनुभव अर्जित किया है। श्री शेट्टी ने भारतीय स्टेट बैंक में दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन, कॉर्पोरेट बैंकिंग, मिड–कॉर्पोरेट बैंकिंग, विश्व बाजारों, प्रौद्योगिकी और भारत व विदेश में सिंडिकेशन संबंधी महत्त्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं।
श्री एम. वी. राव प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	श्री एम. वी. राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। आपने 1 मार्च, 2021 से यह कार्यभार संभाला है। वर्तमान पदभार से पूर्व आप तीन वर्ष से अधिक समय तक केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे, जहां आपने बैंक की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि में स्नातकोत्तर श्री राव ने पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) से अपने करियर की शुरूआत की थी। आपको नेतृत्व वाली भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक समय का प्रोफेशनल बैंकिंग का अनुभव रहा है। आपको कॉर्पोरेट ऋण, रिटेल परिसंपत्तियों, ट्रेज़री प्रबंधन, मानव संसाधन, ऋण नीति और निगरानी, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, डिजिटल बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रक्रिया परिवर्तन जैसे बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है। युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के निदेशक होने के साथ–साथ श्री राव बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, मुंबई और भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के भी सदस्य हैं। आप भारतीय रिज़र्व बैंक, इरडाई और भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित विभिन्न समितियों के भी सदस्य हैं।
श्री अश्वनी कुमार प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूको बैंक	श्री अश्वनी कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट और वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनैंस के प्रमाणित सदस्य भी हैं। आपको दो दशक से अधिक का अनुभव है। श्री अश्वनी कुमार सार्वजनिक क्षेत्रों के विभिन्न बैंकों में कार्यरत रहे हैं। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नैशनल बैंक और इंडियन बैंक जैसी संस्थाओं में काम करने का अनुभव है। आपको होलसेल बैंकिंग डिविजन का भी अनुभव है। आप औद्योगिक वित्त शाखाओं और बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं सहित अन्य शाखाओं के प्रमुख भी रहे हैं। महाप्रबंधक के रूप में आप मिड कॉर्पोरेट और लार्ज कॉर्पोरेट वर्टिकल के प्रमुख रहे हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में आपने विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। आप मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) भी रहे हैं। आपने एक उत्साही शिक्षार्थी के रूप में आईआईएम और सीएएफआरएएल सहित भारत और विदेशों के प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। आपने आईबीए और इगॉन जेन्डर इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा परिचालित आईआईएम बैंगलोर का लीडरशीप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया है। यूको बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पद भार ग्रहण करने से पहले आप इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे हैं।

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
सुश्री हर्षा बंगारी प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले आप बैंक की उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। सुश्री बंगारी बी.कॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपने 1995 में एक्ज़िम बैंक जॉइन किया था। सुश्री बंगारी अनुभवी फायनैंस प्रोफेशनल हैं और आपको वित्तीय क्षेत्र में 29 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आपको बैंक की सभी प्रक्रियाओं और व्यवसाय नीतियों की विशद जानकारी है। आपको अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सहित ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा संसाधनों से लेकर जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा, देयता प्रबंधन जैसे बैंक के समस्त क्रियाकलापों का अनुभव है।
श्री तरुण शर्मा उप प्रबंध निदेशक	श्री तरुण शर्मा एक्ज़िम बैंक के उप प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले आप बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और आपने बैंक की प्रौद्योगिकी पहलों का भी नेतृत्व किया है। आप इंजीनियरिंग में ग्रैजुएट हैं। इसके बाद आपने प्रबंधन में पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री हासिल की और आपने एडवांस्ड एक्ज़िक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया है। आपको वैश्विक व्यापार, प्रतिस्पर्धात्मकता, उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास तथा नीति में दो दशक से अधिक का अनुभव है। सीएफओ के रूप में अपने कार्यकाल से पहले श्री तरुण शर्मा बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। आपने भारतीय कंपनियों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए वित्त की स्ट्रक्चरिंग करने; सहभागी देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करने; सरकारी कार्य संभालने और नीति निर्माण में योगदान देने जैसे उत्तरदायित्व निभाए हैं। इस दौरान, श्री तरुण शर्मा ने 'उभरते सितारे कार्यक्रम' नामक नई पहल शुरू करने का उत्तरदायित्व भी संभाला। यह कार्यक्रम ऐसे उद्यमों को चिह्नित करने और ऋण, इक्विटी तथा तकनीकी सहायता के जरिए सहयोग प्रदान करने के लिए है, जिनमें प्रौद्योगिकी, उत्पाद और प्रोसेस की दृष्टि से संभावनाएं हैं।
सुश्री दीपाली अग्रवाल उप प्रबंध निदेशक	सुश्री दीपाली अग्रवाल एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले आपने बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आपने प्रबंधन में मास्टर्स डिग्री हासिल की है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है। आपको लगभग तीन दशकों से बैंक के भारत तथा विदेश स्थित कार्यालयों में अलग-अलग भूमिकाओं में कार्य करने का अनुभव है। आपने ट्रेज़री एवं लेखा, कॉर्पोरेट बैंकिंग, परियोजना निर्यात, संचार और ब्रांड प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रासरूट स्तर के दस्तकारों के उत्थान, मानव संसाधन प्रबंधन और रिकवरी इत्यादि सांस्थानिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। आप बैंक के पश्चिमी क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय के साथ-साथ बैंक के सिंगापुर प्रतिनिधि कार्यालय की भी प्रमुख रह चुकी हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षाः

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 24ए के अनुसरण में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मैसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अनुपालन प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में हैं।

निदेशकों की गैर-निरर्हता का प्रमाण पत्र:

लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसरण में, एक्ज़िम बैंक ने एक संचालनरत कंपनी सचिव से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल की बैठक:

बोर्ड की बैठकों की तारीखें समय रहते काफी पहले निर्धारित की जाती हैं और इस संबंध में निदेशकों को सूचित कर दिया जाता है। बोर्ड सदस्यों को बोर्ड और समिति(यों) की प्रत्येक बैठक से पहले संबंधित आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी के साथ कार्यसूची संबंधी कागजात प्रदान किए जाते हैं। बोर्ड, बैंक पर लागू कानूनों और विनियमों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। समितियों की संस्तुतियों को आवश्यक अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतया मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और बैंक के निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी प्रदान की जाती है, ताकि वे बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग ले सकें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशक मंडल की 7 (सात) बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुईः [(i) 10 मई, 2024 (ii) 05 जून, 2024, (iii) 08 अगस्त, 2024, (iv) 03 अक्टूबर, 2024, (v) 06 नवंबर, 2024 (vi) 12 फरवरी, 2025 (vii) 26 मार्च, 2025]।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	श्रेणी*	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या		निदेशन/समिति सदस्यताओं/अध्यक्षता की संख्या		
		आयोजित	भाग लिया	निदेशन विनियम	समिति की सदस्यता**	समिति की अध्यक्षता**
सुश्री हर्षा बंगारी	प्रबंध निदेशक	7	7	1	1	0
श्री तरुण शर्मा	उप प्रबंध निदेशक	7	7	1	1	0
सुश्री दीपाली अग्रवाल	उप प्रबंध निदेशक	7	5	1	1	0
श्री दम्मू रवि	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार के नामिती निदेशक	7	7	1	0	0
सुश्री हिमानी पांडे	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार की नामिती निदेशक	7	4	1	0	0
श्री सिद्धार्थ महाजन	गैर-कार्यपालक निदेशक	7	2	1	1	0
सुश्री अपर्णा भाटिया	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार की नामिती निदेशक	7	6	1	1	0
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार के नामिती निदेशक	7	6	2	0	0
श्री विपुल बंसल	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार के नामिती निदेशक	1	0	-	-	-
श्री अर्णब कुमार चौधरी	गैर-कार्यपालक निदेशक	7	3	1	0	0
श्री आर. सुब्रमणियन	गैर-कार्यपालक निदेशक	1	0	-	-	-
श्री राकेश शर्मा	गैर-कार्यपालक निदेशक	7	0	2	2	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार के नामिती निदेशक	7	7	1	2	0
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	गैर-कार्यपालक निदेशक	7	3	4	2	0
श्री दिनेश कुमार खारा	गैर-कार्यपालक निदेशक	3	1	-	-	-

निदेशक का नाम	श्रेणी*	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या		निदेशन/समिति सदस्यताओं/अध्यक्षता की संख्या		
		आयोजित	भाग लिया	निदेशन विनियम	समिति की सदस्यता**	समिति की अध्यक्षता**
श्री एम. वी. राव	गैर–कार्यपालक निदेशक	7	2	2	2	0
श्री अश्वनी कुमार	गैर–कार्यपालक निदेशक	7	4	2	2	1
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर–सरकारी निदेशक	5	5	–	–	–

*सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 16(1)(ख) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' से तात्पर्य सूचीबद्ध संस्था के नामिती निदेशक के अलावा गैर–कार्यपालक निदेशक से है। स्पष्टीकरण – 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (क) जो एक निकाय कॉर्पोरेट है, जिसे उस कानून के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करना है, जिसके तहत उस निकाय की स्थापना की गई है, के बोर्ड में गैर–कार्यपालक निदेशक को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

**समितियों में निदेशकों की सदस्यता और अध्यक्षता के निर्धारण के लिए लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति में निदेशकों की सदस्यता और अध्यक्षता को ध्यान में रखा गया है।

नोट:

1. बोर्ड में कोई भी निदेशक 7 से अधिक सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक / स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।
2. पूर्णकालिक निदेशकों /प्रबंध निदेशक में से कोई भी तीन से अधिक सूचीबद्ध इकाइयों में स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।
3. बोर्ड में कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों के सदस्य नहीं हैं और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक हैं।
4. हमारी जानकारी के अनुसार, निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है।
5. यथा 31 मार्च, 2025 को किसी भी गैर–कार्यपालक निदेशक के पास एक्ज़िम बैंक की प्रतिभूतियां नहीं रहीं।
6. यथा 31 मार्च, 2025 को सूचीबद्ध इकाइयों में अन्य निदेशक पद (केवल वही, जिनकी इक्विटी सूचीबद्ध है) जहां एक्ज़िम बैंक के कोई बोर्ड सदस्य निदेशक हैं, निम्नलिखित अनुसार हैं:

यथा 31 मार्च, 2025 को सूचीबद्ध इकाई(यों) में निदेशकों का विवरण

निदेशक का नाम	सूचीबद्ध इकाई(यों) में निदेशक पद	निदेशक पद/अध्यक्षता की श्रेणी	लेखा परीक्षा समिति (एसी)/ हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता/ सदस्यता
श्री अभिजीत फुकन	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	भारत सरकार के नामिती निदेशक	शून्य
श्री राकेश शर्मा	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	शून्य
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	1. भारतीय स्टेट बैंक 2. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 3. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड	1. अध्यक्ष 2. अध्यक्ष 3. अध्यक्ष	शून्य शून्य शून्य
श्री एम. वी. राव	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	शून्य
श्री अश्वनी कुमार	यूको बैंक	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	शून्य

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक के निदेशकों के लिए बैंक द्वारा सूचना/साइबर सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बैंक के निदेशकों ने हिस्सा लिया, उनका विवरण बेवसाइट पर दिया गया है। लिंकः https://www.eximbankindia.in/Hindi/investor-relations

निदेशक मंडल की समितियां

एक्ज़िम बैंक के बोर्ड ने बैंक के व्यावसायिक मामलों में मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने की दृष्टि से विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठकें एक्ज़िम बैंक अधिनियम और एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमावली और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाती हैं। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक की विभिन्न समितियां निम्नलिखित अनुसार रहीं:

1. प्रबंध समिति (एमसी)
2. लेखा परीक्षा समिति (एसी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)
5. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
6. मानव संसाधन समिति (एचआरसी)
7. पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति (ओसीपीबी)
8. धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति (एससीएमएफएफ)
9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)
10. उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)
11. उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीआईडब्ल्यूडी)
12. पारिश्रमिक समिति (आरसी)

बोर्ड की बैठकों के आयोजन से संबंधित बैंक के दिशानिर्देश यथासंभव व्यवहार्यता तक, समिति की बैठकों पर भी लागू होते हैं। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यात्मक प्रमुखों को वांछित विभिन्न विवरण प्रस्तुत करने के लिए समिति द्वारा अपनी बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

1. प्रबंध समिति (एमसी)

प्रबंध समिति बोर्ड की उप-समिति है, जिसे बैंक की आंतरिक समितियों, नामतः, कार्यपालक समिति और ऋण समिति की शक्तियों से अधिक के वाणिज्यिक ऋण एक्सपोज़र को मंजूरी प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एमसी की बैठकें (i) 09 मई, 2024 (ii) 15 जुलाई, 2024 (iii) 27 अगस्त, 2024 (iv) 25 सितंबर, 2024 (v) 30 अक्टूबर, 2024 (vi) 10 दिसंबर, 2024 तथा (vii) 27 जनवरी, 2025 (viii) 28 फरवरी, 2025 (ix) 20 मार्च, 2025 को आयोजित हुई।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री दिनेश कुमार खारा	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 27.08.2024	3	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	9	8
श्री राकेश शर्मा	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	9	0
श्री एम.वी. राव	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	9	2
श्री अश्वनी कुमार	गैर–कार्यपालक निदेशक	13.05.2024 से 31.03.2025	8	2
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	गैर–कार्यपालक निदेशक	28.08.2024 से 31.03.2025	6	1
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर–कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	6	6
सुश्री हर्षा बंगारी	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	9	9
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	9	9
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	28.06.2024 से 31.03.2025	8	8

यथा 09 मई, 2025 को प्रबंध समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशकों के नाम
6(1)(क)	अध्यक्ष	रिक्त
6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
6(1)(कक)	दो उप प्रबंध निदेशक	श्री तरुण शर्मा
		सुश्री दीपाली अग्रवाल
6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के नामिती	श्री राकेश शर्मा
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम. वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार
6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, दो निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

2. लेखा परीक्षा समिति (एसी)

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों के लिए मार्गदर्शन देती है, ताकि एक प्रबंधन माध्यम के रूप में, इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो और बैंक सांविधिक, बाहरी, आंतरिक और संगामी लेखापरीक्षा रिपोर्टों और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। लेखापरीक्षा समिति (एसी) बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करती है।

समिति को बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा समूह के कार्यकलापों के अन्वेषण और इसकी प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा करने, बैंक के लेखों को अंतिम रूप देने और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 6 बैठकें (i) 10 मई, 2024 (ii) 08 अगस्त, 2024 (iii) 06 नवंबर, 2024 (iv) 10 दिसंबर, 2024 (v) 12 फरवरी, 2025 (vi) 26 मार्च, 2025 को आयोजित हुई। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 120 दिनों से अधिक का नहीं रहा।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री दिनेश कुमार खारा	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 27.08.2024	2	1
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	6	5
श्री राकेश शर्मा	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	6	0
श्री एम.वी. राव	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	6	4
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	4	4
श्री अश्वनी कुमार	गैर-कार्यपालक निदेशक	13.05.2024 से 31.03.2025	5	4
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	गैर-कार्यपालक निदेशक	28.08.2024 से 31.03.2025	4	0

यथा 09 मई, 2025 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के नामिती	श्री राकेश शर्मा
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम.वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार
6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

जोखिम प्रबंधन समिति बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक / बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न जोखिम सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करती है और अन्य आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्व की समीक्षा भी करती है। बैंक की ऐसी विभिन्न नीतियां जिनकी बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है और अनुमोदित किया जाता है, उन्हें पहले आरएमसी को समीक्षा और बोर्ड को संस्तुति करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 5 बैठकें, (i) 09 मई, 2024 (ii) 06 अगस्त, 2024, (iii) 06 नवंबर, 2024, (iv) 12 फरवरी, 2025 और (v) 25 मार्च, 2025 को आयोजित हुई।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री दिनेश कुमार खारा	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 27.08.2024	2	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5
श्री राकेश शर्मा	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	5	0
श्री एम. वी. राव	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	5	1

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री अश्वनी कुमार	गैर–कार्यपालक निदेशक	13.05.2024 से 31.03.2025	4	1
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	गैर–कार्यपालक निदेशक	28.08.2024 से 31.03.2025	3	0
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर–कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	3	3
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	28.06.2024 से 31.03.2025	4	4

यथा 09 मई, 2025 को जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
धारा 6(1)(कक)	दो उप प्रबंध निदेशक	1. श्री तरुण शर्मा 2. सुश्री दीपाली अग्रवाल
धारा 6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के नामिती	श्री राकेश शर्मा
धारा 6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
धारा 6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम.वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार
धारा 6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

4. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) मुख्य रूप से बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को बैंक पर लागू विनियमों के अनुरूप बनाने और तदनुसार उन पहलों के कार्यान्वयन की रणनीति बनाने में नीतिगत स्तर पर मार्गदर्शन करती है। आईटीएससी के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रयोजनों और उत्तरदायित्वों में बैंक के आईटी गवर्नैंस एवं सूचना सुरक्षा गवर्नैंस को सुदृढ़ करना, और साइबर सुरक्षा तथा बैंक की डिजिटल पहलों को बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईटीएससी की 4 (चार) बैठकें, (i) 28 जून, 2024 (ii) 25 सितम्बर, 2024 (iii) 10 दिसंबर, 2024 (iv) 25 मार्च, 2025 को आयोजित हुई।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री दिनेश कुमार खारा	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 27.08.2024	1	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	2

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री राकेश शर्मा	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	0
श्री एम.वी. राव	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	2
श्री अश्वनी कुमार	गैर–कार्यपालक निदेशक	13.05.2024 से 31.03.2025	4	1
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	गैर–कार्यपालक निदेशक	28.08.2024 से 31.03.2025	3	0
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर–कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	3	1
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	28.06.2024 से 31.03.2025	3	3

यथा 09 मई, 2025 को आईटीएससी की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
धारा 6(1)(कक)	दो उप प्रबंध निदेशक	1. श्री तरुण शर्मा 2. सुश्री दीपाली अग्रवाल
निम्नलिखित में से कोई तीन:		
धारा 6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
धारा 6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम.वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार
धारा 6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

5. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

एक्ज़िम बैंक के बोर्ड ने 21 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में हितधारक संबंध समिति का गठन किया था। एसआरसी की भूमिका में बैंक के हितधारकों की शिकायतों की निगरानी और उनका समाधान करना शामिल है।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	1	1
श्री एम.वी. राव	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	1	0
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर–कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	1	1
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	1	1
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	28.06.2024 से 31.03.2025	1	1

यथा 09 मई, 2025 को हितधारक संबंध समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
धारा 6(1)(कक)	दो उप प्रबंध निदेशक	1. श्री तरुण शर्मा 2. सुश्री दीपाली अग्रवाल
निम्नलिखित में से कोई तीन:		
धारा 6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
धारा 6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम.वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार
धारा 6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

अनुपालन अधिकारी का नाम और पद : सुश्री सिद्धि केळुसकर, अनुपालन अधिकारी

वर्ष के दौरान प्राप्त और समाधान किए गए शिकायतों से संबंधित विवरण :

वित्तीय वर्ष 2024-25 का दौरान प्राप्त शिकायत/निवेदनों के विवरण निम्नानुसार हैं:	1. वर्ष की शुरूआत में निवेशकों की लंबित शिकायतों की संख्या - शून्य 2. वर्ष के दौरान निवेशकों की प्राप्त शिकायतों की संख्या - शून्य 3. वर्ष के दौरान निवेशकों की निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या - शून्य 4. वर्ष के अंत में निवेशकों की अनसुलझी शिकायतों की संख्या - शून्य

6. मानव संसाधन समिति (एचआरसी)

बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार तथा सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप, एचआर पद्धतियों पर बैंक को केंद्रित मार्गदर्शन सुनिश्चित करने हेतु एचआरसी का गठन किया गया था। इसके प्रमुख उत्तरदायित्वों में बैंक की एचआर नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करना और इस संबंध में बोर्ड को संस्तुति करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एचआरसी की 4 बैठकें (i) 06 मई, 2024 (ii) 06 अगस्त, 2024 (iii) 04 नवंबर, 2024 (iv) 25 मार्च, 2025 को आयोजित हुई।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	वर्ग	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री दिनेश कुमार खारा	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 27.08.2024	2	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	1
श्री एम. वी. राव	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री अश्वनी कुमार	गैर-कार्यपालक निदेशक	13.05.2024 से 31.03.2025	3	0
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	गैर-कार्यपालक निदेशक	28.08.2024 से 31.03.2025	2	0
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	3	3
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4

यथा 09 मई, 2025 को मानव संसाधन समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
धारा 6(1)(कक)	एक उप प्रबंध निदेशक	1. श्री तरुण शर्मा
निम्नलिखित में से कोई तीन:		
धारा 6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
धारा 6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम.वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार
धारा 6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

7. पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति (ओसीपीबी)

बोर्ड द्वारा ओसीपीबी का गठन मार्च 2023 में किया गया था। इस समिति का गठन बैंक के पॉलिसी व्यवसाय (ऋण–व्यवस्था, रियायती वित्तपोषण योजना) की पहलों की निगरानी और संचालन तथा लंबित अतिदेय/ प्रावधानीकरण जैसे मामलों के समाधान में प्रभावी ढंग से दिशा प्रदान करने के लिए किया गया था।

समीक्षा वर्ष के दौरान ओसीपीबी की 4 बैठकें (i) 08 मई, 2024 (ii) 05 अगस्त, 2024 (iii) 04 नवंबर, 2024 और (iv) 06 फरवरी, 2025 को आयोजित हुई।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
सुश्री हर्षा बंगारी	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	1	1
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	28.06.2024 से 31.03.2025	3	3
श्री दम्मू रवि	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
सुश्री अपर्णा भाटिया	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री एम. वी. राव	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	3

यथा 09 मई, 2025 को पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
6(1)(क)	अध्यक्ष	रिक्त
6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
6(1)(कक)	उप प्रबंध निदेशक	सुश्री दीपाली अग्रवाल
6(1)(ङ)(i)	केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक, जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं	1. श्री दम्मू रवि 2. सुश्री अपर्णा भाटिया 3. डॉ. अभिजीत फुकन
धारा 6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन में से एक निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम.वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार

8. धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति (एससीएमएफएफ)

एससीएमएफएफ 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत खातों की समीक्षा करती है और समीक्षा के उपरांत इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एससीएमएफएफ की 2 बैठकें, 08 अगस्त, 2024 और 12 फरवरी, 2025 को हुई।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री दिनेश कुमार खारा	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 27.08.2024	1	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री राकेश शर्मा	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	2	0
श्री एम. वी. राव	गैर-कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	2	0
श्री अश्वनी कुमार	गैर-कार्यपालक निदेशक	13.05.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	गैर-कार्यपालक निदेशक	28.08.2024 से 31.03.2025	1	0
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	1	1
सुश्री हर्षा बंगारी	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	2	0
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	28.06.2024 से 31.03.2025	2	0

यथा 09 मई, 2025 को धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार हैः :

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशकों के नाम
6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
6(1)(ङ)(ii)	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति से कोई भी दो सदस्य	यथा 09 मई, 2025 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना क्रमांक 2 पर 'लेखा परीक्षा समिति' शीर्षक के अंतर्गत संदर्भित है।
6(1)(ङ)(iii)	निदेशक मंडल से आरबीआई नामिती निदेशक को छोड़कर कोई भी दो सदस्य	यथा 09 मई, 2025 निदेशक मंडल की संरचना 'निदेशक मंडल' शीर्षक के अंतर्गत संदर्भित है।

9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)

बोर्ड द्वारा सीएसआरसी का गठन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 14/2021 में निर्धारित अनुसार, और सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप, सीएसआर के अंतर्गत पहलों को शामिल करने, उनकी समीक्षा करने और उनकी संस्तुति करने के लिए किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआरसी की 3 (तीन) बैठकें अर्थात (i) 09 मई, 2024 (ii) 04 नवंबर, 2024 (iii) 25 मार्च, 2025 को हुई।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री दिनेश कुमार खारा	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 27.08.2024	1	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	3	3
श्री एम.वी. राव	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	3	2
श्री अश्वनी कुमार	गैर–कार्यपालक निदेशक	13.05.2024 से 31.03.2025	2	0
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	गैर–कार्यपालक निदेशक	28.08.2024 से 31.03.2025	2	0
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर–कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	2	2
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	3	3
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	3	3
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	28.06.2024 से 31.03.2025	2	2

यथा 09 मई, 2025 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
6(1)(कक)	दो उप प्रबंध निदेशक	1. श्री तरुण शर्मा 2. सुश्री दीपाली अग्रवाल
निम्नलिखित में से कोई दो:		
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम.वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार
6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

10. उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)

आरसीएनसीबी, उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करती है और उनकी पुष्टि करती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई है।

यथा 09 मई, 2025 को उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी समीक्षा समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
निम्नलिखित में से कोई दो:		
6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री राकेश शर्मा
6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम.वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ङ)(iii)	चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

11. उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीआईडब्ल्यूडी)

आरसीआईडब्ल्यूडी, उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करती है और उनकी पुष्टि करती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

यथा 09 मई, 2025 को उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति की संरचना नीचे दिए अनुसार रही:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
निम्नलिखित में से कोई दो:		
6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के नामिती	श्री राकेश शर्मा
6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम.वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ङ)(iii)	चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

12. पारिश्रमिक समिति (आरसी)

बोर्ड द्वारा 22 मार्च, 2024 को आयोजित बैठक में 'पारिश्रमिक समिति' (आरसी) का गठन किया गया। आरसी का गठन बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबंध निदेशक अथवा बोर्ड की उपसमितियों को सीधे रिपोर्ट करने वाले अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा और प्रोत्साहनों से संबंधित मामलों का समाधान करने के प्रयोजन से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आरसी की 2 (दो) बैठकें (i) 10 मई, 2024 और (ii) 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित हुईं।

निदेशकों के अपने–अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री दिनेश कुमार खारा	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 27.08.2024	1	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	2	0
श्री एम. वी. राव	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	2	1
श्री राकेश शर्मा	गैर–कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	2	0
श्री अश्वनी कुमार	गैर–कार्यपालक निदेशक	13.05.2024 से 31.03.2025	1	0
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	गैर–कार्यपालक निदेशक	28.08.2024 से 31.03.2025	1	0
श्री अशोक कुमार गुप्ता	गैर–कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	2	2

यथा 09 मई, 2025 को आरसी की संरचना नीचे दिए अनुसार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
6(1)(ङ)(i)	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक केंद्र सरकार के अधिकारी हैं	डॉ. अभिजीत फुकन
निम्नलिखित में से कोई तीन:		
6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित	श्री राकेश शर्मा
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 2. श्री एम.वी. राव 3. श्री अश्वनी कुमार
6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

वरिष्ठ प्रबंधन

बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित विवरण वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 14 में दिया गया है।

पारिश्रमिक नीति

निदेशकों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क और भत्ते (यथा लागू) एक्ज़िम बैंक अधिनियम और एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार हैं।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी को भुगतान किया गया पारिश्रमिक (अन्य भत्तों और परिलब्धियों सहित) ₹ 58.67 लाख और बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री तरुण शर्मा को ₹ 40.16 लाख तथा सुश्री दीपाली अग्रवाल को ₹ 36 लाख रहा।

बैंक के गैर-सरकारी निदेशकों को देय शुल्क:

बैठकें	प्रति बैठक देय शुल्क
बोर्ड	₹ 40,000 (बोर्ड की अध्यक्षता के लिए ₹ 10,000 अतिरिक्त)
बोर्ड की उप-समिति	₹ 20,000 (अध्यक्षता के लिए ₹ 5,000 अतिरिक्त)

नोट: एक्ज़िम बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक और सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी भी बैठक में शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गैर-सरकारी निदेशकों को भुगतान किया गया कुल बैठक शुल्क:

निदेशक का नाम	बैठक शुल्क
श्री अशोक कुमार गुप्ता	₹ 8,45,000

टिप्पणियां :

- बैंक के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, उनमें से किसी के पास यथा 31 मार्च, 2025 को एक्ज़िम बैंक की कोई भी प्रतिभूतियां नहीं रहीं;
- स्टॉक ऑप्शन्स - लागू नहीं;
- यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के ऋणों से संबंधित जानकारी के लिए वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियां के "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" संबंधी "टिप्पणी 21" का संदर्भ लीजिए।
- पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को किसी भी निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया गया।
- चूंकि पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए नोटिस अवधि और सेवरैंस शुल्क लागू नहीं होते हैं।

संचार के साधन:

एक्ज़िम बैंक के तिमाही/अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय परिणाम बिज़नेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिंदी- सभी संस्करण) में प्रकाशित किए गए थे। वित्तीय परिणाम, प्रेस विज्ञप्तियां और अन्य आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां बैंक की वेबसाइट (https://www.eximbankindia.in/Hindi) पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

सामान्य जानकारी

एक्ज़िम बैंक, भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 के जरिए स्थापित और प्रशासित है और यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। तथापि, एक "उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध इकाई' होने के कारण, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधान अनुपालन के लिए एक्ज़िम बैंक पर भी लागू होते हैं।

1	**वार्षिक आम बैठक**	लागू नहीं			
2	**वित्तीय वर्ष 2024–25**	**तिमाही/वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक परिणामों की समीक्षा/ अंगीकरण**	**बोर्ड बैठक की तारीख**	**प्रकाशन की तिथि**	**समाचार पत्र का नाम**
		30 जून, 2024 (तिमाही परिणाम)	08 अगस्त, 2024	09 अगस्त, 2024	बिज़नेस स्टैंडर्ड
		30 सितंबर, 2024 (तिमाही और छमाही परिणाम)	06 नवंबर, 2024	08 नवंबर, 2024	बिज़नेस स्टैंडर्ड
		31 दिसंबर, 2024 (तिमाही परिणाम)	12 फरवरी, 2025	13 फरवरी, 2025	बिज़नेस स्टैंडर्ड
		31 मार्च, 2025 (तिमाही और वार्षिक परिणाम)	09 मई, 2025	13 मई, 2025	बिज़नेस स्टैंडर्ड
		तिमाही/वार्षिक परिणामों के लिए वेबलिंक: https://www.eximbankindia.in/hindi/investor-relations			
3	**लाभांश भुगतान की तरीख**	एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। निवल लाभ शेष राशि, निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को अंगीकृत किए जाने के बाद केंद्र सरकार को अंतरित की जाती है।			
4	**स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग**	एक्ज़िम बैंक की ऋण प्रतिभूतियां नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्टेड हैं। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, सी–1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051 वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को किया गया है।			
5	**स्टॉक कोड**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक, निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय (नॉन–कन्वर्टिबल), अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।			
6	**बाजार मूल्य डेटा – पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक महीने के दौरान उच्च, निम्न**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। इसके अलावा, एक्ज़िम बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय (नॉन–कन्वर्टिबल), अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।			
7	**बीएसई सेंसेक्स, क्रिसिल इंडेक्स आदि जैसे व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन।**	लागू नहीं			
8	**यदि प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित कर दिया जाता है, तो निदेशकों की रिपोर्ट में उसके कारण स्पष्ट किए जाएं**	लागू नहीं			

9	**किसी निर्गम और शेयर ट्रान्सफर एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार**	डेटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड पता: प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी क्रॉस लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र, 400093 ईमेल: sunny_abraham@datamaticsbpm.com टेलीफोन: 022-66712001, 022-66719645 एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और आवंटन, हस्तांतरण और शमन के संबंध में सभी गतिविधियों का रखरखाव डेटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
10	**शेयर हस्तांतरण प्रणाली**	नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और आवंटन, हस्तांतरण और शमन के संबंध में सभी गतिविधियां केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं।
11	**शेयरधारिता का वितरण और शेयरों और लिक्विडिटी का अमूर्तिकरण (डिमैटेरिअलाइजेशन)**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।
12	**बकाया वैश्विक डिपॉज़िटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉज़िटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।
13	**कमोडिटी मूल्य जोखिम**	लागू नहीं
	या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां	"वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियां" की "टिप्पणी 10. डेरिवेटिव" का संदर्भ लीजिए।
14	**संयंत्र का स्थान**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक का प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005 में स्थित है। बैंक के बारह घरेलू क्षेत्रीय कार्यालय हैं और आठ विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय हैं तथा विदेश में एक शाखा (लंदन में) है।
15	**पत्राचार के लिए पता**	एक्ज़िम बैंक का प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005 में स्थित है।

16 **किसी सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपने सभी ऋण इंस्ट्रूमेंट्स या किसी भी सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों को भारत या विदेश में लगाने की किसी योजना या प्रस्ताव के संबंध में संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त इकाई द्वारा हासिल की गई सभी क्रेडिट रेटिंग, और उनमें हुए किसी भी तरह के संशोधनों की सूची**

इन्स्ट्रूमेंट	क्रिसिल (पुनः पुष्टि)	इक्रा (पुनः पुष्टि)
बॉन्ड	क्रिसिल एएए; स्थिर	इक्रा एएए; स्थिर
दीर्घावधि जमा प्रमाणपत्र	क्रिसिल एएए; स्थिर	इक्रा एएए; स्थिर
अल्पावधि जमा प्रमाणपत्र	क्रिसिल ए1+	इक्रा ए1+
वाणिज्यिक पत्र	क्रिसिल ए1+	इक्रा ए1+
बैंक ऋण सुविधाएं	क्रिसिल एएए; स्थिर	इक्रा एएए; स्थिर
मीयादी जमा	क्रिसिल एएए; स्थिर	इक्रा एएए; स्थिर
टियर 1 बॉन्ड (बासेल III के तहत)	क्रिसिल एए+; स्थिर	इक्रा एए+; स्थिर

रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि/ अल्पावधि	रेटिंग	रेटिंग दिनांक	आउटलुक
मूडीज़	दीर्घावधि	बीएए3	06/08/2024	स्थिर
फिच	दीर्घावधि	बीबीबी–	13/05/2024	स्थिर
एस एंड पी	दीर्घावधि	बीबीबी–	28/08/2024	धनात्मक
जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि	बीबीबी+	19/03/2025	स्थिर

अन्य प्रकटीकरण:

1	**प्रमुख रूप से उल्लेखनीय ऐसे संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शनों पर प्रकटीकरण, जिनमें व्यापक रूप से सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है:**	'वित्तीय विवरण के लेखों पर टिप्पणियां' की 'टिप्पणी 21. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' का संदर्भ लीजिए।
2	**पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध इकाई द्वारा अनुपालन के चलते स्टॉक एक्सचेंज(जों) या बोर्ड या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंड या बाध्यता का विवरण:**	एक्ज़िम बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है। स्टॉक एक्सचेंज या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा एक्ज़िम बैंक पर कोई दंड, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
3	**सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण / सचेतक (विसल ब्लोअर) नीति, और पुष्टि कि कोई भी कर्मी ऑडिट समिति तक पहुंच से वंचित नहीं रहा:**	बैंक ने एक सतर्कता तंत्र और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति (विसल ब्लोअर नीति) लागू की है, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.eximbankindia.in/Hindi/
4	**अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण :**	लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17-27 के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंड, 31 मार्च, 2025 तक अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू हैं।
5	**सेबी विनियमों के अनुसार नीतियों के लिए वेब लिंक:** • **निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता संबंधी नीति।** • **महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी (मैटीरियल सब्सिडियरी)** • **संबंधित पक्ष ट्रांजैक्शनों के प्रभाव संबंधी नीति।** • **अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता और प्रक्रियाओं संबंधी नीति।** • **नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग विनियमन, निगरानी और रिपोर्ट करने तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता।**	बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां यहां उपलब्ध हैं: htt{s://www.eximbankindia.in/investor-relations
6	**कमोडिटी मूल्य जोखिमों और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण।**	लागू नहीं

7	**विनियम 32 (7क) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन अथवा अर्हता प्राप्त संस्थाओं के नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण।**	लागू नहीं एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय अप्रतिभूतित डिबेंचरों के रूप में प्रतिभूतियां जारी करता है।
8	**जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी समिति की कोई भी संस्तुति स्वीकार नहीं की है, जो संबंधित वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से अपेक्षित है, उसका प्रकटीकरण कारण सहित किया जाए** **परन्तु यह खंड केवल वहीं लागू होगा जहां निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए समिति द्वारा संस्तुति / प्रस्तुतीकरण अपेक्षित हो और यह वहां लागू नहीं होगा, जहां इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी ट्रांज़ैक्शन के लिए संबंधित समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो**	शून्य
9	**सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को सभी सेवाओं के लिए समेकित आधार पर भुगतान किया गया कुल शुल्क**	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने वित्तीय विवरणों की सीमित समीक्षा (विव 2024-25 की पहली और दूसरी तिमाही), कर लेखा परीक्षा (विव 2023-24) और अन्य प्रमाणनों (फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति सहित) सहित सांविधिक लेखा परीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों के संबंध में मैसर्स जीएमजे एंड कंपनी (पूर्ववर्ती), सांविधिक लेखा परीक्षकों को कुल ₹49,03,438.40 (टीडीएस का निवल) के शुल्क का भुगतान किया है। इसके अलावा, बैंक ने वर्तमान सांविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स एम के पी एस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी (विव 31 मार्च, 2025 के लिए भारत सरकार द्वारा नवंबर 2024 में नियुक्त) को कुल ₹ 5,30,000/- के शुल्क (टीडीएस का निवल) का भुगतान किया है।
10	**कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण**	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - शून्य वित्तीय वर्ष के दौरान निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या-शून्य वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - शून्य
11	**सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उन फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिमों का प्रकटीकरण, जिनमें निदेशकों का नाम है और उनका मौद्रिक हित है;** **परंतु यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी:**	लागू नहीं
12	**सूचीबद्ध इकाई की प्रमुख सहायक कंपनियों का विवरण; निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों का नाम और की नियुक्ति तिथि**	शून्य बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का विवरण: इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (एक्ज़िम फिनसर्व), भारतीय निर्यात-आयात बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे यथा 31 मार्च, 2025 को भौतिक सहायक कंपनी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं है।

प्रबंध निदेशक का प्रमाण पत्र/घोषणा

मैं घोषणा करती हूं कि बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं यह भी घोषणा करती हूं कि बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते भारतीय निर्यात-आयात बैंक

हस्ताक्षरित/-

(हर्षा बंगारी)

प्रबंध निदेशक

प्रपत्र संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

01-04-2024 से 31-03-2025 तक की अवधि के लिए

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24क के अनुसार]

प्रति,

सदस्यगण,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400005, महाराष्ट्र

हमने **भारतीय निर्यात-आयात बैंक** (आगे "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचार/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

बैंक के बही-खातों, दस्तावेजों, मिनट बुक और दाखिल किए गए रिटर्न और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य के दौरान बैंक तथा बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 1 अप्रैल, 2024 से 31, मार्च 2025 तक की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और हम यह रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, मिनट बुक, और फाइल किए गए रिटर्न और और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

i. भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्ज़िम बैंक अधिनियम");

ii. भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020;

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; **(लागू नहीं हैं क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित नहीं है);**

iv. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (लागू सीमा तक)

v. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम (लागू सीमा तक);

vi. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक

vii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; **(लागू सीमा तक)**

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 और समय-समय पर यथासंशोधित **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021; **(लागू सीमा तक)**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; **(लागू सीमा तक)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम, 2009: **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाय–बैक) विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) और बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग करार; **(लागू सीमा तक)**।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक एक उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई है, इसलिए अध्याय IV के प्रावधान 31 मार्च, 2025 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' आधार पर लागू होंगे।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर उपरोक्त एक्ज़िम बैंक अधिनियम, नियम, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अनुसरण में निदेशक मंडल में केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष (गैर–कार्यपालक) की नियुक्ति प्रतीक्षित है। एक्ज़िम बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत नियुक्त प्रबंध निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। तथापि, बैंक अपने बोर्ड में रिक्तियों को भरने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के साथ मासिक आधार पर संपर्क में रहता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

एक्ज़िम बैंक के निदेशक मंडल का गठन एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विधिवत किया गया है, जिसमें कार्यपालक निदेशकों और गैर–कार्यपालक निदेशक निदेशकों के पद हैं और इसे उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक पर लागू सीमा तक सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप देखा जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे एक्ज़िम बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में और नियुक्तियों/नामांकन आदेशों के अनुसार रहे।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट पर्याप्त समय रहते भेजे गए, और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है।

निदेशकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, कार्यसूची मदों पर आवश्यक सूचना / स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है, ताकि बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। संबंधित बैठक में हुई चर्चाओं को उचित रूप से दर्ज किया जाता है और उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालनों के अनुरूप, बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में कोई विशिष्ट घटना या कार्रवाई नहीं रही जो उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के कार्यों पर प्रभाव डाल सकती है।

- यथा 20 जून, 2023 को गुजरात इंटरनैशल फायनैंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में भारतीय निर्यात–आयात बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड** का निगमन।

1. बैंक ने 13 दिसंबर, 2024 को डिबेंचर ('बॉन्ड/डिबेंचर') के रूप में ₹ 1 लाख के अंकित मूल्य वाले 2,50,000 रेटेड, लिस्टेड, अप्रतिभूतित, प्रतिदेय, कर योग्य, नॉन–कन्वर्टिबल प्रतिभूतियां आवंटित कीं। 7.14% की वार्षिक देय कूपन दर का यह निर्गम निजी नियोजन के आधार पर ₹ 2,500 करोड़ का था और समान मूल्य पर प्रतिदेय था।

2. बैंक ने 27 जनवरी, 2025 को डिबेंचर ('बॉन्ड/डिबेंचर') के रूप में ₹ 1 लाख के अंकित मूल्य वाले 2,50,000 रेटेड, लिस्टेड, अप्रतिभूतित, प्रतिदेय, कर योग्य, नॉन–कन्वर्टिबल प्रतिभूतियां आवंटित कीं। 7.35% की वार्षिक देय कूपन दर का यह निर्गम निजी नियोजन के आधार पर ₹ 2,500 करोड़ का था और समान मूल्य पर प्रतिदेय था।

3. बैंक ने 27 मार्च, 2025 को डिबेंचर ('बॉन्ड/डिबेंचर') के रूप में ₹ 1 लाख के अंकित मूल्य वाले 2,35,000 रेटेड, लिस्टेड, अप्रतिभूतित, प्रतिदेय, कर योग्य, नॉन–कन्वर्टिबल प्रतिभूतियां आवंटित कीं। 7.12% की वार्षिक देय कूपन दर का यह निर्गम निजी नियोजन के आधार पर ₹ 2,350 करोड़ का था और समान मूल्य पर प्रतिदेय था।

4. बैंक के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

   क. गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अश्वनी कुमार की नियुक्ति, जो 13 मई, 2024 से प्रभावी हुई।

   ख. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री विपुल बंसल का कार्यकाल 20 मई, 2024 को पूरा हो गया।

   ग. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री सिद्धार्थ महाजन का कार्यकाल 20 मई, 2024 को पूरा हो गया।

   घ. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री आर. सुब्रमणियन का कार्यकाल 31 मई, 2024 को पूरा हो गया।

   ङ. कार्यपालक निदेशक के रूप में सुश्री दीपाली अग्रवाल की नियुक्ति, जो 28 जून, 2024 से प्रभावी हुई।

   च. गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल 27 अगस्त, 2024 को पूरा हो गया।

   छ. गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की नियुक्ति, जो 28 अगस्त, 2024 से प्रभावी हुई।

   ज. गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अर्णब कुमार चौधरी की नियुक्ति, जो 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हुई।

   झ. गैर–कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अशोक कुमार गुप्ता का कार्यकाल 20 दिसंबर, 2024 को पूरा हो गया।

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षरित/–
रागिनी चोकशी
(कंपनी सचिव / पार्टनर)
सी.पी. संख्या: 1436
एफसीएस संख्या: 2390

स्थान: मुंबई — पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 4166 / 2023
दिनांक: 09 मई, 2025 — यूडीआईएन: एफ002390जी000307596

इस रिपोर्ट को इसी तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक "क"

प्रति,

सदस्यगण,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400005, महाराष्ट्र

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की परिशुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा विश्वास है कि हम जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करते हैं, वे हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और बही खातों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के संबंध में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. यह सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षरित/-
रागिनी चोकशी
(पार्टनर)
सी.पी. संख्या: 1436
एफसीएस संख्या: 2390
पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 4166 / 2023
यूडीआईएन: एफ002390जी000307596

स्थान: मुंबई
दिनांक: 09 मई, 2025

भारतीय निर्यात–आयात बैंक की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24क के अंतर्गत सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर / सीएफडी/सीएमडी 1 / 27 / 2019 दिनांकित 08 फरवरी, 2019 के साथ पठित]

हमने निम्नलिखित की जांच की है:

(क) हमें भारतीय निर्यात–आयात बैंक ("उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई") द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण,

(ख) इस सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई फाइलिंग / प्रस्तुतीकरण,

(ग) इस सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट

(घ) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज / फाइलिंग, जिस पर इस प्रमाणन को बनाने के लिए निर्भर रहा गया है,

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष ("समीक्षा अवधि") के लिए निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में

(क) भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्ज़िम बैंक अधिनियम");

(ख) भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और इसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश और

(घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए), इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश **(लागू सीमा तक)**

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों की जांच की गई है, में निम्नलिखित शामिल हैं: –

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और समय–समय पर यथासंशोधित; **(लागू सीमा तक)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 और समय–समय पर यथासंशोधित; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और समय–समय पर यथा संशोधित; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लेना (बाय–बैक) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम–जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 और समय–समय पर यथासंशोधित; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन–कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021 और समय–समय पर यथा संशोधित; **(लागू सीमा तक)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय मोचनीय (नॉन–कन्वर्टिबल रिडीमेबल) अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 और समय–समय पर यथासंशोधित; **(लागू सीमा तक)**

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 **(लागू सीमा तक)**;

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि) विनियम, 2009 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

(ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; **(लागू सीमा तक)**

हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान इस सूचीबद्ध इकाई की अनुपालन स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां
1	**सचिवीय मानक:** इस सूचीबद्ध इकाई के अनुपालन, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुसार हैं।	लागू नहीं	यह लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित नहीं है।
2	**नीतियों का अंगीकरण और समय पर अपडेशन:** • सेबी विनियमों के अंतर्गत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल के अनुमोदन से अंगीकृत किया जाता है। • सभी नीतियां सेबी विनियमों के अनुरूप हैं और सेबी द्वारा जारी विनियमों / परिपत्रों / दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है और इन्हें समय पर अपडेट किया गया है।	हां	कोई नहीं
3	**वेबसाइट रखरखाव और प्रकटीकरण:** • इस सूचीबद्ध इकाई की कार्यात्मक वेबसाइट है । • वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन के तहत दस्तावेजों / सूचनाओं का समय पर प्रसार किया जाता है। • विनयम 27(2) के अंतर्गत वार्षिक कॉर्पोरेट गवर्नैंस रिपोर्ट में प्रदान किए गए वेब-लिंक सटीक और विशिष्ट हैं, जो वेबसाइट के संबंधित दस्तावेज / सेक्शन पर ले जाते हैं।	हां	कोई नहीं
4	**निदेशक की निरहर्ता:** बैंक का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निरर्ह नहीं है।	हां	बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शासित है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 लागू नहीं होता है।
5	**सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों से संबंधित विवरणों की जांच करने के लिए:** (क) मैटीरियल सहायक कंपनियों का चिह्नीकरण (ख) मैटीरियल और अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण के संबंध में अपेक्षाएं	हां	बैंक की कोई मैटीरियल सहायक कंपनी नहीं है और बैंक ने अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यकता का अनुपालन किया है।
6	**दस्तावेजों का संरक्षण:** यह सूचीबद्ध इकाई सेबी विनियमों के अंतर्गत निर्धारित रिकॉर्डों का संरक्षण और रखरखाव कर रही है और सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित, "दस्तावेजों का संरक्षण नीति' और "अभिलेखीय नीति' के अनुसार रिकॉर्डों का निस्तारण कर रही है।	हां	कोई नहीं
7	**निष्पादन मूल्यांकन:** इस सूचीबद्ध इकाई ने सेबी विनियमों में निर्धारित अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों का निष्पादन मूल्यांकन किया है।	लागू नहीं	यह लागू नहीं है, क्योंकि सभी निदेशकों को एक्ज़िम बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है। पूर्णकालिक निदेशकों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रमुख निष्पादन संकेतकों के साथ निष्पादन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किया जाता है।

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां
8	**संबंधित पक्ष ट्रांज़ेक्शनः** (क) इस सूचीबद्ध इकाई ने सभी संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शनों के लिए लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है (ख) यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, तो सूचीबद्ध इकाई लेखा परीक्षा समिति द्वारा ट्रांज़ैक्शन को बाद में अनुमोदित/ सत्यापित / अस्वीकृत किए जाने की पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान करेगी।	हां	संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शनों के लिए लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट किया जाता है और लेखों पर टिप्पणियों के हिस्से के रूप में वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रकट किया जाता है।
9	**घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरणः** इस सूचीबद्ध इकाई ने सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ विनियम 30 के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रकटीकरण इसके तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान किए हैं।	लागू नहीं	सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 का विनियम 30 बैंक पर लागू नहीं है। तथापि, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियमन 51 के अनुसार समय पर प्रकटीकरण प्रस्तुत किए गए।
10	**इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेधः** इस सूचीबद्ध इकाई द्वारा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) का अनुपालन किया गया है।	हां	कोई नहीं
11	**सेबी या स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई होः** इस सूचीबद्ध इकाई / इसके प्रवर्तकों / निदेशकों / सहायक कंपनियों के विरुद्ध सेबी विनियमों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं सहित) के अंतर्गत सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेबी या स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा की गई कोई कार्रवाई नहीं पाई गई।
12	**अतिरिक्त अननुपालन, यदि कोई होः** सेबी के सभी विनियमों / परिपत्र / मार्गदर्शन नोट आदि के संबंध में कोई अतिरिक्त अननुपालन नहीं पाया गया।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई अननुपालन नहीं पाया गया।

8 अक्टूबर, 2019 के सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/114/2019 के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं और उनकी मैटीरियल सहायक कंपनियों से सांविधिक लेखा परीक्षकों के त्यागपत्र से संबंधित अनुपालनः

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां / नहीं / लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां
1	**लेखा परीक्षक की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के समय निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन**		
	i. यदि लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर त्यागपत्र दे दिया है, तो ऐसे त्यागपत्र से पहले लेखा परीक्षक ने ऐसी तिमाही के लिए सीमित समीक्षा / लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है; या	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
	ii. यदि लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 45 दिनों के बाद त्यागपत्र दिया है, तो ऐसे त्यागपत्र से पहले लेखा परीक्षक ने ऐसी तिमाही के साथ-साथ अगली तिमाही के लिए सीमित समीक्षा / लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है; या	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
	iii. यदि लेखा परीक्षक ने किसी वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के लिए सीमित समीक्षा / लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऐसे त्यागपत्र से पहले लेखा परीक्षक ने ऐसे वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए सीमित समीक्षा/ लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
2	**लेखा परीक्षक की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के समय निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन**		
	i. लेखा परीक्षा समिति को सूचीबद्ध इकाई / उसकी मैटीरियल सहायक कंपनी के संबंध में लेखा परीक्षक की चिंता के विषयों की रिपोर्टिंगः क. ऐसे किसी भी मामले में जिसमें सूचीबद्ध इकाई / मैटीरियल सहायक कंपनी के प्रबंधन को लेकर कोई चिंता का विषय रहा हो जैसे- सूचना की अनुपलब्धता / प्रबंधन द्वारा असहयोग, जिससे लेखा परीक्षा प्रक्रिया बाधित हुई हो, लेखा परीक्षक ने सूचीबद्ध इकाई की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क किया है और लेखा परीक्षा समिति द्वारा तिमाही लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की विशेष रूप से प्रतीक्षा किए बिना, चिंता के ऐसे विषयों को सीधे और तुरंत लिया जाएगा। ख. यदि लेखा परीक्षक द्वारा त्यागपत्र देने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो प्रस्तावित त्यागपत्र के संबंध में सभी चिंताओं को संबंधित दस्तावेजों के साथ लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रस्तावित त्यागपत्र कंपनी से सूचना / स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण है, लेखा परीक्षक ने मांगी और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई जानकारी / स्पष्टीकरण के विवरण के बारे में लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां / नहीं / लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां
	ग. लेखा परीक्षा समिति / निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो, ने उपर्युक्त अनुसार त्यागपत्र देने के प्रस्ताव से संबंधित लेखा परीक्षक से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मामले पर विचार–विमर्श किया और प्रबंधन तथा लेखा परीक्षक को अपने विचारों से अवगत कराया।		
	ii. जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में अस्वीकरणः लेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ऐसे मामलों में उपयुक्त अस्वीकरण प्रदान किया है, जिनमें सूचीबद्ध इकाई / उसकी मैटीरियल सहायक कंपनी ने लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित अनुसार जानकारी प्रदान नहीं की है, जो आईसीएआई / एनएफआरए द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप है।		
3	सूचीबद्ध इकाई / इसकी सहायक कंपनी ने त्यागपत्र देने पर लेखा परीक्षक से 18 अक्टूबर, 2019 के सेबी परिपत्र सीआईआर /सीएफडी / सीएमडी1/ 114 / 2019 अनुलग्नक–क में निर्दिष्ट प्रारूप में सूचना प्राप्त की है।	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं

सूचीबद्ध इकाई ने नीचे विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, उपर्युक्त विनियमों और उनके तहत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया हैः–

क्र सं.	अनुपालन अपेक्षा (विनियम/ परिपत्र/ दिशा–निर्देश सहित विशिष्ट खंड)	विनियम/ परिपत्र	विचलन	जिनके द्वारा कार्रवाई की गई	कार्रवाई का प्रकार	उल्लंघन का विवरण	दंड राशि	कार्यरत कंपनी सचिव के ऑब्ज़र्वेशन/ टिप्पणियां	प्रबंधन की प्रतिक्रिया	टिप्पणियां
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसे कोई मामले नहीं हैं।										

टिप्पणियां

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक एक उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई है, इसलिए अध्याय IV के प्रावधान 31 मार्च, 2025 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' आधार पर लागू होंगे;

   संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, बैंक भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 और भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 द्वारा शासित है। इस प्रकार, उपरोक्त अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की प्रयोज्यता पर प्राथमिकता दी जाती है।

   सूचीबद्ध इकाई ने पिछली रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की हैः

क्र. सं.	अनुपालन अपेक्षा (विनियम/ परिपत्र/ दिशा–निर्देश सहित विशिष्ट खंड)	विनियम/ परिपत्र	विचलन	जिनके द्वारा कार्रवाई की गई	कार्रवाई का प्रकार	उल्लंघन का विवरण	दंड राशि	कार्यरत कंपनी सचिव के ऑब्ज़र्वेशन/ टिप्पणियां	प्रबंधन प्रतिक्रिया	टिप्पणियां
लागू नहीं										

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**

(कंपनी सचिव)

फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षरित/–

रागिनी चोकशी

(पार्टनर)

सी.पी. संख्याः 1436

एफसीएस संख्याः 2390

स्थानः मुंबई — पीआर प्रमाण पत्र संख्याः 4166/2023

दिनांक: 09 मई, 2025 — यूडीआईएन:एफ002390Oजी000307673

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रमाण पत्र

[सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग ङ के अनुसार]

प्रति,
सदस्यगण,
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई 400 005, महाराष्ट्र

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (ख) से (i), विनियम 62 और इसकी अनुसूची के पैरा–ग, घ और ङ में निर्धारित अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय निर्यात–आयात बैंक ('बैंक') द्वारा एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक पर लागू सीमा तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, बैंक भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (एक्ज़िम बैंक अधिनियम) और भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 (एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियम) द्वारा अभिशासित है। इस प्रकार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर और अनुपालन, उस सीमा तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विशिष्ट विनियमों के अनुसार हैं, जब तक कि वे एक्ज़िम बैंक अधिनियम और एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक एक उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई है, इसलिए अध्याय IV के प्रावधान 31 मार्च, 2025 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' आधार पर लागू होंगे।

हम यह उल्लेख भी करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षरित/–
रागिनी चोकशी
(कंपनी सचिव / पार्टनर)
एफसीएस संख्याः 2390
सी.पी. संख्याः 1436
पीआर प्रमाण पत्र संख्याः 4166/2023
यूडीएन:एफ002390जी000307849

स्थानः मुंबई
दिनांक: 09 मई, 2025

निदेशकों की निरर्हता का प्रमाण पत्र

[सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3)
और अनुसूची पैरा ग खंड (10) (i) के अनुसार]

प्रति

सदस्यगण,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई 400005, महाराष्ट्र

हमने इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची के पैरा ग खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्ज़िम बैंक अधिनियम") के अनुसार, केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई 400 005 में अपने प्रधान कार्यालय वाले भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित रजिस्टरों, रिकॉर्डों, फॉर्मों, रिटर्नों और निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरण की जांच की है।

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्कृष्ट जानकारी के अनुसार, और पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सत्यापित स्थिति के अनुसार (निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित और बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड में नीचे उल्लिखित अनुसार किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों / बैंकों के निदेशकों के रूप में नियुक्त होने या इस पद पर बने रहने के लिए निरर्ह घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	सुश्री हर्षा बंगारी	01807838	08-09-2021
2.	श्री तरुण शर्मा	-	18-04-2023
3.	सुश्री दीपाली अग्रवाल	05103218	28-06-2024
4.	श्री दम्मू रवि	-	20-09-2021
5.	सुश्री हिमानी पांडे	03472356	25-05-2023
	श्री सिद्धार्थ महाजन	03349759	20-05-2024
	सुश्री अपर्णा भाटिया	09402061	10-11-2023
6.	डॉ. अभिजीत फुकन	-	30-06-2023
7.	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	10375617	16-11-2023
8.	श्री अर्णब कुमार चौधरी	-	10-10-2024
9.	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	08335249	28-08-2024
10.	श्री राकेश शर्मा	06846594	21-12-2018
11.	श्री एम.वी. राव	06930826	21-09-2022
13.	श्री अश्वनी कुमार	10344636	13-05-2024

बैंक के बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/नामांकन एक्ज़िम बैंक अधिनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार, केंद्र सरकार/संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर अभिमत व्यक्त करना है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षरित/-
रागिनी चोकशी
(कंपनी सचिव / पार्टनर)
एफसीएस संख्या: 2390
सी.पी. संख्या: 1436
पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 4166/2023
यूडीआईएन:एफ002390जी000307783

स्थान: मुंबई
दिनांक: 09 मई, 2025

एकल वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा,
भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की **सामान्य निधि** के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा **31 मार्च, 2025** को तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि लेखे एवं एकल नकदी प्रवाह विवरण और एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये एकल वित्तीय विवरण एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14 (i) में वांछित अनुसार, यथा 31 मार्च 2025 को बैंक की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और नकदी प्रवाह विवरण संबंधी स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं और ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में आगे 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता और एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से जुड़ी नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप, बैंक से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे एकल वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले वे हैं, जो हमारे प्रोफेशनल निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के रहे। इन मामलों का समाधान, संपूर्ण रूप में, एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उस पर हमारा अभिमत बनाने के संदर्भ में किया गया और हम उन मामलों के संबंध में अलग से अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में नीचे दिए गए मामलों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों के रूप में वर्णित करने का निर्णय लिया हैः

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
1	**अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधानीकरणः** अग्रिम, बैंक की आस्तियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इन अग्रिमों की गुणवत्ता को, बैंक के सकल ऋण एवं अग्रिमों की तुलना में अनर्जक अग्रिमों ("एनपीए") के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक कें अग्रिम, कुल आस्तियों के 86.27% रहे और बैंक का सकल एनपीए अनुपात 1.71% रहा।	**हमने अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई हैं:** - एनपीए निर्धारण और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की नीतियों को ध्यान में रखना तथा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करना। - आईआरएसीपी पर मौजूदा दिशानिर्देशों और बैंक के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए आरबीआई के अतिरिक्त निर्देशों के आधार पर ह्रासित खातों का निर्धारण करने के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों (ऐप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन तथा परीक्षण करना।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
	भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण ("आईआरएसीपी") दिशानिर्देशों में एनपीए तथा ऐसी आस्तियों के लिए न्यूनतम प्रावधान का निर्धारण और वर्गीकरण करने के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। बैंक को मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों का प्रयोग करते हुए यह भी निर्धारित करना होता है कि एनपीए को चिह्नित किया जाए और उनके एवज में अपेक्षित प्रावधान किए जाएं। एनपीए का निर्धारण कुछ निश्चित क्षेत्रों में दबाव और लिक्विडिटी जैसे कारकों से प्रभावित होता है। निर्धारित एनपीए के लिए प्रावधानीकरण, उन एनपीए के कालिक क्षय और वर्गीकरण, वसूली अनुमान, सिक्योरिटी के मूल्य और अन्य गुणात्मक कारकों के आधार पर आकलित किया जाता है तथा यह प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त, बैंक ऐसे एक्सपोज़रों पर भी प्रावधान करता है, जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसमें प्रबंधन के मूल्यांकन और निर्णयन के अनुसार, कतिपय क्षेत्रों में अग्रिमों और चिह्नित अग्रिमों या समूह अग्रिमों पर प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके एनपीए होने की आशंका है। इन्हें आकस्मिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने इस संबंध में अपनी लेखांकन नीति में, नोट I (iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के अंतर्गत में विवरण दिया है। चूंकि एनपीए के निर्धारण और अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण में उल्लेखनीय स्तर का आकलन जरूरी होता है और समग्र लेखा परीक्षा में इसके महत्त्व को देखते हुए, हमने एनपीए के निर्धारण और प्रावधानीकरण को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख कार्य माना है।	– यथोचित प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की गई और बैंक की निगरानी प्रक्रिया के अनुसार की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं तथा आरबीआई निरीक्षण की टिप्पणियों के संबंध में अनुपालन की जांच की गई। – चिह्नित उधारकर्ताओं के लेखा विवरणों और अन्य संबंधित जानकारियों की मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर समीक्षा करना। – बैंक द्वारा तनावग्रस्त ऋण खातों को चिह्नित करने के लिए बनाई गई पूर्व चेतावनी रिपोर्टों की जांच करना। – जहां कहीं भी ऋण जोखिम माना गया, उन मामलों में बैंक के प्रबंधन के साथ विशिष्ट चर्चा करना और जोखिमों को कम करने के उपाय करना। – बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार की गई जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा और संगामी लेखा परीक्षा की प्रमुख टिप्पणियों को ध्यान में रखना। – बैंक से संबंधित आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों, वर्ष के दौरान इन टिप्पणियों पर बैंक के उत्तर और आरबीआई के साथ हुए अन्य पत्राचार को ध्यान में रखना। – एनपीए के संबंध में, संबंधित लेखा मानकों और आरबीआई की अपेक्षाओं के एवज में प्रकटीकरण की सुसंगतता और पर्याप्तता का मूल्यांकन करना। साथ ही, विनियामकीय पैकेज और समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण का भी मूल्यांकन करना। **अग्रिमों के प्रावधानीकरण के संबंध में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाईः** – अग्रिमों के प्रावधानीकरण के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में एक समझ बनाई। – आरबीआई विनियमों के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा की गई गणना तथा प्रावधानीकरण के लिए आंतरिक स्तर पर निर्धारित की गई नीतियों की सैंपल आधार पर जांच की गई। – ऐसे ऋण खातों के लिए, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं और बैंक ने उनके लिए प्रावधान किए हैं, हमने उन प्रावधानों के लिए बैंक के मूल्यांकन की समीक्षा की।
2	**आयकर के लिए आकस्मिक देयताः** बैंक में कुछ महत्त्वपूर्ण कर मामले चल रहे हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जो विवादित हैं और उन विवादों में संभावित परिणाम के लिए निर्णय लेना महत्त्वपूर्ण होगा। चूंकि इन कर मामलों के मूल्यांकन में महत्त्वपूर्ण स्तर का निर्णय अपेक्षित है, इसलिए हमने इसे लेखा संबंधी प्रमुख मामलों में शामिल किया।	– कर देयताएं और कर प्रावधान निर्धारित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में समझ बनाई। – कर प्राधिकारों के साथ हुए पत्राचार सहित संबंधित दस्तावेजीकरण का संदर्भ लेते हुए कर मांग की समीक्षा की गई। – इस संबंध में एकल वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया गया।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
3	**वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां और नियंत्रण** बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, प्रणालियों में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह निर्भरता इतनी अधिक है कि इससे यह जोखिम बना रहता है कि आईटी नियंत्रण परिवेश में किसी भी तरह के गैप से वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। आईटी परिवेश की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग में आईटी के महत्त्व के कारण हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में चिह्नित किया है।	**बैंक की आईटी प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा हेतु हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के एक हिस्से के रूप में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई हैं:** – वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्त्वपूर्ण बैंक की आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए वॉकथ्रू किया गया। – बैंक में चिह्नित किए गए ऐप्लिकेशन सिस्टम्स के संबंध में यथोचित अंतराल पर ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट के लिए एक प्रणाली लागू है। बैंक द्वारा यथोचित अंतराल पर सूचना प्रणाली सुरक्षा की ऑडिट की जाती है। – वर्ष के दौरान हमने बैंक की आईटी प्रणालियों पर की गई ऑडिट में सामने आई प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा की है।

एकल वित्तीय विवरण और इसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, किंतु एकल वित्तीय विवरण और उस संबंध में हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को हमें लेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में कोई आश्वासन / निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर चिह्नित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना है कि यह अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है, या लेखा परीक्षा में ली गई हमारी जानकारी या अन्यथा कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व में हमें मिली अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते समय, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कहीं कुछ गलत बयानी है तो हम उन मामलों को गवर्नेंस संबंधी प्राधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

अन्य मामले

भारत में बैंक के 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालय हैं, विदेश में बैंक की 1 (एक) शाखा और 9 (नौ) कार्यालय हैं। भारत और विदेश स्थित कार्यालयों के लिए बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रणालियां केंद्रीकृत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों, विदेश स्थित कार्यालयों और विदेश स्थित शाखाओं में से हमने 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया है।

हमने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही तक के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2025 को समाप्त माह तक के लिए संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा कर ली है। हम समझते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। इसलिए ये रिपोर्टें हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं रहीं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय इससे भिन्न नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और गवर्नेंस प्रभारियों के उत्तरदायित्व

बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। ये एकल वित्तीय विवरण एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं आकलन करने; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने, उन्हें क्रियान्वित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सत्य और सही स्थिति बताने वाले, तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होनी वाली किसी भी भौतिक चूक से मुक्त, एकल वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन, बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है।

बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि इन एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन नहीं हैं। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन हैं, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि इनमें यदि कोई गंभीर मिथ्या कथन हुए तो लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा में उनका पता लगा ही लिया जाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और ये तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जब इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोक्ताओं द्वारा अलग–अलग या सामूहिक रूप से लिए गए उनके आर्थिक निर्णय प्रभावित होते हों।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान इसी प्रोफेशनल दृष्टि से तथ्यों को परखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, एकल वित्तीय विवरणों के गंभीर मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी आधारित गंभीर मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि आधारित मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करना।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तार्किकता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- व्यवसाय की निरंतरता जारी रखने के संबंध में उच्च प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धतियों की हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर जांच करना, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और यह सुनिश्चित करना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के व्यवसाय जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और देखना कि एकल वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों और कार्यों को उचित रूप में प्रस्तुत करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी गंभीर विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के लिए जरूरी माना जा सकता है।

गवर्नेंस प्रभारियों को सूचित किए गए मामलों से, हमारा तात्पर्य उन मामलों से है, जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्त्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि उस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण से विधि या विनियमों का उल्लंघन न होता हो, या जब तक अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित न कर लें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में इसलिए सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूचनाओं का प्रकाशन लोकहित में होने के बजाय प्रतिकूल परिणाम देने वाला हो सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 की अनुसूचियों I, II और III के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं किः

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित तथा एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में, कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार बैंक द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारे द्वारा इन बहियों की जांच की गई है।
- इस रिपोर्ट में लिए गए एकल तुलन पत्र, एकल लाभ और हानि लेखा विवरण तथा एकल नकदी प्रवाह विवरण लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं।
- बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों और विदेश स्थित शाखा से प्राप्त लेखांकन विवरण, जानकारी और रिटर्न हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त वित्तीय विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

कृते **एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 302014E/W101061

सीए रामकृष्णन मणि
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271
यूडीआईएन: 25032271BMIAZS1797

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

यथा 31 मार्च, 2025 को तुलन-पत्र

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
देयताएं	**अनुसूचियां**		
1. पूँजी	I	159,093,663,881	159,093,663,881
2. आरक्षित निधियां	II	99,030,833,776	69,849,297,495
3. लाभ और हानि खाता	III	3,250,000,000	2,520,000,000
4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर		1,115,794,296,200	912,354,653,250
5. देय बिल		-	-
6. जमा राशियां	IV	903,357,470	1,133,512,174
7. उधार राशियां	V	675,112,378,035	632,618,281,220
8. चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		86,944,691,544	90,843,229,885
9. अन्य देयताएं		47,246,854,068	51,101,540,632
योग		**2,187,376,074,975**	**1,919,514,178,537**
आस्तियां			
1. नकदी एवं बैंक शेष	VI	70,154,745,958	84,288,469,827
2. निवेश	VII	160,113,210,142	166,234,966,956
3. ऋण एवं अग्रिम	VIII	1,805,390,799,807	1,512,012,783,809
4. भुनाए गए/पुनः भुनाए गए विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	52,000,000,000	64,010,000,000
5. अचल आस्तियां	X	3,403,493,792	3,638,041,444
6. अन्य आस्तियां	XI	96,313,825,276	89,329,916,501
योग		**2,187,376,074,975**	**1,919,514,178,537**
आकस्मिक देयताएं			
(i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व		155,036,824,435	136,756,995,162
(ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर		13,108,564,859	22,685,842
(iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर		-	-
(iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं		194,597,850	189,822,180
(v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		3,612,000,000	3,527,000,000
(vi) संग्रहण के लिए बिल		-	-
(vii) सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर		-	-
(viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल		-	-
(ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है		656,232,550,632	591,240,666,610
योग		**828,184,537,776**	**731,737,169,794**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
दस्यता सं. 032271

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

सामान्य निधि

		इस वर्ष (2024-25) ₹	गत वर्ष (2023-24) ₹
व्यय	**अनुसूचियां**		
1. ब्याज		145,546,805,076	112,918,543,653
2. ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		921,827,856	708,002,228
3. स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		1,686,909,873	998,250,252
4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		761,850	862,250
5. लेखा परीक्षा की फीस		1,182,600	1,293,600
6. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमिया		452,380,964	319,145,577
7. संचार विषयक व्यय		52,256,795	39,711,843
8. विधि विषयक व्यय		40,990,227	46,881,263
9. अन्य व्यय	XII	1,828,863,697	1,547,516,718
10. मूल्यह्रास		574,451,205	544,820,459
11. ऋण हानियों/आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		(5,322,978,270)	4,135,764,503
12. नीचे ले जाया गया लाभ/(हानि)		42,972,643,847	33,365,440,438
योग		**188,756,095,720**	**154,626,232,784**
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर राशि का निवल) [₹ 1,323,174,509 के आस्थगित कर सहित (गत वर्ष – ₹ 106,372,395)]		10,541,107,565	8,178,732,066
तुलन पत्र में अंतरित शेष लाभ/(हानि)		32,431,536,281	25,186,708,372
		42,972,643,847	**33,365,440,438**
आय			
1. ब्याज और बट्टा	XIII	183,255,066,042	149,023,822,762
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस		4,285,284,246	4,799,530,528
3. अन्य आय	XIV	1,215,745,432	802,879,494
योग		**188,756,095,720**	**154,626,232,784**
नीचे लाया गया लाभ/(हानि)		42,972,643,847	33,365,440,438
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन		-	-
		42,972,643,847	**33,365,440,438**

‘लेखों पर टिप्पणियां’ संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
दस्यता सं. 032271

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
अनुसूची I: पूँजी:		
1. प्राधिकृत	200,000,000,000	200,000,000,000
2. निर्गमित एवं प्रदत्तः (केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	159,093,663,881	159,093,663,881
अनुसूची II: आरक्षित निधियां:		
1. आरक्षित निधि	81,240,797,076	52,272,082,031
2. सामान्य आरक्षित राशियां	-	-
3. अन्य आरक्षित राशियां:		
निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि*	2,194,717,637	1,981,896,400
ऋण शोधन निधि (ऋण–व्यवस्थाएं)	1,955,319,064	1,955,319,064
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	13,640,000,000	13,640,000,000
	99,030,833,776	**69,849,297,495**
अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा:		
1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखों के अनुसार शेष	32,431,536,281	25,186,708,372
2. घटाएं: विनियोजनः		
– आरक्षित निधि को अंतरित	28,968,715,045	22,624,108,372
– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित*	212,821,237	42,600,000
– ऋण शोधन निधि को अंतरित	-	-
– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	-	-
3. निवल लाभ का शेष (एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)	3,250,000,000	2,520,000,000
अनुसूची IV: जमा राशियां:		
(क) भारत में	903,357,470	1,133,512,174
(ख) भारत के बाहर	-	-
	903,357,470	**1,133,512,174**
अनुसूची V: उधार राशियां:		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से:		
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	-	-
(ख) विनिमय बिलों पर	-	-
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	-	-
2. भारत सरकार से	-	-
3. अन्य स्रोतों सेः		
(क) भारत में	233,084,693,346	191,789,912,310
(ख) भारत के बाहर	442,027,684,689	440,828,368,910
	675,112,378,035	**632,618,281,220**
अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक में शेष:		
1. हाथ में नकदी	271,395	169,832
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	18,600,337,135	286,402,616
3. अन्य बैंकों में शेष:		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	8,086,517,277	8,241,217,409
ii) अन्य जमा खातों में	8,750,000,000	12,014,313,945
(ख) भारत के बाहर	34,717,620,152	33,762,844,637
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/सीबीएलओ के अंतर्गत ऋण	-	29,983,521,388
	70,154,745,958	**84,288,469,827**

*निवेश आरक्षित खाता के लिए ₹ 212,821,237 की राशि सहित (गत वर्ष: शून्य)

तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
अनुसूची VII: निवेश: (मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	153,797,035,240	132,371,158,755
2. इक्विटी शेयर और स्टॉक	2,754,655,882	2,570,632,644
3. अधिमानी शेयर एवं स्टॉक	208,532,727	198,828,626
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड	1,452,641,167	1,667,495,794
5. अन्य	1,900,345,125	29,426,851,137
	160,113,210,142	**166,234,966,956**
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम:		
1. विदेशी सरकारें	551,976,333,756	540,068,773,757
2. बैंक:		
(क) भारत में	201,192,875,000	156,242,350,000
(ख) भारत के बाहर	12,714,108,278	1,251,075,000
3. वित्तीय संस्थाएं:		
(क) भारत में	17,000,000,000	10,000,000,000
(ख) भारत के बाहर	103,636,198,640	111,428,204,946
4. अन्य	918,871,284,133	693,022,380,106
	1,805,390,799,807	**1,512,012,783,809**
अनुसूची IX: भुनाये गये/पुन: भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
(क) भारत में	52,000,000,000	64,010,000,000
(ख) भारत के बाहर	-	-
	52,000,000,000	**64,010,000,000**
अनुसूची X: अचल आस्तियां: (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
1. परिसर		
सकल राशि (आगे लाई गई)	5,311,186,460	5,246,732,163
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	445,804	116,208,251
वर्ष के दौरान निपटान	-	51,753,954
वर्ष के अंत में सकल राशि	**5,311,632,264**	**5,311,186,460**
संचित ह्रास	2,392,041,727	2,160,705,514
निवल राशि (ब्लॉक)	**2,919,590,537**	**3,150,480,946**
2. अन्य		
सकल राशि (आगे लाई गई)	2,184,650,035	1,860,090,076
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	341,271,937	373,108,009
वर्ष के दौरान निपटान	92,112,473	48,548,050
वर्ष के अंत में सकल राशि	**2,433,809,499**	**2,184,650,035**
संचित ह्रास	1,949,906,244	1,697,089,537
निवल राशि (ब्लॉक)	**483,903,255**	**487,560,498**
	3,403,493,792	**3,638,041,444**
अनुसूची XI: अन्य आस्तियां:		
1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज:		
क) निवेशों/बैंक जमाओं पर	12,969,802,058	12,169,374,005
ख) ऋण एवं अग्रिम	37,219,664,082	30,355,857,343
2. विविध पक्षों के पास जमा राशियां	70,048,743	63,728,946
3. प्रदत्त अग्रिम आयकर (निवल)	19,980,475,541	17,573,588,580
4. अन्य [₹ 16,448,466,475 की निवल आस्थगित कर आस्तियों सहित (गत वर्ष ₹ 17,771,640,983)]	26,073,834,854	29,167,367,627
	96,313,825,276	**89,329,916,501**

तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
अनुसूची XII: अन्य व्यय:		
1. निर्यात संवर्धन व्यय	55,593,837	42,045,166
2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	4,243,169	2,458,829
3. मरम्मत और रखरखाव	679,375,732	561,938,393
4. मुद्रण और लेखन सामग्री	10,866,061	9,565,423
5. अन्य	1,078,784,897	931,508,907
	1,828,863,697	**1,547,516,718**
अनुसूची XIII: ब्याज एवं बट्टा:		
1. ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	123,456,419,725	111,997,952,343
2. निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय	59,798,646,317	37,025,870,419
	183,255,066,042	**149,023,822,762**
अनुसूची XIV: अन्य आय:		
1. निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	1,065,002,196	309,069,474
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	433,511	(539,299)
3. अन्य	150,309,725	494,349,319
	1,215,745,432	**802,879,494**

टिप्पणी:

'देयताओं' के अंतर्गत जमाओं [अनुसूची IV (क) देखिए] में 3.36 मिलियन यूएस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमा राशियां (गत वर्ष 5.92 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बॉन्डों के पेटे रखी गई हैं।

'आस्तियों' के अंतर्गत निवेश में [अनुसूची VII 4 देखिए] कुल ₹ 0.15 बिलियन की बॉन्ड राशि (गत वर्ष ₹ 0.27 बिलियन) शामिल है, जो स्वॉप्स के कारण है।

नकदी प्रवाह विवरण

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) और असाधारण मदें	4,297.26	3,336.54
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(0.04)	0.05
– निवेशों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(106.50)	(30.91)
– मूल्यह्रास	57.45	54.48
– बट्टे में डाले गए बॉन्ड निर्गमों पर छूट/व्यय	15.16	17.15
– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	-	-
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/राइट ऑफ	(532.30)	413.58
– अन्य – उल्लेख करें	-	-
	3,731.03	**3,790.90**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– अन्य आस्तियां	(533.98)	3,594.42
– चालू देयताएं	(1,164.82)	713.41
परिचालनों से नकदी निर्माण	**2,032.23**	**8,098.72**
आय कर/ब्याज कर का भुगतान	(240.69)	(819.26)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	**1,791.54**	**7,279.46**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(33.95)	(43.65)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	718.68	(4,281.74)
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से अर्जित निवल नकदी (ख)	**684.73**	**(4,325.39)**
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– प्राप्त इक्विटी पूँजी	-	-
– लिए गए ऋण (चुकौती घटाकर)	24,499.16	26,187.41
– दिए गए ऋण, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकौती घटाकर)	(28,136.80)	(23,078.88)
– इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केन्द्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(252.00)	(155.80)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से अर्जित निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(3,889.64)**	**2,952.74**
नकदी और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(गिरावट) (क+ख+ग)	**(1,413.37)**	**5,906.81**
प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य	**8,428.85**	**2,522.03**
अंतिम नकदी एवं समतुल्य	**7,015.47**	**8,428.85**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
दस्यता सं. 032271

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

I. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(i) एकल वित्तीय विवरण

क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात विकास कोष), भारत में प्रचलित लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियां गत वर्ष प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 में दिए गए अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े, भारतीय रिज़र्व बैंक के 23 जून, 2016 के मास्टर निर्देश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16, के अनुसार "लेखों पर टिप्पणियां" के हिस्से के रूप में प्रकटित किए गए हैं।

ख) आकलन का प्रयोग

एकल वित्तीय विवरणों को स्वीकृत मानक लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और इन्हें तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की जाने वाली अवधि तक के लिए आय एवं व्यय की तारीख को आस्तियों, देयताओं और प्रावधानों (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में कुछ आकलन और पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए ये आकलन प्रबंधन की राय में विवेकसम्मत और तार्किक हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। इस तरह के अनुमानों में किसी भी संशोधन को उस अवधि में माना जाता है, जिस अवधि में उनका निर्धारण किया गया हो।

(ii) राजस्व की गणना

अनर्जक आस्तियों/अनर्जक निवेशों रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा गारंटित ऋणों, जिनमें 90 दिन से अधिक का अतिदेय है, शुल्क आय, कमीशन, वचनबद्धता प्रभार और लाभांश जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, इनको छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। अनर्जक आस्तियों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बॉन्ड पर दिया जाने वाला बट्टा/मोचन प्रीमियम बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियां शामिल हैं। प्राप्य ब्याज को "अन्य आस्तियों" में समूहित किया गया है।

ऋण चुकौती और वसूली हेतु कोलेटरल सिक्योरिटी पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) "परिपक्वता तक धारित" (परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियां),

(ख) "क्रय–विक्रय के लिए धारित" (प्रतिभूतियां इस इरादे से अर्जित की गई हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार–चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय–विक्रय किया जा सके) और

(ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया हैः

i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
iii) शेयरों में निवेश
iv) डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश
v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश
vi) अन्य (वाणिज्यिक-पत्र, म्युचुअल फंड इकाइयों आदि में) निवेश

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन, मूल्य निर्धारण और निवेशों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है।

(v) अचल आस्तियां तथा मूल्यह्रास

(क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत अर्जन के समय मूल लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया हैः

आस्ति	मूल्यह्रास दर
स्वामित्व वाले भवन	5%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	25%
कार्यालय उपकरण	25%
अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	25%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25%
मोटर वाहन	25%
कम्प्यूटरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मूल्यह्रास, प्रौद्योगिकी के पुराने होने के आधार पर लिया गया है	प्रथम दो वर्षों के लिए 33.33%, तीसरे वर्ष में 33.34%
मोबाइल फोन	50%

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहां किसी अवक्षयी आस्ति को बेच दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढहा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) ह्रास

आस्तियों के रख-रखाव की राशि को हर तुलन-पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए ह्रास के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई ह्रास हानियों यथा लागू प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। ह्रास हानि तब होती है जब किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

(vii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अंतरित किया गया परिणामी लाभ या हानि (यदि कोई हो) लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त हैं।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

(ङ) आईएफएससीए नियमों के अनुसार इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व की रिपोर्टिंग मुद्रा यूएसडी है। आईएनआर में किए गए वैधानिक और प्रशासनिक भुगतानों को पिछले सप्ताह की फेडाई प्रकाशित साप्ताहिक औसत विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विक्रेता के भुगतान और कर्मचारियों के वेतन पर काटे गए टीडीएस के कारण परिसंपत्तियों और देनदारियों को उसी विनिमय दर पर उलट दिया जाता है जो भुगतान करने के समय लागू किया गया था। व्यय, पूर्व व्यय और छोटी नकदी के प्रावधान को उसी विनिमय दर पर उलट दिया जाता है जो क्रमशः नकद का प्रावधान, भुगतान या निकासी के समय लागू किया गया था।

(viii) गारंटियां

ईसीजीसी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी बैलेंस शीट/ऑफ बैलेंस शीट आस्तियों और देयताओं की हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वॉप, करंसी स्वॉप, अंतर करंसी ब्याज दर स्वॉप तथा वायदा दर करार जैसी डेरिवेटिव संविदाएं करता है। ऑन–बैलेंस शीट आस्तियों/ देयताओं की हेजिंग के लिए ये स्वॉप संविदाएं इस प्रकार की जाती हैं कि अंतर्निहित ऑन–बैलेंस शीट मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रतिसंतुलनकारी हो। इन डेरिवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं के क्रय–विक्रय से संबंधित होता है। वर्ष की समाप्ति पर बकाया स्वॉप संविदाओं का मूलधन हिस्सा फेडाई विनिमय दरों की क्लोजिंग के आधार पर होता है।

हेज के रूप में वर्गीकृत किए गए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। हेज कॉन्ट्रैक्टों को तब तक मार्क्ड टू मार्केट नहीं किया जाता, जब तक आस्तियां/देयताएं मार्क्ड टू मार्केट न की गई हों।

यथा तुलन पत्र की तारीख को बकाया डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरणों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग मानदंडों संबंधी आरबीआई के मास्टर निदेश के अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियां' में रिपोर्ट किया जाता है।

(x) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

क) परिभाषित अंशदान योजना: बैंक अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद जॉइन होने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस – कॉर्पोरेट मॉडल) में योगदान देता है। अंशदानों को उपचित आधार पर लाभ–हानि खाते में लिया जाता है।

ख) परिभाषित लाभ एवं अन्य दीर्घावधि योजनाएं : ग्रेच्युटी के प्रति देयताएं, पेंशन (31 मार्च, 2010 को या इसके पहले जॉइन करने वाले पात्र अधिकारियों के लिए) तथा छुट्टी नकदीकरण का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। उपचित लाभ या हानि को उपचित आधार पर लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है।

(xi) आय पर करों का लेखांकन

(क) संबंधित संविधि के अधीन भुगतान योग्य कर के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

(xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 29 – 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार, बैंक प्रावधानों को केवल तभी हिसाब में लेता है, जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक भार संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए।

आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं, जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की कुछ न कुछ संभावना अवश्य हो।

आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

II. एकल लेखों पर टिप्पणियां

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक इराक में भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अतएव भारत सरकार को समनुदेशित ₹ 58.75 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 57.32 बिलियन) की राशि सहित बैंक को सूचित एजेंसी खाते में धारित ₹ 53.08 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 51.80 बिलियन) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियां उपर्युक्त तुलन पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. (क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में ₹ 4.07 बिलियन की समाप्त हो चुकी गारंटियां (गत वर्ष ₹ 3.18 बिलियन) शामिल हैं, जिन्हें बहियों में निरस्त करना शेष है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत "बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है" के रूप में दिखाई गई ₹ 3.61 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 3.53 बिलियन) की राशि अधिकांशतः बैंक के चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंक द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के जवाब में उन उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर किए गए दावों/प्रतिदावों से संबंधित है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा अभिमत में रखने योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अतः विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) आयकर के चलते आकस्मिक देयता

विभिन्न निर्णयन प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित आयकर मामलों के चलते ₹ 0.89 बिलियन (गत वर्ष 0.55 बिलियन) की राशि को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिनके बैंक के मूल्यांकन में देयता में फलीभूत होने की संभावना कम है और इनके एवज में ₹ 1.53 बिलियन का रिफंड (गत वर्ष ₹ 1.09 बिलियन) प्राप्य है।

(घ) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा/ब्याज दर स्वॉप

(i) यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूर्ण हेजिंग की गई है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति–देयता प्रबंधन के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर स्वॉप, वायदा दर करार तथा मुद्रा–सह–ब्याज दर स्वॉप) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदे करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका निपटान भी करता है। ऐसे बकाया डेरिवेटिव संव्यवहारों को हिसाब में लिया जाता है, जिन पर ब्याज दर में उतार–चढ़ाव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा इस स्थिति की निगरानी की जाती है और निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'वर्तमान एक्सपोज़र' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पीवी 01) के फेयर वैल्यू तथा प्राइस वैल्यू को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को एफएक्स स्वॉप, मुद्रा स्वॉप और विदेशी मुद्रा ब्याज स्वॉप में बिना किसी परिपक्वता समय या मुद्रा प्रतिबंधों के 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

(ङ) मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित आय के इस प्रकार के अंतरण पर सांकेतिक लाभ ₹ 0.18 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.09 बिलियन की सांकेतिक हानि) है।

3. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों संबंधित प्रकटीकरण:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान (देय तिथि से 45 दिन के बाद) संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त सूचना

4.1 पूँजी

(₹ बिलियन)

(क) विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
(i) सामान्य इक्विटी	233.34	203.05
(ii) अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	-	-
(iii) कुल टियर 1 पूँजी (i+ii)	233.34	203.05
(vi) टियर 2 पूँजी	13.56	16.92
(v) कुल पूँजी (टियर 1+ टियर 2)	246.90	219.96
(vi) कुल जोखिम भारित आस्तियां	977.20	1,038.32
(vii) सामान्य इक्विटी अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कॉमन इक्विटी)	23.88%	19.56%
(viii) टियर 1 अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी)	23.88%	19.56%
(ix) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	25.27%	21.18%
(x) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100%	100%
(xi) भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई इक्विटी पूँजी राशि	शून्य	शून्य
(xii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी, जिसमें से		
क) बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
ख) बेमियादी ऋण लिखत	शून्य	शून्य
(xiii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें से		
क) ऋण पूँजी लिखतें	शून्य	शून्य
ख) बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
ग) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
घ) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य

(ख) यथा 31 मार्च, 2025 को टियर-II पूँजी के रूप में जुटाए गए और बकाया गौण ऋण की राशिः ₹ शून्य (गत वर्षः ₹ शून्य)

(ग) जोखिम भारित आस्तियां

(₹ बिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
(i) तुलन पत्र में 'शामिल' मदें	703.30	840.15
(ii) तुलन पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	273.89	198.17

(घ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूपः भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त पूँजी।

- आरबीआई ने 21 सितंबर, 2023 के अपने परिपत्र के जरिए बासल III मास्टर निदेश जारी किए हैं, जो एक्ज़िम बैंक सहित सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू हैं। बैंक ने सीआरएआर के निर्धारण हेतु बासल III मानकों को 01 अप्रैल, 2024 से लागू कर दिया है। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों का निर्धारण आरबीआई द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित मौजूदा पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।

4.2 निर्बंध आरक्षित निधियां एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	30.41	34.44

(ख) अस्थायी प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(क) अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	-	-
(ख) लेखांकन वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
(ग) लेखांकन वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि	-	-
(घ) अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	-	-

4.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक अग्रिम

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.14%	0.29%
(ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	31.01	56.97
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	5.22	2.81
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(4.03)	(28.77)
(घ) अंतिम शेष	32.20	31.01
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	4.57	9.48
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-	-
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(2.04)	(4.91)
(घ) अंतिम शेष	2.53	4.57

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	26.44	47.49
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5.77	2.99
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/प्रतिलेखन	(2.54)	(24.04)
(घ) अंतिम शेष	29.67	26.44

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(i) निवल निवेशों की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.07%	0.06%
(ii) अनर्जक निवेशों में उतार–चढ़ाव (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	18.91	2.95
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	1.65	16.81
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(0.34)	(0.85)
(घ) अंतिम शेष	20.22	18.91
(i) निवल अनर्जक निवेशों में उतार–चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	0.10	0.09
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.01	0.04
(ग) वर्ष के दौरान कमी	-	(0.03)
(घ) अंतिम शेष	0.11	0.10
(ii) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	18.81	2.85
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1.65	16.84
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/प्रतिलेखन	(0.35)	(0.88)
(घ) अंतिम शेष	20.11	18.81

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.13%	0.28%
(ii) अनर्जक आस्तियों में उतार–चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) प्रारंभिक शेष	49.92	59.92
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	6.87	19.62
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(4.37)	(29.62)
(घ) अंतिम शेष	52.42	49.92
(iii) अनर्जक आस्तियों में उतार–चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	4.67	9.57
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.01	0.04
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(2.04)	(4.94)
(घ) अंतिम शेष	2.64	4.67
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	45.25	50.34
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7.42	19.83
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/प्रतिलेखन	(2.89)	(24.92)
(घ) अंतिम शेष	49.78	45.25

4.4 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण – वर्तमान वर्ष

(₹ बिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत					अन्य					कुल
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	0.00	10.00	10.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	1.25	9.87	0.00	14.93	14.93
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	1.25	8.63	0.00	12.73	12.73
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	4.04	0.12	0.00	8.73	8.73
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	3.89	1.36	0.00	5.48	5.48
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-2.00	-2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	-0.97	0.00	-2.22	-2.22
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	-0.97	0.00	-2.22	-2.22
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउनग्रेड / कम करना	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.81	-0.93	-0.46	0.00	-5.20	-5.20
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.85	-0.78	-0.46	0.00	-4.09	-4.09
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को राइट ऑफ करना	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	-1.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.02	0.00	-1.02	-1.02
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.02	0.00	-1.02	-1.02
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	0.00	8.00	8.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	3.11	7.54	0.00	15.22	15.22
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	3.11	7.54	0.00	10.88	10.88

गत वर्ष :

(₹ बिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत					अन्य					कुल
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	6.00	0.00	11.00	12.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	3.67	6.35	0.00	20.20	20.71
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	1.59	6.35	0.00	8.46	8.97
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	1.25	0.00	0.00	5.51	5.51
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	1.25	0.00	0.00	4.44	4.44
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	3.67	0.00	3.68	3.68
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	1.59
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-2.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.32	-3.67	0.00	0.00	-8.99	-8.99
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-1.59	0.00	0.00	-1.84	-1.84
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउनग्रेड / कम करना	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.32	0.00	-0.15	0.00	-5.47	-5.59
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.69	0.00	0.08	-0.04
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को राइट ऑफ करना	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	-0.39	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.39
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	-0.39	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.39
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	0.00	10.00	10.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	1.25	9.87	0.00	14.93	14.93
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	1.25	8.63	0.00	12.73	12.73

4.5 अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
यथा 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष)	31.01	56.97
वर्ष के दौरान बढ़त (नई अनर्जक आस्तियां)	4.33	2.00
ब्याज निधीयन	0.23	0.08
विनिमय दर उतार-चढ़ाव	0.67	0.73
उपखंड योग (क)	**36.24**	**59.78**
घटाएं:		
(i) उन्नयन	(1.85)	(0.06)
(ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोड़कर)	(1.17)	(21.85)
(iii) तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते	-	(3.29)
(iv) राइट ऑफ, उपर्युक्त (iii) के अलावा	(1.02)	(3.58)
(v) विनिमय दर घट-बढ़	-	-
उपखंड योग (ख)	**(4.04)**	**(28.77)**
यथा 31 मार्च, 2025 को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (क-ख)	**32.20**	**31.01**

आरबीआई आईआरएसीपी मानदंड परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.8/21.04.048/2024-25 दिनांकित 02 अप्रैल, 2024 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

4.6 राइट ऑफ और वसूली

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
यथा 1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकसम्मत रूप से राइट ऑफ किए गए खातों का प्रारंभिक शेष	113.05	117.44
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ	-	3.29
जोड़ें: विनिमय में उतार-चढ़ाव	1.33	0.75
उपखंड योग (क)	**114.38**	**121.48**
घटाएं: वर्ष के दौरान पुराने तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ किए गए खातों से की गई वसूली (ख)	(1.23)	(8.43)
यथा 31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	**113.15**	**113.05**

4.7 विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

नीचे दिए गए आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं, जिसने अक्टूबर 2010 में परिचालन शुरू किया था।

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
कुल आस्तियां	126.00	114.45
कुल अनर्जक आस्तियां	2.83	2.77
कुल राजस्व	7.83	6.77

4.8 निवेशों पर मूल्यह्रास और प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	182.64	189.49
(क) भारत में	180.42	187.44
(ख) भारत से बाहर	2.22	2.05
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	22.53	23.25
(क) भारत में	20.63	21.31
(ख) भारत से बाहर	1.90	1.94
(iii) निवल निवेश	160.11	166.23
(क) भारत में	159.79	166.12
(ख) भारत से बाहर	0.33	0.11
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों में घट–बढ़		
(i) प्रारंभिक शेष	23.25	24.31
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.69	0.63
(iii) वर्ष के दौरान निवेश अस्थिर आरक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई है	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों पर राइट ऑफ/प्रतिलेखन	(1.41)	(1.69)
(v) घटाएं: अस्थिर आरक्षित निधि खाते में अंतरण, यदि कोई है	-	-
(vi) अंतिम शेष	22.53	23.25

4.9 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

(₹ बिलियन)

लाभ एवं हानि लेखा शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिक व्यय' का विवरण	2024-25	2023-24
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(1.05)	(1.37)
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	3.11	(21.08)
आयकर के लिए किए गए प्रावधान	10.54	8.18
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय*	(7.39)	26.59

*इसमें बैंक गारंटियों के रिवर्सल के लिए ₹ 5.02 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.17 बिलियन) और देशगत जोखिम प्रावधानीकरण के लिए ₹ 0.51 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.25 बिलियन) का राइट बैक और हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली संस्थाओं को एक्सपोज़र के चलते ₹ 0.40 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.46 बिलियन) का प्रावधानीकरण शामिल है।

4.10 प्रावधान कवरेज अनुपात

विवरण	2024-25	2023-24
प्रावधान कवरेज अनुपात (टेक्निकल राइट ऑफ सहित)	98.26%	96.83%

4.11 वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामले और उनके लिए किए गए प्रावधान

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी नए खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है (गत वर्ष शून्य)। इसके अतिरिक्त, यथा वर्ष की समाप्ति को अपरिशोधित प्रावधान की कोई भी राशि 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट नहीं की गई है।

5. निवेश पोर्टफोलियो: संघटक एवं परिचालन

5.1 रेपो लेन-देन

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	1.00	24.05	1.31	6.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	3.50	8.95	1.99	24.05
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

5.2 गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निवेशकर्ता की जमाराशियों का प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	"निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां	धारित "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	धारित "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	0.56	0.56	-	0.06	0.56
3	बैंक	0.0023	0.0023	-	-	-
4	निजी कॉर्पोरेट	27.50*	27.50	-	4.58	24.47
5	सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम	0.42	0.42	-	0.42	0.42
6	अन्य	0.36	0.36	-	0.34	0.36
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	22.53	22.46	-	3.89	21.22
	कुल	**28.84**	28.84	-	5.40	25.81

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने वाले प्रावधान की केवल कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18.47 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 6.41 बिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में है।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	"निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां	धारित "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	धारित "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	1.68	1.68	-	0.06	1.68
3	बैंक	4.99	4.99	-	-	4.99
4	निजी कॉर्पोरेट	48.66*	48.60	-	19.85	29.70
5	सहायक कंपनिया/संयुक्त उद्यम	0.42	0.42	-	0.42	0.42
6	अन्य	0.02	0.02	-	-	0.02
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	23.25	22.08	-	3.25	20.80
	कुल	**55.76**	**55.70**	-	**20.33**	**36.80**

कॉलम 3 में प्रकट किए गए प्रावधान की कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18.43 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश और ₹ 6.30 बिलियन ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में निवेश को दर्शाती हैं।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

5.3 हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में / से बिक्री और अंतरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, हेल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में से निवेशों का कोई विक्रय और अंतरण नहीं किया गया। (गत वर्षः शून्य)।

5.4 एक्ज़िम बैंक के वित्तीय विवरणों का प्रारूप भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 में विनिर्दिष्ट किया गया है। चूंकि, वर्तमान में, निवेश आरक्षित निधि खाता (आईआरए) निर्धारित प्रारूप का हिस्सा नहीं है, इसलिए आईआरए में अंतरित की जाने वाली प्रस्तावित राशि को उपयुक्त प्रकटनों के साथ वित्तीय विवरणों में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) मद के तहत प्रकटित किया जा रहा है। बैंक द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सामान्य विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

6. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

6.1 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. बिक्री का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	खातों की संख्या	1	4
(ii)	आस्ति प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों (प्रावधानों को घटाकर) का कुल मूल्य	-	-
(iii)	कुल प्राप्ति	0.46	0.78
(iv)	गत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राशि	0.39	0.43
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल प्राप्ति/(हानि)	0.85	1.21

- 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई आस्तियों' को आरबीआई के 01 जुलाई, 2006 के मास्टर परिपत्र डीबीओडी संख्या एफआईडी.एफआईसी. 2/01.02.00/2006-07 और उसके बाद के परिपत्रों में परिभाषित अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ख. प्रतिभूति जमाओं में निवेशों के बही मूल्य का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य	
		2024-25	2023-24
(i)	बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	0.21	0.53
(ii)	बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	-	-
	कुल	**0.21**	**0.53**

6.2 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण		2024-25	2023-24
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
	(ख) कुल बकाया	-	-
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	-	-
	(ख) कुल बकाया	-	-

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	बेचे गए खातों की संख्या	1	4
2.	कुल बकाया	1.47	2.07
3.	कुल प्राप्त राशि	0.46	0.78

6.3 वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहीत किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

क. हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	1	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	1.47	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	शून्य	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	-	-
कुल प्रतिफल	0.46	-	-
पूर्व वर्षों में हस्तांतरित ऋणों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली#	0.39	-	-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित मामलों में वसूली

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	4	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	2.07	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	शून्य	-	-

(₹ बिलियन)

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	-	-
कुल प्रतिफल	0.78	-	-
पूर्व वर्षों में हस्तांतरित ऋणों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	0.43	-	-

ख. अधिग्रहीत ऋणों का विवरण

चालू वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	खंड 3 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं की सूची से	एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	-	-
कुल प्रदत्त प्रतिफल	-	-
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	-	-

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	खंड 3 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं की सूची से	एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	-	-
कुल प्रदत्त प्रतिफल	-	-
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	-	-

7. परिचालन परिणाम

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	9.36	8.98
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.28	0.34
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.92	2.26
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.61	1.47
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ/(हानि) (₹ बिलियन में)	0.09	0.07

- परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत तथा रिपोर्ट के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है ("कार्यशील निधियों" का संदर्भ निवल अर्जक आस्तियों से है)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना के लिए सभी कैडरों के स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को लिया गया है।

8. ऋण संकेंद्रण जोखिम

8.1 पूँजी बाजार एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका निवेश केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही नहीं है;	0.56	0.18
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स में निवेश के लिए शेयरों / बॉन्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के एवज में अग्रिम अथवा गैर प्रतिभूति आधार पर व्यक्तियों को अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	0.55	-
(iv)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों/ डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की कोलैटरल सिक्योरिटी, अर्थात ऐसे उद्देश्य जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती;	2.40	-
(v)	शेयर दलालों को जमानती और गैर–जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों और मार्केटमेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स को नई कंपनियों में प्रवर्तक इक्विटी लेने के लिए शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बेजमानती ऋणों की मंजूरी;	-	-
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के बदले पूरक ऋण;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की प्राथमिक निर्गम की खरीद के संबंध में बैंक द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	-	-
(ix)	शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण;	-	-
(x)	उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए सभी एक्सपोज़र	0.34	0.24
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**3.85**	**0.42**

8.2 देशगत जोखिम एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

जोखिम श्रेणी	यथा मार्च 2025 को एक्सपोज़र (निवल)	यथा मार्च 2025 को रखे गए प्रावधान	यथा मार्च 2024 को एक्सपोज़र (निवल)	यथा मार्च 2024 को प्रावधान
नगण्य	98.89	0.99	94.09	0.47
न्यून	182.77	-	116.96	-
मध्यम	487.02	-	613.75	-
उच्च	274.82	-	231.47	-
बहुत ज्यादा	177.94	-	236.51	-
प्रतिबंधित	-	-	-	-
ऑफ क्रेडिट	-	-	-	-
कुल	**1,221.44**	**0.99**	**1,292.78**	**0.47**

8.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
खातों की संख्या	1	1
कुल बकाया राशि	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि	0.08	0.08

8.4 क्रियान्वित की गई समाधान योजना

वर्तमान वर्ष

निधि आधारित:

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया राशि*
2	0.80	0.24	0.2	-

*1 खाता तकनीकी राइट–ऑफ खाता है, अतः बैंक की बही में इससे संबंधित ऋण बकाया राशि शून्य दर्शायी गई है।

गैर–निधि आधारित:

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया राशि
-	-	-	-	-

• अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी. 8/21.04.048/2024-25 दिनांकित 02 अप्रैल, 2024 के अनुसार।

गत वर्ष:

निधि आधारित:

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया राशि
5	1.39	1.28	3.19	1.28

गैर–निधि आधारितः

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया राशि
-	-	-	-	-

• अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी. 3/21.04.048/2023-24 दिनांकित 01 अप्रैल, 2023 के अनुसार।

8.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना (एस4ए) के अंतर्गत एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

विवरण		2024-25	2023-24
मानक खातों के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या, जिन पर एस4ए लागू होता है		2	2
कुल बकाया राशि		0.00	0.00
बकाया राशि	भाग क में	2.94	2.94
	भाग ख में	2.59	2.59
किया गया प्रावधान		0.67	1.11

8.6 यथा 31 मार्च, 2025 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत ₹ 6.87 बिलियन (गत वर्षः ₹ 8.21 बिलियन) के बकाया ऋण के साथ 62 खातों (गत वर्षः 67 खाते) को एनसीएलटी में दाखिल किया गया या संदर्भित किया गया, जिनके एवज में बैंक ने 100% प्रावधान किया है (गत वर्षः 100%)। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इन खातों से कुल ₹ 0.50 बिलियन राशि वसूल की गई (गत वर्ष 0.80 बिलियन)।

8.7 बैंक द्वारा विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण देने संबंधी मामले–एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा

क. वर्ष के दौरान विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामलों की संख्या और राशि

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर–निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
-		-	-	-	-	-	-	-

गत वर्षः

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर–निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ख. पूँजीगत निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण

वर्तमान वर्ष:

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	20.00%	1.54%	1.86%
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	22.66%	1.75%	2.10%
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	193.81%	14.94%	17.99%
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	275.76%	21.26%	25.60%

* यथा 31 मार्च, 2024 को पूँजीगत निधियां
@ टीसीईः ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2025 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन पर ऋण एक्सपोज़र टियर I पूँजी की अधिकतम सीमा 20% से अधिक रहा हो। इसके अलावा, ऐसे कोई उधारकर्ता समूह नहीं रहे, जिन पर ऋण एक्सपोज़र टियर I पूँजी की अधिकतम सीमा 25% की आधार सीमा से अधिक रहा हो।

गत वर्ष:

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	18.85%	1.56%	1.92%
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	25.85%	2.14%	2.64%
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	195.14%	16.12%	19.89%
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	181.64%	15.00%	18.52%

* यथा 31 मार्च, 2023 को पूँजीगत निधियां।
@ टीसीईः ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2024 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन पर ऋण एक्सपोजर पूंजीगत निधियों के 15% की आधार सीमा से अधिक रहा हो। एक उधारकर्ता के संबंध में, इस ऋण को बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए वित्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए यह आरबीआई के मानदंडों के अनुसार बैंक के टीसीएफ के 20% तक के वित्तपोषण के लिए पात्र है। इसके अलावा, ऐसा कोई उधारकर्ता समूह नहीं रहा, जिस पर ऋण एक्सपोजर कुल पूंजीगत निधियों के 40% की आधार सीमा से अधिक रहा हो।

ग. पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र

वर्तमान वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i. वित्तीय सेवाएं	4.79%	6.69%
ii. ईपीसी सेवाएं	4.65%	6.48%
iii. लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	4.43%	6.18%
iv. पेट्रोलियम उत्पाद	3.52%	4.92%
v. विद्युत	3.04%	4.25%

- "ऋण एक्सपोज़र" की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
- उद्योग एक्सपोज़र की गणना के लिए बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण जिनके लिए भारत सरकार द्वारा/भारत सरकार की ओर से गारंटी दी गई है, उन्हें भारत सरकार की ओर से दिया गया ऋण माना गया है और उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है।

गत वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i. वित्तीय सेवाएं	4.71%	6.97%
ii. ईपीसी सेवाएं	4.33%	6.40%
iii. रसायन तथा रंजक	3.26%	4.83%
iv. लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	3.19%	4.72%
v. पेट्रोलियम उत्पाद	3.12%	4.62%

घ. अप्रतिभूतित अग्रिम

(₹ बिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
बैंक के कुल अप्रतिभूतित अग्रिम	338.42	249.73
i) जिसमें से कॉर्पोरेट/व्यक्तिगत गारंटियों, वचन पत्रों, ट्रस्ट रसीदों आदि जैसी अमूर्त आस्तियों के एवज में बकाया ऋण एवं अग्रिम की राशि	17.38	10.82
ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अनुसार अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	11.51	4.49

ङ. फैक्टरिंग एक्सपोज़र

फैक्टरिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक का कोई एक्सपोज़र नहीं है (गत वर्ष: ₹ शून्य)।

च. वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा पार की गई विवेकसम्मत ऋण सीमा वाले एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(गत वर्ष: शून्य)

9. उधारियों/ऋण-व्यवस्थाओं, ऋण एक्सपोज़रों और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(क) उधारियों और ऋण-व्यवस्थाओं का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां*	462.59	548.64
बैंक की कुल उधारियों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का प्रतिशत	25.82%	35.49%

*इसमें वे ऋण शामिल हैं, जिन्हें दस्तावेजीकरण के बाद सिंडिकेट किया गया है।

(ख) ऋण एक्सपोज़रों का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोज़र	393.52	381.89
बैंक के कुल ऋण एवं अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	20.85%	23.83%
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	393.52	381.89
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोज़र का प्रतिशत	14.94%	16.12%
एक्ज़िम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोज़र की तुलना में शीर्ष 10 देशों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	32.74%	36.87%

एक्सपोज़र की गणना वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के (बासल III के विवेकपूर्ण विनियमों, पूंजी फ्रेमवर्क, एक्सपोजर मानदंडों, महत्वपूर्ण निवेशों, वर्गीकरण, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का मूल्यांकन एवं परिचालन तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड) के निदेश, 2023, दिनांकित 21 सितंबर, 2023।

(ग) ऋणों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2024-25			2023-24		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
क	**घरेलू क्षेत्र**	**675.57**	**4.75**	**1%**	**462.46**	**6.18**	**1%**
1	**कुल निर्यात वित्त**	**532.47**	**3.19**	**1%**	**340.74**	**4.62**	**1%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	**459.14**	**2.72**	**1%**	**303.84**	**4.14**	**1%**
	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	73.48	-	0%	41.91	-	0%
	रसायन और रंजक	-	-	-	22.73	0.07	0%
	पेट्रोलियम उत्पाद	87.84	-	0%	70.08	-	0%
	विद्युत	17.30	0.14	1%	2.14	0.14	6%
	अन्य	280.52	2.58	1%	166.98	3.93	2%
	सेवा क्षेत्र	**73.34**	**0.48**	**1%**	**36.90**	**0.48**	**1%**
	वित्तीय सेवाएं	15.69	-	0%	-	-	-
	दूरसंचार	8.21	-	0%	-	-	-
	अन्य	49.44	0.48	1%	36.90	0.48	1%
2	**कुल आयात वित्त**	**143.10**	**1.56**	**1%**	**121.72**	**1.56**	**1%**
	कृषि क्षेत्र			-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	**95.90**	**1.56**	**2%**	**74.44**	**1.56**	**2%**
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	0.55	-	0%	2.19	-	0%

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2024-25 कुल बकाया अग्रिम	2024-25 सकल अनर्जक आस्तियां	2024-25 क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	2023-24 कुल बकाया अग्रिम	2023-24 सकल अनर्जक आस्तियां	2023-24 क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
	रसायन और रंजक	-	-	-	12.80	-	0%
	विद्युत	45.70	1.56	3%	42.11	1.56	4%
	अन्य	49.64	-	0%	17.34	-	0%
	सेवा क्षेत्र	**47.20**	**-**	**0%**	**47.28**	**-**	**0%**
	वित्तीय सेवाएं	42.74	-	0%	44.70	-	0%
	दूरसंचार	1.59	-	0%	-	-	-
	अन्य	2.87	-	0%	2.58	-	0%
3	**(क) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र**	-	-	-	-	-	-
ख	**बाह्य क्षेत्र**	**144.53**	**10.98**	**8%**	**147.87**	**8.77**	**6%**
1	**कुल निर्यात वित्त**	**144.53**	**10.98**	**8%**	**147.87**	**8.77**	**6%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	**79.71**	**8.52**	**11%**	**86.39**	**6.26**	**7%**
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	13.70	-	0%	12.30	-	0%
	रसायन और रंजक	-	-	-	13.11	-	0%
	विद्युत	9.35	2.83	30%	8.18	3.73	46%
	पेट्रोलियम उत्पाद	-	-	-	-	-	0%
	अन्य	56.66	5.68	10%	52.80	2.53	5%
	सेवा क्षेत्र	**64.82**	**2.46**	**4%**	**61.47**	**2.50**	**4%**
	वित्तीय सेवाएं	47.10	-	0%	44.18	-	0%
	दूरसंचार	11.70	-	0%	-	-	-
	अन्य	6.02	2.46	41%	17.29	2.50	14%
2	**कुल आयात वित्त**	-	-	-	-	-	-
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	सेवा क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3	**(ख) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र**	-	-	-	-	-	-
ग	**अन्य एक्सपोज़र#**	**1,066.96**	**16.46**	**2%**	**992.13**	**16.07**	**2%**
घ	**कुल एक्सपोज़र (क+ख+ग)**	**1,887.06**	**32.20**	**1.71%**	**1,602.46**	**31.01**	**1.94%**

#इसमें ऋण-व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण, रियायती वित्त योजना, वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त और बैंकों द्वारा प्रति-गारंटित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

(घ) हेज न किया गया विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने आरबीआई के मास्टर निदेश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16 दिनांकित 23 जून, 2016 के अनुसार, पूँजी के प्रावधान की आवश्यकताओं के संबंध में एक आंतरिक नोट के अनुसार अरक्षित हेज न किया गया विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) वाली कंपनियों को एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील रूप से प्रावधान करने के नियम को लागू किया है। यथा 31 मार्च, 2025 को मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए ₹ 1.43 बिलियन (गत वर्ष: ₹ 1.04 बिलियन) की राशि रखी गई और मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए आवंटित पूँजी ₹ 36.49 बिलियन (गत वर्ष: ₹ 20.36 बिलियन) रही।

10. डेरिवेटिव

10.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वॉप**

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25		2023-24	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वॉप करारों का मूल कल्पित मूल्य	653.82	-	573.75	-
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	3.09	-	2.05	-
3.	स्वॉप करारों के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित कोलैटरल	-	-	-	-
4.	स्वाप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	–	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	-
5.	स्वॉप बही का सही मूल्य	(28.92)	-	(43.66)	-

*सभी ब्याज दर स्वॉप बैंकों के साथ किए गए हैं।

**ब्याज दर स्वॉप में क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वॉप शामिल नहीं है, जिसका विवरण 10.3 ख में दिया गया है।

स्वॉप की प्रकृति तथा शर्तें : सभी संव्यवहार बैंक की आस्तियों/देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

(₹ बिलियन)

लिखत	प्रकृति	संख्या	अनुमानित मूलधन	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	17	299.14	6 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	21.37	3 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	4	98.29	6 माह सोफर	फ्लोटिंग प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	0.51	टोना	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	8	205.13	सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	2	16.30	आईएनटीबीफिक्स 3 माह	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
	कुल	33	640.74		

10.2 एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की सांकेतिक मूल राशि	-
2.	यथा 31 मार्च, 2025 को एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि	-
3.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि किंतु “हाइली इफेक्टिव” नहीं	-
4.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार्केट मूल्य किंतु “हाइली इफेक्टिव” नहीं	-

10.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटन

क. गुणात्मक प्रकटन

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यतः अपने तुलन पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स का ही उपयोग करता है।

2. डेरिवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि तथा (ii) ऋण जोखिम अर्थात प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जिसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से समग्र आस्ति देयता स्थिति को संव्यवहार स्तर पर ही प्रबंधित कर लेना है। यह नीति बैंक के व्यवसाय लक्ष्यों के अनुरूप अनुमत डेरिवेटिव उत्पादों के प्रयोग को परिभाषित करती है, नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली निर्धारित करती है और नियामकीय, प्रलेखन तथा लेखा संबंधी विषयों के बारे में बताती है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्री–सेटलमेंट लिमिट, पीवी01 लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।

3. बैंक की आस्ति–देयता प्रबंधन समिति (एल्को), डेरिवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करने वाले बैंक के मिड ऑफिस की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का पर्यवेक्षण करती है।

4. यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है तथा एएलएम बही में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत करंसी स्वॉप शामिल नहीं हैं।

ख. मात्रात्मक प्रकटन

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25		2023-24	
		करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
1	डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	248.23	640.74	233.11	573.74
	ख) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
2	मार्क्ड–टू–मार्केट स्थितियां				
	क) आस्ति (+)	-	-	-	-
	ख) देयता (–)	(32.17)	(28.97)	(40.86)	(43.66)
3	ऋण एक्सपोज़र	15.96	12.67	9.18	4.26
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	4.25	25.48	5.43	21.57
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	(i) अधिकतम	5.53	26.38	8.01	25.25
	(ii) न्यूनतम	4.25	19.95	5.43	21.57
	ख) ट्रेडिंग पर				
	(i) अधिकतम	-	-	-	-
	(ii) न्यूनतम	-	-	-	-

(क) ऊपर प्रकटित ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि क्रमशः ₹640.74 बिलियन (₹573.74 बिलियन) और ₹248.23 बिलियन (₹233.11 बिलियन) को मार्क्ड –टू–मार्केट (एमटीएम) के संबंध में हिसाब में नहीं लिया गया है, जहां अंतर्निहित आस्ति/देयताएं यथा 31 मार्च, 2025 को मार्क्ड–टू–मार्केट नहीं हैं।

(ख) करंसी डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि में ₹186.82 बिलियन (₹201.55 बिलियन) की क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वॉप राशि शामिल है और इसकी एमटीएम हानि ₹31.97 बिलियन (₹41.07 बिलियन) है।

(ग) सीसीआईआरएस के एमटीएम पर ब्याज दर में उतार–चढ़ाव के प्रभाव को फ्लोटिंग दर पर विदेशी मुद्राओं में बैंक के ऋणों और अग्रिमों के मूल्य में परिवर्तन से काफी हद तक कम कर दिया जाता है। ये स्वॉप संविदाएं मुख्य रूप से फेडाई विनिमय दरों पर की जाती हैं।

(घ) करंसी डेरिवेटिव का विवरण निम्नलिखित अनुसार है

(₹ बिलियन)

क्रमांक	विवरण	2024-25	2023-24
क)	मूल विनिमय डेरिवेटिव		
i)	क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वॉप	186.82	201.55
ii)	एफएक्स स्वॉप/ मूलधन केवल स्वॉप	48.32	31.55
ख)	अन्य		
i)	फॉरवर्ड	13.09	0.01
ii)	स्वॉप	-	-
	कुल (क+ख)	**248.23**	**233.11**

₹13.11 बिलियन की वायदा विनिमय संविदाएं (गत वर्ष ₹0.02 बिलियन) और ₹640.74 बिलियन के ब्याज दर स्वॉप (आईआरएस) के आनुमानिक आंकड़े (गत वर्ष ₹573.74 बिलियन) आकस्मिक देयताओं शीर्ष के अंतर्गत ऑफ–बैलेंस शीट मदों के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं।

11. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024-25) के दौरान, बैंक द्वारा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया (गत वर्षः शून्य) और बकाया प्रतिबद्धताओं के लिए कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं रहा। यथा 31 मार्च, 2025 को, साख पत्र के अंतर्गत बैंक का बकाया एक्सपोज़र कुल ₹ 8.99 बिलियन (गत वर्ष 2.56 बिलियन) का रहा। वर्ष के दौरान (वित्तीय वर्ष 2024–25) कोई चुकौती आश्वासन पत्र प्राप्त नहीं हुआ (गत वर्ष ₹ 3.29 बिलियन)।

12. आस्ति–देयता प्रबंधन

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	35.74	55.02	143.56	203.50	64.41	128.48	79.71	20.54*	**730.96**
रुपया निवेश	0.00	2.99	15.17	0.81	6.67	16.25	34.05	82.40	**158.34**
रुपया अन्य आस्तियां	109.60	1.96	48.27	67.05	136.47	194.82	134.36	364.52	**1,057.05**
रुपया जमा राशियां	0.04	0.01	0.07	0.05	65.15	0.32	0.06	0.00	**65.68**
रुपया उधारियां	98.08	0.00	168.43	18.70	146.19	119.30	120.65	59.60	**730.96**
रुपया अन्य देयताएं	52.30	63.09	25.73	31.24	59.04	144.96	17.39	310.87	**704.62**
विदेशी मुद्रा आस्तियां	81.56	32.17	43.03	85.28	165.98	575.54	411.67	782.04	**2,177.26**
विदेशी मुद्रा देयताएं	88.54	32.58	51.74	104.61	217.12	765.25	392.48	426.97	**2,079.28**

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	22.37	22.94	92.55	87.68	101.51	57.45	45.06	33.93*	**463.50**
रुपया निवेश	0.00	7.48	13.60	12.27	23.52	27.48	14.45	65.71	**164.50**
रुपया अन्य आस्तियां	60.26	12.52	71.21	35.55	81.26	233.14	154.71	318.23	**966.88**
रुपया जमा राशियां	0.02	0.00	5.14	0.07	18.63	0.39	0.09	0.00	**24.34**
रुपया उधारियां	55.27	14.91	189.11	0.00	59.12	159.45	69.75	46.75	**594.36**
रुपया अन्य देयताएं	8.90	18.04	22.12	29.59	76.73	110.69	13.03	291.56	**570.66**
विदेशी मुद्रा आस्तियां	38.20	18.91	39.04	83.20	168.30	609.69	382.41	738.69	**2,078.44**
विदेशी मुद्रा देयताएं	40.84	20.08	48.76	103.27	222.25	794.27	539.22	438.05	**2,206.74**

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

13. आरक्षित निधियों से आहरण

बैंक द्वारा आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली गई है। (गत वर्ष : शून्य)

14. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2024-25	2023-24
इक्विटी पर रिटर्न	20.39%	15.83%
आस्तियों पर रिटर्न	1.61%	1.47%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ बिलियन)	0.09	0.07

15. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिनियम, आदेश, नियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपेक्षित शर्त के उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया। (गत वर्ष : शून्य)

16. शिकायतों का प्रकटीकरण

ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान मिली शिकायतें	1	1
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	1	1
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	-	-

17. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	**विदेशी**
-	-

(गत वर्ष : शून्य)

विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

18. अचल आस्तियों का विवरण

वर्तमान वर्ष:

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखाकंन मानक – 10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

(₹ बिलियन)

विवरण		परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक				
यथा 31 मार्च, 2024 को लागत		5.31	2.19	7.50
परिवर्द्धन		0.00	0.34	0.34
निपटान		-	0.09	0.09
यथा 31 मार्च, 2025 को लागत	**(क)**	**5.31**	**2.44**	**7.75**
मूल्यह्रास				
यथा 31 मार्च, 2024 को संचित		2.16	1.71	3.87
वर्ष के दौरान प्रावधान		0.23	0.34	0.57
निपटान पर हटाया गया		-	0.09	0.09
यथा 31 मार्च, 2025 को संचित	**(ख)**	**2.39**	**1.96**	**4.35**
निवल ब्लॉक (क–ख)		**2.92**	**0.48**	**3.40**

गत वर्ष:

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक–10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

(₹ बिलियन)

विवरण		परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक				
यथा 31 मार्च, 2023 को लागत		5.24	1.87	7.11
परिवर्द्धन		0.12	0.37	0.49
निपटान		0.05	0.05	0.10
यथा 31 मार्च, 2024 को लागत	(क)	**5.31**	**2.19**	**7.50**
मूल्यह्रास				
यथा 31 मार्च, 2023 को संचित		1.93	1.44	3.37
वर्ष के दौरान प्रावधान		0.23	0.32	0.55
निपटान पर हटाया गया		-	0.05	0.05
यथा 31 मार्च, 2024 को संचित	(ख)	**2.16**	**1.71**	**3.87**
निवल ब्लॉक (क–ख)		**3.15**	**0.48**	**3.63**

19. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण–व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय (अक्रुअल) आधार पर हिसाब में लिया गया है।

20. खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों में केवल एक व्यवसाय खंड अर्थात 'वित्तीय गतिविधियां' शामिल है, अतएव इसे एकल व्यवसाय खंड वाली संस्था के रूप में माना गया है।

बैंक के भौगोलिक परिचालन खंडों को घरेलू परिचालनों एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है। इन परिचालनों का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकरण मुख्यतः संव्यवहार के जोखिम तथा प्रतिफल पर आधारित है।

(₹ बिलियन)

विवरण	घरेलू परिचालन		अंतरराष्ट्रीय परिचालन		कुल	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व	180.78	147.76	7.83	6.77	188.61	154.53
आस्तियां	2,061.74	1,805.22	126.06	114.30	2,187.80	1,919.52

21. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्षकारों का प्रकटन निम्नलिखित अनुसार हैः

- संबंध

  (i) सहायक कंपनी:

  – इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

  (ii) संयुक्त उद्यम:

  – जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड
  – कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी

  (iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

  – सुश्री हर्षा बंगारी (प्रबंध निदेशक)
  – श्री तरुण शर्मा (उप प्रबंध निदेशक)
  – सुश्री दीपाली अग्रवाल (28 जून, 2024 से उप प्रबंध निदेशक, इससे पहले सुश्री अग्रवाल 27 जून, 2024 तक बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफ़ओ) थीं)
  – श्री मुकुल सरकार, मुख्य जोखिम अधिकारी
  – श्री गौरव भंडारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (01 जुलाई, 2024 से प्रभावी)
  – सुश्री मंजिरी भालेराव, मुख्य अनुपालन अधिकारी
  – सुश्री रीमा मारफतिया, आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रमुख
  – श्री उत्पल गोखले, बोर्ड सचिव, (05 सितंबर, 2024 तक)
  – श्री टी.डी. सिवाकुमार, बोर्ड सचिव (06 सितंबर, 2024 से प्रभावी)
  – सुश्री बख्तावर पटेल, ट्रेजरी की प्रमुख (08 अगस्त, 2024 से प्रभावी)
  – सुश्री सिद्धी केळुसकर, अनुपालन अधिकारी
  – श्री मुकुल अग्रवाल, मुख्य तकनीकी अधिकारी (23 जुलाई, 2024 तक)

- **बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियों तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है:**

(₹ मिलियन)

विवरण	सहायक कंपनियां		संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
प्रदत्त ऋण	-	7.90	-	-	0.61	8.50
जारी गारंटियां		-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	0.02	-	-	0.12	0.01
प्राप्त गारंटी कमीशन	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	-	-	-	-	-	-
स्वीकार की गई सावधि जमा राशियां	-	-	-	-	2.70	10.10

(₹ मिलियन)

विवरण	सहायक कंपनियां		संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
सावधि जमा राशियों पर ब्याज	-	-	-	-	1.80	1.80
रिटन ऑफ किए गए खातों की राशि / अपलेखीकृत की गई राशियां	-	-	-	-	-	-
बकाया सावधि जमा राशियां	-	-	-	-	24.69	29.03
वर्ष के अंत में बकाया ऋण	-	-	-	-	0.30	8.40
वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया निवेश (प्रावधानों के निवल)	415.73	415.73	3.23	3.23	-	-
प्राप्त लाभांश	-	-	0.84	0.70	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया ऋण	-	7.90	-	-	14.05	15.87
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया गारंटियां	-	-	-	-	-	-
परिलब्धियों सहित वेतन	-	-	5.22	3.85	65.08	44.30
भुगतान किया गया किराया	-	-	0.90	0.90	-	-
व्ययों की प्रतिपूर्ति	5.42	5.68	0.22	0.53	-	-
निदेशक की प्राप्त फीस	-	-	0.04	0.04	-	-
परामर्श के लिए भुगतान की गई फीस	-	-	7.48	17.52	-	-

22. आय पर कर के संबंध में लेखांकन

(क) कर के लिए प्रावधान संबंधी विवरण:

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
आय पर कर	9.22	8.07
जोड़ें : निवल आस्थगित कर देयता	1.32	0.11
कुल	**10.54**	**8.18**

(ख) आस्थगित कर आस्ति:

प्रमुख करों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का संयोजन नीचे दिया गया है:

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
आस्थगित कर आस्तियां		
1. अस्वीकृत प्रावधान (निवल)	19.80	21.43
2. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.07	0.05
घटाएं: आस्थगित कर देयता		
1. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
2. बॉन्ड निर्गम व्ययों का परिशोधन	0.50	0.59
3. धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	2.92	3.12
निवल आस्थगित कर आस्तियां तुलन-पत्र के 'आस्तियां' पक्ष में 'अन्य आस्तियां' में शामिल	**16.45**	**17.77**

23. संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं	देश	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क	जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड	भारत	28.10%	28.10%
ख	कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी	मॉरीशस	41.39%*	36.36%

*कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी कंपनी को बंद करने संबंधी व्यय के लिए शेयरधारकों द्वारा किए गए पूंजीगत अंशदान के कारण 5.5 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 8.6 मिलियन यूएस डॉलर हो गई है। इस संबंध में, एक्ज़िम बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.56 मिलियन यूएस डॉलर का अंशदान दिया, जिससे इसकी शेयरधारिता 36.36% से बढ़कर 41.39% हो गई है।

II. संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी लेखा मानक–27 के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति का प्रयोग करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ मिलियन)

देयताएं	2024-25	2023-24	आस्तियां	2024-25	2023-24
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	47.00	42.71	अचल आस्तियां	0.13	0.23
ऋण	-	-	निवेश	15.82	11.06
अन्य देयताएं	6.64	4.98	अन्य आस्तियां	37.69	36.39
कुल	53.64	47.69	कुल	53.64	47.69

आकस्मिक देयताएं: शून्य (गत वर्ष: शून्य)

(₹ मिलियन)

व्यय	2024-25	2023-24	आय	2024-25	2023-24
ब्याज और वित्तपोषण व्यय	0.05	0.01	परामर्शी आय	21.36	16.25
अन्य व्यय	17.02	11.95	ब्याज आय तथा निवेश से आय	1.97	2.74
प्रावधान	2.29	2.19	अन्य आस्तियां	1.17	0.25
लाभ	5.14	5.09			
कुल	24.50	19.24	कुल	24.50	19.24

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी) बैंक की मॉरीशस में निगमित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनैंशल सर्विसेज़ (आईएल एंड एफएस) समूह इसके अन्य शेयरधारक हैं। केपीडीसी में लगातार हानि दर्ज किए जाने और केपीडीसी का परिचालन सस्टेनेबल न होने के कारण शेयरधारकों ने मार्च 2023 में केपीडीसी के परिचालन को बंद करने संबंधी संकल्प पारित किया। इसके बाद केपीडीसी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और केपीडीसी की सभी बकाया देनदारियों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024–25 में कर दिया गया है। सभी शेयरधारकों/ सांविधिक प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन/ अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद केपीडीसी को बंद करने और इसे तटसंबंधी रजिस्टर से हटाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मॉरीशस को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। चूंकि गत दो वर्षों से केपीडीसी का कोई व्यवसाय परिचालन नहीं रहा है, अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है और इसलिए उपरोक्त में केपीडीसी के विवरण शामिल नहीं है।

24. आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में अधिकांश आस्तियां "वित्तीय आस्तियां" हैं, जिन पर "आस्तियों का ह्रास" संबंधी लेखा मानक 28 लागू नहीं होता है। बैंक की राय में, जिन आस्तियों पर ये मानक लागू होते हैं, उनमें उक्त लेखा मानकों के संबंध में हिसाब में लेने के लिए यथा 31 मार्च, 2025 को कोई ह्रास नहीं हुआ है।

25. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी लाभों पर यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखा मानक–15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है, जिसमें तुलन पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) तुलन पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अवधि के अंत में आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	1.95	1.76	0.36	0.32
अवधि के अंत में हित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2.14	(1.87)	0.49	(0.35)
निधीयन स्थिति	(0.19)	(0.11)	(0.13)	(0.03)
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई परिवर्ती देयता	-	-	-	-
अवधि के अंत में तुलन पत्र में हिसाब में ली गई निवल देयता	(0.19)	(0.11)	(0.13)	(0.03)

ख) लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्तमान सेवा लागत	0.04	0.04	0.02	0.02
ब्याज लागत	0.01	0.13	0.03	0.02
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	0.13	0.12	0.02	0.02
बीमांकिक हानि/(लाभ)	0.17	0.08	0.11	0.01
विगत सेवा लागत – गैर–निहित लाभ	-	-	-	-
विगत सेवा लागत – निहित लाभ	-	-	-	-
परिवर्ती देयता	-	-	-	-
लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय	0.21	0.12	0.13	0.03
नियोक्ता द्वारा अंशदान	0.14	0.09	0.03	-

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.06%	7.52%	6.85%	7.49%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	7.06%	7.52%	6.85%	7.49%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ दायित्व की राशि ₹ 0.07 बिलियन रही (गत वर्षः ₹ 0.185 बिलियन), जिसका पूर्णतः प्रावधान किया जा चुका है।

26. सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के परिपत्र के अनुपालन में भारतीय निर्यात–आयात बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

प्राधिकृत व्यक्ति: श्री अनिल ग्रोवर, महाप्रबंधक एवं ऑपरेशन हेड
श्री राहुल चौधरी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पता:

पंजीकृत कार्यालय: एक्सिस हाउस,
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड,
पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुंबई – 400 025

कॉर्पोरेट कार्यालय: द रूबी, दूसरी मंज़िल, एसडब्ल्यू
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई – 400 028

फोन: (022) 62300451
ईमेल: Debenturetrustee@axistrustee.in
वेबसाइट: www.axistrustee.in

27. आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरूआत, कोविड–19 महामारी के कारण आर्थिक दबाव में आए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की गईः

(₹ बिलियन)

योजना	2024-25				2023-24			
	मंजूरी	संवितरित	बकाया: उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया: राशि	मंजूरी	संवितरित*	बकाया: उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया: राशि
ईसीएलजीएस 1.0	-	-	3	0.06	-	-	4	0.08
ईसीएलजीएस 2.0	-	-	9	0.32	-	0.03	12	0.67
ईसीएलजीएस 3.0	-	-	1	0.22	-	0.21	1	0.22
कुल योग	**-**	**-**	**13**	**0.60**	**-**	**0.24**	**17**	**0.97**

(*) वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान मंजूर ऋणों के लिए किए गए संवितरण शामिल हैं।

28. भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के क्रियान्वयन का स्थगन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र दिनांकित 04 अगस्त, 2016 के अनुसार, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सभी बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर 01 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए और 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ लागू थे। आरबीआई ने एक्ज़िम बैंक को संबोधित 15 मई, 2019 के अपने पत्र के जरिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए इन मानकों का क्रियान्वयन अगली सूचना तक स्थगित करने के संबंध में सूचित किया है।

29. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
दस्यता सं. 032271

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने "भारतीय निर्यात–आयात बैंक" (इसके बाद "मूल संस्था" के रूप में संदर्भित), "इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड" ("सहायक कंपनी" के रूप में संदर्भित) और समूह की **सामान्य निधि** के इन समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है। मूल संस्था और सहायक कंपनी को साथ मिलाकर "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2025 को समेकित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) तथा **31 मार्च, 2025** को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखों एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना ('समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14 (i) में वांछित अनुसार, यथा 31 मार्च, 2025 को समूह की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह की समेकित लाभ और समेकित नकदी प्रवाह विवरण संबंधी स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं और ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

अभिमत का आधार

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "नैतिक संहिता" के अनुसार, समूह से संबद्ध नहीं हैं और हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप, अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले वे हैं, जो हमारे प्रोफेशनल निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के रहे हैं। इन मामलों का समाधान, संपूर्ण रूप से, समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उस पर हमारा अभिमत बनाने के संदर्भ में किया गया है और हम उन मामलों के संबंध में अलग से अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में नीचे दिए गए मामलों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों के रूप में वर्णित करने का निर्णय लिया हैः

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
1	**अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधानीकरणः** अग्रिम समूह की आस्तियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इन अग्रिमों की गुणवत्ता को, बैंक के सकल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक अग्रिमों ("एनपीए") के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक के कुल अग्रिम, समेकित कुल आस्तियों के 86.27% रहे और समूह का सकल एनपीए अनुपात 1.71% रहा।	**हमने अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई हैं:** – एनपीए निर्धारण और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की नीतियों को ध्यान में रखते हुए आईआरएसीपी मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करना। – मौजूदा आईआरएसी दिशानिर्देशों और केवल बैंक के संबंध में दिए गए आरबीआई के अतिरिक्त निदेशों के आधार पर ह्रासित खातों का निर्धारण करने के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना और उनकी परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन तथा परीक्षण करना।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
	भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण ("आईआरएसीपी") दिशानिर्देशों में एनपीए तथा ऐसी आस्तियों के लिए न्यूनतम प्रावधान का निर्धारण और वर्गीकरण करने के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। बैंक को मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों का प्रयोग करते हुए यह भी निर्धारित करना होता है कि एनपीए को चिह्नित किया जाए और उनके एवज में अपेक्षित प्रावधान किए जाएं। एनपीए का निर्धारण कुछ निश्चित क्षेत्रों में दबाव और लिक्विडिटी जैसे कारकों से प्रभावित होता है। निर्धारित एनपीए के लिए प्रावधानीकरण, उन एनपीए के कालिक क्षय और वर्गीकरण, वसूली अनुमान, सिक्योरिटी के मूल्य और अन्य गुणात्मक कारकों के आधार पर आकलित किया जाता है तथा यह प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त, समूह, कुछ निश्चित क्षेत्रों में अग्रिमों और एनपीए हो जाने की आशंका वाले चिह्नित अग्रिमों अथवा समूह अग्रिमों सहित उन एक्सपोज़रों के लिए भी प्रावधान करता है, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। इन्हें आकस्मिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समूह ने इस संबंध में अपनी लेखांकन नीति में, नोट I (iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां में विवरण दिया है। चूंकि एनपीए के निर्धारण और अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण में उल्लेखनीय स्तर का आकलन जरूरी होता है और समग्र लेखा परीक्षा में इसके महत्त्व को देखते हुए, हमने एनपीए के निर्धारण और प्रावधानीकरण को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामला माना है।	– यथोचित प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की गई और बैंक की निगरानी प्रक्रिया के अनुसार की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं तथा आरबीआई निरीक्षण की टिप्पणियों/ निर्देशों के संबंध में अनुपालन की जांच की गई। – चिह्नित उधारकर्ताओं के लेखा विवरणों और अन्य संबंधित जानकारियों की मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर समीक्षा करना। – बैंक द्वारा तनावग्रस्त ऋण खातों को चिह्नित करने के लिए बनाई गई पूर्व चेतावनी रिपोर्टों की जांच करना। – जहां कहीं भी ऋण जोखिम माना गया, उन मामलों में बैंक के प्रबंधन के साथ विशिष्ट चर्चा करना और जोखिमों को कम करने के उपाय करना। – बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार की गई जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा और संगामी लेखा परीक्षा की प्रमुख टिप्पणियों को ध्यान में रखना। – बैंक से संबंधित आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों, वर्ष के दौरान इन टिप्पणियों पर बैंक के उत्तर और आरबीआई के साथ हुए पत्राचार को ध्यान में रखना। – हमने एनपीए के संबंध में, संबंधित लेखा मानकों और आरबीआई की अपेक्षाओं के एवज में प्रकटीकरण की सुसंगतता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया। साथ ही, विनियामकीय पैकेज और समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण का भी मूल्यांकन करना। **अग्रिमों के प्रावधानीकरण के संबंध में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाईः** – अग्रिमों के प्रावधानीकरण के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में एक समझ बनाई। – आरबीआई विनियमों के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा की गई गणना तथा प्रावधानीकरण के लिए आंतरिक स्तर पर निर्धारित की गई नीतियों की सैंपल आधार पर जांच की गई। – ऐसे ऋण खातों के लिए, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं और बैंक ने उनके लिए प्रावधान किए हैं, हमने उन प्रावधानों के लिए बैंक के मूल्यांकन की समीक्षा की।
2	**आयकर के लिए आकस्मिक देयताः** बैंक में कुछ महत्त्वपूर्ण कर मामले चल रहे हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जो विवादित हैं और उन विवादों में संभावित परिणाम के लिए निर्णय महत्त्वपूर्ण होगा। चूंकि इन कर मामलों के मूल्यांकन में महत्त्वपूर्ण स्तर का निर्णय अपेक्षित है, इसलिए हमने इसे लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों में शामिल किया।	– कर देयताएं और कर प्रावधान निर्धारित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में समझ बनाई। – कर प्राधिकारियों के साथ हुए पत्राचार सहित संबंधित दस्तावेजीकरण का संदर्भ लेते हुए कर मांग की समीक्षा की गई। – इस संबंध में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया गया।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
3	**वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां और नियंत्रण** समूह की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, प्रणालियों में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह निर्भरता इतनी अधिक है कि इससे यह जोखिम बना रहता है कि आईटी नियंत्रण परिवेश में किसी भी तरह के गैप से वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। आईटी परिवेश की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग में आईटी के महत्त्व के कारण हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में चिह्नित किया है।	बैंक की आईटी प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा हेतु हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई हैं: – वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्त्वपूर्ण बैंक की आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए वॉकथ्रू किया गया। – बैंक में चिह्नित किए गए ऐप्लिकेशन सिस्टम्स के संबंध में यथोचित अंतराल पर ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट के लिए एक प्रणाली लागू है। बैंक द्वारा यथोचित अंतराल पर सूचना प्रणाली सुरक्षा ऑडिट की जाती है। – यथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों पर की गई ऑडिट में सामने आई प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरण और इसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए समूह का प्रबंधन उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में, समेकित वित्तीय विवरण और इन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को छोड़कर अन्य जानकारियां शामिल हैं। समूह की वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारियों को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में आश्वासन/निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना हमारा उत्तरदायित्व है कि यह अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी, या लेखा परीक्षा में हासिल की गई हमारी जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है या अन्यथा किसी रूप में तो गलत नहीं है। समूह की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते समय, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कहीं कुछ गलत बयानी है तो हमें उस मामले से गवर्नैंस संबंधी प्राधिकारियों को अवगत कराना आवश्यक है।

अन्य मामले

इस समूह की 1 (एक) सहायक कंपनी, 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालय, 9 (नौ) विदेश स्थित कार्यालय और 1 (एक) विदेश स्थित शाखा है। क्षेत्रीय और विदेश कार्यालयों के लिए मूल संस्था की वित्तीय लेखाकंन प्रणालियां केंद्रीकृत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों, विदेशी स्थित कार्यालयों और विदेशी स्थित शाखाओं में से हमने 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों और विदेश स्थित 1 (एक) शाखा का दौरा किया है। हमने सहायक कंपनी के कार्यालय का भी दौरा किया है।

हमने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही तक की मूल संस्था की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2025 माह तक की मूल संस्था की संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा कर ली है। हम समझते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए मूल संस्था की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है और इसलिए ये रिपोर्टें हमारी समीक्षा के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस मामले के संबध में हमारी राय इससे भिन्न नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और गवर्नैंस प्रभारियों के उत्तरदायित्व

समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले इन समेकित विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए समूह का प्रबंधन उत्तरदायी है। ये समेकित वित्तीय विवरण एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर

जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। समूह में शामिल संबंधित इकाइयों के प्रबंधन, समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं आकलन करने; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने, उन्हें क्रियान्वित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सत्य और सही स्थिति बताने वाले, तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी भौतिक चूक से मुक्त, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल इकाइयों के संबंधित प्रबंधन, समूह के परिचालन को जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है।

समूह में शामिल इकाइयों के संबंधित प्रबंधन समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि इन समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन नहीं हैं। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन हैं, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि इनमें यदि कोई गंभीर मिथ्या कथन हुए तो लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा में उनका पता लगा ही लिया जाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और ये तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोक्ताओं द्वारा अलग–अलग या सामूहिक रूप से लिए गए उनके आर्थिक निर्णय प्रभावित होते हों।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान इसी प्रोफेशनल दृष्टि से तथ्यों को परखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, समेकित वित्तीय विवरणों के महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी आधारित गंभीर मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि आधारित मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं निर्धारित करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के संबंध में समझ बनाना।
- समेकित वित्तीय विवरणों में प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तार्किकता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- व्यवसाय की निरंतरता जारी रखने के संबंध में उच्च प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धतियों की हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर जांच करना, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और यह सुनिश्चित करना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के व्यवसाय जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां समूह द्वारा अपने व्यवसाय जारी रखने को बंद करने वाली हो सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढांचे और सामग्री का मूल्यांकन करना और देखना कि समेकित वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं और घटनाएं इस रूप में हैं कि उचित प्रस्तुति प्रदर्शित करती हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह में शामिल इकाइयों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, में शामिल की गई बैंक और इसकी सहायक कंपनी की वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपने लेखा परीक्षा अभिमत के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी महत्त्वपूर्ण विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना जा सकता है।

गवर्नेंस प्रभारियों को सूचित किए गए मामलों से, हमारा तात्पर्य उन मामलों से है, जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्त्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि उस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण से विधि या विनियमों का उल्लंघन न होता हो, या जब तक अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित न कर लें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में इसलिए सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूचनाओं का प्रकाशन लोकहित में होने के बजाय प्रतिकूल परिणाम देने वाला हो सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21, ''समेकित वित्तीय विवरण'' की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं किः

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार, समूह द्वारा लेखे की उचित बहियां अभी तक रखी गई हैं, जैसा कि हमारे द्वारा की गई इन बहियों की जांच में परिलक्षित होता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से इस रिपोर्ट में लिए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि लेखों तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- समूह के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, समूह की शक्तियों के भीतर हैं।
- हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार, लेखे की उचित बहियां, इन बहियों की हमारी जांच में परिलक्षित अनुसार, समूह द्वारा अभी तक रखी गई हैं और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से हमें ऐसे प्रतिनिधि कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों से पर्याप्त रिटर्न मिले हैं, जिनका दौरा हमने नहीं किया है।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त समेकित वित्तीय विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

कृते **एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 302014E/W101061

सीए रामकृष्णन मणि
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271
यूडीआईएन: 25032271BMIAZT2984

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

यथा 31 मार्च, 2025 को समेकित तुलन पत्र

सामान्य निधि

	अनुसूचियां	इस वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
देयताएं			
1. पूँजी	I	159,093,663,881	159,093,663,881
2. आरक्षित निधियां	II	99,028,015,711	69,846,595,100
3. लाभ और हानि खाता	III	3,250,000,000	2,520,000,000
4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर		1,115,794,296,200	912,354,653,250
5. देय बिल		-	-
6. जमा राशियां	IV	903,357,470	1,133,512,174
7. उधार राशियां	V	675,464,146,198	632,618,281,220
8. चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		86,948,536,540	90,843,508,159
9. अन्य देयताएं		47,318,335,326	51,101,577,272
योग		**2,187,800,351,326**	**1,919,511,791,056**
आस्तियां			
1. नकदी एवं बैंक शेष	VI	70,582,318,978	84,698,494,154
2. निवेश	VII	159,697,485,142	165,819,241,957
3. ऋण एवं अग्रिम	VIII	1,805,390,799,807	1,512,012,783,809
4. भुनाए गए/पुनः भुनाए गए विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	52,000,000,000	64,010,000,000
5. अचल आस्तियां	X	3,404,432,912	3,638,480,792
6. अन्य आस्तियां	XI	96,725,314,487	89,332,790,344
योग		**2,187,800,351,326**	**1,919,511,791,056**
आकस्मिक देयताएं			
(i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व		155,036,824,435	136,756,995,162
(ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर		13,108,564,859	22,685,842
(iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर		-	-
(iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं		194,597,850	189,822,180
(v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		3,612,000,000	3,527,000,000
(vi) संग्रहण के लिए बिल		-	-
(vii) सहभागिता प्रमाण–पत्रों पर		-	-
(viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल		-	-
(ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है		656,232,550,632	591,240,666,610
		828,184,537,776	**731,737,169,794**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते **एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
दस्यता सं. 032271

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

सामान्य निधि

		इस वर्ष (2024-25) ₹	गत वर्ष (2023-24) ₹
व्यय	**अनुसूचियां**		
1. ब्याज		145,549,968,629	112,918,543,653
2. ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		923,505,699	708,017,873
3. स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		1,705,965,880	1,002,283,236
4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		958,077	862,250
5. लेखा परीक्षा की फीस		1,454,195	1,433,923
6. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमिया		453,965,029	320,397,077
7. संचार विषयक व्यय		52,256,795	39,711,843
8. विधि विषयक व्यय		40,990,228	46,881,263
9. अन्य व्यय	XII	1,834,285,599	1,557,412,201
10. मूल्यह्रास		574,829,343	545,025,604
11. ऋण हानियों/आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		(5,321,159,758)	4,135,764,503
12. नीचे ले जाया गया लाभ/(हानि)		42,972,679,256	33,363,025,350
योग		**188,789,698,971**	**154,639,358,776**
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर राशि का निवल) [₹1,323,174,509 के आस्थगित कर सहित (गत वर्ष: ₹ 106,372,395)]		10,541,361,504	8,179,019,374
तुलन पत्र में अंतरित शेष लाभ/(हानि)		32,431,317,753	25,184,005,976
		42,972,679,256	**33,363,025,350**
आय			
1. ब्याज और बट्टा	XIII	183,286,159,311	149,037,011,307
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस		4,287,371,906	4,799,467,975
3. अन्य आय	XIV	1,216,167,755	802,879,494
योग		**188,789,698,971**	**154,639,358,776**
नीचे लाया गया लाभ/(हानि)		42,972,679,256	33,363,025,350
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज–कर प्रावधान का प्रतिलेखन		-	-
		42,972,679,256	**33,363,025,350**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
दस्यता सं. 032271

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
अनुसूची I: पूँजी:		
1. प्राधिकृत	200,000,000,000	200,000,000,000
2. निर्गमित एवं प्रदत्तः (केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	159,093,663,881	159,093,663,881
अनुसूची II: आरक्षित निधियां:		
1. आरक्षित निधि	81,237,979,010	52,269,379,636
2. सामान्य आरक्षित राशियां	-	-
3. अन्य आरक्षित राशियां:		
निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि*	2,194,717,637	1,981,896,400
ऋण शोधन निधि (ऋण–व्यवस्थाएं)	1,955,319,064	1,955,319,064
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	13,640,000,000	13,640,000,000
	99,028,015,711	**69,846,595,100**
अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा:		
1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखों के अनुसार शेष	32,431,317,753	25,184,005,976
2. घटाएं: विनियोजनः		
– आरक्षित निधि को अंतरित	28,968,496,516	22,621,405,977
– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित*	212,821,237	42,600,000
– ऋण शोधन निधि को अंतरित	-	-
– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	-	-
3. निवल लाभ का शेष (एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)	**3,250,000,000**	**2,520,000,000**
अनुसूची IV: जमा राशियां:		
(क) भारत में	903,357,470	1,133,512,174
(ख) भारत के बाहर	-	-
	903,357,470	**1,133,512,174**
अनुसूची V: उधार राशियां:		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से:		
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	-	-
(ख) विनिमय बिलों पर	-	-
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	-	-
2. भारत सरकार से	-	-
3. अन्य स्रोतों सेः		
(क) भारत में	233,436,461,510	191,789,912,310
(ख) भारत के बाहर	442,027,684,688	440,828,368,910
	675,464,146,198	**632,618,281,220**
अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक में शेष:		
1. हाथ में नकदी	271,911	169,832
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	18,600,337,135	286,402,616
3. अन्य बैंकों में शेष:		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	8,095,476,502	8,241,306,160
ii) अन्य जमा खातों में	8,750,000,000	12,014,313,945
(ख) भारत के बाहर	35,136,233,431	34,172,780,212
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ट्रेप्स के अंतर्गत ऋण	-	29,983,521,389
	70,582,318,978	**84,698,494,154**

* निवेश आरक्षित खाते के लिए ₹ 21,28,21,237 राशि शामिल है (गत वर्ष: शून्य)

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
अनुसूची VII: निवेश: (मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	153,797,035,240	132,371,158,755
2. इक्विटी शेयर और स्टॉक	2,338,930,882	2,154,907,644
3. अधिमानी शेयर एवं स्टॉक	208,532,727	198,828,626
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड	1,452,641,167	1,667,495,794
5. अन्य	1,900,345,125	29,426,851,138
	159,697,485,142	**166,234,966,956**
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम:		
1. विदेशी सरकारों को	551,976,333,756	540,068,773,757
2. बैंक:		
(क) भारत में	201,192,875,000	156,242,350,000
(ख) भारत के बाहर	12,714,108,278	1,251,075,000
3. वित्तीय संस्थाएं:		
(क) भारत में	17,000,000,000	10,000,000,000
(ख) भारत के बाहर	103,636,198,640	111,428,204,946
4. अन्य	918,871,284,133	693,022,380,106
	1,805,390,799,807	**1,512,012,783,809**
अनुसूची IX: भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
(क) भारत में	52,000,000,000	**64,010,000,000**
(ख) भारत के बाहर	-	-
	52,000,000,000	**64,010,000,000**
अनुसूची X: अचल आस्तियां: (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
1. परिसर		
सकल राशि (आगे लाई गई)	5,311,186,460	5,246,732,163
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	445,804	116,208,251
वर्ष के दौरान निपटान	-	51,753,954
वर्ष के अंत में सकल राशि	**5,311,632,264**	**5,311,186,460**
संचित ह्रास	2,392,041,727	2,160,705,514
निवल राशि (ब्लॉक)	**2,919,590,537**	**3,150,480,946**
2. अन्य		
सकल राशि (आगे लाई गई)	2,185,296,033	1,860,090,076
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	341,989,157	373,754,007
वर्ष के दौरान निपटान	92,112,473	48,548,050
वर्ष के अंत में सकल राशि	**2,435,172,717**	**2,185,296,033**
संचित ह्रास	1,950,330,342	1,697,296,187
निवल राशि (ब्लॉक)	**484,842,376**	487,999,846
	3,404,432,912	**3,638,480,792**
अनुसूची XI: अन्य आस्तियां:		
1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज:		
(क) निवेशों/बैंक जमाओं पर	12,979,939,514	12,172,498,132
(ख) ऋण एवं अग्रिम	37,219,724,588	30,355,857,343
2. विविध पक्षों के पास जमा राशियां	70,254,044	64,009,436
3. प्रदत्त अग्रिम आयकर (निवल)	19,982,190,053	17,573,500,554
4. अन्य [₹16,448,466,475 (गत वर्ष ₹17,771,640,983) की निवल आस्थगित कर आस्तियों सहित]	26,473,206,288	29,166,924,879
	96,725,314,487	**89,332,790,344**

तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
अनुसूची XII: अन्य व्यय:		
1. निर्यात संवर्धन व्यय	55,593,837	42,045,166
2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	4,243,169	3,284,470
3. मरम्मत और रखरखाव	679,959,716	561,938,393
4. मुद्रण और लेखन सामग्री	10,866,061	9,565,423
5. अन्य	1,083,622,814	940,578,749
	1,834,285,599	**1,557,412,201**
अनुसूची XIII: ब्याज एवं बट्टाः		
1. ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	123,463,368,674	111,997,961,472
2. निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय	59,822,790,636	37,039,049,835
	183,286,159,311	**149,037,011,307**
अनुसूची XIV: अन्य आय:		
1. निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	1,065,002,196	309,069,474
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	433,511	(539,299)
3. अन्य	150,732,048	494,349,319
	1,216,167,755	**802,879,494**

टिप्पणी:

'देयताओं' के अंतर्गत जमाओं [अनुसूची IV (क) देखिए] में 3.36 मिलियन यूएस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमा राशियां (गत वर्ष 5.92 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बॉन्डों के पेटे रखी गई हैं।

'आस्तियों' के अंतर्गत निवेश में [अनुसूची VII 4 देखिए] कुल ₹ 0.15 बिलियन की बॉन्ड राशि (गत वर्ष ₹ 0.27 बिलियन) शामिल है, जो स्वॉप्स के कारण है।

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) और असाधारण मदें	4,297.27	3,336.30
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(0.04)	0.05
– निवेशों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(106.50)	(30.91)
– मूल्यह्रास	57.48	54.50
– बट्टे में डाले गए बॉन्ड निर्गमों पर छूट/व्यय	15.16	17.15
– निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	-	-
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना	(532.12)	413.58
– अन्य-उल्लेख करें	0.01	-
	3,731.26	**3,790.68**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– अन्य आस्तियां	(574.66)	3,594.12
– चालू देयताएं	(1,157.53)	713.44
परिचालनों से नकदी निर्माण	**1,999.07**	**8,098.24**
आय कर/ब्याज कर का भुगतान	(240.87)	(819.28)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	**1,758.21**	**7,278.96**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(34.03)	(43.71)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	718.68	(4,240.17)
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से अर्जित निवल नकदी (ख)	**684.64**	**(4,283.88)**
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– प्राप्त इक्विटी पूँजी	-	-
– लिए गए ऋण (चुकौती घटाकर)	24,534.33	26,187.41
– दिए गए ऋण, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकौती घटाकर)	(28,136.80)	(23,078.88)
– इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केन्द्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(252.00)	(155.80)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से अर्जित निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(3,854.47)**	**2,952.74**
नकदी और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(गिरावट) (क+ख+ग)	**(1,411.62)**	**5,947.82**
प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य	**8,469.85**	**2,522.03**
अंतिम नकदी एवं समतुल्य	**7,058.23**	**8,469.85**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते **एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
दस्यता सं. 032271

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

I. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(i) समेकित वित्तीय विवरण

क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का समेकित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियां गत वर्ष प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 में दिए गए अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े, भारतीय रिज़र्व बैंक के 23 जून, 2016 के मास्टर निर्देश डीबीआर.एफआईडी. सं. 108/01.02.000/2015–16, के अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियां' के हिस्से के रूप में प्रकटित किए गए हैं।

ख) आकलन का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को स्वीकृत मानक लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और इन्हें तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की जाने वाली अवधि तक के लिए आय एवं व्यय की तारीख को आस्तियों, देयताओं और प्रावधानों (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में कुछ आकलन और पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए ये आकलन प्रबंधन की राय में विवेकसम्मत और तार्किक हैं।

ग) समेकन प्रक्रियाएं

समेकित वित्तीय विवरणों में बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। समूह (सहायक कंपनी सहित) के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. एक्ज़िम बैंक (मूल) के लेखे

ख. सहायक कंपनी की आस्ति, देयता, आय और व्यय की प्रत्येक मद का एकीकरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण अंतर–समूह ट्रांज़ैक्शनों और जमाओं, तथा अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के बाद, मूल संस्था की समान मदों से किया जाता है।

ग. मूल संस्था और सहायक कंपनी के बीच लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, इन्हें मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के क्रम में, सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को आवश्यकता और व्यवहार्यता के अनुसार समायोजित किया गया है।

(ii) राजस्व की गणना

क) अनर्जक आस्तियों/अनर्जक निवेशों और तनावग्रस्त आस्तियों, रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा गारंटित ऋणों, जिनमें 90 दिन से अधिक का अतिदेय है, शुल्क आय, कमीशन, वचनबद्धता प्रभार और लाभांश जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। अनर्जक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बॉन्डों पर दिया जाने वाला बट्टा/मोचन प्रीमियम बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

ख) इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व : आय/व्यय का निर्धारण, लाभांश और नकद आधार पर लेखाबद्ध निवेशों के निपटान पर लाभ/हानि को छोड़कर, उपचय आधार पर किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं को वित्तपोषण संबंधी ब्याज आय और सुविधा शुल्क को आपूर्तिकर्ताओं को संवितरण/इनवॉइस की डिस्काउंटिंग के समय हिसाब में लिया जाता है। यदि इनवॉइस प्रबंधन शुल्क में छूट नहीं दी गई है, तो इसे इनवॉइस की डिस्काउंटिंग के समय हिसाब में लिया जाता है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

क) तुलन पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियां शामिल हैं। प्राप्य ब्याज को "अन्य आस्तियों" में समूहित किया गया है।

ऋण चुकौती और वसूली हेतु कोलैटरल सिक्योरिटी पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया हैः मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

ख) फैक्टरिंग के अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व द्वारा अधिग्रहीत रिसीवेबल के मामले में, देय तिथि तक भुगतान न होने पर उसे अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, फिर चाहे वह रिसीवेबल कभी भी अधिग्रहीत किए गए हों या फैक्टरिंग को "रिकोर्स" अथवा "नॉन–रिकोर्स" किसी भी आधार पर किया गया हो। आईएफएससीए दिशानिर्देशों के अनुसार, देय तिथि, भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि से 90 दिन मानी जाती है। प्रावधान, उपयोग में क्लोज़िंग फंड (एफआईयू) के संबंध में विनियामकीय प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर किए जाते हैं।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

(क) "परिपक्वता तक धारित"(परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियां),

(ख) "क्रय–विक्रय के लिए धारित" (प्रतिभूतियां इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार–चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय–विक्रय किया जाए) और

(ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया हैः

i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
iii) शेयरों में निवेश
iv) डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश
v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश
vi) अन्य (वाणिज्यिक–पत्र, म्युचुअल फंड इकाइयों आदि में) निवेश

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन, मूल्य निर्धारण और निवेशों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है।

(v) अचल आस्तियां तथा मूल्यह्रास

(क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत अर्जन के समय मूल लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है:

आस्ति	मूल्यह्रास दर
स्वामित्व वाले भवन	5%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	25%
कार्यालय उपकरण	25%
अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	25%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25%
मोटर वाहन	25%
कम्प्यूटरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मूल्यह्रास, प्रौद्योगिकी के पुराने होने के आधार पर लिया गया है	प्रथम दो वर्षों के लिए 33.33%, तीसरे वर्ष में 33.34%
मोबाइल फोन	50%

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार, इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व का मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उपलब्ध कराया गया है।

(घ) जहां किसी अवक्षयी आस्ति को बेच दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढहा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) ह्रास

आस्तियों के रख-रखाव की राशि को हर तुलन पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए ह्रास के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई ह्रास हानियों यथा लागू प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। ह्रास हानि तब होती है जब किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

(vii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अंतरित किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

(ङ) आईएफएससीए विनियमावली के अनुसार इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व की रिपोर्टिंग मुद्रा यूएस डॉलर है। रुपये में किए गए सांविधिक और प्रशासनिक भुगतानों को फेडाई द्वारा प्रकाशित पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसतन विनिमय दर का उपयोग करके यूएस डॉलर में परिवर्तित किया जाता है। वेंडर के भुगतान और स्टाफ के वेतन पर टीडीएस की कटौती के चलते आस्तियों और देयताओं को भुगतान के समय इस्तेमाल की गई विनिमय दर पर रिवर्स किया जाता है। व्यय, पूर्वदत्त व्यय और फुटकर राशि के संबंध में प्रावधान क्रमशः प्रावधानीकरण, भुगतान या आहरण के समय इस्तेमाल की गई विनिमय दर पर रिवर्स/हिसाब में लिया जाता है।

(viii) गारंटियां

ईसीजीसी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी तुलन पत्र/तुलन पत्रेतर (ऑफ–बैलेंस शीट) आस्तियों और देयताओं की हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वॉप, करंसी स्वॉप, अंतर करंसी ब्याज दर स्वॉप तथा वायदा दर करार जैसी डेरिवेटिव संविदाएं करता है। ऑन–बैलेंस शीट आस्तियों/देयताओं की हेजिंग के लिए ये स्वॉप संविदाएं इस प्रकार की जाती हैं कि अंतर्निहित ऑन–बैलेंस शीट मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रतिसंतुलनकारी हो। इन डेरिवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं के क्रय–विक्रय ले संबंधित होता है। वर्ष की समाप्ति पर बकाया स्वॉप संविदाओं का मूलधन हिस्सा फेडाई विनिमय दरों की क्लोजिंग के आधार पर होता है।

हेज के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों को उपचित आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। हेज कॉन्ट्रैक्ट तब तक मार्क्ड टू मार्केट नहीं होते हैं, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं भी मार्क्ड टू मार्केट नहीं होती हैं।

यथा तुलन पत्र की तारीख को बकाया डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरणों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग मानदंडों संबंधी आरबीआई के मास्टर निदेश के अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियां' में रिपोर्ट किया जाता है।

(x) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

क) परिभाषित अंशदान योजना: बैंक अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद जॉइन होने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस – कॉर्पोरेट मॉडल) में योगदान देता है। अंशदानों को उपचित आधार पर लाभ–हानि खाते में लिया जाता है।

ख) परिभाषित लाभ एवं अन्य दीर्घावधि योजनाएं : ग्रेच्युटी, पेंशन (31 मार्च, 2010 को या इसके पहले जॉइन करने वाले पात्र अधिकारियों के लिए) तथा छुट्टी नकदीकरण का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। उपचित लाभ या हानि को उपचित आधार पर लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है।

(xi) आय पर करों का लेखांकन

(क) संबंधित संविधि के अधीन भुगतान योग्य कर के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

(ग) इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व गिफ्ट आईएफएससी में परिचालनरत है। इसलिए कुल पंद्रह में से दस सालों की छूट के लिए यह पात्र है। कर से छूट की अवधि के दौरान रिवर्स किए जाने वाले समय अंतर पर आस्थगित कर को सकल कुल आय के लिए हिसाब में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह कर से छूट की अवधि के दौरान कटौती के अध्यधीन होता है। कर से छूट की अवधि के बाद रिवर्स किए जाने वाले समय अंतर पर आस्थगित कर को उस वर्ष हिसाब में लिया जाता है, जिस वर्ष समय अंतर उत्पन्न हुए हों। पहले उत्पन्न होने वाले समय अंतर को पहले रिवर्स किया जाता है।

(xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 – 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार, बैंक प्रावधानों को केवल तभी हिसाब में लेता है, जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक भार संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए।

आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं, जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की कुछ न कुछ संभावना अवश्य हो।

आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

II. समेकित लेखों पर टिप्पणियां

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक इराक में भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अतएव भारत सरकार को समनुदेशित ₹ 58.75 बिलियन की राशि (गत वर्ष ₹ 57.32 बिलियन) सहित बैंक को सूचित एजेंसी खाते में धारित ₹ 53.08 बिलियन की (गत वर्ष ₹ 51.80 बिलियन) समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियां उपर्युक्त तुलन पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. (क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में ₹ 4.07 बिलियन की समाप्त हो चुकी गारंटियां शामिल हैं (गत वर्ष ₹ 3.18 बिलियन), जिन्हें बहियों में निरस्त करना शेष है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत "बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है" के रूप में दिखाई गई गत वर्ष ₹ 3.61 बिलियन की राशि (गत वर्ष ₹ 3.53 बिलियन) अधिकांशत: बैंक के चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंक द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के जवाब में उन उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर किए गए दावों/प्रतिदावों से संबंधित है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा अभिमत में रखने योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अतः विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) आयकर के चलते आकस्मिक देयता

विभिन्न निर्णयन प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित आयकर मामलों के चलते गत वर्ष ₹ 0.89 बिलियन की राशि को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है (गत वर्ष ₹ 0.55 बिलियन), जिनके बैंक के मूल्यांकन में देयता में फलीभूत होने की संभावना कम है और इनके एवज में गत वर्ष ₹ 1.53 बिलियन का रिफंड (गत वर्ष ₹ 1.09 बिलियन) प्राप्य है।

(घ) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा/ब्याज दर स्वॉप

(i) यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूर्ण हेजिंग की गई है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति–देयता प्रबंधन के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर स्वॉप, वायदा दर करार तथा मुद्रा–सह–ब्याज दर स्वॉप) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदे करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका निपटान भी करता है। ऐसे बकाया डेरिवेटिव संव्यवहारों को हिसाब में लिया जाता है, जिन पर ब्याज दर में उतार–चढ़ाव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा इस स्थिति की निगरानी की जाती है और निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'वर्तमान एक्सपोज़र' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पीवी 01) के फेयर वैल्यू तथा प्राइस वैल्यू को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को एफएक्स स्वॉप, मुद्रा स्वॉप और विदेशी मुद्रा ब्याज स्वॉप में बिना किसी परिपक्वता समय या मुद्रा प्रतिबंधों के 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

(ङ) मुद्रा विनिमय दर के उतार–चढ़ाव पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित आय के इस प्रकार के अंतरण पर सांकेतिक लाभ गत वर्ष ₹ 0.18 बिलियन है (गत वर्ष ₹ 0.09 बिलियन)।

3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों संबंधित प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान दिय दिनांक से 45 दिन बाद संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त सूचना

4.1 पूँजी

यथा 31 मार्च, 2025 को बासल III पूँजी ढांचे के अंतर्गत स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बासल III मास्टर निदेश (संदर्भ सं. आरबीआई/डीओआर/2023-24/105 डीओआर.एफआईएन.आरईसी.40/01.02.000/2023-24 दिनांकित 21 सितंबर, 2023) जारी किया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) पर लागू है। बासल III ढांचे के तीन स्तंभ हैं:

स्तंभ 1: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकताएं

स्तंभ 2: पूँजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षी समीक्षा

स्तंभ 3: बाजार अनुशासन

बाजार अनुशासन (स्तंभ 3) में बैंक की पूँजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे संबंधी प्रकटीकरण शामिल हैं। ये प्रकटीकरण निम्नलिखित खंडों में नीचे दिए गए हैं।

सारणी डीएफ -1: कार्यान्वयन क्षेत्र

समूह के प्रमुख का नाम जिस पर यह ढांचा लागू होता है - भारतीय निर्यात-आयात बैंक

भारतीय निर्यात आयात बैंक ('बैंक') भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफआई) है। बैंक अपनी सभी समूह संस्थाओं के लिए एक नियंत्रक संस्था है, जिसमें वर्तमान में पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी शामिल है। बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में भारतीय निर्यात-आयात बैंक और इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड' के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जो साथ मिलकर 'समूह' कहलाते हैं। बैंक के समेकित वित्तीय विवरण भारत में अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रारूप और पद्धति भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39 (2) के तहत भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भारतीय निर्यात-आयात बैंक, सामान्य विनियम, 2020 में निर्धारित किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण (जिसमें एक सहायक कंपनी शामिल है) निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. एक्जिम बैंक (मूल संस्था) के लेखे

ख. सहायक कंपनी की आस्ति, देयता, आय और व्यय की प्रत्येक मद का अक्षरशः समेकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार सभी महत्त्वपूर्ण अंतः समूह ट्रांज़ैक्शनों और जमा राशियों, तथा अप्राप्त लाभ/हानि को निकालने के बाद मूल संस्था की संबंधित मदों के साथ किया गया है।

ग. मूल संस्था और सहायक कंपनी के बीच लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, लेखों को मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकता और व्यावहारिकता अनुसार सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को समायोजित किया गया है।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समेकन कार्य में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम/ (निगमन का देश)	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन दायरे में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन प्रक्रिया का विवरण	क्या संस्था को समेकन के विनियामकीय दायरे में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन प्रक्रिया का विवरण	समेकन प्रक्रिया में अंतर के कारणों का स्पष्टीकरण	समेकन के दायरे में समेकित होने के कारणों का स्पष्टीकरण
इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड /भारत	हां	लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार समेकित	हां	लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. लेखांकन और समेकन के विनियामकीय दायरे के अंतर्गत समेकन कार्य में शामिल नहीं की गई समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम/ (निगमन का देश)	संस्था के प्रमुख क्रियाकलाप	तुलन पत्र की कुल इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में एआईएफआई की धारित राशि का %	संस्था की पूँजी लिखतों में एआईएफआई के निवेशों का विनियामक ट्रीटमेंट	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ऐसी कोई समूह संस्थाएं नहीं हैं, जिन्हें समेकन के लेखांकन कार्यान्वयन क्षेत्र और समेकन के विनियामकीय दायरे, दोनों के अंतर्गत समेकन कार्य में शामिल नहीं किया गया हो।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ग. समेकन कार्य में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची

(₹ मिलियन)

संस्था का नाम /निगमन का देश (उक्त (क) में निर्दिष्ट अनुसार)	संस्था के प्रमुख क्रियाकलाप	तुलन पत्र की कुल इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है)	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है)
इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड /भारत	फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग के माध्यम से व्यापार वित्त; ऋणों, प्रतिबद्धताओं और गारंटियों के जरिए वित्तीय सहायता, ऋण वृद्धि, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय लीज और पोर्टफोलियो की बिक्री और खरीद	424.56	840.00

घ. सभी सहायक कंपनियों में पूँजी कमियों की कुल राशि, जिसे समेकन के नियामकीय कार्यान्वयन क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है अर्थात जिन्हें घटा दिया जाता है

सहायक कंपनियों का नाम/निगमन का देश	संस्था के प्रमुख क्रियाकलाप	तुलन पत्र की कुल इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है) (₹ मिलियन)	कुल इक्विटी में एआईएफआई की धारित राशि का %	में कमियां
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ऐसी किसी भी सहायक कंपनी में पूँजी की कोई कमी नहीं है, जो समेकन के विनियामकीय दायरे में शामिल नहीं है।

ङ. बीमा संस्थाओं में एआईएफआई के ब्याज की जोखिम भारित कुल राशि (जैसे, वर्तमान बही मूल्य)

बीमा संस्थाओं का नाम/निगमन का देश	संस्था के प्रमुख क्रियाकलाप	तुलन पत्र की कुल इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है) (₹ मिलियन)	कुल इक्विटी/ वोटिंग पावर के अनुपात में एआईएफआई की धारित राशि का %	विनियामकीय पूँजी पर जोखिम भारण विधि की तुलना में पूर्ण कटौती विधि का प्रयोग करने का मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ऐसी कोई समूह संस्थाएं नहीं हैं जो बीमा व्यवसाय में हैं और जो जोखिम भारित हैं।

च. समूह के भीतर निधियों या विनियामकीय पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा

सहायक कंपनी का नाम	प्रतिबंध
इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड	मूल संस्था को पूँजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका लाभांश का भुगतान करना या शेयर वापस खरीदना है। कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अनुसार निधियों के अंतरण अथवा विनियामकीय पूँजी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पुनर्खरीद, धारा 68 से 70 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधान या किसी अन्य कानून के अधीन होगी। सहायक कंपनी में कोई भी अतिरिक्त निवेश या अग्रिम, लागू नियामकीय प्रावधानों, या समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों से शासित होंगे। इसके अलावा, निधियों का अंतरण और विनियामकीय पूँजी संबंधित देशों के लागू स्थानीय कानूनों और विनियमों के अध्यधीन होगी।

सारणी डीएफ -2: पूँजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) पूँजी पर्याप्तता के आकलन के प्रति दृष्टिकोण

एक्ज़िम बैंक (इसके बाद "बैंक") अपने व्यवसायों में जोखिमों को ध्यान में रखते हुए विनियामकीय मानदंडों, व्यवसाय संबंधी वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूँजी रखता है। बैंक के पास अपने जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी पूँजी पर्याप्तता का आकलन करने और निरंतर आधार पर इसकी निगरानी करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया यह आश्वस्त करती है कि बैंक के पास अपने व्यवसाय में निहित सभी जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त पूँजी है।

विनियामकीय पूँजी अनिवार्य पूँजी है जिसे बासल III मास्टर निदेश के अनुरूप रखा जाना आवश्यक है। बैंक वार्षिक आधार पर आयोजित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के माध्यम से अपने जोखिम प्रोफाइल का व्यापक मूल्यांकन करता है, जो नियामक मानदंडों, वर्तमान और भावी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के लिए आवश्यक पूँजी के पर्याप्त स्तर को निर्धारित करता है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित दबाव परीक्षण नीति लागू की है, जो बैंक के आईसीएएपी का एक अभिन्न हिस्सा है। दबाव परीक्षण में गंभीर लेकिन दबावग्रस्त व्यावसायिक स्थितियों के लिए बैंक की संभावित भेद्यता का आकलन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग शामिल है। दबाव परीक्षण का उपयोग आईसीएएपी में पूँजी नियोजन के उद्देश्य से बैंक की व्यावसायिक योजनाओं के संयोजन के साथ इसकी मध्यम अवधि व्यवसाय रणनीति (एमटीबीएस) के अनुसार किया जाता है। बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन क्षमता नीति भी लागू है।

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक के पूँजी पर्याप्तता स्तरों की सक्रियता से निगरानी की जाती है। इसके अलावा, आईसीएएपी एक वार्षिक प्रक्रिया है, जिसके जरिए बोर्ड के लिए बैंक की पूँजी पर्याप्तता स्थिति का आकलन किया जाता है और यह प्रक्रिया निगरानी के लिए एक तंत्र के रूप में भी कार्य करती है। बैंक ने आईसीएएपी फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2028 तक का पूँजी मूल्यांकन कर लिया है। आईसीएएपी में पूँजी नियोजन प्रक्रिया का विवरण होता है और इसमें निम्नलिखित प्रमुख जोखिमों के माप, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूँजीगत आवश्यकता और दबाव परीक्षण को कवर किया जाता है: (i) ऋण जोखिम (ii) बाजार जोखिम (iii) परिचालनगत जोखिम (iv) लिक्विडिटी जोखिम (v) बैंक बही में ब्याज दर जोखिम (vi) ऋण जोखिम न्यूनीकरण उपायों से बचे हुए जोखिम (vii) ऋण संकेन्द्रण जोखिम (viii) देशगत जोखिम (ix) अनुपालन जोखिम (x) व्यवसाय एवं रणनीतिक जोखिम (xii) मॉडल जोखिम (xii) प्रतिष्ठात्मक जोखिम (xiii) ईएसजी जोखिम (xiv) निपटान जोखिम और (xv) साइबर सुरक्षा/आईटी अवसंरचना जोखिम।

बैंक ने अपने सभी प्रमुख जोखिमों का जोखिम मूल्यांकन किया है और इसे मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से उजागर किया है। बैंक ने चिह्नित जोखिमों के लिए आईसीएएपी में मूल्यांकन पद्धतियों के अनुसार अतिरिक्त पूँजी आवश्यकताओं की गणना की है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

स्तंभ 1 जोखिम मूल्यांकन के लिए बैंक ने आरबीआई मास्टर निदेशों के अनुसार पूँजी की गणना के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए हैं:

1) ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण

2) बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि प्रक्रिया

3) परिचालनगत जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण

ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम के लिए बैंक की पूँजीगत आवश्यकता की गणना जोखिम भारित आस्तियों की 9% की न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता के अनुसार की जाती है। यथा 31 मार्च, 2025 तक ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम और पूँजी पर्याप्तता अनुपात के लिए पूँजीगत आवश्यकता का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार रहा:

क्रमांक	मद	राशि ₹ मिलियन में 31 मार्च, 2025
(ख)	ऋण जोखिम के लिए आवश्यक पूँजी	78,299.31
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो	78,299.31
	• प्रतिभूतिकरण जोखिम	-
(ग)	बाजार जोखिम के लिए आवश्यक पूँजी	3,277.76
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
	– ब्याज दर जोखिम	2,605.26

क्रमांक	मद	राशि ₹ मिलियन में 31 मार्च, 2025
	– विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम (स्वर्ण सहित)	151.88
	– इक्विटी जोखिम	520.62
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकताएं	6,422.74
	• मूल संकेतक दृष्टिकोण	6,422.74
(ङ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी	
	• **समूह**	
	– सीईटी 1 पूँजी	233,753.91
	– टियर 1 पूँजी	233,753.91
	– टियर 2 पूँजी	13,557.39
	– **कुल पूँजी**	**247,311.30**
	• **एकल**	
	– सीईटी 1 पूँजी	233,341.00
	– टियर 1 पूँजी	233,341.00
	– टियर 2 पूँजी	13,555.56
	– **कुल पूँजी**	**246,896.56**
(च)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात:	
	• **समूह सीआरएआर**	
	– सीईटी 1 अनुपात	23.91%
	– टियर 1 अनुपात	23.91%
	– टियर 2 अनुपात	1.39%
	– **सीआरएआर**	**25.29%**
	• **एकल सीआरएआर**	
	– सीईटी 1 अनुपात	23.88%
	– टियर 1 अनुपात	23.88%
	– टियर 2 अनुपात	1.39%
	– **सीआरएआर**	**25.27%**

जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन

संगठन संरचना

बैंक-व्यापी जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन तथा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का है। इसके साथ ही यह समिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के परिचालनों का भी पर्यवेक्षण करती है। बैंक में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली है और एक अलग जोखिम प्रबंधन समूह है, जिसका नेतृत्व मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा किया जाता है और वह आरएमसी को रिपोर्ट करते हैं।

एल्को, आस्ति-देयता प्रबंधन, लिक्विडिटी जोखिम और ब्याज दर जोखिम, विनिमय दर जोखिम जैसे विभिन्न बाजार जोखिमों का प्रबंधन करती है। सीआरएमसी बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिमों के प्रबंधन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ओआरएमसी बैंक में परिचालन संबंधी जोखिम घटनाओं की समीक्षा करती है और पुनः ऐसा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति करती है। साथ ही, यह बैंक की आईटी आस्तियों से संबंधित/ उत्पन्न होने वाले परिचालनगत जोखिमों को चिह्नित करने, उनका मूल्यांकन करने और अथवा मापने, निगरानी करने और नियंत्रण करने/ जोखिमों को कम करने का काम भी करती है। बैंक अपने कार्यालयों की व्यवसाय निरंतरता और आपदा रिकवरी योजनाओं की वार्षिक समीक्षा भी करता है। आरएमजी के तहत अलग से एक सूचना सुरक्षा इकाई है, जिसका नेतृत्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) द्वारा किया जाता है। जिसके पास बैंक की सूचना प्रणाली की समग्र सुरक्षा और नियंत्रण की देखरेख और प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। सूचना सुरक्षा डोमेन में, सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी), बैंक के साइबर/सूचना सुरक्षा क्रियाकलापों का प्रबंधन करती है।

सारणी डीएफ –3 : ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) अनर्जक आस्तियों की परिभाषा एवं वर्गीकरण

कोई आस्ति तब अनर्जक हो जाती है, जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। अग्रिमों को आरबीआई के 02 अप्रैल, 2024 के 'अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड' संबंधी मास्टर परिपत्र के अनुसार अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोई ऋण या अग्रिम निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक आस्ति कही जाती है:

- किसी ऋण के संबंध में जब ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है।
- डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में, किसी डेरिवेटिव संविदा का सकारात्मक मार्क–टू–मार्केट (बाजार आधारित) मूल्य का दर्शाने वाली अतिदेय प्राप्य राशियां, यदि भुगतान की निर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिनों की अवधि तक बकाया रह जाएं।
- खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' बना रहे।

अनर्जक आस्तियों को आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। अवमानक आस्ति वह आस्ति होती है, जो 12 महीने या इससे कम अवधि के लिए अनर्जक आस्ति बनी रहती है। किसी आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब वह 12 माह या इससे कम अवधि के लिए अनर्जक आस्ति बनी रहती है। हानि वाली आस्ति वह होती है जहां बैंक या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या आरबीआई निरीक्षण के दौरान घाटे को चिह्नित किया गया है और उस राशि को पूरी तरह से राइट–ऑफ नहीं किया गया है।

दबावग्रस्तता की आरंभ में ही पहचान और रिपोर्टिंग

ऋण खातों में चूक* होते ही निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों को विशेष उल्लेखित खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत कर ऋण खातों में आसन्न दबाव की पहचान करना:

एसएमए उप–श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार – मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि आंशिक रूप से या पूर्णतः अतिदेय है
एसएमए–0	1–30 दिनों तक
एसएमए –1	31–60 दिनों तक
एसएमए –2	61–90 दिनों तक

*'चूक' से तात्पर्य है ऋण का भुगतान न करना, जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किस्त देय हो गई हो और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया हो।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम शमन से संबंधित उपयुक्त ऋण नीतियां हैं, जिनकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन नीतियों में विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के लिए पात्रता और वित्तीय मानदंड, विवेकपूर्ण अपेक्षाएं (उद्योग, एकल/समूह उधारकर्ताओं, अप्रतिभूतित ऋणों, देशों के लिए एक्सपोजर सीमा और ऑफ–बैलेंस शीट एक्सपोजर सीमा सहित), जोखिम को चिह्नित करने, जोखिम ग्रेडिंग, आंतरिक रिपोर्टिंग और जोखिम न्यूनीकरण नीतियां, ऋण प्रशासन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, समस्यात्मक ऋणों का पता लगाने और उनका प्रबंधन करने तथा ऋण समीक्षा जैसे पहलू शामिल हैं।

बैंक में एक केंद्रीकृत ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया है, जिसमें विस्तृत जोखिम विश्लेषण, जोखिम शमन रणनीतियां, ऋण चुकौती क्षमता का विश्लेषण, संपार्श्विक (कोलैटरल) का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन, उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल और ऋण शर्तों के आधार पर किया जाता है।

बैंक द्वारा अपने वाणिज्यिक व्यवसाय के लिए द्विस्तरीय मूल्यांकन/मंजूरी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। पहले स्तर पर, क्षेत्रीय कार्यालयों के मार्केटिंग प्रयासों के जरिए लाए जाने वाले प्रस्तावों का अनुवीक्षण प्रधान कार्यालय में प्रारंभिक अन्वेषण समिति (पीएससी) द्वारा किया जाता है। इस समिति में विभिन्न समूहों के कार्यपालक/अधिकारी होते हैं। पीएससी द्वारा मंजूरी दिए गए प्रस्तावों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद एक स्वतंत्र रेटिंग समिति द्वारा आंतरिक ऋण रेटिंग की पुष्टि की जाती है। ऋण समूह द्वारा ऋण मूल्यांकन के बाद वह ऋण मूल्यांकन नोट जोखिम प्रबंधन समूह के अंतर्गत एक ऋण जोखिम और निगरानी टीम (सीआरएमटी) को भेजा जाता है। यह टीम उस प्रस्ताव की जांच करती है और जहां भी संभव हो, जोखिम से बचने के उपायों सहित प्रस्ताव के विभिन्न ऋण जोखिम और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर टिप्पणियां देती है। सीआरएमटी की टिप्पणियों के साथ वह ऋण मूल्यांकन नोट, बोर्ड द्वारा अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।

बैंक द्वारा विभिन्न ऋण जोखिम रेटिंग मॉडलों का उपयोग किया जाता है। इनमें कंपनियों और परियोजनाओं (ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं) का मूल्यांकन कवर किया जाता है। यह मॉडल 4 पहलुओं पर जोखिमों का मूल्यांकन करता है : उद्योग, व्यापार, वित्त एवं प्रबंधन जोखिम। रेटिंग में उतार–चढ़ाव की संक्षिप्त समीक्षा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती है।

ऋण निगरानी के लिए बैंक ने एक स्वचालित पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) लागू की है, जो सार्वजनिक डोमेन के साथ–साथ बैंक के अंदर विभिन्न स्रोतों से डेटा एकीकृत करती है। इस डेटा और एल्गोरिदम इंटेलिजेंस की मदद से यह प्रणाली बैंक को संभावित वित्तीय दबाव के शुरूआती चेतावनी संकेतों का पता लगाने में मदद करती है। असंतोषजनक संकेतों/ईडब्ल्यूएस वाले ऋण खातों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गहन निगरानी की जाती है और अनर्जक आस्तियों में उनके स्लिपेज को रोकने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाती है। बैंक ने एक ईडब्ल्यूएस समिति का गठन किया है, जो ईडब्ल्यूएस प्रणाली द्वारा दिए जाने वाले उच्च जोखिम अलर्टों की आवधिक आधार पर समीक्षा करती है। बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनर्जक आस्ति वसूली नीति है, जो अनर्जक आस्ति प्रबंधन और वसूली के प्रति बैंक के दृष्टिकोण से संबंधित है। बैंक में ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के उद्देश्य से ऋण ऑडिट सिस्टम भी है। ऋण ऑडिट में विभिन्न स्तरों पर ऋण मंजूरी संबंधी निर्णयों का ऑडिट भी शामिल है।

बैंक समेकित स्तर पर एकल काउंटरपार्टी तथा समूह काउंटरपार्टियों, दोनों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित एक्सपोजर मानदंडों का अनुपालन करता है। एक्सपोजर सीमाएं बैंक की लागू टियर I पूँजीगत निधि के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की गई हैं और नियमित रूप से इनकी निगरानी की जाती है। निर्धारित सीमाओं का उपयोग सीआरएमसी और जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

एकल काउंटरपार्टी, संबद्ध काउंटरपार्टियों के समूह और उद्योग के संबंध में सीमाएं निर्धारित की गई हैं। शीर्ष 10 एकल काउंटरपार्टियों के साथ–साथ समूह काउंटरपार्टियों पर एक्सपोजर, उद्योग क्षेत्रों पर एक्सपोजर और अप्रतिभूतित एक्सपोजर सीआरएमसी को आवधिक आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं। देशों और बैंक काउंटरपार्टियों के संबंध में भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, बैंक द्वारा क्रेडिट रेटिंग के आधार पर जोखिम आधारित एकल उधारकर्ता सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। ये सीमाएं विनियामक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अतिरिक्त हैं। इसके अलावा, यदि किसी भी एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन होता है, तो उसे यथाशीघ्र ठीक किया जाता है। एक्सपोजर सीमा में उल्लंघन सीआरएमसी को मासिक आधार पर और आरएमसी को छमाही आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर

(₹ मिलियन)

विवरण	31-03-2025
निधि आधारित एक्सपोजर	2,163,573.93
गैर–निधि आधारित एक्सपोजर	182,445.88
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	**2,346,019.81**

इनमें ऋण जोखिम के अध्यधीन डेरिवेटिव और निवेश शामिल हैं।

(ग) एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण

(₹ मिलियन)

एक्सपोजर	निधि आधारित एक्सपोजर 31-03-2025	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर 31-03-2025
घरेलू परिचालन	1,060,893.68	162,450.54
विदेशी परिचालन	1,102,680.25	19,995.34
कुल	**2,163,573.93**	**182,445.88**

इनमें ऋण जोखिम के अध्यधीन डेरिवेटिव और निवेश शामिल हैं।

(घ) उद्योग के अनुसार एक्सपोजर का वितरण

(₹ मिलियन)

उद्योग	निधि आधारित एक्सपोजर# 31-03-2025	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर# 31-03-2025
वित्तीय सेवाएं	400,077.53	38,308.31
लौह धातु एवं धातु प्रसंस्करण	102,084.90	2,383.55
पेट्रोलियम उत्पाद	92,167.28	-
विद्युत	75,488.10	1,170.98
ईपीसी सेवाएं	4,272.16	66,610.03
रसायन एवं रंजक	62,520.85	178.99
निर्माण	17,147.34	37,717.34
औषधि एवं फार्मासूटिकल्स	39,485.14	-
अक्षय ऊर्जा	34,441.03	1,021.25
टेक्सटाइल एवं गारमेंट	35,341.67	51.66
अलौह धातु एवं धातु प्रसंस्करण	30,754.30	523.40
इंजीनियरिंग वस्तुएं	19,411.52	10,248.36
ऑटो एवं ऑटो पुर्जे	29,390.18	11.94
पोर्ट एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	25,893.52	326.00
विविध	25,755.19	2.62
उपभोक्ता वस्तुएं	23,080.64	1,797.94
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण	21,819.41	609.64
दूरसंचार	21,654.81	-
पूँजीगत वस्तुएं	9,959.23	9,616.43
सीमेंट	19,202.02	-
पेट्रोरसायन	18,814.02	72.66
स्वास्थ्य सेवाएं	11,842.90	-
उड्डयन/विमानन सेवाएं	-	9,834.12
तेल एवं गैस	8,667.62	-
इलेक्ट्रॉनिक	8,053.31	-
शिपिंग सेवाएं	7,163.58	-
प्लास्टिक उत्पाद	6,182.99	-
लॉजिस्टिक्स	6,176.61	-
टायर	6,030.85	-
खान एवं खनिज	4,820.77	-
कांच एवं कांच के बर्तन	4,454.00	-
हॉस्पिटलिटी एवं पर्यटन	3,269.70	-
पैकेजिंग	3,158.92	-
सॉफ्टवेयर एवं आईटी आधारित सेवाएं /केपीओ	2,603.91	47.86
कागज एवं कागज के उत्पाद	2,576.27	-
ट्रेडिंग	2,554.38	-

(₹ मिलियन)

उद्योग	निधि आधारित एक्सपोजर# 31-03-2025	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर# 31-03-2025
परामर्शी सेवाएं	535.49	1,899.30
पोर्ट सेवाएं	2,379.01	13.48
फिल्म एवं मनोरंजन	1,913.00	-
लकड़ी के उत्पाद	959.02	-
जहाज निर्माण	886.03	-
मुद्रण (प्रिंटिंग) एवं प्रकाशन	540.84	-
रत्न एवं आभूषण	359.63	-
जूट	160.00	-
रबड़ के उत्पाद	110.00	-
चमड़ा उत्पाद	13.95	-
हस्तशिल्प	5.00	-
लागू नहीं *	969,395.33	-
कुल योग	**2,163,573.93**	**182,445.88**

#इनमें पुनर्वित्त के जरिए एक्सपोजर, डेरिवेटिव एक्सपोजर और बैंकों द्वारा काउंटर गारंटी एक्सपोजर शामिल हैं।
*विदेशी सरकार/अर्ध-सरकारी संस्थाओं/केंद्र और राज्य सरकारों पर एक्सपोजर।

उन उद्योगों पर ऋण एक्सपोजर जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के कुल सकल ऋण एक्सपोजर का 5% से अधिक है

(₹ मिलियन)

उद्योग	कुल एक्सपोजर# (₹ मिलियन)	कुल सकल ऋण एक्सपोजर का % (₹ मिलियन)
वित्तीय सेवाएं	438,385.84	18.69%
लागू नहीं*	969,395.33	41.32%

इनमें पुनर्वित्त के जरिए एक्सपोजर, डेरिवेटिव एक्सपोजर और बैंकों द्वारा काउंटर गारंटी एक्सपोजर शामिल हैं।
*विदेशी सरकार/अर्ध-सरकारी संस्थाओं/केंद्र और राज्य सरकारों पर एक्सपोजर।

(ङ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(₹ मिलियन)

उद्योग	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 से 7 वर्ष	7 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल
नकद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरबीआई में नकद जमा	18,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,600
अन्य बैंकों में नकद जमा	43,603	-	128	6,250	2,000	-	-	-	-	-	51,982
निवेश	-	2,988	15,173	807	6,668	16,245	34,052	27,017	50,005	6,744	159,697
अग्रिम	39,989	56,144	172,180	250,666	172,931	403,515	330,240	181,494	138,371	112,257	1,857,788
अचल आस्तियां	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3,403	3,404
अन्य आस्तियां	3,719	1,291	11,396	15,054	18,745	-	-	-	-	46,124	96,328
कुल	**105,912**	**60,422**	**198,877**	**272,777**	**200,343**	**419,761**	**364,293**	**208,511**	**188,376**	**168,529**	**2,187,800**

(च) अनर्जक आस्तियों की राशि

क्रमांक	मद	(₹ मिलियन) 31-03-2025
(क)	सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	32,197.30
	अवमानक	3,109.01
	संदिग्ध	2,065.80
	संदिग्ध 2	18,013.04
	संदिग्ध 3	9,009.45
	हानि	-
(ख)	निवल अनर्जक आस्तियां	2,527.30
(ग)	एनपीए अनुपात	
	सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%)	1.71
	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	0.14
(घ)	एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल)	
	प्रारंभिक शेष राशि	**31,012.59**
	संवर्धन	5,224.23
	कटौती	(4,039.52)
	अंतिम शेष राशि	**32,197.30**
(ङ)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**	
	विशिष्ट प्रावधान	
	प्रारंभिक शेष	**26,440.00**
	उक्त अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	5,769.75
	राइट-ऑफ	(1,472.22)
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	(1,067.53)
	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन	-
	अंतिम शेष राशि	**29,670.00**
	सामान्य प्रावधान	
	प्रारंभिक शेष	-
	उक्त अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	-
	राइट-ऑफ	-
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	-
	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन	-
	अंतिम शेष	-
	राइट-ऑफ और सीधे आय विवरण में बुक की गई वसूली	-
(च)	अनर्जक निवेश राशि	20,227.83
(छ)	अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	20,118.16
(ज)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव	
	प्रारंभिक शेष	**23,252.92**
	उक्त अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	681.76
	राइट-ऑफ	(48.16)
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	(1,357.13)
	अंतिम शेष	**22,529.39**

(झ) यथा 31 मार्च, 2025 को कुल ऋण एक्सपोजर के आधार पर शीर्ष 5 उद्योग

(₹ मिलियन)

उद्योग	सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान	वर्तमान अवधि के दौरान विशिष्ट प्रावधान	वर्तमान अवधि के दौरान राइट-ऑफ
शीर्ष 5 उद्योग	4,683.97	4,683.97	-	1,174.74	-

(ञ) यथा 31 मार्च, 2025 को सकल अनर्जक आस्तियों, विशिष्ट प्रावधान एवं सामान्य प्रावधान का का भौगोलिक अनुसार ब्यौरा

(₹ मिलियन)

उद्योग	सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान
घरेलू	4,769.87	4,769.87	-
विदेशी	27,427.44	24,900.13	-

सारणी डीएफ-4: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए ऋण जोखिम प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो के संबंध में

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

बैंक द्वारा आरबीआई से अनुमोदित निम्नलिखित घरेलू बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का उपयोग किया जा रहा है:

- केयर रेटिंग्स लि.
- क्रिसिल रेटिंग्स लि.
- इक्रा लि.
- इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लि.
- एक्यूटे रेटिंग्स एंड रिसर्च लि.
- इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लि.
- ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स प्रा.लि. (आरबीआई के 10 जुलाई, 2024 के परिपत्र के अनुसार नियम एवं शर्तों के अध्यधीन)

बैंक द्वारा आरबीआई से अनुमोदित निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का उपयोग किया जा रहा है:

- फिच रेटिंग्स
- मूडीज़
- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स

एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार उपयोग में लाई जाने वाली एजेंसियां

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सभी दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंग, विशेष रूप से बैंक के क्रमशः दीर्घावधि और अल्पावधि एक्सपोजरों को दी जाने वाली रेटिंग को बैंक द्वारा निर्गम विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाता है।

बैंक के पोर्टफोलियो में एक वर्ष या उससे कम संविदागत परिपक्वता अवधि वाली आस्तियों के संबंध में, चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पावधि रेटिंग को सुसंगत माना जाता है। एक वर्ष से अधिक की संविदात्मक परिपक्वता वाली अन्य आस्तियों के संबंध में, चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घावधि रेटिंग को सुसंगत माना जाता है।

बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग के अंतरण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण

बैंक के बाह्य रेटिंग ऐप्लिकएशन फ्रेमवर्क के प्रमुख पहलू निम्नानुसार हैं:

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सभी दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंग, विशेष रूप से बैंक के क्रमशः दीर्घावधि और अल्पावधि एक्सपोजरों को दी जाने वाली रेटिंग को बैंक द्वारा निर्गम विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाता है।
- विदेशी संप्रभु और विदेशी बैंकों पर एक्सपोजर उन्हें दी गई निर्गमकर्ता रेटिंग के आधार पर जोखिम–भारित होते हैं।
- बैंक यह सुनिश्चित करता है कि ऋण सुविधा/उधारकर्ता की बाह्य रेटिंग की समीक्षा बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार कर ली गई है और उसके लागू होने की तारीख से वह प्रभावी है।
- किसी संस्था को विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न निर्गमकर्ता रेटिंग दिए जाने के मामले में जोखिम भार का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:
  - यदि किसी विशिष्ट दावे के लिए चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा केवल एक रेटिंग है, तो उस दावे के जोखिम भार के निर्धारण के लिए उसी रेटिंग का उपयोग किया जाता है।
  - यदि चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दो रेटिंग दी गई हैं, जो अलग–अलग जोखिम भारों में मैप कर रही हों,तो उच्चतर जोखिम भार लागू होता है।
  - यदि चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अलग–अलग जोखिम भार वाली तीन या तीन से अधिक रेटिंग दी गई हैं, तो दो सबसे कम जोखिम भारों वाली रेटिंग को संदर्भित किया जाता है और उन दोनों जोखिम भारों में से उच्चतर अर्थात, दूसरा न्यूनतम जोखिम भार लागू होता है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम को कम करने वाले तत्त्वों यानी जोखिम शामकों (अर्थात कोलैटरल) की फैक्टरिंग के बाद प्रमुख जोखिम बकेट में बैंक के एक्सपोजरों की राशि – सकल अग्रिम (रेटिंग की हुई और रेटिंग नहीं की हुई)

(₹ मिलियन)

क्रमांक	विवरण	निधि आधारित	गैर–निधि आधारित
		31-03-2025	31-03-2025
1	100% जोखिम भार से कम	1,847,280.92	117,230.65
2	100% जोखिम भार	120,971.50	5,430.93
3	100% जोखिम भार से अधिक	192,791.09	29,119.59
4	घटाए गए (जोखिम शामक)	-	-
	कुल	**2,161,043.51**	**151,781.17**

सारणी डीएफ–5: ऋण जोखिम शमन : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार, बैंक अपनी पूँजीगत आवश्यकताओं की गणना करते समय काउंटरपार्टी पर अपने ऋण एक्सपोजर को बासल III दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार पात्र संपार्श्विक (कोलैटरल) द्वारा होने वाले जोखिम शमन की सीमा तक कम करता है।

बासल III पर आरबीआई दिशानिर्देशों में विनियामकीय पूँजी प्रयोजनों के लिए ऋण जोखिम को कम करने वाले निम्नलिखित तत्त्वों (शामकों) को स्वीकृति दी गई है:

क. पात्र वित्तीय संपार्श्विक (कोलैटरल), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं– नकद (बैंक में जमा), स्वर्ण (बुलियन और आभूषणों सहित, तथापि संपार्श्विकृत आभूषणों को 99.99% शुद्धता के लिए बेंचमार्क किए जाने के अध्यधीन है), केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित किसी बीमा कंपनी द्वारा जारी घोषित अभ्यर्पण (सरेंडर) मूल्य वाली जीवन बीमा पॉलिसियां हैं, कतिपय ऋण प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड के यूनिट जिनका दैनिक निवल आस्ति मूल्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता हो और म्यूचुअल फंड का निवेश उक्त सूचीबद्ध लिखतों तक सीमित हो।

ख. तुलन पत्र के अंतर्गत निवल निपटान (नेटिंग), ऋण/अग्रिम और जमाराशियों तक सीमित होता है, जहां बैंकों के पास प्रलेखन प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार वाली कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्थाएं होती हैं।

ग. जहां गारंटियां प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और शर्त–रहित हैं। इसके अलावा, पात्र गारंटरों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- बासल III पर आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार संप्रभु, संप्रभु संस्थाएं, बैंक और काउंटरपार्टी की तुलना में न्यूनतर जोखिम भार वाले प्राथमिक डीलर; और
- अन्य ऐसी संस्थाएं, जिनकी रेटिंग उन संस्थाओं की तुलना में बेहतर है, जिनके लिए गारंटी दी गई है।

बैंक द्वारा पूँजी में छूट प्राप्त करने के लिए ऋण जोखिम को कम करने वाले स्वीकृत तत्त्वों की गणना केवल तभी की जाती है, जब ऋण जोखिम को करने वाले वे तत्त्व भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बासल III संबंधी दिशानिर्देशों में पात्रता और कानूनी निश्चितता के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

बैंक बासल III दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप संपार्श्विक के मूल्य में संभव भावी उतार–चढ़ाव के लिए प्राप्त किसी भी संपार्श्विक के मूल्य को समायोजित करता है। इन समायोजनों को 'हेयरकट' कहा जाता है। इन समायोजनों से संपार्श्विक के लिए अस्थिरता–समायोजित राशि प्राप्त होती है। फिर उस राशि को निवल एक्सपोजर और लागू जोखिम भारों के आधार पर पूँजी प्रभार की गणना करने के लिए एक्सपोजर से घटा दिया जाता है।

वर्तमान में, बैंक में ऋण जोखिम शमन के भीतर कोई संकेंद्रण जोखिम नहीं है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ मिलियन)

क्रमांक	विवरण	31-03-2025
(क)	अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर निवल निपटान (ऑन या ऑफ–बैलेंस शीट नेटिंग) के बाद जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक से कवर किया गया है	4,563.26
(ख)	अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर निवल निपटान (ऑन या ऑफ–बैलेंस शीट नेटिंग) के बाद जो गारंटी/ऋण डेरिवेटिव (जब भी आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट अनुमति हो) द्वारा कवर किया गया है	1,664.92

सारणी डीएफ–6: प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान या पिछली अवधि में प्रवर्तक, निवेशक या सेवा प्रदाता के रूप में मानक आस्तियों के लिए कोई प्रतिभूतिकरण गतिविधि नहीं की है। इस प्रकार, बैंकिंग या ट्रेडिंग बही में कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं हैं और ऐसी गतिविधियों से कोई पूँजी आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।

चूंकि बैंक ने किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन (ट्रांजैक्शन) में भाग नहीं लिया है, इसलिए प्रतिभूतिकरण आय के निर्धारण, प्रतिधारित हितों के मूल्यांकन या सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण के ट्रीटमेंट के संबंध में वर्णित कोई लेखांकन नीतियां नहीं हैं।

सारणी डीएफ–7: ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो इक्विटी/ऋण लिखतों, ब्याज दरों, विनिमय दरों और कमोडिटी की कीमतों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होता है। संक्षेप में, बाजार जोखिम उन बाजारों में परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाला जोखिम है, जिन बाजारों पर किसी संस्था का एक्सपोजर होता है।

बाजार जोखिम का प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों अर्थात समेकित ट्रेजरी परिचालन नीति (सीटीओपी) और एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएमपी) के जरिए किया जाता है।

बैंक की आईआरएमपी से चलनिधि (लिक्विडिटी) जोखिम का प्रबंधन भी किया जाता है। साथ ही, इसमें लिक्विडिटी जोखिम के लिए चिह्नीकरण मानदंड, माप, प्रबंधन और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन क्षेत्र की रूपरेखा भी निर्धारित की गई है।

लिक्विडिटी जोखिम से तात्पर्य ऐसी किसी स्थिति से है जिसमें (क) बैंक को अपनी आस्तियों को चलनिधि में परिवर्तित करने या पर्याप्त निधि प्राप्त करने में असमर्थता के कारण अपनी देयताओं के देय होने पर समय पर उन्हें पूरा करने में असमर्थ होगा (जिसे 'निधीयन लिक्विडिटी जोखिम' कहा जाता है) या (ख) अपर्याप्त बाजार पहुंच या बाजार व्यवधानों ('बाजार लिक्विडिटी जोखिम') के कारण बाजार कीमतों को उल्लेखनीय रूप से कम किए बिना विशिष्ट एक्सपोजरों को आसानी से अनवाइंड या ऑफसेट नहीं कर सकता है।

नकदी जोखिम प्रबंधन के पर्यवेक्षण के लिए बैंक का बोर्ड उत्तरदायी है। बोर्ड को जोखिम नीतियों की अनुसंशा करने और बैंक के सामने आने वाले जोखिमों के मूल्यांकन के साथ–साथ उन नीतियों को लागू करने के लिए आरएमसी उत्तरदायी है।

बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण अंतर सीमाओं के साथ–साथ निगरानी के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित आंतरिक सीमाओं का भी अनुपालन करता है:

- अलग–अलग मुद्रा स्तर पर और समेकित मुद्रा स्तर पर ऋणात्मक चलनिधि अंतर (लिक्विडिटी गैप) सीमा। ऋणात्मक अंतर सीमाएं अलग–अलग बकेट के साथ–साथ आसन्न चलनिधि समस्याओं के पूर्व चेतावनी संकेत प्रदान करने के लिए संचयी समय अवधि स्तर पर निर्धारित की जाती हैं।

- समेकित स्तर पर धनात्मक संचयी चलनिधि अंतर सीमाएं ठीक हैं कि बैंक गिरते ब्याज दर परिदृश्य में भारी धनात्मक अंतरों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

- बैंक अगले 7 दिनों के लिए पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक आधार पर 7 दिनों का नकदी प्रवाह विवरण भी तैयार करता है।

- प्रत्येक माह आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफपी) तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत अगले एक महीने के लिए आधार चलनिधि स्थिति में दबाव परिदृश्यों को शामिल किया जाता है, ताकि उस परिदृश्य में बैंक की स्थिति का आकलन किया जा सके।

बैंक की नकदी की स्थिति की निगरानी एल्को द्वारा मासिक आधार पर की जाती है और आरएमसी को यह स्थिति तिमाही आधार पर रिपोर्ट की जाती है। चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करने वाली बैंक की आईआरएमपी की समीक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है।

बैंक की नीति के अनुरूप, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और खरीद-बिक्री के लिए धारित (एचएफटी) निवेश, चलनिधि और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए किए जाते हैं। समेकित ट्रेजरी परिचालन नीति में पात्र लिखतों के विवरण के साथ-साथ, निवेश योग्य अधिशेष, निवेश के उद्देश्य जैसे निवेश के कुछ प्रमुख पहलुओं, अनुमोदित लिखतों और उनकी विशेषताओं, एक्सपोजर सीमाओं, एल्को और निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी) चार्टरों का विवरण भी होता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए संगठन की संरचना:

निदेशक मंडल: समग्र जोखिम प्रबंधन नीति और रणनीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

बोर्ड की आरएमसी: आरएमसी द्वारा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी कार्य किया जाता है।

आस्ति देयता समिति (एल्को): बोर्ड द्वारा गठित एल्को, बैंक के अधिकारियों की एक कार्यपालक समिति है। इस समिति का गठन बाजार जोखिम, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम), ब्याज और विनिमय दर जोखिमों और चलनिधि जोखिम से निपटने के लिए किया गया है।

निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी): निधि प्रबंधन समिति दैनंदिन निवेश/विनिवेश और संसाधन जुटाने संबंधी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है।

सीमाएं:

ट्रेडिंग बही के मूल्य जोखिम की निगरानी पीवी01, वीएआर, फॉरेन एक्सचेंज नेट ओवरनाइट ओपन पॉजिशन तथा और स्टॉप लॉस लिमिट जैसे उपायों के जरिए की जाती है। ट्रेडिंग बही के मूल्य जोखिम का प्रबंधन का विवरण सीटीओपी में होता है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकताएं

निम्नलिखित सारणी में यथा 31 मार्च, 2025 को बाजार जोखिम (सामान्य और विशिष्ट) के लिए पूँजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया है। पूँजीगत आवश्यकता की गणना बाजार जोखिम भारित आस्तियों की 9% की न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

पूँजीगत आवश्यकताएं	(₹ मिलियन)
– ब्याज दर जोखिम के लिए	2,605.26
– इक्विटी स्थिति जोखिम के लिए	520.62
– विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) के लिए	151.88

सारणी डीएफ–8: परिचालगत जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम सामान्य रूप से, एक सामूहिक शब्दावली है। इसे पारंपरिक रूप से ऐसे सभी जोखिमों पर लागू किया जाता है, जिन्हें ऋण या बाजार जोखिम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और मुख्य रूप से अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिचालन जोखिम प्रबंधन में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि हानि क्यों हुई है और मुख्य रूप से इसके चार कारण शामिल किए गए हैं: प्रक्रियाएं, लोग, प्रणाली (सिस्टम) और बाह्य कारक। परिचालनगत जोखिम बैंक के लिए आंतरिक जोखिम है, इसलिए इसके उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। परिचालनगत जोखिम को कम करने और तकनीकी और मानवीय त्रुटियों से बचने के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को आईआरएमपी में प्रलेखित किया गया है। बैंक ने व्यापार निरंतरता योजना पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, ताकि गंभीर व्यवसाय व्यवधान की स्थिति में निर्बाध रूप से परिचालन सुनिश्चित किया जा सके और संभावित हानि को कम किया जा सके।

परिचालनगत जोखिम निगरानी, नियंत्रण और शमन

एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति में निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और जोखिम प्रबंधन समूह (आरएमजी) के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा परिचालनगत जोखिम की निगरानी की जाती है और यह आरएमसी को रिपोर्ट करती है। बैंक ने परिचालनगत जोखिम घटनाओं (ओआरई) के मासिक आधार पर मूल्यांकन के लिए स्कोरकार्ड–आधारित पद्धति तैयार की है। संभावित जोखिम घटनाओं की एक चिह्नित सूची है, जिसकी निगरानी मासिक आधार पर की जाती है और इसे ओआरएमसी को तिमाही आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। शमन योजना का निर्धारण मामले–वार आधार पर किया जाता है। बैंक प्रणालियों और प्रक्रियाओं में परिचालनगत जोखिम घटनाओं की आवधिक आधार पर निगरानी करने और परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में परिचालनगत जोखिम को कम करने के लिए नियंत्रणों के मूल्यांकन हेतु किसी बाहरी फर्म को नियुक्त करता है।

परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी का आवंटन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा परिचालनगत जोखिम पूँजी की गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है।

सारणी डीएफ–9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से तात्पर्य ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव के कारण बैंक की बैंकिंग बही की निवल ब्याज आय (एनआईआई) या आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के जरिए आय में हानि के जोखिम से है। ब्याज दर जोखिम अलग–अलग मूलधन राशि, परिपक्वता तिथियों या पुनर्मूल्यन तिथियों वाली आस्तियों/ देयताओं और तुलन पत्रेतर (ऑफ–बैलेंस शीट) मदों को होल्ड रखने से उत्पन्न होता है, जिससे जिससे ब्याज दरों के स्तरों में परिवर्तन का जोखिम पैदा होता है। ब्याज दर जोखिम विश्लेषण के उद्देश्य से, बैंकिंग बही में ट्रेडिंग बही की मदों को छोड़कर सभी मदों को शामिल किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है। अंतर विश्लेषण की निगरानी एल्को द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। एल्को द्वारा यह कार्य दर संवेदी देयताओं और दर संवेदी आस्तियों के बीच '1–28 दिन' से '10 वर्ष से अधिक' की समयावधि बकेट के बीच बेमेल (मिसमैच) को माप कर किया जाता है।

बैंक ने 'आय परिप्रेक्ष्य' से ब्याज दर जोखिम प्रबंधन तकनीक भी लागू की है। इसमें एक वर्ष की अवधि में निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया जाता है।

इस नीति में निर्धारित अनुसार आर्थिक इक्विटी मूल्य (ईवीई) परिप्रेक्ष्य से अवधि अंतराल विश्लेषण किया जाता है। ईवीई को ब्याज दर में होने वाले बदलाव के उपाय के रूप में आस्तियों के आर्थिक मूल्य और देयताओं के आर्थिक मूल्य के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। इन दोनों के बीच लिंकेज दर संवेदी आस्तियों और देयताओं की संशोधित अवधि के जरिए स्थापित किया गया है। ब्याज दर में 1% परिवर्तन के लिए आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के संबंध में एल्को द्वारा एक विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की गई है। आईआरआरबीबी का मापन मासिक आधार पर किया जाता है और इसे एल्को को मासिक आधार पर तथा आरएमसी को तिमाही आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए संगठन संरचना:

निदेशक मंडल: समग्र जोखिम प्रबंधन नीति और रणनीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

बोर्ड की आरएमसी: आरएमसी द्वारा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी कार्य किया जाता है।

आस्ति देयता समिति (एल्को): एल्को का उत्तरदायित्व बैंक बही में निहित ब्याज दर जोखिम की निगरानी करना है।

(ii) **मात्रात्मक प्रकटीकरण**

ब्याज दर जोखिम का स्तर

निम्नलिखित सारणी में यथा 31 मार्च, 2025 को ब्याज संवेदी स्थितियों में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण निवल ब्याज आय पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है। यह आकलन यील्ड कर्व में समानांतर शिफ्ट को मानते हुए किया गया है।

(₹ मिलियन)

आय दृष्टिकोण	ब्याज दर में परिवर्तन	
	– 100 आधार बिंदु	+ 100 आधार बिंदु
भारतीय रुपये	(1,732.53)	1,732.53
यूएस डॉलर	382.38	(382.38)
अन्य	114.72	(114.72)
कुल	**(1,235.43)**	**1,235.43**

निम्नलिखित सारणी में यथा 31 मार्च, 2025 को ब्याज संवेदी स्थितियों में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है। यह आकलन यील्ड कर्व में समानांतर शिफ्ट को मानते हुए किया गया है।

(₹ मिलियन)

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	ब्याज दर में परिवर्तन	
	– 100 आधार बिंदु	+ 100 आधार बिंदु
भारतीय रुपये	(7,422.11)	7,422.11
यूएस डॉलर	1,547.82	(1,547.82)
अन्य	10.55	(10.55)
कुल	**(5,863.74)**	**5,863.74**

सारणी डीएफ–10: काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

समेकित ट्रेजरी परिचालन नीति में शामिल बैंक की डेरिवेटिव नीति में अन्य के साथ–साथ, डील करने के प्रयोजन से बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

i. प्रयोक्ता के रूप में – अपनी आस्तियों और देयताओं के साथ–साथ अपने संसाधन प्रबंधन (एएलएम बही) के बाजार जोखिम का प्रबंधन करना।

ii. मर्चेन्ट के रूप में – अपने ग्राहकों और गैर–ग्राहकों (एक साथ 'ग्राहकों' के रूप में संदर्भित) को उनके मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन के लिए डेरिवेटिव उत्पाद प्रदान करना। (मर्चेंट बुक)।

iii. बाजार निर्माता के रूप में – विदेशी मुद्रा स्वॉप, मुद्रा स्वॉप और / या विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वॉप जैसे स्वॉप में अपनी स्थिति बनाना और ग्राहकों तथा अन्य बाजार निर्माताओं (ट्रेजरी बुक) को दो–तरफा कोट (बिड / ऑफर) प्रदान करना।

प्रयोक्ता और मर्चेन्ट के रूप में, ट्रेजरी को केवल अंतर्निहित एक्सपोजर के साथ डेरिवेटिव उत्पादों में डील करने की अनुमति है। बाजार निर्माता (मार्केट मेकर) के रूप में, कोई अंतर्निहित एक्सपोजर आवश्यक नहीं है।

वर्तमान में, बैंक अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए एक प्रयोक्ता के रूप में डेरिवेटिव बाजार में प्रतिभागिता कर रहा है। बैंक की व्यवसाय संरचना, ग्राहकों की प्रकृति और मिश्रण, पूँजीगत आवश्यकता के साथ–साथ जोखिम वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इस खंड में कार्यकलाप बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव नीति के अनुसार किए जाते हैं। बैंक निम्नलिखित डेरिवेटिव उत्पादों में डील कर रहा है:

- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और मुद्रा स्वॉप
- ब्याज दर स्वॉप

बैंक वर्तमान में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप और विकल्पों के अंतर्गत ट्रांज़ैक्शन नहीं करता है। विभिन्न जोखिमों का मापन और प्रबंधन, काउंटर पार्टी सीमाओं, स्टॉप लॉस सीमाओं और एक्सपोजर सीमाओं आदि जैसी विभिन्न सीमाएं निर्धारित कर सुनिश्चित किया जाता है।

बैंक काउंटरपार्टी ऋण जोखिम पूँजी के लिए आरबीआई के बासल III मास्टर निदेशों के आधार पर वर्तमान एक्सपोजर पद्धति के तहत एक्सपोजर की गणना करता है। सीसीआर एक्सपोजर के लिए पूँजी का मूल्यांकन मानकीकृत दृष्टिकोण (चूक जोखिम पूँजी और सीवीए पूँजी प्रभार दोनों के लिए) के आधार पर किया जाता है। ऋण एक्सपोजर की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वे अनुमोदित ऋण सीमाओं से अधिक न हों। आरएमजी जोखिम मूल्यांकन के हिस्से के रूप में डेरिवेटिव्स के ऋण जोखिम को आवधिक आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करता है।

बैंक ने आरबीआई के मौजूदा मार्जिन फ्रेमवर्क के अनुसार, यथा लागू अनुसार, कुछ घरेलू और विदेशी कवर्ड संस्थाओं के साथ ऋण सहायता अनुसूची ('सीएसए') करार किए हैं। सीएसए उन शर्तों या नियमों को परिभाषित करता है जिनके तहत ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों पर 'रुपये में' डेरिवेटिव स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव काउंटरपार्टियों के बीच संपार्श्विक पोस्ट किया जाता है या अंतरित किया जाता है। सीएसए व्यवस्था के तहत आदान–प्रदान किए गए संपार्श्विक मुख्य रूप से नकदी होते हैं। इसके अलावा, इन करारों में ऋण रेटिंग कम होने के कारण बैंक द्वारा वृद्धिशील संपार्श्विक (कोलैटरल) पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

निम्नलिखित सारणी में डेरिवेटिव एक्सपोजर की गणना वर्तमान एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) और यथा 31 मार्च, 2025 को शेष बकाया का इस्तेमाल कर की गई है।

(₹ मिलियन)

विवरण	आईआरएस	सीसीएस	एफआरए/ वायदा
संविदाओं का सकल धनात्मक उचित मूल्य	4,205.04	375.05	49.70
निवल लाभ	-	-	-
निवल वर्तमान ऋण एक्सपोजर	4,205.04	375.05	49.70
धारित संपार्श्विक (कोलैटरल हेल्ड) (अर्थात नकदी, सरकारी प्रतिभूति, आदि)	-	-	-
निवल डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर	4,205.04	375.05	49.70
एक्सपोजर राशि (सीईएम के अंतर्गत)	12,665.21	15,653.37	311.29
ऋण डेरिवेटिव हेज का कल्पित (नोशनल) मूल्य	-	-	-
ऋण डेरिवेटिव लेनदेन (ट्रांजैक्शन) जिनसे सीसीआर के लिए एक्सपोजर बनते हैं	-	-	-

बासल III मास्टर निदेश के अनुसार, भारत में बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता की गणना के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें संपार्श्विक (कोलैटरल) को प्रदत्त मूल्य को एक्सपोजर राशि से घटाते हुए संपार्श्विक द्वारा एक्सपोजर का बेहतर प्रतिसंतुलन (ऑफसेट) किया जाता है। इसलिए, काउंटरपार्टी से प्राप्त संपार्श्विक को एक्सपोजर से पूरी तरह प्रतिसंतुलित (ऑफसेट) किया जा सकता है और देय निवल एमटीएम पर पोस्ट किया गया अतिरिक्त संपार्श्विक एक्सपोजर का हिस्सा होगा। तथापि, चूंकि संपार्श्विक (कोलैटरल) उत्पाद-वार या डील-वार प्राप्त न होकर काउंटरपार्टी-वार प्राप्त होता है, इसलिए उपरोक्त सारणी में संपार्श्विक को घटाया नहीं गया है। यथा 31 मार्च, 2025 को सीएसए के तहत प्राप्त संपार्श्विक ₹ 2,041.99 मिलियन के रहे और संपार्श्विक भुगतान की राशि ₹ 5,000.52 मिलियन रही। यथा 31 मार्च, 2025 को कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप बकाया नहीं थे।

सारणी डीएफ-11: पूँजी की संरचना

(₹ मिलियन)

	विवरण		संदर्भ संख्या
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां			
1)	सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूँजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	159,093.66	A
2)	प्रतिधारित आय	94,877.98	B1 + B3
3)	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	-	
4)	सीईटी1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी, (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	-	
5)	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (समूह सीईटी1 में अनुमत प्राप्त राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी	-	
6)	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी	253,971.64	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी : विनियामक समायोजन			
7)	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	
8)	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	-	
9)	अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	3,769.27	C1
10)	आस्थगित कर आस्तियां	16,448.47	C2
11)	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	-	
12)	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	-	

(₹ मिलियन)

	विवरण		संदर्भ संख्या
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां			
13)	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	–	
14)	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	–	
15)	परिभाषित-लाभ पेंशन कोष निवल आस्तियां	–	
16)	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूँजी का समायोजन नहीं किया गया हो)	–	
17)	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉसहोल्डिंग	–	
18)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो पूँजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजीशन निवल, जहां एआईएफआई की जारी शेयर पूँजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	–	
19)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य स्टॉक में महत्त्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजीशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	–	
20)	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	–	
21)	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां 19 (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता का निवल)	–	
22)	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	–	
23)	जिसमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्त्वपूर्ण निवेश	–	
24)	जिसमें से : मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	–	
25)	जिसमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां	–	
26)	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	–	
26क)	जिनमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	–	
26ख)	जिनमें से : असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	–	
26ग)	जिनमें से: एआईएफआई के साथ गैर-समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूँजी में कमी	–	
26घ)	जिनमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	–	
27)	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	–	
28)	सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	20,217.73	
29)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी1)	233,753.91	
अतिरिक्त टियर 1 पूँजी : लिखत			
30)	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	–	
31)	जिनमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	–	
32)	जिनमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	–	

(₹ मिलियन)

	विवरण		संदर्भ संख्या
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां			
33)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूँजी लिखत	–	
34)	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा और तीसरे पक्ष द्वारा (एटी–1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत)	–	
35)	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	–	
36)	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	–	
अतिरिक्त टियर 1 पूँजी : विनियामक समायोजन		–	
37)	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	–	
38)	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉसहोल्डिंग	–	
39)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजीशन निवल, जहां एआईएफआई के जारी शेयर पूँजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है	–	
40)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्त्वपूर्ण निवेश (का पात्र शॉर्ट पोजीशन निवल)	–	
41)	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	–	
41क)	जिनमें से : गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश	–	
41ख)	जिनमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी, जिनको एआईएफआई के साथ समेकित नहीं किया गया है	–	
42)	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	–	
43)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	–	
44)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)	–	
45)	टियर 1 पूँजी (टी1=सीईटी1+एटी1) (29+44)	233,753.91	
टियर 2 पूँजी : लिखत एवं प्रावधान		–	
46)	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	–	
47)	टियर 2 पूँजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूँजी लिखत	–	
48)	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तीसरे पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 एवं एटी1 लिखत)	–	
49)	जिनमें से : सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन लिखत	–	
50)	प्रावधान	13,557.39	
51)	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूँजी	13,557.39	

(₹ मिलियन)

	विवरण		संदर्भ संख्या
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां			
टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन			
52)	निजी टियर 2 लिखत में निवेश		
53)	टियर 2 लिखतों में परस्परिक क्रॉसहोल्डिंग्स		
54)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजीशन निवल, जहां एआईएफआई के जारी शेयर पूँजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है		
55)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्त्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजीशन निवल		
56)	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क+56ख)		
56क)	जिनमें से : गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूँजी में निवेश		
56ख)	जिनमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूँजी में कमी, जिनको एआईएफआई के साथ समेकित नहीं किया गया है		
57	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन		
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	13,557.39	
59	कुल पूँजी (टीसी=टी1+टी2)(45+58)	247,311.30	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)	977,775.51	
60 क)	जिनमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	869,992.30	
60 ख)	जिनमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	36,419.49	
60 ग)	जिनमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	71,363.72	
पूँजी अनुपात और बफर			
61)	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	23.91%	
62)	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	23.91%	
63)	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	25.29%	
64)	लागू नहीं	–	
65)	लागू नहीं	–	
66)	लागू नहीं	–	
67)	लागू नहीं	–	
68)	लागू नहीं	–	
राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासल III से भिन्न हो तो)		–	
69)	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	5.5%	
70)	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	7%	
71)	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	9%	
कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)			
72)	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूँजी में गैर–महत्त्वपूर्ण निवेश	750.25	
73)	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्त्वपूर्ण निवेश		
74)	मोर्टगेज सर्विसिंग का अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)		
75)	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयताओं का निवल)		

(₹ मिलियन)

	विवरण		संदर्भ संख्या
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां			
टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किए जाने पर लागू सीमाएं		9,620.18	
76)	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	10,874.90	
77)	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किए जाने की सीमा	-	
78)	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	-	
79)	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किए जाने की सीमा	-	
फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूँजी लिखत (केवल 31 मार्च, 2030 तक)		-	
80)	फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	-	
81)	कैप के कारण सीईटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद अतिरिक्त)	-	
82)	फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	-	
83)	कैप के कारण एटी 1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद अतिरिक्त)	-	
84)	फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी2 लिखतों पर मौजूदा कैप	-	
85)	कैप के कारण टी2 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद अतिरिक्त)	-	

टेम्पलेट पर नोट

टेम्पलेट का पंक्ति क्रमांक	विवरण	राशि ₹ मिलियन
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	-
	आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर) आस्थगित कर आस्तियां	16,448.47
	पंक्ति 10 में इंगित गए अनुसार योग	**16,448.47**
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों की पूँजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10% की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो एआईएफआई की पूँजी में परिणामी वृद्धि	-
	जिसमें से : सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	-
	जिसमें से अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में वृद्धि	-
	जिसमें से टियर 2 पूँजी में वृद्धि	-
26 ख	यदि गैर-समेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूँजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया तो:	-
	(i) सामान्य इक्विटी टियर-1 पूँजी में वृद्धि	-
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	
50	पात्र प्रावधान टियर-2 पूँजी में शामिल हैं	9,620.18
	पात्र पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व टियर-2 पूँजी में शामिल है	-
	पंक्ति 50 का योग	**13,557.39**

सारणी डीएफ –12: पूँजी संरचना – मिलान संबंधी (रिकंसिलिएशन) अपेक्षाएं

चरण–1

(₹ मिलियन)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2025	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2025
क	**पूँजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूँजी	159,093.66	159,093.66
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	102,278.02	102,278.02
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	-	-
	कुल पूँजी	**261,371.68**	**261,371.68**
ii	**जमा राशियां**	903.36	903.36
	जिनमें से : बैंकों की जमाराशियां	-	-
	जिनमें से : ग्राहक की जमाराशियां	-	-
iii	जिसमें से : अन्य जमा राशियां (वित्तीय संस्थाओं से जमा राशि सहित)	903.36	903.36
	उधारियां	1,791,258.44	1,791,258.44
	जिनमें से : भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-
	जिनमें से : बैंकों से	537,139.33	537,139.33
	जिनमें सेः अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	14,597.62	14,597.62
	जिनमें सेः अन्य (बॉन्ड, सीपी, सीडी, ट्रेप्स एवं क्रोम्स)	1,239,521.49	1,239,521.49
	जिसमें सेः पूँजी लिखत	-	-
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	134,266.87	134,266.87
	कुल देयताएं	**2,187,800.35**	**2,187,800.35**
ख	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष	18,600.61	18,600.61
	बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	51,981.71	51,981.71
ii	निवेशः	159,697.49	159,697.49
	जिनमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां	153,797.04	153,797.04
	जिनमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
	जिनमें सेः शेयर	2,544.23	2,544.23
	जिनमें सेः डिबेंचर तथा बॉन्ड	1,452.64	1,452.64
	जिनमें सेः सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	3.23	3.23
	जिनमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	1,900.35	1,900.35
iii	ऋण तथा अग्रिम	1,857,390.80	1,857,390.80
	जिनमें सेः बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	270,192.88	270,192.88
	जिनमें सेः ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	1,587,197.92	1,587,197.92
iv	अचल आस्तियां	3,404.43	3,404.43
	अन्य आस्तियां	96,725.31	96,725.31
v	जिनमें सेः साख (गुडविल) एवं अमूर्त आस्तियां	-	-
	जिनमें सेः आस्थगित कर आस्तियां	16,448.47	16,448.47
vi	समेकन पर गुडविल	-	-
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	-	-
	कुल आस्तियां	**2,187,800.35**	**2,187,800.35**

एक्ज़िम बैंक के लिए विनियामक समेकन और लेखांकन समेकन का क्षेत्र समान है और विनियामक समेकन और लेखांकन समेकन के बीच कोई अंतर नहीं है।

चरण-2

(₹ मिलियन)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2025	समेकन के विनियाम क दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2025	संदर्भ सं.
क	**पूँजी एवं देयताएं**			
i	प्रदत्त पूँजी	159,093.66	159,093.66	A
	जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	159,093.66	159,093.66	
	जिसमें से: एटी 1 के लिए पात्र राशि	-	-	
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	102,278.02	102,278.02	B
	जिसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	94,877.98	94,877.98	B1
	जिसमें से: टियर 2 के लिए पात्र राशि	4,150.04	4,150.04	B2
	जिसमें से: लाभ तथा हानि खाता में शेष राशि	3,250.00	3,250 .00	B3
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	-	-	
	कुल पूँजी	**261,371.68**	**261,371.68**	
ii	जमा राशियां	903.36	903.36	
	जिनमें से: बैंकों की जमा राशियां	-	-	
	जिनमें से: ग्राहक जमा राशियां	-	-	
	जिनमें से : अन्य जमा राशियां (वित्तीय संस्थाओं से जमा राशियों सहित)	903.36	903.36	
iii	उधारियां	1,791,258.44	1,791,258.44	
	जिनमें से: भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-	
	जिनमें से: बैंकों से	537,139.33	537,139.33	
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	14,597.62	14,597.62	
	जिनमें से: अन्य (बॉन्ड, सीपी, सीडी, ट्रेप्स एवं क्रोम्स)	1,239,521.49	1,239,521.49	
	जिनमें से: पूँजी लिखत	-	-	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	134,266.87	134,266.87	
	जिनमें से: गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
	जिनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	कुल देयताएं	**2,187,800.35**	**2,187,800.35**	
ख	**आस्तियां**			
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष	18,600.61	18,600.61	
	बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	51,981.71	51,981.71	
ii	निवेशः	159,697.49	159,697.49	
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	153,797.04	153,797.04	
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	
	जिनमें से: शेयर	2,544.23	2,544.23	
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बॉन्ड	1,452.64	1,452.64	
	जिनमें से: सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	3.23	3.23	
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	1,900.35	1,900.35	
iii	ऋण तथा अग्रिम	1,857,390.80	1,857,390.80	
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	270,192.88	270,192.88	
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	1,587,197.92	1,587,197.92	

(₹ मिलियन)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2025	समेकन के विनियाम क दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2025	संदर्भ सं.
iv	अचल आस्तियां	3,404.43	3,404.43	
v	अन्य आस्तियां	96,725.31	96,725.31	C
	जिनमें से: साख (गुडविल) एवं अमूर्त आस्तियां	3,769.27	3,769.27	
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	-	-	
	जिनमें से: अन्य अमूर्त तत्व (एमएसआर को छोड़कर)	3,769.27	3,769.27	C1
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	16,448.47	16,448.47	C2
vi	समेकन पर गुडविल	-	-	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	-	-	
	कुल आस्तियां	**2,187,800.35**	**2,187,800.35**	

सारणी डीएफ-15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाएं

यह लागू नहीं है, क्योंकि यह प्रकटीकरण केवल निजी क्षेत्र के बैंकों, भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र की अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, यदि कोई हैं, पर लागू है।

सारणी डीएफ-16: इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और निवेश वर्गीकरण तथा मूल्यांकन संबंधी बैंक की समेकित ट्रेजरी परिचालन नीति के अनुरूप, निवेशों को खरीद की तिथि को ही "ट्रेडिंग के लिए धारित" (एचएफटी), "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखे जाने वाले निवेशों को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेशों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है। इनका उपयोग रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने या रणनीतिक व्यवसाय प्रयोजनों के लिए रणनीतिक उद्देश्य से किया जाता है।

समेकन के विनियामकीय दायरे के अनुसार, यथा 31 मार्च, 2025 को बैंकिंग बही के अंतर्गत इक्विटी निवेश का बही मूल्य ₹ 982.00 मिलियन रहा। इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इन प्रतिभूतियों की बिक्री तथा परिसमापन से संचयी लाभ/ (हानि) शून्य रहा।

सारणी डीएफ-17: लेखांकन आस्तियों एवं लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

क्रमांक	विवरण	(₹ मिलियन)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2,187,800.35
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन, जो विनियामक समेकन दायरे से बाहर हैं, तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है	-
3	ऑपरेटिव लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन, लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है	-
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	28,630.50
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण संबंधी लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह सुरक्षित ऋण)	-
6	तुलन पत्रेतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलन पत्रेतर एक्सपोजर की राशि के समकक्ष क्रेडिट में रूपांतरण)	356,871.84
7	अन्य समायोजन	(20,217.73)
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	**2,553,085.06**

सारणी डीएफ–18: लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण नमूना

लीवरेज अनुपात

क्रमांक	विवरण	(₹ मिलियन)
	तुलन पत्र पर मौजूद एक्सपोज़र	
1	तुलन पत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	2,187,800.35
2	(बासल III टियर 1 पूँजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(20,217.73)
3	**तुलन पत्र का कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)**	**2,167,582.62**
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	
4	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रूपांतरण मार्जिन का कुल जोड़)	4,629.79
5	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी पीएफई के लिए पूरक राशि	26,042.70
6	ऑपरेटिव लेखांकन संरचना के अनुरूप तुलन पत्र आस्तियों से घटाए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए समग्र प्रावधान	-
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट–बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	(2,041.99)
8	(ग्राहक–समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	-
9	लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	-
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियां)	-
11	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग)**	**28,630.50**
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	-
12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग के लिए मान्य रहित), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद	-
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देयराशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि)	-
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	-
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	-
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति 12 से 15 का योग)**	-
	अन्य तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर	-
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलन पत्रेतर एक्सपोजर	
18	(ऋण समतुल्य राशि के रूपांतरण के लिए समायोजन)	695,209.25
19	**तुलन पत्रेतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का योग)**	(338,337.31)
	पूँजी और कुल एक्सपोजर	**356,871.94**
20	टियर 1 पूँजी	233,753.91
21	**कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)**	**2,553,085.06**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बासल III लीवरेज अनुपात (पंक्ति 20 का पंक्ति 21 से विभाजन)**	**9.16%**

पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएं

पूँजी (डीएफ–13) की प्रमुख विशेषताएं और (डीएफ 14) से संबंधित नियम तथा शर्तों का प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर विनियामकीय प्रकटीकरण खंड के अंतर्गत अलग से किया गया है। इस खंड का लिंक निम्नानुसार है: https://www.eximbankindia.in/investor-relations

4.2 निर्बंध आरक्षित निधियां एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	30.41	34.44

(ख) अस्थायी प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(क) अस्थायी प्रावधान खातों में प्रारंभिक शेष	-	-
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि	-	-
(घ) अस्थायी प्रावधान खातों में अंतिम शेष	-	-

4.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक अग्रिम

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.14%	0.29%
(ii) अनर्जक आस्तियों में घट–बढ़ (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	31.01	56.97
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	5.22	2.81
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(4.03)	(28.77)
(घ) अंतिम शेष	32.20	31.01
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में घट–बढ़		
(क) प्रारंभिक शेष	4.57	9.48
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-	-
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(2.04)	(4.91)
(घ) अंतिम शेष	2.53	4.57
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट–बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	26.44	47.49
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5.77	2.99
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	(2.54)	(24.04)
(घ) अंतिम शेष	29.67	26.44

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(i) निवल निवेशों की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.07%	0.06%
(ii) अनर्जक निवेशों में घट-बढ़ (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	18.91	2.95
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	1.65	16.81
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(0.34)	(0.85)
(घ) अंतिम शेष	20.22	18.91
(iii) निवल अनर्जक निवेशों में घट-बढ़		
(क) प्रारंभिक शेष	0.10	0.09
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.01	0.04
(ग) वर्ष के दौरान कमी	-	(0.03)
(घ) अंतिम शेष	0.11	0.10
(iv) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	18.81	2.85
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1.65	16.84
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	(0.35)	(0.88)
(घ) अंतिम शेष	20.11	18.81

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.13%	0.28%
(ii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) प्रारंभिक शेष	49.92	59.92
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	6.87	19.62
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(4.37)	(29.62)
(घ) अंतिम शेष	52.42	49.92
(iii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़		
(क) प्रारंभिक शेष	4.67	9.57
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.01	0.04
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(2.04)	(4.94)
(घ) अंतिम शेष	2.64	4.67
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	45.25	50.34
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7.42	19.83
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	(2.89)	(24.92)
(घ) अंतिम शेष	49.78	45.25

4.4 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण – वर्तमान वर्ष

(₹ बिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत					अन्य					कुल
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	0.00	10.00	10.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	1.25	9.87	0.00	14.93	14.93
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	1.25	8.63	0.00	12.73	12.73
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	4.04	0.12	0.00	8.73	8.73
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	3.89	1.36	0.00	5.48	5.48
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-2.00	-2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	-0.97	0.00	-2.22	-2.22
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	-0.97	0.00	-2.22	-2.22
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन / घटत	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.81	-0.93	-0.46	0.00	-5.20	-5.20
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.85	-0.78	-0.46	0.00	-4.09	-4.09
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	-1.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.02	0.00	-1.02	-1.02
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.02	0.00	-1.02	-1.02
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े*)	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	0.00	8.00	8.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	3.11	7.54	0.00	15.22	15.22
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	3.11	7.54	0.00	10.88	10.88

गत वर्ष

(₹ बिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार – आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत					अन्य					कुल
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	6.00	0.00	11.00	12.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	3.67	6.35	0.00	20.20	20.71
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	1.59	6.35	0.00	8.46	8.97
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	1.25	0.00	0.00	5.51	5.51
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	1.25	0.00	0.00	4.44	4.44
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	3.67	0.00	3.68	3.68
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	1.59
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-2.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.32	-3.67	0.00	0.00	-8.99	-8.99
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-1.59	0.00	0.00	-1.84	-1.84
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन / घटत	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.32	0.00	-0.15	0.00	-5.47	-5.59
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.69	0.00	0.08	-0.04
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	-0.39	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.39
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	-0.39	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.39
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े*)	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	0.00	10.00	10.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	1.25	9.87	0.00	14.93	14.93
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	1.25	8.63	0.00	12.73	12.73

4.5 अनर्जक आस्तियों में उतार–चढ़ाव

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
यथा 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष)	31.01	56.97
वर्ष के दौरान बढ़त (नई अनर्जक आस्तियां)	4.33	2.00
ब्याज निधीयन	0.23	0.08
विनिमय दर उतार–चढ़ाव	0.67	0.73
उपखंड योग (क)	**36.24**	**59.78**
घटाएं:		
(i) उन्नयन	(1.85)	(0.06)
(ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोड़कर)	(1.17)	(21.85)
(iii) तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ	-	(3.29)
(iv) बट्टे खाते, उपर्युक्त (iii) के अलावा	(1.02)	(3.58)
(v) विनिमय दर उतार–चढ़ाव	-	-
उपखंड योग (ख)	**(4.04)**	**(28.77)**
यथा 31 मार्च, 2025 को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (क–ख)	**32.20**	**31.01**

आरबीआई आईआरएसीपी मानदंड परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.8/21.04.048/22024-25 दिनांकित 02 अप्रैल, 2024 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

4.6 राइट ऑफ और वसूली

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
यथा 1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकसम्मत रूप से राइट ऑफ किए गए खातों का प्रारंभिक शेष	113.05	117.44
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ	-	3.29
जोड़ें/(घटाएं): विनिमय में उतार–चढ़ाव	1.33	0.75
उपखंड योग (क)	**114.38**	**121.48**
घटाएं: वर्ष के दौरान पुराने तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ किए गए खातों से की गई वसूली (ख)	(1.23)	(8.43)
यथा 31 मार्च को अंतिम शेष (क–ख)	**113.15**	**113.05**

4.7 विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

नीचे दिए गए आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं, जिसने अक्टूबर 2010 में परिचालन शुरू किया था।

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
कुल आस्तियां	126.00	114.45
कुल अनर्जक आस्तियां	2.83	2.77
कुल राजस्व	7.83	6.77

4.8 निवेशों पर मूल्यह्रास और प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	182.64	189.49
(क)भारत में	180.42	187.44
(ख) भारत से बाहर	2.22	2.05
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	22.53	23.25
(क)भारत में	20.63	21.31
(ख) भारत से बाहर	1.90	1.94
(iii) निवल निवेश	160.11	166.23
(क)भारत में	159.79	166.12
(ख) भारत से बाहर	0.33	0.11
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(i) प्रारंभिक शेष	23.25	24.31
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.69	0.63
(iii) वर्ष के दौरान निवेश अस्थिर आरक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई है	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों पर राइट ऑफ/ प्रतिलेखन	1.41	(1.69)
(v) घटाएं: अस्थिर आरक्षित निधि खाते में हस्तांतरण, यदि कोई है	-	-
(vi) अंतिम शेष	22.53	23.25

4.9 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

(₹ बिलियन)

लाभ एवं हानि लेखा शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' का विवरण	2024-25	2023-24
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(1.05)	(1.37)
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	3.11	(21.08)
आयकर के लिए किए गए प्रावधान	10.54	8.18
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय*	(7.39)	26.59

*इसमें बैंक गारंटियों के लिए ₹ 5.02 बिलियन बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.17 बिलियन) और देशगत जोखिम के लिए ₹ 0.51 बिलियन और (गत वर्ष ₹ 0.25 बिलियन) और हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली संस्थाओं को एक्सपोज़र के चलते ₹ 0.40 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.46 बिलियन) का प्रावधानीकरण शामिल है।

4.10 प्रावधान कवरेज अनुपात

विवरण	2024-25	2023-24
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी राइट ऑफ सहित)	98.26%	96.83%

4.11 वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामले और उनके लिए किए गए प्रावधान

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी नए खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है (गत वर्ष शून्य)। इसके अतिरिक्त, यथा वर्ष की समाप्ति को अपरिशोधित प्रावधान की कोई भी राशि 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट नहीं की गई है।

5. निवेश पोर्टफोलियो: संघटक एवं परिचालन

5.1 रेपो लेन-देन

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	1.00	24.05	1.31	6.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	3.50	8.95	1.99	24.05
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

5.2 गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निवेशकर्ता की जमाराशियों का प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	"निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां	धारित "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	धारित "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	0.56	0.56	-	0.06	0.56
3	बैंक	0.0023	0.0023	-	-	-
4	निजी कॉर्पोरेट	27.50*	27.50	-	4.58	24.47
5	सहायक कंपनियां /संयुक्त उद्यम	0.42	0.42	-	0.42	0.42
6	अन्य	0.36	0.36	-	0.34	0.36
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	22.53	22.46	-	3.89	21.22
	कुल	**28.84**	**28.84**	**-**	**5.40**	**25.81**

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने के लिए रखे गए प्रावधान की कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18.47 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 6.41 बिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/डिबेंचरों में है।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	"निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां	धारित "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	धारित "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	1.68	1.68	-	0.06	1.68
3	बैंक	4.99	4.99	-	-	4.99
4	निजी कॉर्पोरेट	48.66*	48.60	-	19.85	29.70
5	सहायक कंपनियां /संयुक्त उद्यम	0.42	0.42	-	0.42	0.42
6	अन्य	0.02	0.02	-	-	0.02
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	23.25	22.08	-	3.25	20.80
	कुल	**55.76**	**55.70**	**-**	**20.33**	**36.80**

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने के लिए रखे गए प्रावधान की कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18.43 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 6.30 बिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/डिबेंचरों में है।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

5.3 हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में/से बिक्री और अंतरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, हेल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में से निवेशों का कोई बिक्री और अंतरण नहीं किया गया।

5.4 एक्ज़िम बैंक के वित्तीय विवरणों का प्रारूप भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 में निर्धारित किया गया है। चूंकि, वर्तमान में, निवेश आरक्षित निधि खाता (आईआरए) निर्धारित प्रारूप का हिस्सा नहीं है, इसलिए आईआरए में अंतरित की जाने वाली प्रस्तावित राशि को उपयुक्त प्रकटनों के साथ वित्तीय विवरणों में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) मद के तहत प्रकटित किया जा रहा है। बैंक द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सामान्य विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

6. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

6.1 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. बिक्री का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	खातों की संख्या	1	4
(ii)	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों (प्रावधानों को घटाकर) का कुल मूल्य	-	-
(iii)	कुल प्राप्ति	0.46	0.78
(iv)	गत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राशि	0.39	0.43
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल प्राप्ति/(हानि)	0.85	1.21

- "आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई आस्तियों" को आरबीआई के मास्टर परिपत्र डीबीओडी संख्या एफआईडी.एफआईसी. 2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 01 जुलाई, 2006 और उसके बाद परिभाषित अनुसार माना गया है।

ख. प्रतिभूति जमाओं में निवेशों के बही मूल्य का विवरण

(₹ बिलियन)

	विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य	
		2024-25	2023-24
(i)	बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	0.21	0.53
(ii)	बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	-	-
	कुल	**0.21**	**0.53**

6.2 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

	विवरण	2024-25	2023-24
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
	(ख) कुल बकाया	-	-
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	-	-
	(ख) कुल बकाया	-	-

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

	विवरण	2024-25	2023-24
1.	बेचे गए खातों की संख्या	1	4
2.	कुल बकाया	1.47	2.07
3.	कुल प्राप्त राशि	0.46	0.78

6.3 वर्ष के दौरान अंतरित/अधिग्रहीत किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

क. अंतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	आस्ति पुनर्संचना कंपनियों से	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को*	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	1	-	-
अंतरित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	1.47	-	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	शून्य	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	-	-
कुल प्रतिफल	0.46	-	-
पूर्व वर्षों में अंतरित ऋणों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली#	0.39	-	-

#वित्तीय वर्ष 2024-25 में समनुदेशित मामलों से वसूली

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	आस्ति पुनर्संचना कंपनियों से	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को*	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	4	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	2.07	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	शून्य	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	-	-
कुल प्रतिफल	0.78	-	-
पूर्व वर्षों में हस्तांतरित ऋणों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	0.43	-	-

ख. अधिगृहीत ऋणों का विवरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	खंड 3 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं की सूची से	आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	-	-
कुल प्रदत्त प्रतिफल	-	-
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	-	-

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	खंड 3 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं की सूची से	आस्ति पुनर्संचना कंपनियों से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	-	-
कुल प्रदत्त प्रतिफल	-	-
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	-	-

7. परिचालन परिणाम

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	9.37	8.98
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.28	0.34
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.92	2.26
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.61	1.47
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ/(हानि) (₹ बिलियन में)	0.09	0.07

- परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत तथा रिपोर्ट के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है ("कार्यशील निधियों" का संदर्भ निवल अर्जक आस्तियों से है)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना के लिए सभी कैडरों के स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को लिया गया है।

8. ऋण संकेंद्रण जोखिम

8.1 पूँजी बाजार एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका निवेश केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही नहीं है;	0.56	0.18
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स में निवेश के लिए शेयरों / बॉन्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के एवज में अग्रिम अथवा गैर प्रतिभूति आधार पर व्यक्तियों को अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	0.55	-
(iv)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की कोलैटरल सिक्योरिटी, अर्थात ऐसे उद्देश्य जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती;	2.40	-
(v)	शेयर दलालों को जमानती और गैर–जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों और मार्केटमेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स को नई कंपनियों में प्रवर्तक इक्विटी लेने के लिए शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बेजमानती ऋणों की मंजूरी;	-	-

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के बदले पूरक ऋण;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की प्राथमिक निर्गम की खरीद के संबंध में बैंक द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	-	-
(ix)	शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण;	-	-
(x)	उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए सभी एक्सपोज़र	0.34	0.24
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	3.85	0.42

8.2 देशगत जोखिम एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

जोखिम श्रेणी	यथा मार्च 2025 को एक्सपोज़र (निवल)	यथा मार्च 2025 को रखे गए प्रावधान	यथा मार्च 2024 को एक्सपोज़र (निवल)	यथा मार्च 2024 को रखे गए प्रावधान
नगण्य	98.89	0.99	94.09	0.47
न्यून	182.77	-	116.96	-
मध्यम	487.02	-	613.75	-
उच्च	274.82	-	231.47	-
बहुत ज्यादा	177.94	-	236.51	-
प्रतिबंधित	-	-	-	-
ऑफ क्रेडिट	-	-	-	-
कुल	1,221.44	0.99	1,292.78	0.47

8.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
खातों की संख्या	1	1
कुल बकाया राशि	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि	0.08	0.08

8.4 क्रियान्वित की गई समाधान योजना

वर्तमान वर्ष :

निधि आधारित:

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2025* को बकाया राशि
2	0.80	0.24	0.02	-

*1 खाता तकनीकी रूप से रिटन ऑफ खाता है, अतः बकाया ऋण राशि को बैंक की बही में शून्य दिखाया जा रहा है।

गैर–निधि आधारित:

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया राशि
-	-	-	-	-

- अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी. 8/21.04.048/2024-25 दिनांकित 02 अप्रैल, 2024 के अनुसार।

गत वर्ष:

निधि आधारित:

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया राशि
5	1.39	1.28	3.19	1.28

गैर-निधि आधारित:

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या*	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया राशि
-	-	-	-	-

*अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी. 55/21.04.048/2021-22 दिनांकित 01 अप्रैल, 2023 के अनुसार।

8.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना (एस4ए) के अंतर्गत एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

विवरण		2024-25	2023-24
मानक खातों के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या, जिन पर एस4ए लागू होता है		2	2
कुल बकाया राशि		0.00	0.00
बकाया राशि	भाग क में	2.94	2.94
	भाग ख में	2.59	2.59
किया गया प्रावधान		0.67	1.11

8.6 यथा 31 मार्च, 2025 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत ₹ 6.87 बिलियन के बकाया ऋण (गत वर्ष ₹8.21 बिलियन) के साथ 62 खातों (गत वर्ष: 67 खाते) को एनसीएलटी में दाखिल किया गया या संदर्भित किया गया, जिनके एवज में बैंक ने 100% प्रावधान (गत वर्ष: 100%) किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इन खातों से कुल ₹ 0.50 बिलियन गत वर्ष ₹ 0.80 बिलियन) राशि वसूल की गई।

8.7 बैंक द्वारा विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण देने संबंधी मामले-एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा

क. वर्ष के दौरान विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामलों की संख्या और राशि

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
-	-	-	-	-	-	-	-	-

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ख. पूँजीगत निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण

वर्तमान वर्ष :

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	19.95%	1.54%	1.86%
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	22.62%	1.75%	2.10%
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	193.40%	14.94%	17.99%
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	275.23%	21.26%	25.60%

* यथा 31 मार्च, 2024 को पूँजीगत निधियां

@ टीसीईः ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2025 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोज़र टियर I पूँजी के 20% की आधार सीमा से अधिक रहा हो। इसके अलावा, ऐसे कोई उधारकर्ता समूह नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोज़र टियर 1 पूँजी निधियों के 25% की आधार सीमा से अधिक रहा हो।

गत वर्ष:

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	18.85%	1.56%	1.92%
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	25.85%	2.14%	2.64%
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	195.14%	16.12%	19.89%
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	181.64%	15.00%	18.52%

* यथा 31 मार्च, 2023 को पूँजीगत निधियां

@ टीसीईः ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2024 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोज़र पूँजीगत निधियों के 15% की आधार सीमा से अधिक रहा हो। एक उधारकर्ता के मामले में, ऋण सुविधा को बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए वित्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, आरबीआई मानदंडों के अनुसार यह बैंक की टीसीएफ के 20% तक वित्तपोषण के लिए पात्र है। इसके अलावा, ऐसा कोई उधारकर्ता समूह नहीं रहा जिस पर ऋण एक्सपोजर पूँजीगत निधियों की 40% की सीमा से अधिक रहा हो।

ग. पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र

वर्तमान वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i. वित्तीय सेवाएं	4.78%	6.67%
ii. ईपीसी सेवाएं	4.65%	6.49%
iii. लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	4.43%	6.18%
iv. पेट्रोलियम उत्पाद	3.52%	4.92%
v. विद्युत	3.04%	4.25%

- “ऋण एक्सपोज़र” की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
- उद्योग एक्सपोज़र की गणना के लिए बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिया गया वह ऋण जिसके लिए भारत सरकार द्वारा/भारत सरकार की ओर से गारंटी दी गई है को, भारत सरकार की ओर से दिया गया ऋण माना गया है और उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है।

गत वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i. वित्तीय सेवाएं	4.71%	6.97%
ii. ईपीसी सेवाएं	4.33%	6.40%
iii. रसायन और रंजक (डाई)	3.26%	4.83%
iv. लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	3.19%	4.72%
v. पेट्रोलियम उत्पाद	3.12%	4.62%

घ. अप्रतिभूतित अग्रिम

(₹ बिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
बैंक के कुल अप्रतिभूतित अग्रिम	338.82	249.73
i) जिसमें से कॉर्पोरेट / व्यक्तिगत गारंटियों, वचन पत्रों, ट्रस्ट रसीदों आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के एवज में बकाया अग्रिम की राशि	17.38	10.82
ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अनुसार अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	11.51	4.49

ङ. फैक्टरिंग एक्सपोज़र

एक्ज़िम फिनसर्व का ₹ 0.80 बिलियन का एक्सपोजर नॉन-रिकोर्स निर्यात फैक्टरिंग के जरिए है (गत वर्ष : शून्य)।

च. वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा पार की गई विवेकसम्मत ऋण सीमा वाले एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(गत वर्ष : शून्य)

9. उधारियों/ऋण-व्यवस्थाओं, ऋण एक्सपोज़रों और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(क) उधारियों और ऋण-व्यवस्थाओं का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां*	462.59	548.64
बैंक की कुल उधारियों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का प्रतिशत	25.82%	35.49

*इसमें दस्तावेजीकरण के बाद सिंडिकेटेड ऋण शामिल हैं।

(ख) ऋण एक्सपोज़रों का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोज़र	393.52	381.89
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	20.85%	23.83%
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	393.52	381.89
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोज़र का प्रतिशत	14.94%	16.12%
एक्ज़िम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोज़र की तुलना में शीर्ष 10 देशों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	32.73%	36.87%

एक्सपोजर की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 सितंबर, 2023 के मास्टर निदेश (बासल III पूँजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्त्वपूर्ण निदेश, वर्गीकरण, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का मूल्यांकन तथा परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम, 2023) के अनुसार की गई है।

(ग) ऋणों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2024-25			2023-24		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
क	घरेलू क्षेत्र	675.97	4.75	1%	462.46	6.18	1%
1	कुल निर्यात वित्त	532.87	3.19	1%	340.74	4.62	1%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	459.43	2.72	1%	303.84	4.14	1%
	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	73.48	-	0%	41.91	-	0%
	रसायन और रंजक	-	-	-	22.73	0.07	0%
	पेट्रोलियम उत्पाद	87.84	-	0%	70.08	-	0%
	विद्युत	17.30	0.14	1%	2.14	0.14	6%
	अन्य	280.81	2.58	1%	166.98	3.93	2%
	सेवा क्षेत्र	73.44	0.48	1%	36.90	0.48	1%
	वित्तीय सेवाएं	15.69	-	0%	-	-	-
	दूरसंचार	8.21	-	0%	-	-	-
	अन्य	49.54	0.48	1%	36.90	0.48	1%
2	कुल आयात वित्त	143.10	1.56	1%	121.72	1.56	1%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	95.90	1.56	2%	74.44	1.56	2%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	0.55	-	0%	2.19	-	0%
	रसायन और रंजक	-	-	-	12.80	-	0%
	विद्युत	45.70	1.56	3%	42.11	1.56	4%
	अन्य	49.64	-	0%	17.34	-	0%
	सेवा क्षेत्र	47.20	-	0%	47.28	-	0%
	वित्तीय सेवाएं	42.74	-	0%	44.70	-	0%
	दूरसंचार	1.59	-	0%	-	-	-
	अन्य	2.87	-	0%	2.58	-	0%
3	(क) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र	-	-	-	-	-	-
ख	बाह्य क्षेत्र	144.53	10.98	8%	147.87	8.77	6%
1	कुल निर्यात वित्त	144.53	10.98	8%	147.87	8.77	6%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	79.71	8.52	11%	86.39	6.26	7%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	13.70	-	0%	12.30	-	0%
	रसायन और रंजक	-	-	-	13.11	-	0%
	विद्युत	9.35	2.83	30%	8.18	3.73	46%
	पेट्रोलियम उत्पाद	-	-	-	-	-	0%
	अन्य	56.66	5.68	10%	52.80	2.53	5%
	सेवा क्षेत्र	64.82	2.46	4%	61.47	2.50	4%
	वित्तीय सेवाएं	47.10	-	0%	44.18	-	0%
	दूरसंचार	11.70	-	0%	-	-	-

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2024-25			2023-24		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
	अन्य	6.02	2.46	41%	17.29	2.50	14%
2	**कुल आयात वित्त**	-	-	-	-	-	-
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	सेवा क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3	**(ख) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र**	-	-	-	-	-	-
ग	**अन्य एक्सपोज़र#**	**1,066.96**	**16.46**	**2%**	**992.13**	**16.07**	**2%**
घ	**कुल एक्सपोज़र (क+ख+ग)**	**1,887.46**	**32.20**	**1.71%**	**1,602.46**	**31.01**	**1.94%**

#इसमें ऋण-व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण, रियायती वित्त योजना, वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त और बैंकों द्वारा प्रति-गारंटित अग्रिम शामिल हैं।

घ. हेज न किया गया विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने आरबीआई के मास्टर निदेश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16 दिनांकित 23 जून, 2016 के अनुसार, पूँजी के प्रावधान की आवश्यकताओं के संबंध में एक आंतरिक नोट के अनुसार अरक्षित (हेज न किया गया) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली कंपनियों को एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील रूप से प्रावधान करने के नियम को लागू किया है। यथा 31 मार्च, 2025 को मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए ₹ 1.43 बिलियन की राशि (गत वर्ष ₹ 1.04 बिलियन) रखी गई और मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए आवंटित पूँजी ₹ 36.49 बिलियन (गत वर्ष ₹ 20.36 बिलियन) रही।

10. डेरिवेटिव

10.1 वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वॉप**

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25		2023-24	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वॉप करारों का मूल कल्पित मूल्य	653.82	-	573.75	-
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	3.09	-	2.05	-
3.	स्वॉप करारों के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित कोलैटरल	-	-	-	-
4.	स्वाप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	-	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	-
5.	स्वॉप बही का सही मूल्य	(28.92)	-	(43.66)	-

*सभी ब्याज दर स्वॉप बैंकों के साथ किए गए हैं।

** क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वॉप में ब्याज दर स्वॉप शामिल नहीं है, जिसका विवरण नोट 10.3.ख में दिया गया है।

स्वॉप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्तियों/देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति–देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

(₹ बिलियन)

लिखत	प्रकृति	संख्या	अनुमानित मूलधन	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	17	299.14	6 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	21.37	3 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	4	98.29	6 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	0.51	टोना	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	8	205.13	सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	2	16.30	आईएनटीबीफिक्स 3 माह	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
	कुल	**33**	**640.74**		

10.2 एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की सांकेतिक मूल राशि	-
2.	यथा 31 मार्च, 2025 को एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि	-
3.	एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं	-
4.	एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव का बकाया मार्क–टू–मार्केट मूल्य किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं	-

10.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटन

क. गुणात्मक प्रकटन

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यतः अपने तुलन–पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स का ही उपयोग करता है।
2. डेरिवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि तथा (ii) ऋण जोखिम अर्थात प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जिसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से समग्र आस्ति देयता स्थिति को संव्यवहार स्तर पर ही प्रबंधित कर लेना है। यह नीति बैंक के व्यवसाय लक्ष्यों के अनुरूप अनुमत डेरिवेटिव उत्पादों के प्रयोग को परिभाषित करती है, नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली निर्धारित करती है और नियामकीय, प्रलेखन तथा लेखा संबंधी विषयों के बारे में बताती है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्री सेटलमेंट रिस्क लिमिट, पीवी01 लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।
3. बैंक की आस्ति–देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो डेरिवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आंकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देखरेख करती है।
4. यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है तथा एएलएम बही में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।
5. आकस्मिक देयता में करंसी स्वॉप शामिल नहीं हैं।

ख. मात्रात्मक प्रकटन

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25		2023-24	
		करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
1	डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	248.23	640.74	233.11	573.74
	ख) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
2	मार्क्ड-टू-मार्केट स्थितियां				
	क) आस्ति (+)	-	-	-	-
	ख) देयता (-)	(32.17)	(28.97)	(40.86)	(43.66)
3	ऋण एक्सपोज़र	15.96	12.67	9.18	4.26
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	4.25	25.48	5.43	21.57
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	(i) अधिकतम	5.53	26.38	8.01	25.25
	(ii) न्यूनतम	4.25	19.95	5.43	21.57
	ख) ट्रेडिंग पर				
	(i) अधिकतम	-	-	-	-
	(ii) न्यूनतम	-	-	-	-

क) 'ऊपर प्रकटित ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि क्रमशः ₹ 640.74 बिलियन (₹573.74 बिलियन) और ₹248.23 बिलियन (₹233.11 बिलियन) को मार्क्ड-टू-मार्केट (एमटीएम) के संबंध में हिसाब में नहीं लिया गया है, जहां अंतर्निहित आस्ति/देयताएं यथा 31 मार्च, 2025 को मार्क्ड-टू-मार्केट नहीं हैं।

ख) करंसी डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि में ₹ 186.82 बिलियन (₹ 201.55 बिलियन) की क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वॉप राशि शामिल है और इसकी एमटीएम हानि ₹ 31.97 बिलियन (₹ 41.07 बिलियन) है।

ग) सीसीआईआरएस के एमटीएम पर ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को फ्लोटिंग दर पर विदेशी मुद्राओं में बैंक के ऋणों और अग्रिमों के मूल्य में परिवर्तन से काफी हद तक कम कर दिया जाता है। ये स्वॉप संविदाएं मुख्य रूप से फेडाई विनिमय दरों पर की जाती हैं।

घ) करंसी डेरिवेटिव का विवरण निम्नलिखित अनुसार है

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
क)	मूलधन विनिमय डेरिवेटिव		
(i)	क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वॉप	186.82	201.55
(ii)	विदेशी मुद्रा विनिमय स्वॉप/केवल मूलधन स्वॉप	48.32	31.55

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
ख)	अन्य		
(i)	वायदा	13.09	0.01
(ii)	स्वॉप	-	-
	कुल (क+ख)	248.23	233.11

आकस्मिक देयता मद के अंतर्गत ₹ 13.11 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.02 बिलियन) की वायदा विनिमय संविदाएं और ₹ 640.74 बिलियन (गत वर्ष ₹ 573.74 बिलियन) की ब्याज दर स्वॉप (आईआरएस) के आनुमानिक आंकड़े आकस्मिक देयताओं शीर्ष के अंतर्गत ऑफ-बैलेंस शीट मदों के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं।

11. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024-25) के दौरान, बैंक द्वारा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया और बकाया प्रतिबद्धताओं के चलते कोई वित्तीय देयता उत्पन्न नहीं हुई (गत वर्षः शून्य)। साख पत्र के अंतर्गत बैंक का बकाया एक्सपोज़र कुल ₹ 8.99 बिलियन का रहा (गत वर्ष ₹ 2.56 बिलियन)। वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024-25) के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त चुकौती आश्वासन पत्र शून्य रहा (गत वर्ष ₹ 3.29 बिलियन)।

12. आस्ति-देयता प्रबंधन

वर्तमान वर्षः

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	35.74	55.02	143.56	203.50	64.41	128.48	79.71	20.54*	730.96
रुपया निवेश	0.00	2.99	15.17	0.81	6.67	16.25	34.05	82.40	158.34
रुपया अन्य आस्तियां	109.60	1.96	48.27	67.05	136.47	194.82	134.36	364.52	1,057.05
रुपया जमा राशियां	0.04	0.01	0.07	0.05	65.15	0.32	0.06	0.00	65.68
रुपया उधारियां	98.08	0.00	168.43	18.70	146.19	119.30	120.65	59.60	730.96
रुपया अन्य देयताएं	52.30	63.09	25.73	31.24	59.04	144.96	17.39	310.87	704.62
विदेशी मुद्रा आस्तियां	81.56	32.17	43.03	85.28	165.98	575.54	411.67	782.04	2,177.26
विदेशी मुद्रा देयताएं	88.54	32.58	51.74	104.61	217.12	765.25	392.48	426.97	2,079.28

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

गत वर्षः

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	22.37	22.94	92.55	87.68	101.51	57.45	45.06	33.93*	463.50
रुपया निवेश	0.00	7.48	13.60	12.27	23.52	27.48	14.45	65.71	164.50
रुपया अन्य आस्तियां	60.26	12.52	71.21	35.55	81.26	233.14	154.71	318.23	966.88
रुपया जमा राशियां	0.02	0.00	5.14	0.07	18.63	0.39	0.09	0.00	24.34
रुपया उधारियां	55.27	14.91	189.11	0.00	59.12	159.45	69.75	46.75	594.36
रुपया अन्य देयताएं	8.90	18.04	22.12	29.59	76.73	110.69	13.03	291.56	570.66
विदेशी मुद्रा आस्तियां	38.20	18.91	39.04	83.20	168.30	609.69	382.41	738.69	2,078.44
विदेशी मुद्रा देयताएं	40.84	20.08	48.76	103.27	222.25	794.27	539.22	438.05	2,206.74

(*ऋण प्रावधानों के निवल)

13. आरक्षित निधियों से आहरण

बैंक द्वारा आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली गई है (गत वर्षः शून्य)।

14. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2024-25	2023-24
इक्विटी पर रिटर्न	20.39%	15.83%
आस्तियों पर रिटर्न	1.61%	1.47%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ बिलियन)	0.09	0.07

15. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिनियम, आदेश, नियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपेक्षित शर्त के उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया (गत वर्ष : शून्य)।

16. शिकायतों का प्रकटीकरण

ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान मिली शिकायतें	1	1
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	1	1
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	-	-

17. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
-	-

(गत वर्ष: शून्य)

विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

18. अचल आस्तियों का विवरण

वर्तमान वर्ष:

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखांकन मानक-10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

(₹ बिलियन)

विवरण		परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक				
यथा 31 मार्च, 2024 को लागत		5.31	2.19	7.50
परिवर्द्धन		0.00	0.34	0.34
निपटान		-	0.09	0.09
यथा 31 मार्च, 2025 को लागत	(क)	**5.31**	**2.44**	**7.75**
मूल्यह्रास				
यथा 31 मार्च, 2024 को संचित		2.16	1.71	3.87
वर्ष के दौरान प्रावधान		0.23	0.34	0.57
निपटान पर हटाया गया		-	0.09	0.09
यथा 31 मार्च, 2025 को संचित	(ख)	**2.39**	**1.96**	**4.35**
निवल ब्लॉक (क–ख)		**2.92**	**0.48**	**3.40**

गत वर्ष:

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखांकन मानक-10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

(₹ बिलियन)

विवरण		परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक				
यथा 31 मार्च, 2023 को लागत		5.24	1.87	7.11
परिवर्द्धन		0.12	0.37	0.49
निपटान		0.05	0.05	0.10
यथा 31 मार्च, 2024 को लागत	(क)	**5.31**	**2.19**	**7.50**
मूल्यह्रास				
यथा 31 मार्च, 2023 को संचित		1.93	1.44	3.37
वर्ष के दौरान प्रावधान		0.23	0.32	0.55
निपटान पर हटाया गया		-	0.05	0.05
यथा 31 मार्च, 2024 को संचित	(ख)	**2.16**	**1.71**	**3.87**
निवल ब्लॉक (क–ख)		**3.15**	**0.48**	**3.63**

19. सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण–व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय (अक्रुअल) आधार पर हिसाब में लिया गया है।

20. खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों में केवल एक व्यवसाय खंड शामिल है अर्थात वित्तीय गतिविधियां, अतएव इसे एकल व्यवसाय खंड वाली संस्था के रूप में माना गया है।

बैंक के भौगोलिक परिचालन खंडों को घरेलू परिचालनों एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है। इन परिचालनों का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकरण मुख्यतः संव्यवहार के जोखिम तथा प्रतिफल पर आधारित है।

(₹ बिलियन)

विवरण	घरेलू परिचालन		अंतरराष्ट्रीय परिचालन		कुल	
	2024-25	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**
राजस्व	180.78	147.76	7.83	6.77	188.61	154.53
आस्तियां	2,061.74	1,805.22	126.06	114.30	2,187.80	1,919.52

21. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्षकारों का प्रकटन निम्नलिखित अनुसार हैः

- संबंध

  (i) सहायक कंपनी:

  - इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

  (ii) संयुक्त उपक्रम:

  - जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड
  - कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी

  (iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अधिकारी:

  - सुश्री हर्षा बंगारी (प्रबंध निदेशक)
  - श्री तरुण शर्मा (उप प्रबंध निदेशक)
  - सुश्री दीपाली अग्रवाल (उप प्रबंध निदेशक, 28 जून, 2024 से, इससे पहले सुश्री अग्रवाल 27 जून, 2024 तक बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी थीं)
  - श्री मुकुल सरकार, मुख्य जोखिम अधिकारी
  - श्री गौरव भंडारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (01 जुलाई, 2024 से)
  - सुश्री मंजिरी भालेराव, मुख्य अनुपालन अधिकारी
  - सुश्री रीमा मारफतिया, आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रमुख
  - श्री उत्पल गोखले, बोर्ड सचिव (05 सितंबर, 2024 तक)
  - श्री टी. डी. सिवाकुमार, बोर्ड सचिव (06 सितंबर, 2024 से)
  - सुश्री बख्तावर पटेल, ट्रेज़री प्रमुख (08 अगस्त, 2024 से)
  - सुश्री सिद्धि केलुसकर, अनुपालन अधिकारी
  - श्री मुकुल अग्रवाल, मुख्य तकनीकी अधिकारी (23 जुलाई, 2024 तक)

- बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियों तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है:

(₹ मिलियन)

विवरण	संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
प्रदत्त ऋण	-	-	0.61	8.50
जारी गारंटियां	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	0.12	0.01
प्राप्त गारंटी कमीशन	-	-	-	-
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	-	-	-	-
स्वीकार की गई सावधि जमा राशियां	-	-	2.70	10.10
सावधि जमा राशियों पर ब्याज	-	-	1.80	1.80
बट्टाकृत / अपलेखीकृत की गई राशियां	-	-	-	-
बकाया सावधि जमा राशियां	-	-	24.69	29.03
वर्ष के अंत में बकाया ऋण	-	-	0.30	8.40
वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया निवेश (प्रावधानों के निवल)	3.23	3.23	-	-
प्राप्त लाभांश	0.84	0.70	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया ऋण	-	-	14.05	15.87
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया गारंटियां	-	-	-	-
परिलब्धियों सहित वेतन	5.22	3.85	65.08	44.30
भुगतान किया गया किराया	0.90	0.90	-	-
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.22	0.53	-	-
निदेशक की प्राप्त फीस	0.04	0.04	-	-
परामर्श के लिए भुगतान की गई फीस (जीएसटी सहित)	7.48	17.52	-	-

22. आय पर कर के संबंध में लेखांकन

(क) कर के लिए प्रावधान संबंधी विवरण:

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
आय पर कर	9.22	8.07
जोड़ें: निवल आस्थगित कर देयता	1.32	0.11
कुल	**10.54**	**8.18**

(ख) आस्थगित कर आस्ति:

प्रमुख करों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का संयोजन नीचे दिया गया है:

(₹ बिलियन)

विवरण	2024-25	2023-24
आस्थगित कर आस्तियां		
1. अस्वीकृत प्रावधान (निवल)	19.80	21.43
2. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.07	0.05
घटाएं: आस्थगित कर देयता		
1. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
2. बॉन्ड निर्गम व्ययों का परिशोधन	0.50	0.59
3. धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	2.92	3.12
निवल आस्थगित कर आस्तियां [तुलन-पत्र के 'आस्तियां' पक्ष में 'अन्य आस्तियां' में शामिल]	**16.45**	**17.77**

23. संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

संयुक्त रूप से नियंत्रित की गई इकाइयां			वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क	जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड	भारत	28.10%	28.10%
ख	कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी	मॉरीशस	41.39%*	36.36%

*कुकुजा परियोजना विकास कंपनी की कुल चुकता शेयर पूँजी कंपनी को बंद करने संबंधी व्यय के लिए शेयरधारकों द्वारा किए गए पूँजीगत अंशदान के कारण 5.5 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 8.6 मिलियन यूएस डॉलर हो गई है। इस संबंध में, एक्ज़िम बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 1.56 मिलियन यूएस डॉलर का अंशदान दिया, जिससे इसकी शेयरधारिता 36.36% से बढ़कर 41.39% हो गई है।

II. संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी लेखा मानक–27 के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति का प्रयोग करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ मिलियन)

देयताएं	2024-25	2023-24	आस्तियां	2024-25	2023-24
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	47.00	42.71	अचल आस्तियां	0.13	0.23
ऋण	-	-	निवेश	15.82	11.06
अन्य देयताएं	6.64	4.98	अन्य आस्तियां	37.69	36.39
कुल	53.64	47.69	कुल	53.64	47.69

आकस्मिक देयताएं: शून्य (गत वर्ष: शून्य)

(₹ मिलियन)

व्यय	2024-25	2023-24	आय	2024-25	2023-24
ब्याज और वित्तपोषण व्यय	0.05	0.01	परामर्शी आय	21.36	16.25
अन्य व्यय	17.02	11.95	ब्याज आय तथा निवेश से आय	1.97	2.74
प्रावधान	2.29	2.19	अन्य आय	1.17	0.25
लाभ	5.14	5.09			
कुल	24.50	19.24	कुल	24.50	19.24

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी) बैंक की मॉरीशस में एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनेंशल सर्विसेज़ (आईएल एंड एफएस) समूह इसके अन्य शेयरधारक हैं। चूंकि लगातार कई वर्षों से केपीडीसी नुकसान में होने और केपीडीसी का परिचालन सस्टैनेबल न होने के कारण शेयरधारकों ने मार्च 2023 में केपीडीसी के परिचालन को बंद करने संबंधी संकल्प पारित किया था। तदनुसार, केपीडीसी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केपीडीसी की सभी बकाया देयताओं का भुगतान कर दिया गया है। सभी शेयरधारकों और सांविधिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर केपीडीसी को बंद करने और रजिस्टर से केपीडीसी को हटाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, मॉरीशस को आवेदन किया जाएगा। चूंकि पिछले 2 वर्षों से कोई व्यावसायिक परिचालन नहीं हुआ था, वित्तीय वर्ष 2023–24 और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए केपीडीसी के लेखापरीक्षित वित्तीय उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए, उपरोक्त में केपीडीसी का विवरण शामिल नहीं है।

24. आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में अधिकांश आस्तियां "वित्तीय आस्तियां" हैं, जिन पर "आस्तियों का ह्रास" संबंधी लेखांकन मानक 28 लागू नहीं होता है। बैंक की राय में, जिन आस्तियों पर ये मानक लागू होते हैं, उनमें उक्त लेखांकन मानकों के संबंध में हिसाब में लेने के लिए यथा 31 मार्च, 2025 को कोई ह्रास नहीं हुआ है।

25. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी लाभों पर यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखांकन मानक–15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है, जिसमें तुलन–पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) तुलन-पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अवधि के अंत में आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	1.95	1.76	0.36	0.32
अवधि के अंत में हित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2.14	(1.87)	0.49	(0.35)
निधीयन स्थिति	(0.19)	(0.11)	(0.13)	(0.03)
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई परिवर्ती देयता	-	-	-	-
तुलन पत्र में हिसाब में ली गई निवल देयता	(0.19)	(0.11)	(0.13)	(0.03)

ख) लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्तमान सेवा लागत	0.04	0.04	0.02	0.02
ब्याज लागत	0.01	0.13	0.03	0.02
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	0.13	0.12	0.02	0.02
बीमांकिक हानि/(लाभ)	0.17	0.08	0.11	0.01
विगत सेवा लागत - गैर-निहित लाभ	-	-	-	-
विगत सेवा लागत - निहित लाभ	-	-	-	-
परिवर्ती देयता	-	-	-	-
लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय	0.21	0.12	0.13	0.03
नियोक्ता द्वारा अंशदान	0.14	0.09	0.03	-

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.06%	7.52%	6.85%	7.49%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	7.06%	7.52%	6.85%	7.49%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ दायित्व की राशि ₹ 0.07 बिलियन (गत वर्ष: ₹ 0.185 बिलियन) रही, जिसका पूर्णतः प्रावधान किया जा चुका है।

26. सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के परिपत्र के अनुपालन में भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी

ऐक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

प्राधिकृत व्यक्ति: श्री अनिल ग्रोवर, महाप्रबंधक एवं ऑपरेशंस हेड
श्री राहुल चौधरी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पता:

पंजीकृत कार्यालय: ऐक्सिस हाउस,
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड,
पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुंबई - 400 025

कॉर्पोरेट कार्यालय: द रूबी, दूसरी मंज़िल, एसडब्ल्यू
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई - 400 028

फोन: (022) 62300451
ईमेल: Debenturetrustee@axistrustee.in
वेबसाइट: www.axistrustee.in

27. आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरूआत, कोविड–19 महामारी के कारण आर्थिक दबाव में आए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की गईः

(₹ बिलियन)

योजना	2024-25				2023-24			
	मंजूरी	संवितरित*	बकाया		मंजूरी	संवितरित*	बकाया	
			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि
ईसीएलजीएस 1.0	-	-	3	0.06	-	-	4	0.08
ईसीएलजीएस 2.0	-	-	9	0.32	-	0.03	12	0.67
ईसीएलजीएस 3.0	-	-	1	0.22	-	0.21	1	0.22
कुल योग	**-**	**-**	**13**	**0.60**	**-**	**0.24**	**17**	**0.97**

*वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान मंजूर ऋणों के लिए किए गए संवितरण शामिल हैं।

28. भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) के कार्यान्वयन का स्थगन

क) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के 04 अगस्त, 2016 के परिपत्र के अनुसार, भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 01 अप्रैल, 2018 से सभी बैंकों, गैर–बैंकिंग कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू थे, जिनके साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करनी थी। आरबीआई द्वारा 15 मई, 2019 को एक्ज़िम बैंक को लिखे गए अपने पत्र के जरिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित करने के संबंध में सूचित किया गया है।

ख) इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व की नेटवर्थ ₹ 500 करोड़ से कम है, इसलिए भारतीय लेखांकन मानक इस पर लागू नहीं होते हैं।

29. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्वर्गीकृत/ पुर्व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते **एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
दस्यता सं. 032271

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

निदेशकों की रिपोर्ट

निर्यात विकास कोष

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ईरान को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों के वित्तपोषण के लिए चुनिंदा ईरानी बैंकों को ₹ 9 बिलियन की क्रेता ऋण सुविधा के रूप में निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) से राशि प्रदान करने के लिए एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार का अनुमोदन सूचित किया गया था। सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, ईडीएफ के अंतर्गत ₹ 9 बिलियन की क्रेता-ऋण सुविधा के लिए सात ईरानी बैंकों के साथ 23 दिसंबर, 2014 को अम्ब्रेला फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। ईरानी बैंकों को इस क्रेता ऋण सुविधा को ईरान सरकार की संप्रभु गारंटी प्राप्त थी। तत्पश्चात, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, भारत से स्टील रेलों के आयात के वित्तपोषण और ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए इस क्रेता ऋण सुविधा की राशि ₹ 30 बिलियन तक बढ़ा दी गई थी।

इस फ्रेमवर्क करार के अंतर्गत, भारत से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रेलवे को 150,000 टन स्टील रेलों की आपूर्ति के लिए ₹ 8.19 बिलियन मूल्य के प्रथम कॉन्ट्रैक्ट को क्रेता ऋण सुविधा के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था। एनईआईए ट्रस्ट ने इस ऋण सुविधा के लिए प्रथम कॉन्ट्रैक्ट को कवर करते हुए क्रेता ऋण (व्यापक जोखिम) कवर प्रदान किया है। इस ऋण सुविधा के अंतर्गत कुल ₹ 8.11 बिलियन के संवितरण किए जा चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय पूर्णता प्राप्त कर ली गई है। चुकौती में लंबे समय से चूक के चलते, एनईआईए ट्रस्ट से कवर को इन्वोक किया गया था और एनईआईए ट्रस्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस ऋण सुविधा के अंतर्गत संपूर्ण बकाया मूलधन का निपटान कर दिया गया था। यथा 31 मार्च, 2025 को इस ऋण सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि शून्य रही।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निर्यात विकास कोष का कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 116.40 मिलियन और ₹ 87.11 मिलियन का रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यह क्रमशः ₹ 94.93 मिलियन और ₹ 71.04 मिलियन का था। ₹ 1,162.91 मिलियन का संचयी लाभ अगले वर्ष के लिए ले जाया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारतीय निर्यात–आयात बैंक ('बैंक') के निर्यात विकास कोष वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त ये वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14(i), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ संबंधी स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता और विशिष्ट वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से जुड़ी नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं है तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

वित्तीय विवरण और इसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, किंतु वित्तीय विवरण और उस संबंध में हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में कोई आश्वासन / निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर चिह्नित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना है कि यह अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है, या लेखा परीक्षा में ली गई हमारी जानकारी या अन्यथा कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व में हमें मिली अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कहीं कुछ गलत बयानी है तो हम उन मामलों को गवर्नेंस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और गवर्नेंस प्रभारियों के उत्तरदायित्व

बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। ये वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। बैंक में शामिल संबंधित इकाइयों के प्रबंधन आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनके पता

लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनप्रयोग करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं आकलन करने; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने, उन्हें कार्यान्वित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सत्य और सही स्थिति बताने वाले, तथा धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण होने वाली किसी भी भौतिक चूक से मुक्त, वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

वित्तीय विवरण तैयार करने में बैंक में शामिल इकाइयों के संबंधित प्रबंधन, बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है।

बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि इन एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन नहीं हैं। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन हैं, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि इनमें यदि कोई गंभीर मिथ्या कथन हुए तो लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा में उनका पता लगा ही लिया जाएगा।

मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और ये तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोक्ताओं द्वारा अलग–अलग या सामूहिक रूप से लिए गए उनके आर्थिक निर्णय प्रभावित होते हों।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान इसी प्रोफेशनल दृष्टि से तथ्यों को परखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, वित्तीय विवरणों के महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी आधारित गंभीर मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि आधारित मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करना।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तार्किकता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- व्यवसाय की निरंतरता जारी रखने के संबंध में उच्च प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धतियों की हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर जांच करना, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और यह सुनिश्चित करना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के व्यवसाय जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और देखना कि एकल वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों और कार्यों को उचित रूप में प्रस्तुत करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी गंभीर विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नैंस से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नैंस से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना जा सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता, भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 की अनुसूचियों I क और II क के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह रिपोर्ट करते हैं किः

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- हमारी राय, इस रिपोर्ट में लिए गए तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा विवरण, लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- कोष के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त वित्तीय विवरण, लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

कृते **जीएमजे एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 302014E/W101061

सीए रामकृष्णन मणि
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271
यूडीआईएनः

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

यथा 31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
देयताएं		
1. ऋणः		
क) सरकार से	-	-
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
2. अनुदान:		
क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
3. उपहार, दान, उपकृतियां:		
क) सरकार से	-	-
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
4. अन्य देयताएं	411,760,348	383,261,481
5. लाभ और हानि लेखा	1,162,914,620	1,075,807,691
योग	1,702,982,755	**1,587,376,959**
आस्तियां		
1. बैंक की शेष राशियां	1,500,000	15,00,000
क) चालू खातों में	1,293,181,817	1,185,686,055
ख) अन्य जमा खातों में	-	-
2. निवेश		
3. ऋण एवं अग्रिम:	-	-
क) भारत में	-	-
ख) भारत के बाहर		
4. भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्रः		
क) भारत में	-	-
ख) भारत के बाहर	-	-
5. अन्य आस्तियां		
क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
i) ऋण एवं अग्रिम	-	-
ii) निवेश/बैंक शेष	112,627,470	103,719,918
ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	295,673,468	296,470,986
ग) अन्य	-	-
योग	1,702,982,755	**1,587,376,959**

यथा 31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2024 को) ₹
आकस्मिक देयताएं		
i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व	-	-
ii) वायदा विनियम संविदाओं की बकाया राशियों पर	-	-
iii) हामीदारी एवं वचनबद्धताओं पर	-	-
iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं	-	-
v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	-	-
vi) संग्रहण के लिए बिल	-	-
vii) सहभागिता प्रमाण–पत्रों पर	-	-
viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल	-	-
ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	-	-

टिप्पणी: भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्यात विकास कोष की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात–आयात बैंक को केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

कृते एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
दस्यता सं. 032271

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री अश्वनी कुमार

निदेशक

यथा 31 मार्च, 2025 को लाभ और हानि लेखा

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (2024-25) ₹	गत वर्ष (2023-24) ₹
व्यय		
	-	-
1. ब्याज	-	-
2. अन्य व्यय	-	8,505,318
3. आगे ले जाया गया लाभ	116,403,314	94,931,984
योग	116,403,314	103,437,302
आयकर के लिए प्रावधान	29,296,386	23,892,482
तुलन पत्र में अंतरित शेष लाभ	87,106,928	71,039,502
	116,403,314	**94,931,984**
आय		
1. ब्याज और बट्टा		
क) ऋण एवं अग्रिम	-	-
ख) निवेश/बैंक शेष	116,403,314	103,437,302
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस	-	-
3. अन्य आय	-	-
4. तुलन पत्र को ले जायी गयी हानि	-	-
योग	**116,403,314**	**103,437,302**
लाभ नीचे लाया गया	87,106,928	94,931,984
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
	87,106,928	**94,931,984**

कृते एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
दस्यता सं. 032271

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 मई, 2025

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

सुश्री अपर्णा भाटिया

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री अश्वनी कुमार

निदेशक

प्रधान कार्यालय

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400005
फोन : (+9122) 22172600
ई-मेलः - ccg@eximbankindia.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद

साकार II, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास,एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद - 380 006
फोन: (+91 79) 26576852/26576843
ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

बेंगलूरु

रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल, 18, एम. जी. रोड, बेंगलूरु - 560 001
फोन: (+91 80) 25585755/25589101-04
ई-मेल: eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़

सी-213, दूसरी मंज़िल, एलान्ते कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, चंडीगढ़ - 160 002
फोन: (+91 172) 2997960-63
ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै

ओवरसीज टॉवर्स, चौथी एवं पांचवीं मंज़िल, 756-एल, अन्ना सलाई, चेन्नै - 600 002
फोनः (+91 44) 28522830/28522831
ई-मेलः eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी

नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस. रोड, दिसपुर, गुवाहाटी - 781 006
फोन: (+91 361) 2237607/609
ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद

गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद - 500 004
फोन: (+91 40) 23307816-21
ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

इंदौर

इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, यूनिट नं. 800-802, 8वीं मंज़िल, मालू 01 प्लॉट नम्बर 26, स्कीम नंबर 94 C रिंग रोड, इंदौर 452010
फोन: (+91 731) 4137891
ई-मेल: eximiro@eximbankindia.in

कोलकाता

वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापारसुगमीकरण केंद्र), 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016
फोन: (+91 33) 68261301
ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

लखनऊ

यूनिट नं. 101, 102 और 103, पहली मंज़िल, शालीमार इरीडियम, विभूती खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
फोन: (+91 522) 6188035
ई-मेल: lro@eximbankindia.in

मुंबई

8वीं मंज़िल, मेकर चैंबर IV, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
फोन: (+91 22) 22861300
ई-मेल: eximmro@eximbankindia.in

नई दिल्ली

ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, सातवीं मंज़िल, रिंग रोड के साथ, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली - 110 023
फोन: (+91 11) 61242600/24607700
ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in

पुणे

नं. 402 और 402(बी), चौथी मंज़िल, सिग्नेचर बिल्डिंग, भाम्बुर्डा, भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004
फोन: (+91 20) 26403000
ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

लंदन (शाखा)

5वीं मंज़िल, 35 किंग स्ट्रीट, लंदन– ईसी2वी 8बीबी,
यूनाइटेड किंगडम, फोन: (+44) 20 77969040
ई–मेल: eximlondon@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

आबिदजान

5वीं मंज़िल, अज्यूर बिल्डिंग,
18–दॉक्तर क्रोज़े रोड, प्लेत्यो,
आबिदजान,
कोत दि'वार
फोन: (+225) 27 20242951/37
ई–मेल: eximabidjan@eximbankindia.in

ढाका

मधुमिता प्लाज़ा कॉनकॉर्ड, 12वीं मंज़िल, प्लॉट संख्या 11,
रोड नंबर 11, ब्लॉक जी, बानानी,
ढाका – 1213
बांग्लादेश
फोनः (+880) 255042444
ई–मेल: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई

लेवल 5, टेनेंसी 1बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं.3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, पोओ बॉक्स नं. 506541,
दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
फोन: (+971) 4 3637462
ई–मेल: eximdubai@eximbankindia.in

जोहांस्बर्ग

दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट, सैंडहर्स्ट
एक्सटेंशन 3, सैंडटन 2196,
जोहांस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका
फोन: (+27) 11 3265103/13
ई–मेल: eximjro@eximbankindia.in

नैरोबी

यूनिट नं. 1.3, द ओवल,
जालाराम रोड, वेस्टलैंड्स,
नैरोबी,
केन्या
फोन: (+252) 741757567
ई–मेल: eximnairobi@eximbankindia.in

साओ पाउलो

यूनिट 1603,विश्व व्यापार केंद्र,अविनिडा दास नाकोस,
यूनिदास 12.551, साओ पाउलो 04578–903,
ब्राज़ील
फोन: (+55) 11 3080 7561
ई–मेल: eximsaopaulo@eximbankindia.in

सिंगापुर

20, कोलियर क्वे, #10–02
सिंगापुर – 049319
फोन: (+65) 65326464
ई–मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी.सी.

1750 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू,
सूइट 1202,
वाशिंगटन डी.सी. – 20006,
संयुक्त राज्य अमेरिका
फोनः (+1) 202 223 3238
ई–मेलः eximwashington@eximbankindia.in

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड,
मुंबई 400 005 | फोन : (+91 22) 22861300
ईमेल: ccg@eximbankindia.in | वेबसाइट: www.eximbankindia.in
हमें फॉलो करें